छत्तीसगढ़ शासन

आर्थिक सर्वेक्षण

वर्ष–2008–2009

आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय,

छत्तीसगढ़, रायपुर

छत्तीसगढ़
का
आर्थिक सर्वेक्षण

2008–2009

आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय
छत्तीसगढ़, रायपुर

प्राक्कथन

''छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण, वर्ष 2008–09'' नामक प्रस्तुत प्रकाशन में राज्य की आर्थिक प्रगति के विभिन्न पहलुओं, सामाजार्थिक स्थिति, उसे प्रभावित करने वाले आधारभूत घटकों एवं राज्य शासन की वर्तमान नीतियों के संदर्भ में प्रगति का विवेचनात्मक अध्ययन करने का प्रयास किया गया है । आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, द्वारा प्रकाशित वार्षिक प्रकाशन का यह नवम् अंक है ।

इस प्रकाशन के दो भाग है । प्रथम भाग में शासन की नीतियों के संदर्भ में प्रदेश की सामाजार्थिक एवं अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं एवं राज्य शासन की कल्याणकारी योजनाओं एवं विकास की गतिविधियों का विवेचनात्मक अध्ययन है । भाग–2 में संबधित सांख्यिकी तालिकाएँ प्रस्तुत की गई हैं । इस प्रकाशन हेतु संबंधित विभागाध्यक्षों, निगमों एवं सार्वजनिक क्षेत्र के प्रमुख प्रतिष्ठानों द्वारा समयावधि में अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराई गई है, इसके लिए हम उनके आभारी है । संचालनालय के वे अधिकारी/कर्मचारी जिन्होने इस प्रकाशन को अंतिम रूप देने में प्रत्यक्ष/परोक्ष रूप से अपना योगदान दिया है, प्रशंसा के पात्र हैं ।

आशा है, प्रस्तुत प्रकाशन राज्य की वर्तमान सामाजार्थिक स्थिति एवं विकास की गतिविधियों/उपलब्धियों का आंकलन करने के अपने उद्देश्य में सफल होगा । प्रकाशन को और अधिक उपयोगी एवं सार्थक बनाने हेतु सुझावों का सहर्ष स्वागत है ।

रायपुर,

दिनांक : जनवरी 2009

(विजयेन्द)
(आई.ए.एस.)
आयुक्त, सह–संचालक
आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय
छत्तीसगढ़, रायपुर

प्रकाशन तैयार करने में सहयोगी अधिकारी/कर्मचारी

क्र.	अधिकारी का नाम	पदनाम
1.	**श्री किशोर परियार**	**अपर संचालक**
2.	**श्री यू. सी. ओगरे**	**संयुक्त संचालक**
3.	**श्री आर. जी. एस. चौहान**	**सहायक संचालक**
4.	**श्री एस. के. चन्द्राकर**	**सहायक सांख्यिकी अधिकारी**

कम्प्यूटीकरण में विशेष सहयोग

1.	**श्री हर्षनारायण मिश्रा**	**डाटा एन्ट्री आपरेटर**
2.	**श्री सुनील कुमार भैना**	**सहायक ग्रेड–03**

भाग–एक

आर्थिक विवेचना

–:: विषय सूची ::–

भाग–एक (आर्थिक विवेचना)

क्र.	अध्याय विवरण	पृष्ठ संख्या
1	आर्थिक स्थिति –एक समीक्षा	1–3
2	राज्यीय आय	4–7
3	कृषि	8–22
4	भाव स्थिति	23–27
5.	पषुपालन एवं डेयरी विकास	28–31
6.	मत्स्य विकास	32–34
7.	वानिकी	35–40
8.	जल संसाधन	41–44
9.	विद्युत उर्जा	45–54
10.	उद्योग	55–69
11.	खनिज	70–72
12	परिवहन सुविधायें	73–76
13.	श्रम एवं रोजगार	77–85
14	सामाजिक सेवायें	86–112
15.	सहकारिता	113–113
16.	बचत एवं विनियोजन	114–118
17.	संस्कृति एवं पर्यटन	119–120
18.	पंचवर्षीय योजना	121–122

अध्याय–1

आर्थिक स्थिति–एक समीक्षा

1. वर्ष 2006–2007 में सामान्य वर्षा होने के कारण प्राथमिक क्षेत्र की उत्पादक गतिविधियों में वृद्धि एवं वर्ष 2007–08 में अनुकूल वर्षा से कृषि क्षेत्र में स्थिर भावों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद में पिछले वर्ष की तुलना में 2.93 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित की गई । वर्ष 2006–07 में सकल घरेलू उत्पाद के पुनरीक्षित अनुमान, स्थिर भावों पर 4150584 लाख रूपये से बढ़ कर 2007–08 में त्वरित अनुमान 4508592 लाख रूपये अनुमानित है । इस प्रकार आलोच्य अवधि में उत्पाद गतिविधियों में 8.63 प्रतिशत की वृद्धि अंकित की गई । प्रचलित भावों के आधार पर शुद्ध घरेलू उत्पाद के अनुमान वर्ष 2006–07 के 5040973 लाख की तुलना में वर्ष 2007–08 में 5959690 लाख रूपये अनुमानित किया गया ।

बाक्स नं–1.1

प्रगति की संभावनायें

- कृषि क्षेत्र में प्रचलित भावों पर सकल घरेलू उत्पाद पिछले वर्ष की 1382667 लाख रूपये से वृद्धि होकर वर्ष 2008–09 में 1536231 लाख रूपये संभावित है ।
- यह अनुमान किया गया है कि उद्योग क्षेत्र के प्रचलित भावों पर सकल घरेलू उत्पादन पिछले वर्ष के 3111210 लाख रूपये से बढ़कर वर्ष 2008–09 में 3783049 लाख रूपये होने की संभावना है ।
- अनुमान किया गया है कि वर्ष 2007–08 में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में प्रचलित भावों पर लगभग 18.61 प्रतिशत की वृद्धि होकर वर्ष 2008–09 में 8069841 लाख रूपये होने की संभावना है राज्य की शुद्ध घरेलू उत्पाद के आधार पर प्रति व्यक्ति आय रू. 29621 हो जाने की संभावना है

2. मौसम अनुकूल रहने के कारण वर्ष 2007–08 खरीफ में 4769.22 हजार हेक्टर में एवं 1783.86 हजार हेक्टर में रबी की बोनी हुई जो गत वर्ष 2006–07 से 0.52 प्रतिषत खरीफ एवं 7.60 प्रतिषत रबी में अधिक हुई है । वर्ष 2007–08 में 5989.81 हजार मे.टन खरीफ एवं 1372.10 हजार मे.टन का उत्पादन रबी में हुआ जो गत वर्ष से 5.12 प्रतिषत खरीफ एवं 7.91 प्रतिषत रबी में वृद्धि परिलक्षित है ।

वर्ष 2008–09 में जिलों से प्राप्त खरीफ फसल आनावारी के आधार पर रायपर जिले के दो महासमुन्द के दो दुर्ग के सात राजनांदगांव के 09 कबीरधाम के चार कांकेर के चार

बिलासपुर के दो एवं बीजापुर के तीन इस प्रकार आठ जिले के 33 तहसीलों तथा दुर्ग जिलें के 33 ग्रामों को सूखा प्रभावित घोषित किया गया है ।

3. औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 2001=100 पर आधारित (भिलाई केन्द्र) में खाद्य समूह सूचकॉक में 135 तथा सामान्य सूचकॉक में 132 की वृद्धि ऑकी गई है । वर्ष 2008–09 में 5 माह के औसत दर पर खाद्य 145 (6.89 वृद्धि) एवं सामान्य सूचकॉक 140 (5.71 प्रतिशत वृद्धि) दर्ज किया गया ।

इसी प्रकार अखिल भारतीय स्तर पर सूचकॉक 2001=100 पर आधारित वर्ष 2008 में सामान्य समूह सूचकांक 135 पाया गया वही खाद्य समूह में 138 वृद्धि दर्ज किया गया है।

4. राज्य गठन के पश्चात 106 बृहद्/मध्यम तथा 332 लघु/कुटीर उद्योगों की स्थापना हुई इसमें क्रमशः 5193.31 करोड़ एवं 8813.11 लाख रूपयों का पूंजी निवेश हुआ एवं 18473 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त हुआ । वर्ष 2007–08 में 08 लघु एवं कूटीर उद्योग अनुसूचित जाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा 43.61 लाख पूंजीनिवेष से स्थापित किए गए इनमें 79 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त हुआ । इसी तरह से 07 लघु एवं कुटीर उद्योग अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों द्वारा 20.20 लाख के पूंजी निवेष से स्थापित किए गए इसमें 50 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त हुआ । दुर्ग जिले में स्थापित भिलाई इस्पात संयत्र द्वारा वर्ष 2007–2008 में 5.26 मिलियन टन हाट मेटल, 5.05 मिलियन टन क्रूड स्टील, 4.42 मिलियन टन विक्रय योग्य इस्पात का उत्पादन किया गया जो कि, पिछले वर्ष के उत्पादन से क्रमशः 12.4, 29.1 एवं 40.8 प्रतिशत अधिक है । संयत्र ने वर्ष 2007–2008 में 5425.00 करोड़ रू. का षुद्ध लाभ अर्जित किया, जोकि गत वर्ष से 26.00 प्रतिषत अधिक है । वर्ष 2007–2008 में भारत एल्युमीनियम कम्पनी, कोरबा द्वारा 195785 में. टन एल्युमिना हाईड्रेट एवं 162543 मे. टन केल्सिनेटेड एल्यूमीनिया का रिकार्ड उत्पादन किया गया ।

5. तेजी से औद्योगीकरण के कारण विद्युत की मांग 1686 मेगावाट से बढ़कर 2651 मेगावाट हो गई । सभी स्त्रोंतों से औसत विद्युत आपूर्ति 1952 मेगावाट की गई जबकि अबाधित विद्युत की औसत मांग 1681 मेगावाट रही । इस प्रकार वर्षा अवधि में राज्य की औसम मांग से आपूर्ति अधिक रही तथा कोई लोडषेडिंग नही की गई । इस प्रकार देष का पहला षून्य पॉवर कट राज्य छत्तीसगढ़ बन गया । वर्षा अवधि 2007–08 के दौरान सर्वाधिक विद्युत आपूर्ति 2335 मेगावाट की गई जबकि समकालीन उच्चतम मांग 2405 मेगावाट की थी ।

6. वर्ष 2007–08 में 20 ग्रामों का विद्युतीकरण परम्परागत तरीके से एवं 195 ग्रामों का विद्युतीकरण गैर परम्परागत तरीके से किया जा चुका है, इस तरह 18993 ग्राम विद्युतीकृत है जो कुल आबाद ग्रामों का 96.20 प्रतिशत है ।

7. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत वर्ष 2007–08 में कुल उपलब्ध 1517.55 करोड़ रू. आवंटन में से 1401.83 करोड़ रू. व्यय किया जा कर 1316.10 लाख मानव दिवसों का रोजगार सृजन किया गया जिसमें कुल स्वीकृत 47562 कार्य पूर्ण किए गए तथा 367937 कार्य प्रगति पर रहे । प्रावधान अुनसार 28.76 लाख रोजगार मांग के विरूद्ध 22. 94 लाख परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है ।

8. प्रदेश में जन्म–मृत्यु पंजीयन के स्तर की आंकलन यदि न्यादर्श पंजीयन प्रणाली अनुसार वर्ष 2007 में जन्म दर 26.5 और मृत्यु दर 8.1 तथा शिशु मृत्यु दर 59 प्रति हजार आंकी गई है । न्यादर्श पंजीयन प्रणाली के वर्ष 2007 को आधार माने तो राज्य में वर्ष 2007 में प्राविधिक रूप से जन्म पंजीयन का स्तर 61.92 प्रतिशत एवं मृत्यु पंजीयन का स्तर 80.25 तथा षिषु मृत्यु का स्तर 18.59 प्रतिशत निर्धारित होता है । स्थानीय स्तर पर जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण का कार्य ग्रामीण क्षेत्र में पुलिस थाना के स्थान पर पंचायत प्रणाली 1 जनवरी, 2008 से कार्य कर रही है । नगरीय क्षेत्र में यह कार्य नगरीय निकायों में पूर्ववत जारी है ।

9 दिसम्बर 2008 की स्थिति में संपूर्ण राज्य में पूर्व/प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च/उच्चतर माध्यमिक संस्थाओं की संख्या क्रमशः 43409, 14626 एवं 3988 है, तथा इन संस्थाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों की संख्या पूर्व प्राथमिक/प्राथमिक 53.53 लाख माध्यमिक 28.56 लाख एवं उच्च/उच्चतर माध्यमिक 24.97 लाख है ।

उच्च शिक्षा के अन्तर्गत राज्य में 154 संचालित महाविद्यालय में 86595 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं । जिसमे 12677 अनुसूचित जाति अनुसूचित जन जाति एवं 18818 अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र है ।

10. राज्य की स्त्रोतविहीन बसाहटों एवं आंशिक पूर्ण बसाहटों में सितम्बर 2008 तक 72775 बसाहटों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के विरूद्ध 67340 बसाहटों में षुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया गया । संपूर्ण स्वछता कार्यक्रम अंतर्गत निर्मित शौचालय, बी.पी.एल. 15.53 लाख, ए.पी. एल. 18.11 लाख तथा स्कूल सेनेटरी काम्पलेक्स संख्या 31925 के साथ–साथ 5483 आंगनबाड़ी केन्द्रो में भी स्वच्छता परिसर का निर्माण किया गया । राज्य में कुल 192431 स्थापित हैण्डपम्पों से ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है । निर्मल ग्राम के पुरूस्कारों हेतु 116 ग्राम पंचायतों को चुना गया है ।

अध्याय– 2

राज्यीय आय

सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान

प्रचलित भावों के आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के पुनरीक्षित अनुमान वर्ष 2006–07 में 5780640 लाख़ रू. अनुमानित है, जिसमें 17.70% की वृद्धि होकर वर्ष 2007–08 के त्वरित अनुमान 6803595 लाख रू. आंकलित किये गये । क्षेत्रवार स्थिति निम्नानुसार है:–

प्रचलित भावों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान

(लाख रू. में)

क्र.	क्षेत्र	2005–06	2006–07 (प्रा.)	2007–08(त्व.)	2007–08 में % वृद्धि
1	प्राथमिक क्षेत्र	1777150	1880429	2158409	14.78
2	द्वितीयक क्षेत्र	1504261	1884796	2335468	23.91
3	तृतीयक क्षेत्र	1818474	2015415	2309718	14.60
	सकल रा.घ.उ.	**5099884**	**5780640**	**6803595**	**17.70**
	प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद (रू)	22466	25024	28951	15.69

स्थिर (1999–2000) भावों के आधार पर राज्य का सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 2006–07 में 4150584 लाख रू. अनुमानित किया गया । जिसमें 8.63% की वृद्धि होकर वर्ष 2007–08 में यह 4508592 लाख रू. आकलित किया गया ।

स्थिर (1999–2000) भावों पर राज्य सकल घरेलू उत्पाद के अनुमान

(लाख रू. में)

क्र.	क्षेत्र	2005–06	2006–07प्रा.)	2007–08(त्व.)	2007–08 में % वृद्धि
1	प्राथमिक क्षेत्र	1436483	1509398	1578337	4.57
2	द्वितीयक क्षेत्र	922047	1042656	1183594	13.52
3	तृतीयक क्षेत्र	1484847	1598530	1746661	9.27
	सकल रा.घ.उ.	**3843378**	**4150584**	**4508592**	**8.63**
	प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद (रू.)	16931	17968	19185	6.78

छत्तीसगढ़ राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान प्रचलित भावों के आधार पर वर्ष 2007–08 में प्राथमिक, द्वितीयक एवं सेवा क्षेत्र में **प्रतिशत वितरण** क्रमशः 31.72, 34.33 एवं 33.95 रहा जबकि इसी अवधि में स्थिर (1999–2000) भावों के आधार पर उपरोक्त क्षेत्रों में सकल राज्य घरेलू उत्पाद का प्रतिशत क्रमशः 35.01, 26.25 तथा 38.74 अनुमानित प्रतिवेदित हुआ ।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद का क्षेत्रवार प्रतिशत वितरण

क्षेत्र	2006–07 (प्रा.)		2007–08(त्व.)	
	प्रचलित भावों पर	स्थिर (1999–2000) भावों पर	प्रचलित भावों पर	स्थिर (1999–2000) भावों पर
प्राथमिक क्षेत्र	32.53	36.37	31.72	35.01
द्वितीयक क्षेत्र	32.61	25.12	34.33	26.25
तृतीयक क्षेत्र	34.86	38.51	33.95	38.74
सकल रा.घ.उ.	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**

शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान,

प्रचलित भावों के आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य के शुद्ध घरेलू उत्पाद के पुनरीक्षित अनुमान वर्ष 2006–07 में 5040973 लाख रू. अनुमानित है, जिसमें 18.22% की वृद्धि होकर वर्ष 2007–08 के त्वरित अनुमान 5959690 लाख रू. आंकलित किये गये । प्रचलित भावों के आधार पर प्रति व्यक्ति आय (शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद) वर्ष 2006–07 में 21822 रू. अनुमानित है, जो वर्ष 2007–08 में 25360 रू. प्रतिवेदित किया गया । क्षेत्रवार स्थिति निम्नानुसार है :–

प्रचलित भावों पर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान

(लाख रू. में)

क्र.	क्षेत्र	2005–06	2006–07(प्रा.)	2007–08 (त्व.)	2007–08 में% वृद्धि
1	प्राथमिक क्षेत्र	1599369	1720593	1987383	15.51
2	द्वितीयक क्षेत्र	1151024	1457804	1837881	26.07
3	तृतीयक क्षेत्र	1676387	1862577	2134426	14.60
	शुद्ध रा.घ.उ.	**4426779**	**5040973**	**5959690**	**18.22**
	प्रति व्यक्ति आय (शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद) (रू. में)	19501	21822	25360	16.21

स्थिर (1999–2000) भावों के आधार पर राज्य का शुद्ध घरेलू उत्पाद वर्ष 2006–07 में 3617566 लाख रू. अनुमानित किया गया जिसमें 8.75% की वृद्धि होकर वर्ष 2007–08 में यह 3933986 लाख रू. अनुमानित किया गया है । क्षेत्रकवार स्थिति निम्नानुसार है :–

स्थिर (1999–2000) भावों के आधार पर राज्य का शुद्ध घरेलू उत्पाद के अनुमान

(लाख़ रू. में)

क्र	क्षेत्र	2005–06	2006–07(प्रा.)	2007–08(त्व.)	2007–08 में % वृद्धि
1	प्राथमिक क्षेत्र	1301727	1390185	1457363	4.83
2	द्वितीयक क्षेत्र	652734	737440	849167	15.15
3	तृतीयक क्षेत्र	1381165	1489941	1627456	9.23
	शुद्ध रा.घ.उ.	**3335627**	**3617566**	**3933986**	**8.75**
	प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद (रू.)	14694	15660	16740	6.90

वर्ष 2007–08 में स्थिर भावों पर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद के त्वरित अनुमानों के अनुसार प्रति व्यक्ति राज्य घरेलू उत्पाद 16740 रू. रहा ।

छत्तीसगढ़ राज्य के शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान स्थिर भावों के आधार पर वर्ष 2007–08 में प्राथमिक, द्वितीयक एवं सेवा क्षेत्र में क्रमशः 37.05, 21.59 एवं 41.37 प्रतिशत रहा जबकि इसी वर्ष प्रचलित भावों के आधार पर प्रतिशत क्रमशः 33.35, 30.84 तथा 35.81 है ।

शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद का क्षेत्रवार प्रतिशत वितरण

क्षेत्र	2006–07 (प्रा.)		2007–08 (त्व.)	
	प्रचलित भावों पर	स्थिर (1999–2000) भावों पर	प्रचलित भावों पर	स्थिर (1999–2000) भावों पर
प्राथमिक क्षेत्र	34.13	38.43	33.35	37.05
द्वितीयक क्षेत्र	28.92	20.38	30.84	21.59
तृतीयक क्षेत्र	36.95	41.19	35.81	41.37
शुद्ध रा.घ.उ.	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**

छत्तीसगढ़ राज्य के सकल घरेलू उत्पाद एवं प्रति व्यक्ति आय
(संदर्भ तालिका क्रमांक 2.1 एवं 2.2)

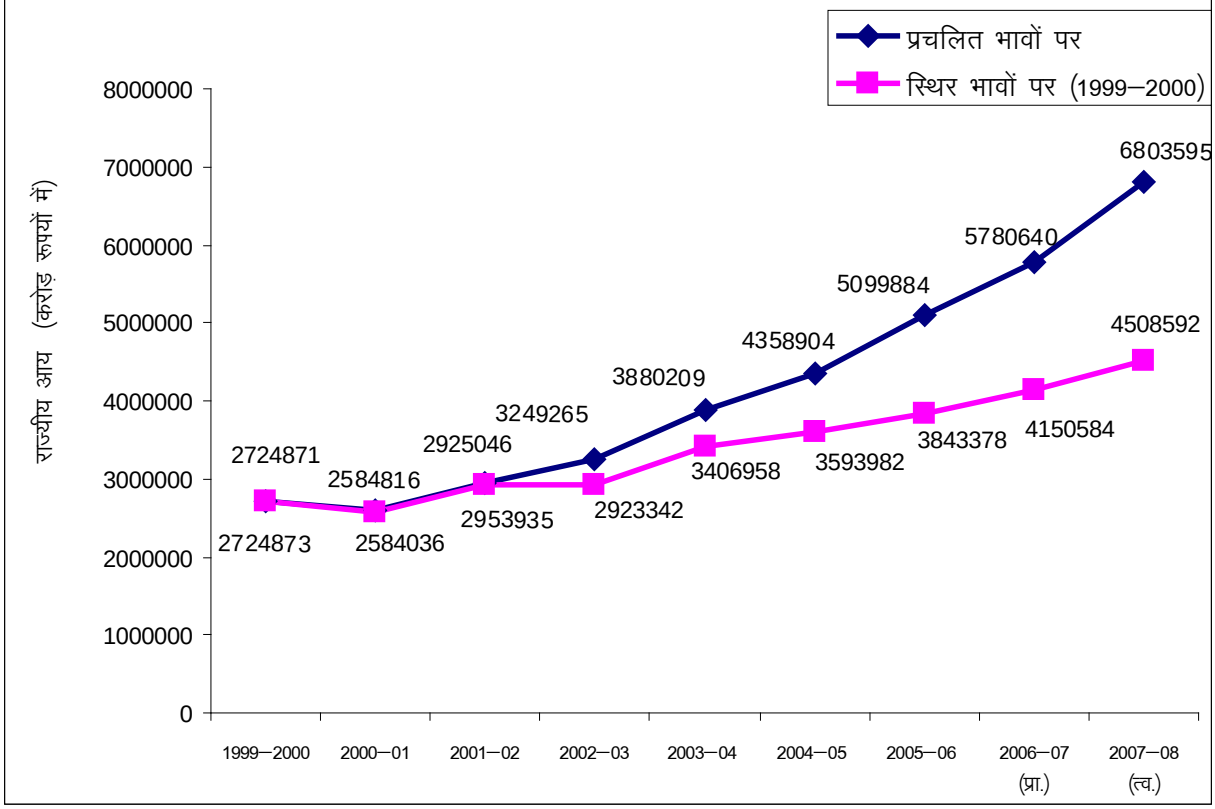

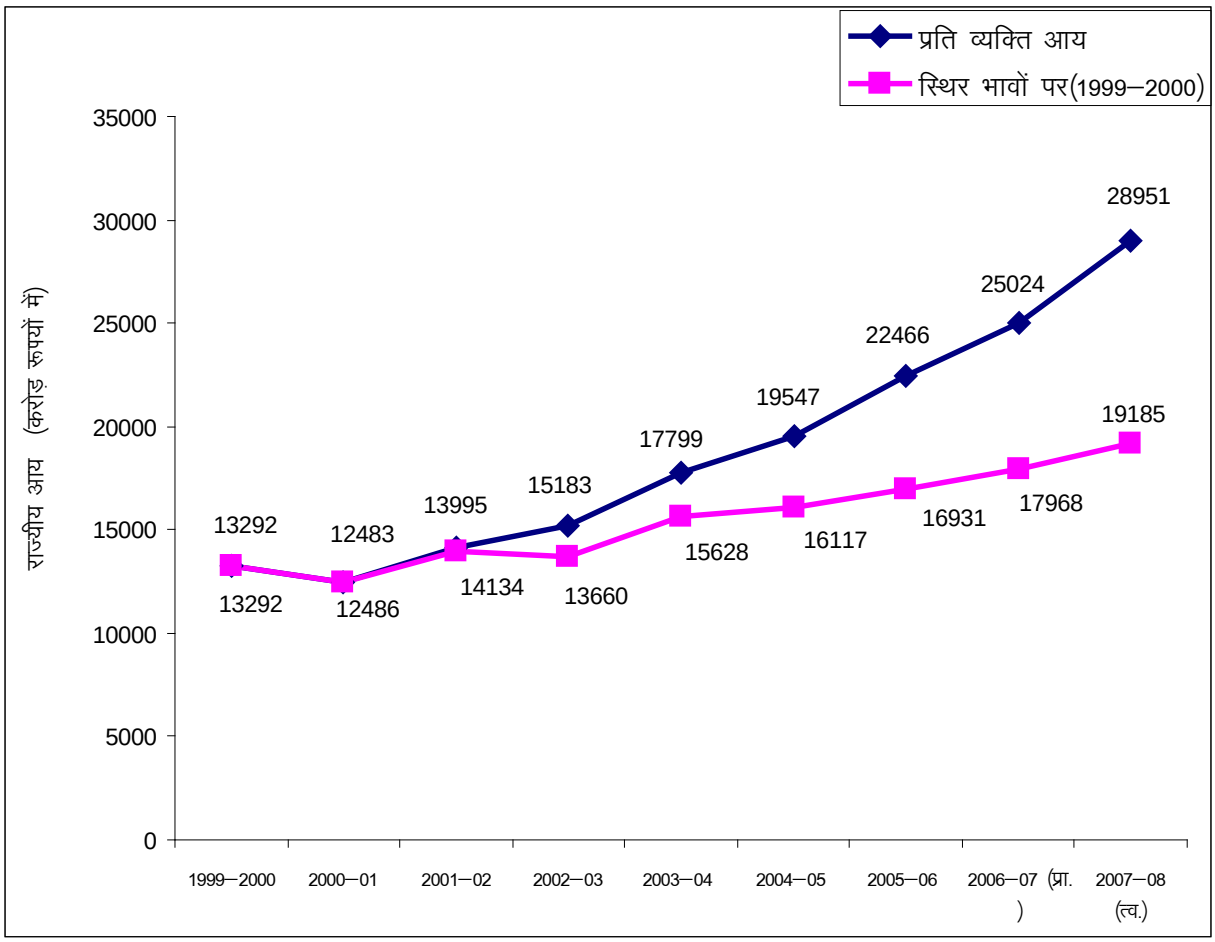

अध्याय–3

कृषि

राज्य की लगभग 80 प्रतिशत जनता कृषि एवं कृषि आधारित उद्योग धंधों पर आश्रित है । यहां कृषि योग्य सकल कृषि क्षेत्र 58.88 लाख हेक्टर है जिसमें 17.46 लाख सीमांत 7. 16 लाख लघु एवं 7.93 लाख मध्यम एवं दीर्घ इस प्रकार कुल 32.55 लाख कृषक परिवार कृषि कार्य में संलग्न है ।

कृषि उत्पादन :– वर्ष 2007–08 में खरीफ फसलों की 4769.22 हजार हेक्टर में एवं रबी 1783.23 हजार हेक्टर में बोनी हुई है । खरीफ एवं रबी मौसम में उत्पादन क्रमशः धान 5266.86, ज्वार 8.64, मक्का 269.85, कोदो–कुटकी 21.58 अरहर 85.69 मूंग 9.94 उड़द 56. 93 कुल्थी 21.93 मूंगफली 77.09, तिल 15.05 सोयाबीन 135.62 रामतिल 19.49 सूर्यमुखी 1.05 एवं ग्रीष्म धान 390.18, चना 262.68, मटर 16.82 मसूर 8.72 मूंग 4.91 उड़द 4.09 कुल्थी 10.17, तिवड़ा 281.48, राई–सरसों 62.56 अलसी 34.20, कुसुम 2.26, सूर्यमुखी 6.78, तिल 1.01 मूंगफली 18.60, गन्ना 65.36 इस प्रकार कुल खरीफ में 5989.18 हजार मे. टन तथा रबी में 1372.10 हजार मे. टन उत्पादन हुआ ।

प्रमुख फसलों का उत्पादकता का लक्ष्य (कि.ग्रा.प्रति हेक्टर) :– वर्ष 2008–09 में अच्छी वर्षा होने के कारण प्रमुख फसलों का औसत उत्पादन चावल –1570, ज्वार–1100, मक्का–1600, गेहूँ–1340, चना–950, सोयाबीन–1280, अरहर–750, मूंग–350 एवं उड़द–400 किलोग्राम प्रति हेक्टर लक्ष्य रखा गया है ।

बीज वितरण :– खरीफ वर्ष 2007–08 में प्रमाणित बीजों का वितरण 148605 क्विंटल तथा रबी फसलों में 38696 क्विंटल बीज वितरण किया गया । खरीफ 2008–09 में 190000 क्विंटल का लक्ष्य रखा गया था, जिसके विरूद्ध 255445 क्विंटल बीज का वितरण किया गया है । रबी 2008–09 में 47466 क्विंटल बीज वितरण का लक्ष्य रखा गया है ।

कल्चर वितरण : भूमि की उत्पादन क्षमता एवं फसल उत्पादकता वृद्धि के लक्ष्य प्राप्त करने हेतु खरीफ 2007 में 523595 पैकेट की तुलना में खरीफ 2008 में 579860 पैकेट का लक्ष्य रखा गया है, जिसके विरूद्ध सितंबर 2008 तक 563076 पैकेट का वितरण हो चुका है । रबी वर्ष 2007–08 में 286640 पैकेट की तुलना में इस वर्ष 2008–09 में 451115 पैकेट का लक्ष्य प्रस्तावित है ।

प्रमुख फसलों का उत्पादन
(संदर्भ तालिका 3.2)

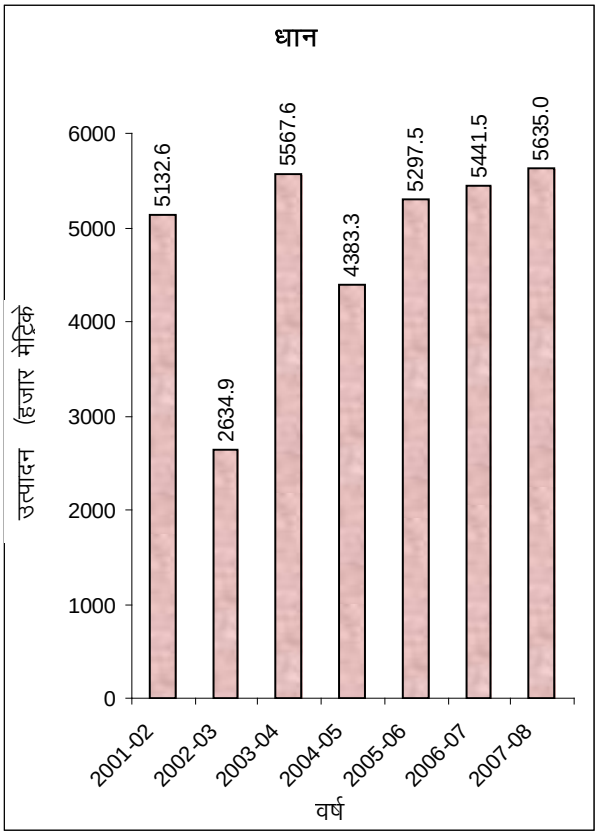

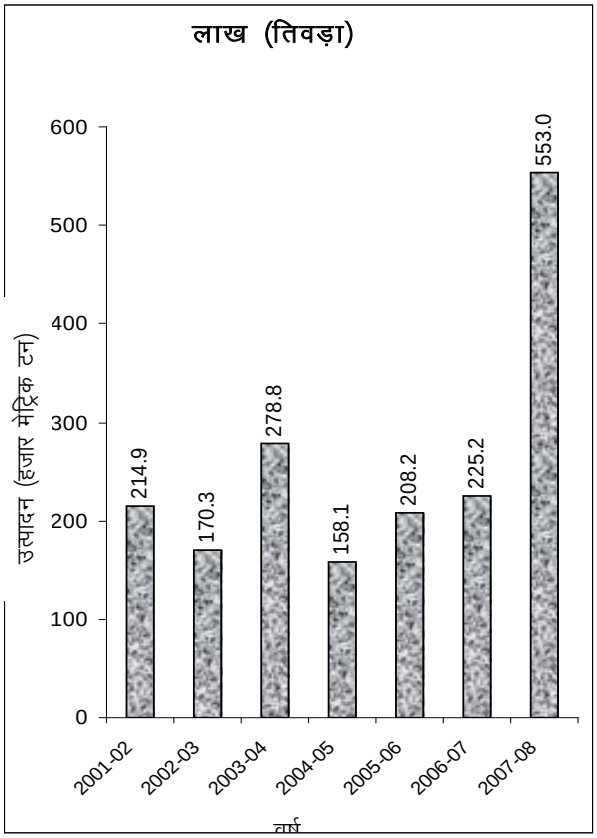

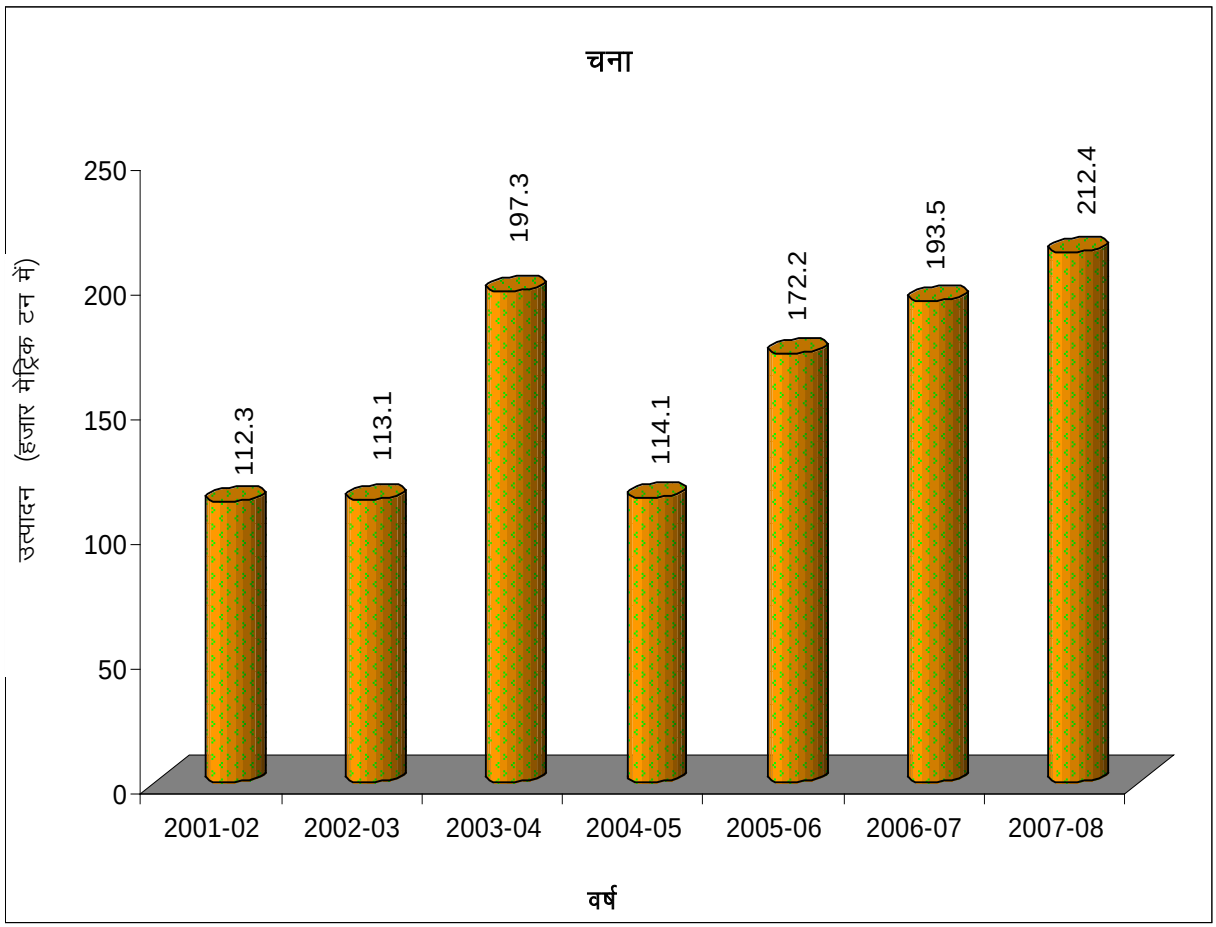

उर्वरक खपत : वर्ष 2007–08 में 757.18 हजार मेट्रिक टन उर्वरक का वितरण हुआ । वर्ष 2008–09 में 891.00 हजार टन उर्वरक वितरण का लक्ष्य रखा गया है, जिसके विरूद्ध खरीफ में माह अक्टूबर 2008 तक 829.18 हजार मेट्रिक टन उर्वरक का वितरण हुआ । वर्ष 2007–08 का खपत विवरण निम्नानुसार है :–

मौसम	कुल उर्वरक खपत टनो में वर्ष 2007–08				उर्वरक खपत किलोग्राम/हेक्टर			
	नत्रजन	स्फुर	पोटाश	योग	नत्रजन	स्फुर	पोटाश	योग
खरीफ	257426	100633	41674	399733	44	21	8	73
रबी	41257	25330	10612	77199	23	14	6	43

राष्ट्रीय जलग्रहण क्षेत्र विकास कार्यक्रम :– दसवीं पंचवर्षीय योजना हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के सभी 16 जिलों में 337 जल ग्रहण क्षेत्रों का चयन कर विकास हेतु समितियां पंजीकृत कराई गई है जिसमें प्राथमिकता के आधार पर 185 जलग्रहण क्षेत्रों में कार्य कराया जा रहा है । कार्यक्रम के अनुसार योजनाकाल में 5797.00 लाख रूपये में 130697 हेक्टर क्षेत्र उपचारित किया जाना है । वर्ष 2006–07 में 1596.77 लाख रू. व्यय कर 35014 हेक्टयर क्षेत्र उपचारित किया गया है । कार्यक्रम के अन्तर्गत उपचार योग्य कृषि एवं अकृषि भूमि तथा जलनिकासी प्रणाली का उपचार वानस्पतिक एवं जलसंग्रहण संरचनाएँ तैयार कर कराया जाता है । वर्ष 2007–2008 के लिए 960.56 लाख रू. व्यय कर 7483 हजार हेक्टर क्षेत्र उपचारित करने हेतु 1527 स्ट्रक्चर तैयार करने की योजना है । वर्ष 2008–09 में 18200 हेक्टर क्षेत्र में उपचारित करने हेतु 2700 स्ट्रक्चर लगाये जाने की योजना जिस पर राषि 1100.00 लाख का आबंटन उपलब्ध है ।

नदी घाटी/बाढ़ उन्मुख योजना :– इस योजना का प्रमुख उद्देश्य विभिन्न नदियों पर बनाये गये जलाशयों में गाद के जमाव को कम करना है, ताकि उनकी जीवन अवधि को अधिक समय तक बनाया रखा जा सके, साथ ही होने वाले भूमि क्षरण को रोका जा सके । प्रदेश के तीन जिले राजनांदगांव, दुर्ग एवं बिलासपुर में महानदी एवं सोनकछार में अति उच्च प्राथमिकता वाले 13 जलग्रहण क्षेत्र में काम कराया जा रहा है । वर्ष 2006–07 में 632.20 लाख रू. व्यय कर 9739.48 हेक्टर क्षेत्र उपचारित किया गया एवं 1732 स्ट्रक्चर बनाये गये है । वर्ष 2007–08 के लिए 595.26 लाख रू. व्यय कर 10118 हेक्टयर क्षेत्र के लिए 5285 स्ट्रक्चर लगाये गये वर्ष 2008–09 में 6300 हेक्टर क्षेत्र उपचारित करने हेतु 2000 स्ट्रेक्चर तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है ।

लघुत्तम सिंचाई (तालाब) योजना :– योजनान्तर्गत 40 हेक्टर तक सिंचाई क्षमता वाले सिंचाई तालाब बनाये जाते हैं । वर्ष 2005–06 में 1432.84 लाख रू. व्यय कर 226 तालाब बनाये गये हैं एवं 2006–07 में 2088.85 लाख रू. व्यय कर 179 तालाब बनाये गये है ।बर्ष 2007–08 में 2444.00 लाख व्यय कर 239 तालाब बनाये गये हैं । वर्ष 2008–09 में 2455.00 लाख का प्रावधान है जिसके विरूद्ध अब तक रू. 1272.00 लाख व्यय कर 37 तालाब पूर्ण तथा 172 तालाब निर्माणाधीन है ।

लघु सिंचाई योजना :– यह योजना 16 जिलों में लागू है । योजनान्तर्गत हितग्राहियों को नलकूप खनन पर लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रू. 10000.00 एवं पंप प्रतिस्थापन हेतु लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम रू. 15000.00 अनुदान देय है । योजनान्तर्गत वर्ष 2006–2007 में 3783 नलकूप खनित हुए जिस पर 753.8 लाख रू. अनुदान दिया गया है । वर्ष 2007–2008 में 4552 नलकूप खनन कर 973.37 लाख रू. व्यय किया गया । वर्ष 2008–09 में 7200 नलकूप खनन हेतु 1207.00 लाख का प्रावधान है, जिसमें दिसम्बर 2008 तक 2607 नलकूप खनित हुए तथा 599.00 लाख रू. अनुदान दिया गया है ।

किसान समृद्धि योजना :– अकाल की स्थिति के निवारण हेतु वृष्टिछाया के अन्तर्गत आने वाले 5 जिलों के 25 विकास खण्डों में यह योजना लागू की गई है । योजनान्तर्गत नलकूप हेतु सामान्य वर्ग के हितग्राहियों को अधिकतम 25000.00 रू. तथा अनु.जाति/अनु.जनजाति वर्ग के हितग्राहियों को अधिकतम 43000.00 रू. अनुदान देय है । इस योजनान्तर्गत 5 जिलों में योजना प्रारंभ से 2007–08 तक 5528.67 लाख रू. व्यय कर 15658 नलकूपों का उर्जीकरण कर लगभग 55296 हेक्टर क्षेत्र में सुनिश्चित सिंचाई में वृद्धि हुई । वर्ष 2008–2009 में 1626. 32 लाख रू. आबंटन के विरूद्ध रू. 1069.00 लाख का अनुदान 3800 नलकूपों के उर्जीकरण हेतु किया गया है ।

आई.सी.डी.पी. चॉवल योजना विकास :– सभी 16 जिलों में यह योजना संचालित है इसे भारत सरकार की सहायता से धान के उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु विशेष खाद्यान्न उत्पादन के तहत चलाया जा रहा है । वर्ष 2006–07 में रू. 420.20 लाख व्यय हुआ ।

वर्ष 2007–08 के लिए 455.40 लाख रू व्यय हुआ, वर्ष 2008–09 में 306.10 लाख का प्रावधान है जिसके विरूद्ध अब तक 122.30 लाख रू. व्यय किया गया ।

केन्द्र पोषित आई सोपाम योजना –

1. राष्ट्रीय दलहन एवं तिलहन विकास योजना :– दलहनी एवं तिलहनी फसलों की वृद्धि हेतु शासन द्वारा विशेष प्रयास किए जा रहे है । दलहनी फसलों के विकास योजना अंतर्गत वर्ष 2007–08 में रू. 346.39 लाख के विरूद्ध रू. 346.22 लाख व्यय हुआ है तथा तिलहन विकास हेतु वर्ष 2007–08 में रू. 609.70 लाख के विरूद्ध 605.40 लाख व्यय हुआ । दलहन में वर्ष 2008–09 में 743.59 लाख तथा तिलहन में 1213.64 लाख रू. का प्रावधान है । दिसम्बर 2008 तक दलहन में 66.19 लाख एवं तिलहन में 263.03 लाख रू. व्यय हो चुका है ।

त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम (टेक्नालॉजी मिशन आफ मेज) (केन्द्र प्रवर्तित) :– यह योजना राज्य के सभी जिलों में क्रियान्वित हो रही है । इस योजना के अंतर्गत प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन तथा उन्नत बीज व उन्नत कृषि यंत्रों को अनुदान पर कृषकों को उपलब्ध कराया जाता है । वर्ष 2007–08 में रू. 82.37 लाख, प्रावधान के विरूद्ध रू. 81. 72 लाख व्यय हुआ । वर्ष 2008–09 में रू. 52.63 लाख के आवंटित राशि के विरूद्ध दिसम्बर 2008 रू. 40.27 लाख व्यय हुआ है ।

गन्ना विकास योजना :– राज्य के 10 जिलों में यह योजना क्रियान्वित की जा रही है जिसके अन्तर्गत बीज प्रगुणन, फील्ड प्रदर्शन, आई.पी.एम., वृत्ताकार प्रदर्शन, कृषक प्रशिक्षण आदि सम्मिलित है । शासन के सहयोग से सहकारिता क्षेत्र में भौरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना कबीरधाम जिले में स्थापित किया गया है । वर्ष 2007–08 में रू. 98.00 लाख का प्रावधान कर रू. 62.67 लाख रू. व्यय हुआ है तथा वर्ष 2008–09 के लिए रू 84.10 लाख रू. का प्रावधान है । माह दिसम्बर 2008 तक 12.51 लाख व्यय किया गया है । यह योजना इस वर्ष से सभी जिलों में क्रियान्वित की जा रही है ।

सूरजधारा योजना :– यह बीज अदला–बदली की योजना है जिसके अंतर्गत कृषक को अलाभकारी फसलों के बीज के बदले लाभकारी फसलों के उन्नत बीज (एक हेक्टर सीमा तक) दिया जाता है । इसके अतिरिक्त कृषक को स्वयं धारित कृषि भूमि के 0.10 हेक्टर क्षेत्र में आधार/प्रमाणित बीज तैयार करने के लिये 75 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। वर्ष 2007–08 में रू. 69.47 लाख व्यय किया गया । वर्ष 2008–09 में रू. 100.00 लाख का प्रावधान जिसके विरूद्ध दिसम्बर 2008 तक रू. 68.89 लाख रू. व्यय हुआ है ।

अन्नपूर्णा योजना :– विशेष केन्द्रीय सहायता से राज्य के 13 जिलों में यह योजना क्रियान्वित की जा रही है । जिसके अन्तर्गत धान की अदला–बदली व बीज स्वावलंबन के लिये कृषकों

को अनुदान दिया जाता है । वर्ष 2007–2008 में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कृषकों को 47.00 लाख रू. की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर लाभान्वित गया है । वर्ष 2008–2009 के लिए रू. 70.00 लाख का प्रावधान है, जिसके विरूद्ध दिसम्बर 2008 तक रू. 48.14 लाख रू. व्यय हुआ है ।

राष्ट्रीय जैविक खेती :– इस योजना के प्रथम चरण में राज्य के विभिन्न 10 प्रक्षेत्रों में जैविक खेती प्रशिक्षण एवं 07 आदर्श मॉडल जैविक खेती हेतु वित्तीय वर्ष 2007–08 में 88.41 लाख मांग के विरूद्ध 88.05 लाख रू. का व्यय हुआ है तथा 10 प्रक्षेत्रों में प्रशिक्षण हेतु कार्यक्रम तैयार किया गया है । राज्य के पांच जिले सरगुजा कोरिया, रायगढ़, जगदलपुर एवं कांकेर के 1500 लघु सीमांत कृषकों के समूह को जैविक खेती हेतु प्रोत्साहित कर उनके प्रक्षेत्र को शासकीय व्यय पर जैविक प्रमाणीकरण किया जावेगा । साथ ही 12 शासकीय कृषि प्रक्षेत्रों में कुल 23 वर्मी कम्पोष्ट हेचरी निर्माण कर 1.50 लाख प्रति हेचरी की दर से 34.50 लाख का व्यय किया गया है । राज्य कृषि एवं बीज विकास निगम द्वारा जैव उर्वरक उत्पादन संयत्र को सशक्तीकरण बनाने हेतु 20.00 लाख का प्रावधान है । इस तरह राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजनान्तर्गत वर्ष 2007–08 में कुल 88.41 लाख रू. केन्द्र शासन द्वारा स्वीकृत किया गया है ।

जैव डीजल फसलों की खेती :– राज्य में 5 लाख हेक्टर से अधिक भूमि अनुपयोगी एवं मिश्र पड़त भूमि है । इस भूमि पर जैव डीजल पौध जैसे रतन ज्योत, करंज की खेती हेतु 17. 84 करोड़ रू. की तीन वर्षीय योजना राष्ट्रीय तिलहन एवं वनस्पति तेल विकास बोर्ड भारत सरकार को प्रेषित की गई है । इस योजना हेतु वर्ष 2007–08 में 120.00 लाख में से 118.40 लाख रू. व्यय कर 15.35 लाख जेट्रोफा के पौधो का रोपण 614 हेक्टर क्षेत्र में किया जा चुका है । योजनान्तर्गत वर्ष 2008–09 में स्वीकृत 50.00 लाख रू. में से 42.40 लाख रू. व्यय कर कुल 3.06 लाख जेट्रोफा पौधों का रोपण किया जा चुका है ।

शुद्ध सिंचित क्षेत्र का स्त्रोत अनुसार वर्गीकरण
(संदर्भ तालिका क्रमांक–3.4)

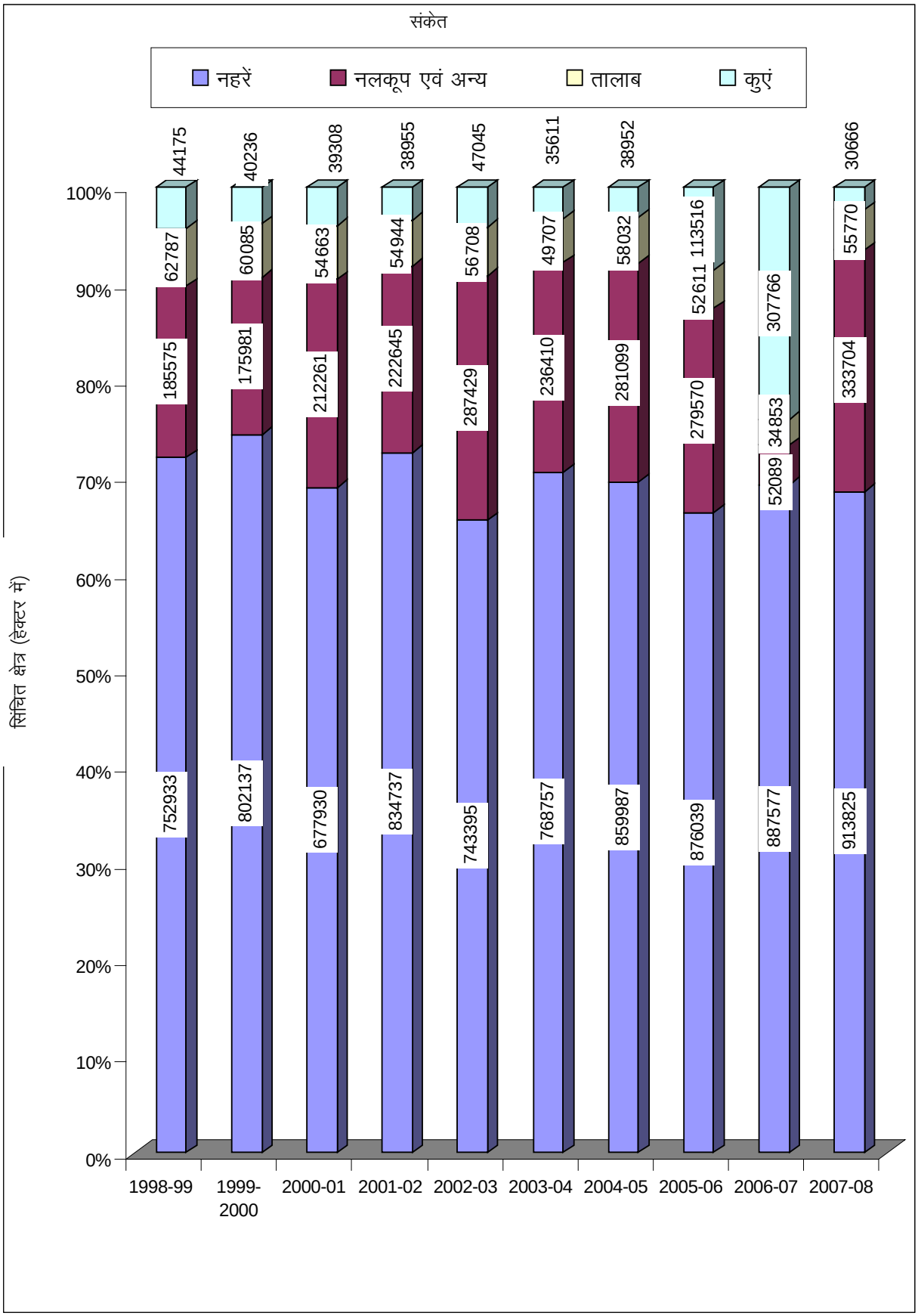

राष्ट्रीय बायोगैस विकास परियोजना : इस योजना के अंतर्गत केन्द्र शासन द्वारा हितग्राहियों को 1 से 20 घनमीटर क्षमता के गोबर गैस संयंत्र निर्माण पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/लघु कृषक/सीमान्त कृषक/भूमि हीन श्रमिकों को 2300.00 रूपये प्रति संयंत्र तथा अन्य कृषकों को 1800.00 रूपये का अनुदान दिया जाता है । वर्ष 2007–08 में 5000 लक्ष्य के विरूद्ध 1520 गोबरगैस संयंत्र निर्मित किए गए है । वर्ष 2008–09 में प्रस्तावित 5000 गोबर गैस संयत्र के विरूद्ध 478 पूर्ण एवं 85 निर्माणाधीन है ।

नाडेप विधि से खाद तैयार करना : इस कार्यक्रम में टंकी बनाने के लिये निर्धारित मापदण्डों के अनुसार कृषकों को अनुदान दिया जाता है । वर्ष 2007–08 में 4075 लक्ष्य के विरूद्ध 3897 नाडेप टांको की पूर्ति हुई है तथा रू. 41.00 लाख के विरूद्ध रू. 40.99 लाख व्यय हुआ । वर्ष 2008–09 हेतु भौतिक लक्ष्य 9300 नाडेप टांके एवं आवंटन राशि रू. 100.00 लाख है जिसके विरूद्ध दिसम्बर 2008 तक रू. 73.29 लाख व्यय कर 5806 नाडेप टांके का निर्माण पूरा किया गया है ।

रामतिल प्रोत्साहन योजना : आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में रामतिल की खेती को प्रोत्साहित करने एवं रामतिल की उत्पादकता एवं उत्पादन में वृद्धि करने के उद्देश्य से कृषकों में उन्नत बीज, उन्नत काश्त तकनीक का प्रदर्शन, उपयोगी कृषि यंत्र, उर्वरक, मिनीकिट बीजोपचार दवा, कल्चर सूक्ष्म तत्व, उर्वरक वितरण एवं कृषक प्रशिक्षण के माध्यम से रामतिल की खेती को प्रोत्साहित करना है । वर्ष 2007–08 में रू. 25.00 लाख वित्तीय प्रावधान कर 20.69 लाख रू व्यय किया गया । वर्ष 2008–09 हेतु 30.00 लाख रू. आबंटन के विरूद्ध 14.17 लाख रू. व्यय किया गया है ।

चलित–मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना : चलित मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला हेतु राज्य शासन से रू. 48.00 लाख की स्वीकृति प्राप्त कर चार वाहन खरीदी में 42.84 लाख रू. व्यय हुआ । ये वाहन आदिवासी जिले कांकेर, कबीरधाम, कोरबा एवं सरगुजा के ग्रामीण अंचलों में मिट्टी के नमूनों पर स्थल परीक्षण कर त्वरित परिणाम उपलब्ध करा रहे हैं ।

जैविक कीट नियंत्रण प्रयोगशाला की स्थापना : रसायनों के उपयोग से परिलक्षित दुष्प्रभाव के दृष्टिगत कृषि कीट व्याधियों के जैविक विधियों द्वारा नियंत्रण को प्रोत्साहन देने हेतु केन्द्र शासन से रू. 45.00 लाख की लागत से जिला बिलासपुर में राज्य जैव नियंत्रण प्रयोगशाला निर्माण किया गया है ।

प्रमुख फसलों का औसत उत्पादन
(कि.ग्रा. प्रति हेक्टर)
संदर्भ तालिका 3.3

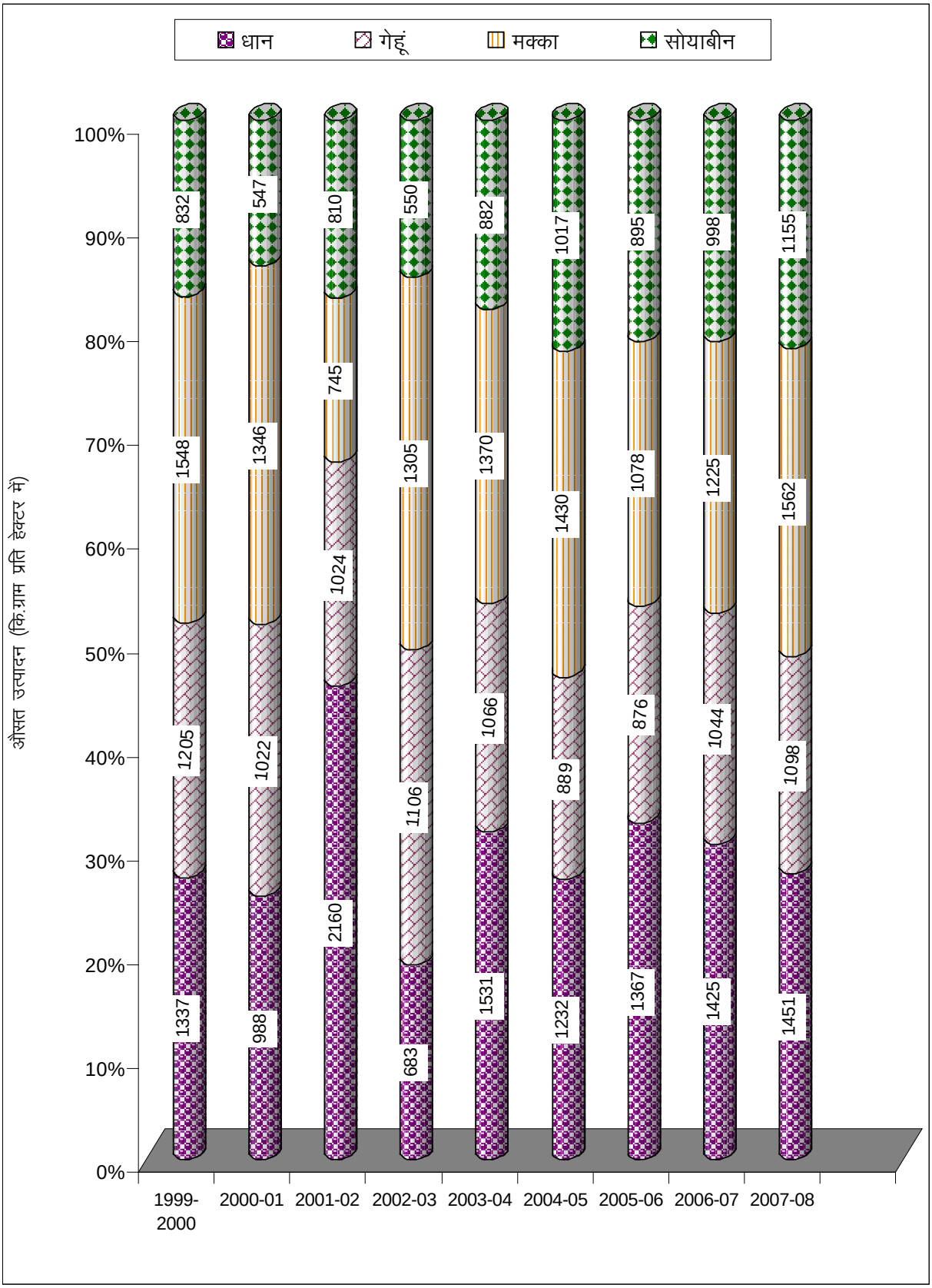

वानस्पतिक ईंधन विकास कार्यक्रमः बायोफ्यूल के विकास से कृषको की आर्थिक प्रगति एवं कृषकों की स्वंय की ईधन की आवश्यकता की पूर्ति हेतु वर्ष 2007–08 में रू. 78.98 लाख रू. व्यय कर 15.35 लाख पौधे रोपण किया जा चुका है । वर्ष 2008–09 हेतु 614.00 हेक्टर में 11.34 लाख पौधे कृषकों को उपलब्ध कराने का लक्ष्य है ।

कृषि विस्तार तंत्र का सुधार (आत्मा): राज्य में कृषि विस्तार तंत्र का सुधार, कृषक स्तर से योजना की तैयारी तथा क्रियान्वयन, विपणन व्यवस्था को कृषि प्रसार तंत्र में शामिल किया जाना है । यह योजना केन्द्र प्रवर्तित है (केन्द्रांश : राज्यांश 90:10) योजना के प्रथम चरण में 5 जिले बस्तर, सरगुजा, बिलासपुर, कबीरधाम एवं रायगढ़ का चयन किया गया है ।

छत्तीसगढ़ राज्य कृषि प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना :– प्रदेश के कृषक अधिकारी एवं कर्मचारियों को कृषि की नवीनतम तकनीक से अवगत कराने के उद्देश्य से राजधानी रायपुर में राज्य कृषि प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना की गई है ।

सूक्ष्म सिंचाई योजना :–उपलब्ध जल के अधिकतम उपयोग हेतु महत्वाकांक्षी योजना पूरे प्रदेश में लागू की जा रही है । जिसमें सिंचाई प्रणाली की कुल लागत का 40 प्रतिशत हिस्सा केन्द्र सरकार, 10 प्रतिशत राज्य सरकार, एवं शेष 50 प्रतिशत हिस्सा लाभार्थी द्वारा वहन किया जायेगा । इस योजना द्वारा अधिकतम 5 हैक्टर क्षेत्र हेतु सहायता दी जायेगी । उत्कृष्ट कृषि विकास केन्द्र इस योजना के कार्यान्वयन के लिए अनुसंधान एवं तकनीकी सहायता प्रदान करेंगे एवं राज्य सरकार द्वारा नियुक्त छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम द्वारा योजना का क्रियान्वयन किया जायेगा । वर्ष 2008–09 हेतु केन्द्र द्वारा 690.00 करोड़ रू. की कार्य योजना है । अभी तक 1100.56 लाख रू. व्यय कर 32067 हेक्टर क्षेत्र में स्प्रिंकलर स्थापना की गई है ।

राष्ट्रीय खाद्यान सुरक्षा मिषन :– चावल की उत्पादकता बढ़ाने हेतु प्रदेष के 10 जिले दंतेवाड़ा, जांजगीर–चांपा, जषपुर, कवर्धा, कोरबा, कोरिया, रायगढ़, रायपुर, राजनांदगांव एवं सरगुजा में तथा दलहनी फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए 8 जिले बिलासपुर, दुर्ग, जषपुर, कबीरधाम, रायगढ़, रायपुर, सरगुजा एवं राजनांदगांव का चयन किया गया है । जिसके लिए वर्ष 2008–09 में चावल उत्पादकता बढ़ाने हेतु 3151.47 लाख तथा दलहन के लिए 4842.56 लाख का प्रावधान है ।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना :–स्थानीय आवष्यकताओं फसलों एवं जरूरतों को प्राथमिकता देते हुए इस योजनान्तर्गत इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास हेतु केन्द्र षासन द्वारा वर्ष 2008–09 में 7465.16 लाख रू. का आबंटन किया गया है ।

कृषि अभियांत्रिकी

मशीन ट्रैक्टर स्टेशन योजना : इस योजना के अन्तर्गत डोजरों द्वारा भूमि समतलीकरण, समाच्च बंधान, परकोलेशन टैंक निर्माण का कार्य आदि किया जाता है । छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में 18 डोजर उपलब्ध है, जिनका वार्षिक लक्ष्य 12000 घंटे निर्धारित है ।

इसके अतिरिक्त योजनांतर्गत व्हील टाईप ट्रैक्टरो/पावर टिलर्स के साथ रोटावेटर, कल्टीवेटर सीडड्रील, पैडी–थ्रेसर एवं ट्रान्सप्लांटर आदि यंत्र कृषकों को किराये पर उपलब्ध कराये जाते हैं । वर्तमान में उपरोक्त कार्यो के लिए राज्य में 31 ट्रैक्टर उपलब्ध हैं जिनके लिए 15,500 घंटे का लक्ष्य निर्धारित है । वर्ष 2007–08 में 11302 घंटे का सफल कल्टीवेशन कार्य किया गया । वर्ष 2008–09 में 15500 घंटे प्रदर्शन लक्ष्य के विरूद्ध माह सितम्बर 2008 तक 10575 घंटे कल्टीवेशन कार्य किया ।

उन्नत कृषि यंत्रों का निर्माण एवं वितरण : इस योजना के अन्तर्गत कृषि विभागीय कर्मशालाओं में उन्नत कृषि यंत्रों का निर्माण किया जा रहा है । इनमें मुख्यतः हैण्ड हो, लो–लिफ्ट पंप, सायकल व्हील हो, पैडी ड्रम सीडर, लोहे का देशी हल, जिग–जैग पैडी पडलर आदि है । इस हेतु रू. 10.00 लाख राशि का जमा खाता (पी.डी.एकाउन्ट) भी चलाया जा रहा है । इस योजना के अन्तर्गत उन्नत कृषि यंत्रों का अनुदान पर वितरण किया जाता है । वितरण का कार्य विभागीय कर्मशालाओं, छत्तीसगढ़ मंडी बोर्ड (एग्रो सेल), छत्तीसगढ़ विपणन संघ तथा इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा किया जाता है । वर्ष 2007–08 में 12000 लक्ष्य के विरूद्ध 3087 उन्नत कृषि यंत्रों का निर्माण किया गया वर्ष 2008–09 में माह सितम्बर 2008 तक 583 उन्नत कृषियंत्रों का निर्माण किया गया है ।

इसके अतिरिक्त विभिन्न आधुनिक यंत्रो/उपकरणों को कृषकों के बीच लोकप्रिय बनाने एवं उन्हे अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए इन यंत्रों जैसे–लो लिफ्ट पंप, पैडी थ्रेसर, पैडी ट्रांसप्लांटर, रीपर आदि का व्यापक प्रर्दशन भी किया जाता है । वर्ष 2007–08 में 8259 हस्तचलित/बैल चलित कृषि यंत्रों का वितरण किया गया एवं 1200 कृषि यंत्रों के प्रदर्शन के विरूद्ध 2268 कृषि यंत्रों का प्रदर्शन किया गया साथ ही 160 ट्रेक्टर वितरण 299 पावर टीलर एवं 1633 अन्य शक्ति चलित यंत्रों का वितरण किया गया है । वर्ष 2008–09 में माह सितंबर, 2008 तक 35 ट्रेक्टर, 103 पावर टीलर एवं 350 अन्य षक्तिचलित यंत्रों का वितरण किया गया है । जिस पर 139.26 लाख रू. का अनुदान दिया गया है ।

केन्द्र पोषित माईक्रो मैनेजमेंट वर्किग प्लान अन्तर्गत कृषि यांत्रीकरण को प्रोत्साहन :– छत्तीसगढ़ राज्य में यह योजना वर्ष 2000–2001 से लागू है इसमें 30 हार्ष पावर तक के

ट्रेक्टर 8 बी.एच.पी एवं अधिक के पावर टीलर, हस्त चलित बैल चलित एवं शक्ति चलित कृषि उपकरणों पर अनुदान देय है । वर्ष 2002–03 से 30 हार्ष पावर के स्थान पर 35 हार्ष पावर तक के ट्रेक्टरों पर भी 25 प्रतिशत अनुदान देय है । वर्ष 2007–08 से ट्रेक्टरों को छोड़कर अन्य घटकों में 25 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान शासन द्वारा दिया जा रहा है ।

शाकम्बरी योजना : प्राकृतिक जल संसाधनों के समुचित दोहन, कृषि एवं उद्यानिकी फसलों के उत्पादकता में वृद्धि एवं फसल सहायता में वृद्धि के उद्देश्य से लघु सीमान्त कृषकों को कूप निर्माण एवं विद्युत/डीजल/केरासीन चलित पंप पर 75 तथा कूप निर्माण कार्य पर 50 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है । नाबार्ड द्वारा डीजल/विद्युत/केरोसीन पंप पर प्रति इकाई 15500 एवं कूप निर्माण पर 34200 रू. निर्धारित है । वर्ष 2007–08 में 9444 कृषकों को डीजल/विद्युत पंप तथा 1098 कृषकों को कूप निर्माण हेतु अनुदान दिया गया । वर्ष 2008–09 में 4228 डीजल/विद्युत पंप पर एवं 337 कूप निर्माण पर माह सितम्बर 2008 तक अनुदान दिया गया है ।

लो–लिफ्ट पंप वितरण योजना : सिंचाई विस्तार एवं द्विफसली क्षेत्र में वृद्धि हेतु 75 प्रतिशत अनुदान पर लो–लिफ्ट पंप वितरण की योजना है । वर्ष 2007–08 मे रू. 1308 कृषकों को लो–लिफ्ट पंप प्रदाय किया गया है । प्रति पंप की लागत 3500 रू. निर्धारित है जिस पर 75 प्रतिशत अनुदान देय है । वर्ष 2008–09 में माह सितम्बर 2008 तक 2130 लक्ष्य के विरूद्ध 120 कृषकों को लो लिफ्ट पंप पर अनुदान दिया गया है ।

कृषि विपणन

कृषि उपज मंडियॉ : कृषि उत्पादन के सुनियोजित विपणन में कृषि उपज मंडियों का विशेष योगदान रहा है । छत्तीसगढ़ राज्य स्थापित होने के पश्चात वर्ष 2001–02 में 70 मंडियॉ एवं 98 उप–मंडिया कार्यरत् थी । वर्ममान में कृषि उपज के विपण को और अधिक सहज बनाने के उद्देश्य से 03 कृषि उपज मण्डियों एवं 12 उप मंडियों की स्थापना की गई है । इस प्रकार वर्ष 2007–08 में छत्तीसगढ़ राज्य में कुल 73 मुख्य मण्डियां एवं 110 उप मण्डियॉ कार्यरत है । मण्डी समितियों का मुख्य उद्देश्य कृषको को शोषण से बचाने, समयावधि में उनको उपज का उचित मूल्य दिलाने एवं विपणन की सुविधाएं उपलब्ध कराने की दृष्टि से मण्डी बोर्ड का गठन किया गया है ।

मंडियों में आवक : राज्य की मंडियों में वर्ष 2006–07 में 59.59 लाख मे. टन. की आवक हुई । जो 2007–2008 में 63.72 में.टन की आवक हुई जो वर्ष 2006–07 की तुलना में 4.13

लाख मे.टन अर्थात 7 प्रतिषत अधिक है । यह राज्य सरकार द्वारा सहकारी विपणन संघ के माध्यम से समर्थन मूल्य पर धान की अधिक खरीदी के कारण संभव हो सका ।

मंडियों की आय : छत्तीसगढ़ राज्य की मंडियों में वर्ष 2006–2007 में 8724.26 लाख रूपयों की आय हुई एवं वर्ष 2007–08 में 9022.53 लाख की आय हुई इस प्रकार वर्ष 2006–2007 की तुलना में वर्ष 2007–08 में 298.26 लाख रूपये अर्थात 2.41 प्रतिषत की आय अधिक हुई । जिसका मुख्य कारण वर्ष 2006–07 में बकाया मंडी शुल्क की वसूली अधिक होने के कारण है ।

बोर्ड शुल्क : प्रदेश की मंडियों से प्राप्त मंडी शुल्क ही बोर्ड की आय का प्रमुख स्त्रोंत है जो मंडियों द्वारा बोर्ड को बोर्ड–शुल्क के रूप में दिया जाता है । छत्तीसगढ़ राज्य की मंडियों से वर्ष 2006–2007 में रू 796.34 लाख बोर्ड शुल्क प्राप्त हुआ तथा वर्ष 2007–2008 में 838.85 लाख रूपये प्राप्त हुआ जो गत वर्ष की तुलना में 42.51 (5.33 प्रतिषत) लाख रूपये अधिक है ।

पुल–पुलिया/सड़क निर्माण : वर्ष 2008–2009 में प्रदेष के चयनित 25 विधानसभा क्षेत्रों में 2071.21 लाख रूपये की स्वीकृति पुल–पुलिया एवं सड़क निर्माण कार्य हेतु दी गई है, साथ ही प्रदेष के 06 मण्डियों को आदर्ष फलसब्जी मण्डी के रूप में विकसित करने की योजनान्तर्गत 4384.2 लाख रूपयें की स्वीकृति दी गई है । इसी तरह आरंग एवं राजिम मण्डी को नवीन मण्डी प्रांगण हेतु क्रमषः 146.77 एवं 187.50 लाख की स्वीकृति दी गई है ।

उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी

छत्तीसगढ़ राज्य में उद्यानिकी फसलों के क्षेत्रफल एवं उत्पादन में वृद्धि करने हेतु उद्यानिकी विभाग द्वारा फल, सब्जी, मसाला, पुष्प एवं औषधीय पौध विकास योजनाएँ क्रियान्वित की जा रही हैं । विभाग के अन्तर्गत 105 उद्यान रोपणी तथा एक साग–भाजी प्रगुणन प्रक्षेत्र है ।

वर्ष 2007–08 में उद्यानिकी अन्तर्गत 1.24 लाख हेक्टर क्षेत्र में फल, 2.92 लाख हेक्टर में साग सब्जी एवं 0.53 लाख हेक्टर क्षेत्र में मसाले, 0.11 लाख हेक्टर में औषधि एवं सुगंधित फसलें तथा 0.02 लाख हेक्टर में पुष्पीय पौधे लगाये गये हैं । जिससे 9.32 हजार टन फल 29.24 हजार टन सब्जी, 2.88 हजार टन मसाले एवं 0.65 हजार टन औषधि एवं सुगंधित एवं 0.06 हजार टन फूलों का उत्पादन किया गया है ।

राज्य पोषित योजनायें : छत्तीसगढ़ क्षेत्र में उद्यानिकी फसलों के विकास हेतु राज्य शासन द्वारा निम्न कार्यक्रम क्रियान्वित किये जा रहें हैं :–

फल विकास कार्यक्रम : इस योजना में कृषक द्वारा बैंक ऋण लेने पर आम, पपीता एवं केला के रोपण पर नाबार्ड के मापदण्ड अनुसार 25 प्रतिशत अनुदान देय है, किन्तु जो कृषक बैंक ऋण नही लेना चाहतें हैं, उन्हें विभागीय फलोंद्यान योजना के अन्तर्गत केवल आम पर 25 प्रतिशत अनुदान नाबार्ड के मापदण्डों पर दिया जाता है । वर्ष 2008–09 में केला विकास येाजनान्तर्गत माह दिसम्बर 2008 तक 14 से 21 प्रदर्षन लगाये गये हैं । समन्वित सब्जी विकास योजनान्तर्गत 330 हेक्टर में षंकर सब्जी बीज हेतु 28.55 लाख रू. व्यय कर षहरों के आस–पास प्रति हेक्टर 1500 रू. का अनुदान दिया गया है । आलू विकास योजनान्तर्गत 1/10 हेक्टर प्रदर्षन हेतु वर्ष 2008–09 में 6409 प्रदर्षन डाले गये फल विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2007–08 में प्रति हेक्टर 25 प्रतिषत अनुदान राषि का फलों के बाग (आम्रफलोद्यान) रोपणी पर 176.95 हेक्टर में कृषकों को अनुदान दिया गया है । मसाला विकास योनजान्तर्गत 1/10 हेक्टर प्रदर्षन हेतु 100 रू. का मिनिकिट्स दिया जाता है । वर्ष 2008–09 में 30440 मिनिकिट्स वितरण किया गया । इसी तरह पुष्प विकास योजनान्तर्गत 1/25 प्रदर्षन हेतु 75 प्रतिषत अनुदान योजनान्तर्गत 96 प्रदर्षन वर्ष 2008–09 में डाले गये । जबकि वर्ष 2007–08 में 330 प्रदर्षन डाले गये, जिस पर 10.49 लाख रू. व्यय किए गए ।

केन्द प्रवर्तित योजनाएँ :–

1. ड्रिप सिंचाई योजना :– वर्ष 2007–08 में कृषकों को संयत्र के कुल लागत का 70 प्रतिषत अनुदान लघु एवं सीमांत कृषकों को देय है, वहीं अन्य कृषकों को 50 प्रतिषत अनुदान दिया जा रहा है । वर्ष 2008–09 में 957 हितग्राहियों को 1609.58 हेक्टर में 612.53 लाख का अनुदान दिया गया ।

2. स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति :– लघु एवं सीमांत कृषकों को संयत्र का 70 प्रतिषत अथवा अधिकतम 15000 एवं अन्य कृषकों को 50 प्रतिषत स्प्रिंकलर लागत का अथवा 5000 रू. देय है । वर्ष 2007–08 से दिसम्बर 2008 तक 12255 हितग्राहियों को 18054.28 हेक्टर में 1139.25 लाख का अनुदान दिया गया ।

3. राष्ट्रीय वागवानी मिषन :– 4 हेक्टर वाली माडल नर्सरी की लागत 18.00 लाख प्रति यूनिट होगी । जिसमें षत–प्रतिषत अनुदान देय है । वर्ष 2007–08 में 6 नर्सरी हेतु 25.90 लाख एवं वर्ष 2008–09 में षत–प्रतिषत लक्ष्य अर्थात 14 नर्सरी की पूर्ति कर ली गई है ।

4. पुष्प विकास योजना :– पुष्प क्षेत्र विस्तार योजनान्तर्गत वर्ष 2007–08 में 67 हेक्टर का कार्य किया गया जिस पर 30.54 लाख रू. व्यय हुआ है, इसी तरह औषधीय एवं सुगंधित फसल योजनान्तर्गत वर्ष 2007–08 में 15.251 हेक्टर क्षेत्र में विस्तार कार्य किया गया जिस पर 1700.18 लाख रू. व्यय हुआ है । काजू क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत 3177 हेक्टर क्षेत्र में 178.70

लाख रू. व्यय कर विस्तार कार्य किया गया । पुराने उद्यानों के 950 हेक्टर क्षे. का जीर्णोद्धार कार्य किया गया है ।

5. ग्रीन हाऊस खेती :– संरक्षित खेती योजनान्तर्गत ग्रीन हाऊस, पलवार (मल्चिंग), षेड नेट एवं प्लास्टिक टनल अन्तर्गत वर्ष 2007–08 में 2000 हेक्टर क्षेत्र में अनुदान दिया गया, जिस पर 68.04 लाख रू. व्यय हुआ है ।

6. कार्बनिक खेती :– वर्मी कम्पोस्ट यूनिट, मधुमक्खी पालन, विषिष्ट खेती (आई.पी.एम./आई. एन.एस) परियोजना लागत 20.00 हजार का 50 प्रतिशत हितग्राहियों को देय है । वर्ष 2007–08 में 6000 हेक्टर पर 262.59 लाख रू. व्यय हुआ है । वर्मी कम्पोस्ट यूनिट के 2500 यूनिट कार्य के लिए 614.20 लाख रू. व्यय किया गया ।

7. उद्यानिकीकरण :– स्प्रेयर डस्टर, पौघ प्रर्वधन उपकरण, अंकुरण उपकरण, समन्वित कीटब्याधी नियंत्रण एवं प्लास्टिक केट्स वितरण अन्तर्गत क्रमषः 140, 667, 2667 एवं 1399 नग वितरण हेतु क्रमषः 5.3 लाख, 3.75 लाख, 0.75 लाख एवं 13.55 लाख रू. व्यय किए गए है। ।

अध्याय–4

भाव स्थिति

समर्थन मूल्य एवं खाद्यान्न उपार्जन

भारत शासन द्वारा घोषित समर्थन मूल्य पर धान, गेहूँ, तथा मक्का का उपार्जन सीधे कृषकों से क्रय किया जा रहा है । लेव्ही चावल का उपार्जन समर्थन मूल्य पर उपार्जित, धान की कस्टम मिलिंग करने वाले राईस मिलर्स से किया जा रहा है । प्रदेश में अप्रैल 2002 से विकेन्द्रीकृत चावल उपार्जन योजना लागू है, जिसके अंतर्गत प्राप्त चावल का वितरण सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा अन्य योजनाओं में कराया जा रहा है । प्रदेश में प्रमुख खाद्यान्नों के उपार्जन की स्थिति निम्नानुसार है :–

धान : खरीफ वर्ष 2008–09 के दौरान राज्य शासन द्वारा समर्थन मूल्य पर 850 रू. प्रति क्विंटल तथा ग्रेड ए के लिए 880 रू. प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य घोषित किया साथ ही 50 रू. प्रति क्विंटल बोनस की राषि भी देय है । समर्थन मूल्य पर राज्य सरकार की अधिकृत उपार्जन एजेंसी छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा 1333 सहकारी समितियों द्वारा स्थापित 1577 उपार्जन केन्द्रों के माध्यम से नवम्बर 2008 तक 4.25 लाख मे.टन धान का उपार्जन किया गया । खरीफ वर्ष 2008 में समर्थन मूल्य पर 31.63 लाख मे. टन धान का उपार्जन किया गया है ।

मक्का :– खरीफ विपणन मौसम 2007–08 हेतु 620.00 रू. प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया । उपार्जन एजेंसी छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाई कर्पोरेषन द्वारा 2336.70 मे.टन मक्का का उपार्जन किया गया । वर्ष 2008–09 हेतु मक्का का समर्थन मूल्य 840.00 रू. प्रति क्विंटल निर्धारित है । नवम्बर 2008 तक 42 मे. टन मक्का का उपार्जन किया गया है ।

कस्टम मिलिंग एवं चावल उपार्जन :

खरीफ विपणन मौसम 2008–09 उपार्जित धान की कस्टम मिलिंग इस वर्ष धान उपार्जन के साथ–साथ अर्थात माह नवम्बर 2008 से ही प्रारंभ की गई है, ताकि उपार्जन धान के शीघ्र निराकरण होने की स्थिति में राज्य को होने वाली वित्तीय हानि को कम किया जा सके । नवम्बर 2008 की स्थिति में 46366 मे. टन धान की कस्टम मिलिंग पूर्ण हो चुकी है तथा भारतीय खाद्य निगम को 211023 लाख मे.टन धान का अन्तरित किया जा चुका है इसी प्रकार उपार्जित धान में से 208484 मे.टन धान का निराकरण किया जा चुका है ।

वर्तमान खरीफ वर्ष में नवम्बर 2008 की स्थिति में भारतीय खाद्य निगम द्वारा 28802 में. टन कस्टम मिल्ड चावल का उपार्जन किया जा चुका है ।

विगत खरीफ विपणन वर्ष 2007–08 के दौरान छत्तीसगढ़ नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा 14.45 लाख मे.टन कस्टम मिल्ड चावल तथा भारतीय खाद्य निगम 6.51 लाख मे.टन कस्टम मिल्ड तथा 12.80 लाख मे.टन चावल का उपार्जन किया गया । इस प्रकार वर्ष 2007–08 के में कुल 33.76 लाख मे. टन चावल का उपार्जन किया गया है । जो देश में पंजाब राज्य के बाद सर्वाधिक उपार्जन रहा ।

शक्कर : भारत सरकार से प्रदेश को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले राशनकार्ड धारी परिवारों को 425 ग्राम प्रति सदस्य के मान से प्रति माह रियायती दर पर शक्कर वितरित की जा रही है । भारत सरकार से प्रदेश को वर्तमान वित्तीय वर्ष 2006–07 में माह नवम्बर 2006 से प्रतिमाह औसतन 4512 मे. टन शक्कर का आवंटन प्राप्त हो रहा है ।

मिट्टी तेल :–सार्वजनिक वितरण प्रणाली के समस्त हितग्राहियों को प्रतिमाह 3.85 लीटर केरोसीन प्रति राशन कार्ड के मान से उपलब्ध कराया जा रहा है । भारत सरकार की ओर से छत्तीसगढ़ राज्य को वर्तमान वित्तीय वर्ष 2007–08 में प्रति माह 15.734 किलो लीटर मिट्टी तेल का आबंटन प्राप्त हो रहा है । वित्तीय वर्ष 2007–08 हेतु भारत सरकार द्वारा 1888.11 किलो लीटर केरोसीन का आबंटन किया गया था जिसके विरूद्ध 1862.49 किलो लीटर (98.64 प्रतिशत) रहा । वर्तमान वित्तीय वर्ष 2008–09 में केरोसीन का 110139 किलो लीटर आबंटन के विरूद्ध 109051 किलोलीटर केरोसीन का वितरण (99.01 प्रतिशत) रहा है ।

बाक्स –4.1

सार्वजनिक वितरण प्रणाली

प्रदेश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली का नेटवर्क भारतीय खाद्य निगम के 11 प्रदाय केन्द्रो, छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के 99 खाद्यान्न प्रदाय केन्द्रों एवं 10427उचित मूल्य की दूकानों के समन्वय से निर्मित है, जिसके माध्यम से विभाग की विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को पात्रतानुसार निर्धारित मूल्य पर नियमित खाद्यान्न, शक्कर एवं केरोसिन की आपूर्ति की जा रही है ।

उचित मूल्य की दुकाने : प्रदेश में उचित मूल्य की दूकानों का संचालन सहकारी समितियों एवं निजी व्यक्तियों द्वारा किया जा रहा है ।

- 1521 दुकानें प्राथमिक सहकारी साख समितियों द्वारा
- 4181 दुकानें ग्राम पंचायतों द्वारा
- 868 दुकानें वृत्ताकार आदिमजाति बहुउद्देशीय सहकारी समितियों द्वारा,
- 2228 दुकानें स्व–सहायता समूहों द्वारा
- 1372 दुकानें अन्य सहकारी समितियों द्वारा
- 156 दुकानें वन सुरक्षा समितियों द्वारा
- 41 अन्य संस्थाओं द्वारा संचालित है ।

सार्वजनिक तिवरण के अन्तर्गत विभाग द्वारा संचालित प्रमुख योजनाएँ निम्नानुसार है :–

लक्षित सार्वजनिक प्राणाली:– प्रदेश में लक्षित सार्वजनिक प्रणाली जून 1997 से लागू है । योजनार्तगत, गरीबी रेखा के नीचे (बी.पी.एल.) एवं ऊपर (ए.पी.एल.) के परिवारों को रियायती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है । प्रदेश में गरीबी रेखा के नीचे 18.75 परिवारों को नीले राशन कार्ड एवं गरीबी रेखा के ऊपर के 20.91 लाख परिवारों को सामान्य राशन कार्ड जारी किये गए है ।

वित्तीय वर्ष 2007–08 में बी.पी.एल. खाद्यान्न का आबंटन एवं वितरण निम्नानुसार हैः–

(मात्रा मैट्रिक टन में)

बी.पी.एल.गेहूँ		बी.पी.एल. चावल	
आबंटन	वितरण	आबंटन	वितरण
31320.00	22738.10	454368.00	415318.00

वित्तीय वर्ष 2008–09 में माह अक्टूबर 2008 तक बी.पी.एल. खाद्यान्न वितरण की स्थिति निम्नानुसार हैः–

(मात्रा मैट्रिक टन में)

बी.पी.एल. गेहूँ		बी.पी.एल. चावल	
आबंटन	वितरण	आबंटन	वितरण
18270.00	6877.72	265048	265048

अन्त्योदय अन्न योजना :– प्रदेश के अति गरीब परिवारों के लिए अन्त्योदय अन्न योजना मार्च 2001 से लागू की गई है, जिसके अन्तर्गत अन्त्योदय परिवारों को 3.00 रू. किलो चावल, 35 किलो प्रतिमाह के मान से उपलब्ध कराया जा रहा है । प्रदेष में 7.189 लाख हितग्राहियों को अन्त्योदय राषन कार्ड जारी कर उन्हे नियमित रूप से चावल वितरित किया जा रहा है ।

वित्तीय वर्ष 2007–08 हेतु भारत सरकार द्वारा 301944 मे. टन खाद्यान अन्त्योदय योजना के लिए आवंटित किया गया था जिसके विरूद्ध खाद्यान का वितरण 301944 मे.टन (100%) मे.टन रहा । वर्तमान वित्तीय वर्ष 2008–09 तक अन्त्योदय योजनान्तर्गत चावल के 176134 मे. टन आबंटन के विरूद्ध 176134 मे.टन चावल का वितरण (100%) किया गया ।

अन्नपूर्णा दाल–भात योजना : राज्य शासन के निर्णयानुसार यह योजना विभाग द्वारा जनवरी 2004 से समस्त प्रदेश में लागू की गई है, जिसके द्वारा राज्य के निर्धन एवं जरूरत मंद लोगों को 5.00 रू. में भरपेट दाल–भात उपलब्ध कराया जा रहा है । वर्तमान में संचालित 179 अन्नपूर्णा दाल–भात केन्दों से प्रतिदिन 30 से 35 हजार निर्धन हितग्राही लाभान्वित हो रहे हैं । राज्य शासन द्वारा इन केन्द्रो को बी.पी.एल. दर पर चावल उपलब्ध कराया जा रहा है ।

अन्नपूर्णा योजना : इस योजना का उद्देश्य 65 वर्ष या उससे अधिक के वरिष्ठ बेसहारा नागरिको को खाद्यान्न सुरक्षा प्रदान करना है, जो वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त करने की पात्रता रखते हैं किन्तु उन्हें वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त नही हो रही है । इस योजना के हितग्राहियों को प्रतिमाह 10 किलो खाद्यान्न निःशुल्क प्रदाय किया जा रहा है । प्रदेश में 24887 हितग्राहियों को राशन कार्ड प्रदाय कर खाद्यान्न का नियमित वितरण किया जा रहा है । वित्तीय वर्ष 2007–08 हेतु विभाग द्वारा 3200 में. टन चावल अन्नपूर्णा योजना के लिए आवंटित किया गया था जिसके विरूद्ध चावल का वितरण 3190 मे. टन (99.68 प्रतिशत) रहा । वर्तमान वित्तीय वर्ष 2008–09 में माह अक्टूबर 2008 तक अन्नपूर्णा चावल के 1867 में. टन आबंटन के विरूद्ध 1855 में. टन चावल का वितरण (99.35%) है।

छत्तीसगढ़ अमृत (नमक) वितरण योजना :

राज्य शासन द्वारा मात्र 25 पैसे प्रति किलो की दर से गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले राशन कार्ड धारी परिवारों को प्रतिमाह दो किलो आयोडाईज्ड नमक वितरित किया जा रहा है । 23.74 लाख निवासरत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले राशनकार्ड धारी परिवारों को इस येाजना का लाभ दिया जा रहा है ।

वित्तीय वर्ष 2007–08 में राज्य शासन द्वारा 73235.50 मे.टन नमक वितरण हेतु जिलो को आवंटित किया गया था जिसके विरूद्ध नमक का वितरण 67014 मे.टन (91.50 प्रतिशत) रहा । वर्तमान वित्तीय वर्ष 2008–09 में 50111 मे.टन आवंटन के विरूद्ध 44269 मे.टन का वितरण (88.34 प्रतिशत) है ।

ग्रेन बैंक योजना :–राज्य में भुखमरी एवं कुपोषण की कोई भी संभावना न होने देने हेतु राज्य शासन द्वारा 13 जिलों में 1904 ग्रेन बैंको की स्थापना की गई है जिसमें प्रति ग्रेन बैंक 40 क्विंटल के मान से 10480 क्विंटल चावल भंडारित किया गया है । कोई भी जरूरतमंद अधिकतम एक क्विंटल चावल ऋण के रूप में प्राप्त कर सकता है ।

मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना :–

भारत सरकार द्वारा निर्धारित 18.75 लाख बी.पी.एल. परिवार को छोड़कर शेष अन्य निर्धन एवं जरूरत मंद परिवारों को रियायती दर पर खाद्यान्न प्रदाय करने हेतु अप्रैल, 2007 से मुख्यमंत्री खाद्यान सहायता योजना राज्य में लागू की गई है । इस योजनान्तर्गत निम्न प्रकार के राशन कार्ड जारी किए गए हैं।

1. **केसरिया राशनकार्ड** :– वर्ष 1991 अथवा 1997 के बी.पी.एल. सर्वे में सम्मिलित गैर अनुसूचित जाति एवं जनजाति जिसके नाम 2002 की सूची में नहीं है उन्हे केशरिया रंग का

कार्ड जारी किया गया है । कार्डधारी को 35 किलो चावल 3.00 रू. प्रति किलो की दर से राशन प्रदाय किया जा रहा है । वर्तमान में ऐसे परिवारों की संख्या 7.29 लाख है ।

2. **10 किलो केसरिया राशन कार्ड** :– राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना एवं सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के ऐसे हितग्राही जिन्हे पूर्व में राशनकार्ड जारी नहीं हुआ है 10 किलो केसरिया कार्ड जारी किया गया है । इस परिवार को 10 किलो चावल 3.00 रू. प्रति किलो की दर पर प्रदाय किया जा रहा है । वर्तमान में ऐसे परिवारों की संख्या 2.19 लाख है ।

3. **स्लेटी राशन कार्ड** :– वर्ष 1991 अथवा 1997 या 2002 के सर्वे में सम्मिलित अनुसूचित जाति एवं जनजाति के परिवार जिसे अन्त्योदय अन्न योजना के अन्तर्गत सम्मिलित नहीं किया जा सका है स्लेटी राशनकार्ड जारी किए गए हैं । परिवार को प्रति माह 35 किलो चावल 3.00 रू. प्रति किलो की दर से प्रदाय किया जा रहा है । वर्तमान में ऐसे परिवारों की संख्या 13.46 लाख है ।

4. **निःषक्त (हरा) राषन कार्ड** :–सभी निःषक्त जनों को लाभान्वित करने के लिए अगस्त 2008 से हरा राषन कार्ड बनाकर जारी किए गए हैं । जिसकी संख्या 31331 है । उपरोक्त हितग्राहियों को 10 किलो चावल 3.00 रू. प्रति किलो के दर प्रदाय किया जा रहा है ।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के सभी राशन कार्ड धारी परिवारों को 3.00 प्रति किलो की दर से चावल वितरण प्रारंभ किया गया है । वर्तमान में लगभग 37.00 लाख परिवारों को 3.00 रू. प्रति किलो की दर से चावल प्रदाय करने हेतु राज्य शासन द्वारा प्रतिवर्ष लगभग 945.00 करोड़ की राशि व्यय की जावेगी ।

अध्याय–5

पशुपालन एवं डेयरी विकास

छत्तीसगढ़ राज्य के अधिकांश ग्रामीण परिवारों का मुख्य व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन है । 15 अक्टूबर 2007 पशु संगणना के अनुसार प्रदेश में 1.42 करोड़ पशुधन तथा 88.98 लाख कुक्कुट एवं बतख पक्षी है । देशी नस्ल के पशुओं की दुग्ध उत्पादन की क्षमता में वृद्धि की दृष्टि से पशु नस्ल सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत उन्नत नस्ल के सांडों के वीर्य से कृत्रिम एवं प्राकृतिक गर्भाधान को बढ़ावा दिया जा रहा है ।

गौवंशी पशु विकासः– पशु संगणना 2007 के अनुसार गौवंशी एवं भैंसवंशी प्रजनन योग्य पशुओं की संख्या 32.00 लाख है । राज्य में वर्ष 2007–2008 की अवधि में पशुओं में उन्नत प्रजनन सुविधा हेतु 5 गहन पशु विकास परियोजनायें एवं उन्नत दुधारू पशु परियोजनायें, 22 कृत्रिम गर्भाधन केन्द्र, 253 हिमीकृत वीर्य कृत्रिम गर्भाधन इकाइयॉ कार्यरत् हैं । उपरोक्त संस्थाओं द्वारा वर्ष 2007–08 में 3.57 लाख पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान एवं 23.30 हजार पशुओं को प्राकृतिक गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध कराई गई है । आलोच्य अवधि में कृत्रिम गर्भाधान से 95.00 हजार वत्सोत्पादन एवं प्राकृतिक गर्भाधान से 6.60 हजार वत्सोत्पादन हुआ । वर्ष 2008–09 में माह अक्टूबर, 2008 तक 1.66 लाख पषुओं में कृत्रिम गर्भाधान एवं 0.89 लाख पशु प्राकृतिक गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध करायी गई जिससे 6.32 लाख वत्सोत्पादन एवं 0. 96 लाख प्राकृतिक वत्सोत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ।

बकरी विकास : प्रदेश में वर्ष 2007 की पशु संगणना के अनुसार 23.35 लाख बकरे–बकरियॉ हैं, प्रदेश के कार्यरत प्रक्षेत्रों के अन्तर्गत अधिक उत्पादन वाली नस्लों का प्रजनन किया जाता है तथा व्यक्ति मूलक योजनान्तर्गत वर्ष 2007–08 में 83.94 लाख रू. व्यय कर 2793 उन्नत नस्ल के बकरे प्रदाय किए गए । वर्ष 2008–2009 में 396.98 लाख आबंटन के विरूद्ध 11172 बकरे वितरण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है । प्रदेष में एक नवीन बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र की स्थापना की कार्यवाही प्रचलन में है ।

सूकर विकास : वर्ष 2007 की पशु संगणना के अनुसार राज्य में 4.15 लाख़ सूकर हैं । सूकर नस्ल सुधार हेतु सूकर पालको को वर्ष 2007–08 में विनिमय के आधार पर शूकरत्रयी वितरण हेतु 70.00 लाख रु. से 1000 हितिग्राहियों को, एवं विनिमय के आधार पर नर सूकर इकाई वितरण हेतु 17.60 लाख रु .व्यय कर 400 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया जा रहा है । वर्ष 2008–09 के लिये विनिमय के आधार पर शूकरत्रयी वितरण हेतु 70.00 लाख रू. प्राप्त आवंटन के विरूद्ध 976 हितग्राहियों को तथा विनियम के आधार पर नर शूकर

वितरण हेतु रू. 17.60 लाख आवंटन से 378 हितग्राहियों को लाभान्वित करने हेतु लक्ष्य निर्धारित किया गया है । प्रदेष में सकालों (जिला अम्बिकापुर) एवं परचनपाल (जिला बस्तर) में सूकर प्रजनन प्रक्षेत्र प्रचालित है । जिसमें लार्ज वाईट, यार्कषायर, रषियन चरमुखा नष्ल के सूकरों का प्रजनन किया जा रहा है ।

शत–प्रतिशत अनुदान पर सांडो का प्रदाय :– प्रदेश में वर्ष 2006–07 से पशु नस्ल के उन्नयन हेतु ऐसे सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में जहॉ कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध नहीं है वहां पर ग्राम पंचायतो के माध्यम से उन्नत प्रगतिशील किसान/गौसेवक को शत–प्रतिशत अनुदान पर सांडो का प्रदाय करने की योजना प्रारंभ की गई है । इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2007–08 में राशि रू. 12.78 लाख के व्यय से 126 उन्नत नस्ल के सांडो का प्रदाय किया गया है । गोसंवर्धन योजनान्तर्गत वर्ष 2007–08 में 200.00 लाख रूपये के व्यय से 969 उन्नत नस्ल के सांड वितरित किये गये वर्ष 2008–09 में 132.45 लाख रूपये के विरूद्ध 833 उन्नत नस्ल के वितरण का लक्ष्य रखा गया है ।

राज्य के पशु प्रजनन प्रक्षेत्रों पर 500 उन्नत नस्ल के नरवत्सो के पालन पोषण कर सांड वितरण योजना में वितरित किये जाने हेतु 1500 उन्नत नस्ल के सांडों के क्रय हेतु राषि रू. 225.00 लाख प्रस्तावित है ।

कुक्कुट विकास : प्रदेश में वर्ष 2007 की पशु संगणना के अनुसार प्रदेश में 88.98 लाख कुक्कुट एवं बतख पक्षी है । प्रदेश में 7 कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र एवं 2 बतख पालन प्रक्षेत्र स्थापित है । इन प्रक्षेत्रों पर उत्पादित रंगीन चूजों का वितरण बैकयार्ड कुक्कुट ईकाई वितरण योजनांतर्गत आहार एवं औषधि सहित घर पहुॅचा कर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के हितग्राहियों को प्रदाय किया जाता है । आलोच्य वर्ष 2007–08 में बैकयार्ड कुक्कुट ईकाई वितरण योजनांतर्गत 64.25 लाख रू. व्यय किया जाकर 14274 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है । वर्ष 2008–09 में 90.00 लाख आबंटन के विरूद्ध 10000 हितग्राहियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ।

राज्य डेयरी प्रयोगशाला की स्थापना :–योजनान्तर्गत छत्तीसगढ़ के पॉच जिलों में 1549.70 लाख की कार्य योजना की स्वीकृति प्राप्त हुई है । जिसके प्रथम चरण में 379.20 लाख का आबंटन प्राप्त हुआ है, जिसमें भवन निर्माण का कार्य प्रगति पर है । उपरोक्त जिलों में उचित मूल्य पर दूग्ध संकलन, प्रोसेसिंग एवं विपणन का कार्य किया जावेगा । वर्ष 2007–08 में 199 समितियों में 7030 सदस्य सम्मिलित हुये है । वर्ष 2008–09 में 205 समितियों में 7025 सदस्य सम्मिलित हुये है ।

बॉक्स क्र 5.1

शासन द्वारा पशुपालन हेतु आबंटित राशि

- वर्ष 2008–09 हेतु राष्ट्रीय गौवंशी /भैसवंशी परियोजना अंतर्गत 284.06 लाख की राशि भारत शासन द्वारा उपलब्ध कराई गई हैं ।
- वर्ष 2008–09 में 252 चलित कृत्रिम गर्भाधान का विशेष प्रशिक्षण दिया गया जो दूरदराज क्षेत्रों में स्वरोजगार योजनान्तर्गत कार्य करेंगें ।
- राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2007–08 में 824.57 लाख एवं वर्ष 2008–09 में 1281.14 लाख आबंटन प्राप्त हुआ है ।

पशु चिकित्साः– वर्ष 2007–08 में 84767 पशु रोग नमूनों की जॉच की गई । पशुओं में गलघोंटू एकटंगिया, एन्थ्रेक्स, मातामहामारी जैसे संक्रामक बीमारियों से बचाव के लिए 121.29 लाख पशुओं का टीकाकरण किया गया एवं 27.69 लाख कुक्कुट टीकाकरण किया गया । 19.21 लाख पशुओं का उपचार 22.08 लाख पशुओं को औषधि वितरण तथा 3.39 लाख बधियाकरण किया गया, साथ ही 2054 स्ट्रिंगहाल्ट आपरेशन किया गया । वर्ष 2008–09 में अक्टूबर 2008 तक 39557 रोग नमूनों की जांच की गई एवं संक्रामक बीमारियों से बचाव के लिए 32.83 लाख पशुओं एवं 26.60 लाख कुक्कुट पक्षियों का टीकाकरण किया गया ।

बॉक्स क्र 5.2

प्रदेश में पशुओं के उपचार के लिए चिकित्सालय

चिकित्सालय	संख्या
पशु चिकित्सालय	208
पशु औषधालय	734
चल चिकित्सालय	16
माता महामारी	05
पशु जांच चौकियां	8
रोग अनुसंधान प्रयोगशाला	7
कृत्रिम गर्भाधान केंद्र	22
हिमीकृत वीर्य कृत्रिम गर्भाधान	253
एम्बुलेंस क्लीनिक	10
मुख्य ग्राम खण्ड इकाई	100

छत्तीसगढ़ राज्य पशुधन विकास अभिकरणः– केन्द्रीय योजनान्तर्गत छत्तीसगढ़ राज्य पशुधन विकास अभिकरण की स्थापना जून 2001 में की गई है । प्रथम पॉच वर्ष में केन्द्र शासन से 10.24 करोड़ रू. व्यय करने की स्वीकृति दी गई है । वर्ष 2005–06 में उक्त राशि में 570 करोड़ व्यय किए गए । परियोजना की प्रथम चरण की उपलब्धियॉ निम्नानुसार है :–

1. पशुसंवर्धन कार्य हेतु आवश्यक हिमीकृत वीर्य का उत्पादन राज्य में सुनिश्चित करने के लिए फ्रोजन सीमन बुल स्टेशन की स्थापना ।
2. घर पहुॅच सेवा सुनिश्चित करने हेतु 709 अचल कृत्रिम गर्भाधान इकाईयों का चल कृत्रिम गर्भाधान इकाईयों में परिवर्तन ।
3. कृत्रिम गर्भाधान पहुॅचविहीन गॉवों में गर्भाधान व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु उन्नत किस्मों के साड़ों का प्रदाय ।
4. कृत्रिम गर्भाधान कार्य हेतु आवश्यक तरल नत्रजन प्रदाय एवं भण्डारण व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण ।
5. गुणवत्ता परीक्षण उपरान्त हिमीकृत वीर्य प्रदाय व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए वीर्य संग्रहालयों का सुदृढ़ीकरण ।
6. पशु नस्ल आवश्यक सुधार हेतु आवश्यक सूचना तंत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए चरवाहों को प्रशिक्षण ।
7. 300 प्राईवेट कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण व सामग्री प्रदाय एवं ए.आई क्षेत्र विस्तार तथा स्वरोजगार उपलब्ध कराने हेतु प्रदाय किया गया है ।
8. प्रशिक्षण केन्द्र महासमुन्द व जगदलपुर में प्रशिक्षण सुविधा हेतु आवश्यक अधोसंरचना विकास ।
9. मानव संसाधन विकास हेतु विभागीय व गैरविभागीय क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को राज्य व राज्य के बाहर प्रशिक्षण ।

राष्ट्रीय गौवंशी/भैंसवंशी परियोजना का राज्य में संचालित होने से 60 प्रतिशत कृत्रिम गर्भाधान कार्य में वृद्धि हुई है । फलस्वरूप प्रतिवर्ष शंकर/उन्नत नस्ल की दुधारू गायों की संख्या में वृद्धि हो रही है । परिणाम स्वरूप राज्य में दुग्धउत्पादन में वृद्धि हो रही है ।

पषु उत्पाद उपलब्धताः– वर्ष 2007–08 के दौरान राज्य के 16 जिलों में केन्द्रीय प्रवर्तित न्यादर्ष सर्वेक्षण अन्तर्गत 80 ग्रामों का चयन कर दूध, अण्डा, ऊन एवं मांस के उत्पादन विषयक अनुमान किया गया जिसके अनुसार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 114 ग्राम दूध की उपलब्धता प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 44 अण्डे तथा प्रति व्यक्ति वार्षिक मांस की उपलब्धता 636 ग्राम होना पाया गया है ।

अध्याय–6

मत्स्य विकास

राज्य में उपलब्ध जल संसाधन मत्स्य पालन की दृष्टि से एक विशिष्ठ स्थान रखता है । छत्तीसगढ़ राज्य में कुल 1.585 लाख हे. जलक्षेत्र उपलब्ध है। जिसमें से 1.454 लाख हे. जलक्षेत्र मछली पालन अन्तर्गत विकसित किया जा चुका है जो कुल जलक्षेत्र का 91.73 प्रतिशत है । यह ग्रामीण क्षेत्रों की बेरोजगारी दूर करने का सशक्त एवं रोजगारन्मुखी साधन है । कम लागत, कम समय में सहायक धंधे के रुप में ग्रामीण अंचलों में अत्यंत लोकप्रिय है ।

राज्य आयोजना :–

1. मत्स्य बीज उत्पादन :– वर्ष 2006–2007 में समस्त स्त्रोतों से 5916.00 लाख स्टेंडर्ड फ्राई (मत्स्य बीज) का उत्पादन हुआ था । इसी प्रकार वर्ष 2007–08 में 6497.10 लाख स्टेंडर्ड फ्राई (मत्स्य बीज) का उत्पादन हुआ जो गत वर्ष की तुलना में 9.82 प्रतिशत अधिक है । वर्ष 2008–09 में माह सितम्बर 2008 तक 6709.00 लाख स्टेंर्डड फ्राई (मत्स्य बीज) का उत्पादन किया गया ।

2. मत्स्योत्पादन :– वर्ष 2006–2007 में राज्य में समस्त स्त्रोंतों से 137753 मेट्रिक टन मत्स्य उत्पादन किया गया था, जबकि वर्ष 2007–2008 में 139373 मे. टन किया गया । जोकि गत वर्ष की तुलना में 1.17 प्रतिशत अधिक है । आलोच्य वर्ष 2008–09 में माह सितम्बर 2008 तक 87422.00 में. टन का मत्स्योत्पादन किया गया है ।

3. मछुआ सहकारिता :–राज्य में 2008–09 माह सितम्बर 08 तक समितियों की संख्या 887 है । जिनकी सदस्य संख्या 27794 है । इन समितियों को 5 वर्ष की अवधि के लिए सिंचाई जलाशय पट्टे पर दिये जाने का प्रावधान है ।

4. मछुआरों का शिक्षण प्रषिक्षण :– सभी वर्ग के प्रगतिशील मत्स्य कृषकों को मत्स्यपालन के साथ मत्स्य उत्पादकता में वृद्धि लाने हेतु तकनीकी पद्धति एवं मछली पकड़ने एवं जाल बुनने सुधारने एवं नाव चलाने का 10 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाता है । जिसमें प्रषिक्षण के दौरान आने जाने का किराया तथा 100 रू. प्रति दिवस प्रषिक्षण वृत्ति अधिकतम 2500 रू. व्यय किए जाने का प्रावधान है । वर्ष 2007–08 में 163 हितग्राहियों को अध्ययन भ्रमण पर भेजा गया ।

बॉक्स क 6.1

योजना, बीमा, व आवास सुविधा

- मत्स्य कृषक विकास अभिकरण योजनान्तर्गत वर्ष 2007–08 में 2000 मत्स्य कृषकों को प्रशिक्षण दिया गया । तथा 1.454 लाख हेक्टर क्षेत्र हितग्राहियों को आवंटित किए गए ।

- मत्स्य पालकों को, दुर्घटना बीमा योजनान्तर्गत, दुर्घटना की स्थिति में बीमित हितग्राहियों को अस्थाई अपंगता पर रूपये 25000 तथा स्थाई अपंगता या मृत्यु होने पर 50000 रू. की सहायता दी जाती है । वर्ष 2007–08 में 42229 मछुआरों का बीमा कराया गया ।

- वर्ष 2007–08 मे मछुआरों के लिए 338 आवास सुविधा उपलब्ध कराया गया वर्ष 2008–09 में आवास निर्माण हेतु 3.38 लाख रू. मत्स्य महासंघ को उपलब्ध कराये गये ।
- मौसमी तालाबों में 0.5 हेक्टर तालाब पर बीज संवर्धन एवं सुधार हेतु 30000 प्रति हितग्राही कुल 16.00 लाख अनुदान दिये गये हैं ।

- जलाषयों में केज एवं पेन कल्चर हेतु 17.00 लाख रू. का प्रावधान है । जिसमें विकसित तकनीक के द्वारा 100 एम एम साईज के मत्स्य बीज का संवर्धन कर मछुआरों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है ।

- मत्स्य कृषकों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए वर्ष 2007–08 में 83.06 लाख मानव दिवसों का सृजन किया गया । माह सितम्बर 2008 तक 27.63 लाख मानव दिवसों का रोजगार सृजन किया गया ।

5. मत्स्य पालन प्रसार :–योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति के मछुआरों को झींगा पालन एवं आलंकारिक मत्स्योद्योग के लिए अनुदान योजना का क्रियान्वयन किया गया है । जिसमें झींगा बीज एवं खाद्य पदार्थ हेतु तीन वर्षो में अधिकतम 15000 रू. का प्रावधान है । वर्ष 2007–08 में 299 इाकईयॉ स्थापित की गई है जिसमें 9.14 झींगा बीज संचायन कर 9227 किलोग्राम उत्पादन प्राप्त किया गया है जिसमें 108 हितग्राही लाभान्वित हुए हैं । 6. **अल्पअवधि बचत सह राहत योजना :–** बंद ऋतु में मत्स्याखेट पर प्रतिबंध के कारण रोजगार से वंचित मछुआरों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु योजना क्रियान्वयन की जा रही है । योजनान्तर्गत मछुआरों द्वारा 9 माह में 50 रूपये मासिक अंशदान से 450 रू. तथा शासन द्वारा 450 रू. दिया जायेगा कुल रूपये 900 रू. हितग्राही के नाम से जमा किए जायेगें । जिससे बंद ऋतु के 3 माह में 300 रूपये मासिक आर्थिक सहायता के रूप में हितग्राहियों को दिए जाते है । वर्ष 2007–08 में 500 मछुआरों को उक्त योजना के तहत शासन द्वारा 6.93 लाख की सहायता राशि उपलब्ध कराई गई है ।

7. मत्स्यकीय क्षेत्र के लिए डाटाबेस एवं सूचना नेटवर्किंग :– केन्द्र प्रवर्तित योजनान्तर्गत अनुदान से उक्त योजना वर्ष 2004–05 से प्रारम्भ की गई है । दसवीं योजना कार्यकाल हेतु 45 लाख का प्रस्ताव शासन को भेजा गया था जिसमें से वर्ष 2004–05 में 12.30 लाख तथा 2005–06 में 12 लाख का आबंटन प्राप्त हुआ है एवं वर्ष 2007–08 में 4.32 लाख रू. का आबंटन प्राप्त हुआ है । वर्तमान में प्रदेश के छः चयनित जिलों बिलासपुर, सरगुजा, कांकेर, बस्तर, रायगढ़ एवं दुर्ग में ग्रामीण तालाबों में तथा सभी जिलों के उपलब्ध जलाशयों में जल क्षेत्र का सर्वेक्षण, मत्स्यपालन संबंधी आंकड़े एकत्रीकरण एवं सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से केन्द्र शासन को उपलब्ध कराये जा रहे हैं । नेट वर्किट हेतु 16 जिलों में कम्प्यूटर प्रदान किए गए है ।

अन्य विभागों से संबंद्ध मत्स्य पालन योजनाएँ

- राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना अन्तर्गत 34 तालाब निर्माण हेतु 145.08 लाख रू. व्यय कर 1.104 लाख रोजगार (मानव दिवस) सृजन किया गया है ।
- स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजनान्तर्गत 62 मछली पालकों को स्व–रोजगार हेतु 80.05 लाख रू. व्यय किया गया जिससे 1.16 लाख मानव दिवस रोजगार सृजन हुआ है ।
- राष्ट्रीय सम विकास योजनान्तर्गत 584 मछली पालन निर्माण हेतु 190.26 लाख रू. व्यय किया गया एवं 0.68 लाख मानव दिवस रोजगार का सृजन हुआ है ।
- नवा अंजोर योजनान्तर्गत 128 मछली पालन व्यवसाय हेतु 127.62 लाख रू. व्यय किया गया जिसमें 2.92 मानव दिवस रोजगार का सृजन हुआ है ।
- पांच हेक्टर के तालाब में मत्स्य बीज संवर्धन हेतु 30 हजार रू. प्रति हितग्राही कुल 16.00 लाख रू. व्यय कर 53 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है ।
- 5 हेक्टर नवीन मत्स्य बीज संवर्धन क्षेत्र निर्माण हेतु 81.46 लाख रू. की स्वीकृति जिलों के लिए दी गई है । जिससे नये 70 मछली पालन केन्द्र का निर्माण किया गया है ।
- मत्स्य बीज हेचरी निर्माण महासमुन्द जिले में जिसकी लागत 25.00 हजार रू. एवं गरियाबंद में 16.00 हेक्टर नवीन बीज संवर्धन हेतु 75.00 लाख रू. व्यय किया गया है ।

अध्याय–7

वानिकी

संपूर्ण भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र का 23.38% भाग वनाच्छादित है । जबकि छत्तीसगढ़ में वनों का क्षेत्रफल कुल भौगोलिक क्षेत्र का 43.85% है । छत्तीसगढ़ का वन क्षेत्र भारत में तीसरे स्थान पर है । राज्य में आरक्षित वन 25782.17 वर्ग कि.मी. (43.13%) संरक्षित वन 24036.10 वर्ग कि.मी. (40.22%) अवर्गीकृत वन 9954.13 वर्ग कि.मी. (16.65%) वन क्षेत्र है । वानिकी अन्तर्गत 24244.88 (40.56) वर्ग कि.मी. साल वनों से 5633.13 (9.42)वर्ग कि.मी. मिश्रित प्रजाति के वन 26018.38 (43.52) एवं अन्य वन 3876.01 (6.50) वनों से आच्छादित है । विकास योजनाओं के अंतर्गत संयुक्त वन प्रबंधन समिति के माध्यम से 32 वन विकास अभिकरणों में कुल 1069 ग्राम वन समितियों/वन सुरक्षा समितियों के माध्यम से 5000 हेक्टर क्षेत्र में वृक्षारोपण किए जाने का लक्ष्य है । जिसमें 41007 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षा रोपण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है । माह जून, 2008 तक 5850.03 लाख रू. व्यय किया गया है ।

बाक्स नं–7.1

संयुक्त वन प्रबंधन

- राज्य में 7887 संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से वनों की सुरक्षा एवं संवर्धन का कार्य राज्य के कुल वन क्षेत्र 59772 वर्ग किलोमीटर में से 33190 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सफलता पूर्वक किया जा रहा है । योजनान्तर्गत संचार के साधन, जांच चौकी निर्माण, वाच टावर निर्माण, नेट वर्किंग एवं अग्नि सुरक्षा जैसे कार्यो हेतु 1200.00 लाख रू. का प्रावधान है ।
- राज्य में वन्य प्राणियों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए 3 राष्ट्रीय उद्यान एवं 11 अभ्यारण्य हैं, जिसका क्षेत्रफल 8022.985 वर्ग किलोमीटर है जो कुल वन क्षेत्र का 13.42 प्रतिशत है ।
- प्रोजेक्ट टाइगर योजनान्तर्गत बाघों के संरक्षण हेतु केन्द्र शासन द्वारा 300.00 लाख रूपये की स्वीकृति प्राप्त हुई जिसमें सें 113.75 लाख व्यय किए गए । राज्य में बाघों की कुल संख्या 200 है ।
- छत्तीसगढ़ राज्य को एलीफेंट प्रोजेक्ट में सम्मिलित कर वर्ष 2007–08 के लिए 69.00 लाख की स्वीकृति प्रदान करते हुए 45.00 लाख विमुक्त की गई है । छत्तीसगढ़ के वन क्षेत्र में इन हाथियों से प्रभावित 435 गांवों को फसल मुआवजे के रूप में अब तक 1.00 करोड़ रू. क्षतिपूर्ति दी गई है ।
- अचानकमार अमरकंटक बायोस्पियेर रिजर्व खोलने हेतु प्रस्ताव केन्द्र शासन को भेजा गया है ।
- वर्ष 2008–09 में जेट्रोफा के 2.00 करोड़ पौधे रोपित किए गए ।
- वन आवरण की दृष्टि से राज्य का स्थान देष में तीसरा है अतएव वानिकी अनुसंधान संबधी संस्थान अन्तर्गत राज्य औषधीय वनस्पति मंडल की स्थापना हेतु 300.00 लाख का बजट प्रावधान है ।

उत्पादन विदोहन :–

इमारती कास्ट

क्र.	मद	इकाई	उत्पादन	मूल्य (लाख रूपये में)
1.	कुल इमारती लकड़ी	घन मीटर	178779	262.05
2.	जलाऊ लकड़ी	चट्टे	216066	24.37
3.	औद्योगिक बाँस	नो.टन	23706	33.00
4.	व्यापारिक बाँस	नो.टन	16887	84.00

राजस्व एवं लक्ष्य प्राप्तियाँ :–

क्र.	वर्ष	राजस्व लक्ष्य	प्राप्तियाँ
1.	2006–2007	211.53 करोड़ रू.	201.89 करोड़ रू.
2.	2007–2008	250.00 करोड़ रू.	265.00 करोड़ रू. (नवंबर, 07 तक)

संयुक्त वन प्रबंधन की योजना :–

लाख की खेतीः– वर्ष 2004–05 में यह परियोजना प्रारंभ की गई है । जून 2006 तक 1213 वन समितियों के 24356 ग्रामीण परिवारों द्वारा पलाश एवं कुसुम के वृक्षों में लाख की खेती की जा रही है । वर्ष 2008–09 में योजनान्तर्गत 250.00 लाख का बजट प्रावधान है ।

वन मार्गो पर रपटा एवं पुलिया निर्माण :– वन क्षेत्रों से गुजरने वाले 30000 वन मार्गों पर 300 रपटा/पुलिया निर्माण हेतु वर्ष 2008–09 में 250.00 लाख का प्रावधान है । साथ ही राष्ट्रीय राज मार्ग, जिला मुख्य मार्ग तथा ग्रामीण मार्गो के किनारे वृक्षा रोपण हेतु 460.00 लाख रू. का बजट प्रावधान है ।

कृमि कोसा पालन :– 617 वन समितियों के 32438 परिवारों द्वारा कृमि कोसा पालन का कार्य किया जा रहा है । वर्ष 2007–08 तक 47.72 लाख का शुद्ध लाभ अर्जित किया ।

बांस आधारित उद्योग :– 743 वन समितियों के 7505 परिवार बांस आधारित कुटीर उद्योग में सलंग्न है । वर्ष 2007–08 में 80.52 लाख रु. का शुद्ध लाभ अर्जित किया गया ।

अन्य कुटीर उद्योग :– 987 वन समितियों के 47720 हितग्राहियों द्वारा छिन्दघास, चटाई, झाड़ू, पत्तल, सवाई रस्सी, शहद तथा अन्य वन आधारित कुटीर उद्योग किए जा रहे है ।

पौधा प्रदाय योजना : जनता में वृक्षारोपण के प्रति अभिरूचि उत्पन्न कर वनेत्तर क्षेत्रों में हरियाली के प्रचार–प्रसार हेतु रियायती दर पर पौधे उपलब्ध कराने हेतु ''पौधा प्रदाय योजना'' राज्य के सभी जिलों में क्रियान्वित की जा रही है । जिसमें 1 रू. प्रति पौधा की दर

से अधिकतम एक हजार पौधे एक हितग्राही को दिये जायेंगे । इस योजनान्तर्गत प्रतिवर्ष 100 लाख पौधे जिसमें खम्हार, बांस, सागौन, करंज, आवंला, कटहल, नीलगिरी, मुनगा, रतनजोति, सिरस प्रजाति के शिशु पौधे रियायती दर पर प्रदाय किये जा रहे हैं इसके लिए वर्ष 2005–06 में 50.00 लाख रू. का प्रावधान किया गया था । वर्ष 2007–08 में 240.00 लाख रूपये का प्रावधान के विरूद्ध 192.91 लाख रू. व्यय किया गया, वर्ष 2008–09 में 50.25 लाख पौधे का वितरण एवं 33.59 लाख पौधो की तैयारी का लक्ष्य रखा गया है ।

हरियाली प्रसार योजना : कृषि वानिकी को प्रोत्साहित करने के लिए हरियाली प्रसार योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा सामान्य श्रेणी के लघु कृषकों को उनकी पड़त भूमि में इच्छित प्रजाति के 250 से अधिकतम 1000 पौधे प्रति कृषक रोपित कर हस्तांरित किए जाएंगे । साथ ही आगामी दो वर्षो के लिए रख–रखाव हेतु 1.00 रू. प्रति पौधा की दर से प्रति वर्ष अनुदान दिया जायेगा । वर्ष 2007–08 में 530.00 लाख रू. का प्रावधान था वित्तीय वर्ष के अन्त तक 308.15 लाख रू. व्यय हुआ । वित्तय वर्ष 2008–09 में 75.78 लाख पौधों का रोपण लक्ष्य रखा गया है ।

नदी तट वृक्षारोपण योजना : राज्य की जीवनदायनी नदियों के संरक्षण हेतु नदीतट वृक्षारोपण योजना लागू की जा रही है । इससे नदियों के तट पर होने वाले भू क्षरण और इससे जनित समस्याओं का समाधान वृक्षारोपण से किया जायेगा । राज्य में 400 किलोमीटर तट पर वृक्षारोपण हेतु वर्ष 2007–08 में 330.00 लाख रू. का प्रावधान किया गया था जिसमें से 319. 55 लाख रू. व्यय किया गया है । वर्ष 2008–09 में 8.00 लाख पौधा तैयारी का लक्ष्य रखा गया है ।

बांस वनो का पुनरोद्धार :–आगामी पांच वर्षो में वन एव वनेत्तर क्षेत्रों में 10.00 करोड़ बांस के पौधे रोपण हेतु वर्ष 2007–08 में 1200.00 लाख रू. का प्रावधान था जिसमें 1182.39 लाख रू. व्यय किए गए । वर्ष 2008–09 में इस मद में 2000.00 लाख रू. का बजट प्रावधान है ।

वन्य जीवों का संरक्षण एवं विकास योजना :–

मगरमच्छ संरक्षण योजनाः–मगरमच्छों के संरक्षण, स्थानीय जनता की उनसे सुरक्षा तथा इको टूॅरिज्म के विकास हेतु, ''कोटमी सुनार में मगरमच्छ संरक्षण'' की पांच वर्षीय योजना तैयार की गई है । योजनान्तर्गत ''मुड़ा तालाब की मरम्मत कर मगरमच्छो के प्रजनन, संरक्षण, रहवास विकास प्रबंध हेतु वन विभाग के अमले को प्रशिक्षित किया जा रहा है । वर्ष 2007–08 में उक्त योजना हेतु 72.00 लाख रू. का बजट के विरूद्ध 64.00 लाख रू. व्यय किया जा चुका है ।

लघु वनोपज द्वारा वर्ष 2006–07 में संग्रहण एवं विक्रय मूल्य निम्नानुसार है :–

क्र.	लघु वनोपज का नाम	इकाई	संग्रहित मात्रा	विक्रय मूल्य लाख रूपये में
1.	तेंदूपत्ता	लाख मानक बोरा	17.182	32558.75
2.	साल बीज	क्विंटल में	606451.46	5909.19
3.	हर्रा	क्विंटल में	42535	144.01
4.	कुल्लू गोंद	क्विंटल में	1076.59	148.54
5.	धावड़ा/खैर/बबूल गोंद	क्विंटल में	306.00	5.90

वनोपज संघ द्वारा अपने तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवारों के लिए निःशुल्क सामाजिक सुरक्षा समूह बीमा योजना लागू की गई है । इस योजना के अन्तर्गत भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा वर्ष 2005–06 में कुल 14035 प्रकरणों में 05 करोड़ की दावा राशि का भुगतान किया गया तथा वर्ष 2007–08 में 25.8.2006 तक कुल 12548 प्रकरणों में 6.20 करोड़ की दावा राशि का भुगतान किया गया ।

तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवारों के प्रत्येक संदस्य को एक जोड़ी जूता इच्छानुसार प्रदाय किया गया । वर्ष 2007–08 में 12.65 लाख तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवारों के सदस्यों को 81. 70 रू प्रति जोड़ी के दर से पुरूष एवं 76.40 रू. प्रति जोड़ी महिला चरण पादुकायें वितरित की गई । मई 2007 से तेंदूपत्ता संग्राहक परिवार के मुखिया के लिए जन श्री बीमा योजना लागू की गई है । इसके अन्तर्गत 2143 प्रकरणों में 4.49 लाख रू दावा राषि का भुगतान किया है ।

छत्तीसगढ़ हर्बल राज्य :–वर्ष 2006–07 में अराष्ट्रीकृत वनोपज लघु वनोपज अन्तर्गत औषधि एवं गैर औषधि लघु वनोपज व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है । राज्य में आंवला, शहद, बायबिर्डिग, बेल कालीजीरी, धवई, सतावर, कालमेघ, नागरमोथा, बहेड़ा, मालकांगनी, भेलवा, मरोड़फल जैसे औषधीय वनस्पति संग्रहण से 2257.13 लाख रू. का शुद्ध लाभ अर्जित किया गया है । गैर औषधीय लघु वन उपज अन्तर्गत महुआ, इमली, कुसुम, चिरौंजी, पलाश, माहुल, करंज, कुसुम लाख, बैचांदी एवं तिखुर कंद के संग्रहण से 4249.20 .लाख रू. का शुद्ध लाभ अर्जित किया गया ।

अराष्ट्रीकृत अकाष्टीय लधु वनोपज का विक्रय वर्ष 2007–08

क्र.	लघु वनोपज	उत्पाद	लघुवनोपज की मात्रा	विक्रय की गई उत्पाद मूल्य (लाख रू. में)
1	शहद	शहद संग्रहण एवं प्रसंस्करण	153.50 कि.ग्रा.	1.69
2	ईमली	ईमली प्रसंस्करण	110.00 मे.टन	16.00
3	आवंला	आवला प्रसंस्करण	18.00 मे.टन	20.00
4	औषधी पौधे	औषधि उत्पाद	105.40 मे.टन	63.78
5	औषधी उत्पादन	औषधि संकलन	42.17 मे.टन	39.26

छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम :–

छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम मई, 2001 से 4 परियोजना मण्डल के साथ अस्तित्व में आया । सितंबर, 2001 से बिलासपुर परियोजना मण्डल, एस.ई.सी.एल. बिलासपुर, एन.टी.पी.सी. कोरबा के पर्यावरण सुधार हेतु मिश्रित प्रजातियों का रोपण के उपरान्त अब तक कुल 7 परियोजना मण्डल कार्यरत है । परियोजना मण्डल का कुल क्षेत्रफल 197280 हेक्टेयर है जिसके अंतर्गत वर्ष 1976 से 2008 की स्थिति में 91225.851 सागौन 6173.524 बाँस एवं 4240.013 मिश्रित प्रजाति के रोपण का कार्य किया गया । इस तरह कुल 160639. 388 में पौध रोपण का कार्य किया गया है । वर्ष 2009 में 1650 हेक्टर में सागौन रोपण का लक्ष्य निर्धारित है ।

वन विकास निगम लिमिटेड

क्र.	मद	इकाई	उत्पादन	मूल्य (लाख रूपये में)
1.	कुल इमारती लकड़ी	घन मीटर	18288.481	1804,32
2.	बल्ली	चट्टे	386714	403.39
2.	जलाऊ लकड़ी	चट्टे	1941753	174.05
3.	औद्योगिक बाँस	नो.टन	745.294	104.34
4.	व्यापारिक बाँस	नो.टन	420857	294.59

वर्ष 2007–08 में 2400 हेक्टेयर में सागौन, 1000 हेक्टेयर में बाँस एवं 100 हेक्टेयर में मिश्रित प्रजाति के पौधे रोपण का लक्ष्य निर्धारित है ।

उच्च तकनीक वृक्षारोपण :– वर्ष 1997 से 2004 तक 198.24 हेक्टर अभ्यारण्य क्षेत्र में उच्च तकनीक से वृक्षारोपण किये गये है, जिसके परिणाम काफी अच्छे प्राप्त हुए है । इसी तरह औद्योगिक क्षेत्रों में 187.79 लाख पौधों का रोपण वर्ष 2008–09 तक किया गया है । वर्ष 2009 में 10.00 लाख पौध रोपण का लक्ष्य निर्धारित है ।

रतनजोत रोपण :– वर्ष 2004–05, में 16.924 हेक्टर, वर्ष 2005–06 में 131.580 हेक्टर एवं वर्ष 2006–07 में 274.970 हेक्टर में रतनजोत के पौधे रोपण कराया गया ।

हितग्राही रोपण :– हितग्राहियों को उनकी इच्छा अनुरूप मॉग के अनुसार ऑवला, सवई स्लिप एवं शीशल बुलबिल के 231.40 हेक्टेयर में 13.37 लाख पौधे वितरण कर रोपित कराया गया है । वर्ष 2008 में 30 हितग्राहियों द्वारा 11 हेक्टर क्षेत्र में 4880 आंवला प्रजाति का पौध रोपण किया गया है । इसी तरह राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के तहत 183 हेक्टर क्षेत्र में 12.13 लाख षीषल पौधों का रोपण किया गया है ।

सड़क किनारे वृक्षारोपण :– सड़कों के किनारो को हरा–भरा बनाने हेतु वर्ष 2006 से 2008 तक क्रमषः 62.45 किमी. 64.00 किमी एवं 101.85 किमी. लम्बाई में सड़कों के किनारे क्रमषः 99223, 123000 एवं 201925 पौध रोपित किए गए हैं ।

वर्षा ऋतु में वर्ष 2009 में रोपण के लिए रोपणियों में 15213954 पौधे सागौन के 6280000 पौध बांस के एवं 1833806 पौधे मिश्रित प्रजाति के उपलब्ध हैं जिसे परियोजना मण्डल बार नवापारा (रायपुर) पानाबरस (राजनांदगांव) अन्तागढ़ (कांकेर) कबीरधाम कोटा (बिलासपुर) अंबिकापुर (सरगुजा) एवं औद्योगिक वृक्षारोपण मण्डल कोरबा मण्डल में उपलब्ध है ।

अध्याय–8

जल संसाधन

छत्तीसगढ राज्य में जल संसाधनों के उपयोग एवं विकास कार्य

छत्तीसगढ एक कृषि प्रधान राज्य है, प्रदेश का कुल बोया गया क्षेत्र 57.16 लाख हेक्टर तथा निरा बोया गया क्षेत्र 47.70 लाख हेक्टर है। प्रदेश गठन के समय शासकीय स्त्रोतों से 13.28 लाख हेक्टर में सिंचाई क्षेत्र निर्मित हुआ था जो कुल बोया गये क्षेत्र का 23 प्रतिशत है । वर्तमान में 43 लाख हेक्टर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा निर्मित की जा सकती है । जिसमें सतही जल से 33.80 लाख एवं भू जल से 9.20 लाख हेक्टर सिंचाई की जा सकती है । राज्य गठन के पश्चात 48.90 प्रतिशत के समकक्ष लाने के लिए शासन द्वारा सिंचाई योजनाओं के क्रियान्वयन को उच्च प्राथमिकता दी गई है । 11 वीं पंचवर्षीय योजना में जल संसाधन के विकास के लिए 5200.00 करोड़ का प्रस्ताव विचाराधीन है इससे 4 लाख हेक्टर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता निर्मित होगी । मार्च 2008–09 में 8500 हेक्टर सिंचाई क्षमता सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है । 1 नवम्बर 2000 से मार्च 2008 तक 4.21 लाख हेक्टर सिंचाई क्षमता में वृद्धि की गई है । वर्ष 2007–08 में एक मध्यम एवं 40 लघु योजनाओं को पूर्ण किया गया जिससे 27 हजार हेक्टर अतिरक्ति क्षमता का सृजन किया गया । इस तरह निर्मित एवं निर्माणधीन योजनाओं से 17.49 लाख हेक्टर में सिंचाई क्षेत्र सृजन हुआ है जो निरा बोये गये क्षेत्र का 30.59 प्रतिशत है ।

वर्तमान में 4 वृहद 34 मध्यम एवं 2242 लघु योजनायें निर्मित है तथा 5 वृहद 7 मध्यम एवं 459 लघु योजनाएँ निर्माणाधीन है ।

सिंचित क्षेत्र :– 1 नवम्बर 2000 को समस्त शासकीय स्त्रोतों से निर्मित सिंचाई क्षमता 13.28 लाख हेक्टर थी राज्य गठन के पश्चात क्षमता में उत्तरोत्तर वृद्धि निम्नानुसार है

अवधि	बजट आबंटन (करोड़ रू. में)	निर्मित सिंचाई क्षमता हे.	कुल सिंचाई लाख हें.
नवम्बर 2000 से मार्च 2001	––	12000	13.40
अप्रैल 2001 से मार्च 2002	294.16	71000	14.11
अप्रैल 2002 से मार्च 2003	501.63	42000	14.53
अप्रैल 2003 से मार्च 2004	577.97	98000	15.51
अप्रैल 2004 से मार्च 2005	818.78	75000	16.26
अप्रैल 2005 से मार्च 2006	714.01	55000	16.81
अप्रैल 2006 से मार्च 2007	859.13	61000	17.22
अप्रैल 2007 से मार्च 2008	892.00	27000	17.49

बाक्स न–8.1

योजनाएं एवं सिंचित क्षेत्र

- राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत वर्ष 2007–08 में 15 जिलों में 2386 योजनाओं में जलाशय एवं नहर आदि श्रम मूलक कार्य् 349.61 करोड रूपए की लागत से प्रारंभ किये गये । वर्ष 2007–08 में 21.91 करोड़ के 206 कार्य पूर्ण हो चुके हैं षेष प्रगति पर है । इन कार्यो से 9.83 लाख मानव दिवस के रोजगार अवसर दिये गये ।
- महानदी जलाशय परियोजना की निर्धारित सिंचाई क्षमता 263168 हेक्टर (खरीफ) है । वर्ष 2008–09 में 234048 हेक्टर क्षेत्र में खरीफ फसल के लिए सिंचाई जल उपलब्ध कराया गया है ।
- पैरी जलाशय परियोजना से वर्ष 2008–09 में 48000 हे. में खरीफ फसल के लिए सिंचाई जल उपलब्ध कराया गया है ।
- कोडार जलाशय परियोजना के अंतर्गत निर्धारित सिंचाई क्षमता 16754 हे. है । वर्ष 2008–09 में 15854 हे. क्षेत्र में खरीफ की सिंचाई की गई है ।
- जोंक परियोजना से वर्ष 2008–09 में 7879 हेक्टर क्षेत्र के लिए सिंचाई जल उपलब्ध कराया गया है ।
- बलार जलाशय परियोजना से वर्ष 2008–09 में 5934 हे. क्षेत्र में खरीफ फसल के लिए सिंचाई जल उपलब्ध कराया गया है ।
- तान्दुला जलाशय परियोजना से वर्ष 2008–09 में 98000 हे. क्षेत्र में खरीफ फसल के लिए सिंचाई जल उपलब्ध कराया गया ।
- मार्च 2008 तक सभी परियोजनाओं से 12.70 लाख हे. क्षेत्र में खरीफ फसलों के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए जिसके तहत 9.12 लाख हे.सिंचाई के साथ 74 औद्योगिक संयत्रो के लिएं 1325.63 मिलियन घन मीटर जल प्रदाय किए गए तथा प्रदेश के विभिन्न शहरों के लिए 311.15 मिलियन घन मीटर पेय जल हेतु प्रति वर्ष जल प्रदाय किया जा रहा है ।
- वर्ष 2008–09 में महानदी परियोजना के शेष कार्य हेतु 55.50 करोड़ एवं कोसारटेडा परियोजना (मध्यम) हेतु 18.00 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है । साथ ही हसदोबांगो बृहद परियोजना फेस–4 जिसकी लागत 150.00 करोड़ रू. है केन्द्रीय जल आयोग के समक्ष प्रस्ताव विचाराधीन है ।
- आदिवासी क्षेत्र डी.पी.ए.पी. क्षेत्र की 09 लघु योजनाओं के 20.64 करोड़ रू. की स्वीकृति प्राप्त हुई है सितम्बर 2008 तक 0.80 करोड़ रू. व्यय किया जा कर दो परियोजनाओं को पूर्ण किया गया है ।
- छत्तीसगढ़ सिंचाई विकास परियोजना के अन्तर्गत एषियन डेव्लेपमेंट बैंक से 58507 करोड़ की लागत 270 मध्यम एवं लघु परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है ।
- वर्ष 2008–09 वाटर वाडीज के अन्तर्गत 59 कार्यों जिसकी लागत 87.25 करोड़ प्रस्तावित है स्वीकृति हेतु षासन के विचाराधीन है ।

नवीन प्रशासकीय स्वीकृत की योजनाएं :–प्रदेश गठन के उपरान्त नवम्बर 2007–08 तक शासन द्वारा प्रदाय की गई स्वीकृत/पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र	प्रकार	संख्या	लागत (करोड़ रू. में)	सिंचाई क्षमता हेक्टर में
1	2	3	4	5
1	सिंचाई योजनाएँ	80	335.05	18516
2	एनीकट	44	123.44	2800
	योग	**124**	**458.59**	**21316**

एनीकट निर्माण कार्य योजना :– जल की बढती कमी को ध्यान में रखते हुए नदी नालों पर एनीकट/स्टाप डेम का निर्माण प्रस्तावित है इससे पेयजल सिंचाई उद्योगों के उपयोग हेतु पानी की उपलब्धता पशुओं के लिए पीने का पानी निस्तार की आवश्यकता भू–जल संवर्धन एवं भू–संरक्षण में सहायता होगी । वर्तमान में रू. 74.00 करोड़ की लागत से 61 एनीकट निर्मित किए गए है तथा 153 एनीकट निर्माणाधीन है जिसकी लागत 387.00 करोड़ है। प्रदेश के विभिन्न नदियों में 595 एनीकट बनाने पर अनुमानित लागत रू. 1657.00 करोड़ की कार्य योजना तैयार की गई है ।

समस्त स्त्रोतों से वर्ष 2007–08 में जलाशयों से सृजित एवं उपयोग सिंचाई निम्नानुसार है :–

(लाख हेक्टर में)

क्र.	परियोजना	सृजित सिंचाई क्षमता	वर्ष 2007–08में वास्तविक सिंचाई
1	वृहद परियोजना	9.09	6.78
2	मध्यम परियोजना	2.58	2.10
3	लघु परियोजना	5.82	2.95
	योग	**17.49**	**11.79**

भू–जल स्त्रोतों का उपयोग :– केन्द्रीय भू जल बोर्ड की वर्ष 2005 की रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ में भू–जल स्त्रोतों की बहुत संभवनायें हैं । प्रतिवेदन के अनुसार 35678 एम.सी.एम. की राज्य में उपलब्धता है । इसमें समस्त स्त्रोंतों अभी तक 2792.12 एम.सी.एम. अर्थात 20.40 प्रतिशत जल का उपयोग कृषि एवं अन्य कार्यो के लिए किया जा रहा है । वर्ष 2007–08 तक षासकीय नलकूपों की 26 योजनाओं से 1134 नलकूपों द्वारा 25204 हेक्टर में सिंचाई क्षमता सृजित हुई है तथा हितग्राही मूलक योजनाओं के अन्तर्गत कृषकों के निजी नलकूप निर्माण द्वारा वर्ष 2007–08 तक 653 सफल नलकूप से 3265 हेक्टर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता निर्मित की गई है ।

आयाकट विकास

1– फील्ड चैनल का निर्माणः– वर्ष 2007–08 में 43200 हे. क्षेत्र मे फील्ड चैनल लक्ष्य के विरूद्ध 40699 हेक्टर मे फील्ड चैनल का निर्माण कार्य किया गया एवं 2785 स्ट्रक्चर्स भी लगाये गये हैं तथा 126564 मीटर लाईनिंग का कार्य किया गया है । अब तक कुल 309148 मीटर लाईनिंग किया जा चुका है । वर्ष 2007–08 में 3888.00 आबंटन के विरूद्ध 3665.68 लाख रू. व्यय हुआ है ।

2– कृषकों का भ्रमण प्रशिक्षण :– वर्ष 2007–08 में विकासशील 1300 कृषकों को भ्रमण प्रशिक्षण पर ले जाया गया जिस पर 5.4 लाख रूपये व्यय कर 1054 कृषको को भ्रमण प्रषिक्षण में उड़ीसा हीराकुंड, थापरवारा एवं अकोला आदि विकसित कृषि तकनीक का भ्रमण कराया गया है ।

3– सहभागिता सिंचाई प्रबंधन :– सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी हेतु समितियों को 1000 रू. मरम्मत हेतु प्रति हे. की दर से शासन द्वारा अनुदान दिया जा रहा है । जिसमें 900 रूपये शासकीय एवं शेष 100 रू. कृषकों द्वारा वहन किया जा रहा है । वर्ष 2007–08 में 21600 हेक्टर क्षेत्र में सहभागिता प्रबंधन हेतु 117.00 लाख रू. के आबंटन के विरूद्ध 29.32 लाख रू. का अनुदान संस्थाओं को प्रदान किया गया है ।

मिनीमाता (हसदेव) बागों परियोजना :– छत्तीसगढ़ राज्य की प्रमुख नदी महानदी की मुख्य सहायक नदी पर बांगो ग्राम के पास प्रमुख बांध एवं कोरबा स्थित बराज के कार्य पूर्ण किए जा चुके है । वर्तमान में निर्धारित सिंचाई क्षमता 255000 के विरूद्ध वर्ष 2006–07 में 245407 हेक्टर क्षेत्र में सिंचाई की गई है ।

बहुउद्देश्यीय परियोजना द्वारा बांध के नीचे स्थित विद्युत गृहों से 3x40 मेगावाट विद्युत का उत्पादन भी हो रहा है । परियोजना से एन.टी.पी.सी. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल एस.ई.सी.एल बी. पी.सी.एल. आदि उद्योगों के साथ–साथ कोरबा नगर निगम को जल प्रदाय किया जा रहा है । परियोजना की अद्यतन लागत 1551.11 करोड़ है । जून, 2007 तक 1404.84 करोड़ रू. व्यय हो चुका है । मार्च 2007 तक 247400 हेक्टर खरीफ एवं 173180 हेक्टर रबी सिंचाई क्षमता का निर्माण किया गया है । वर्ष 2006–07 में 214399 हेक्टर खरीफ में सिंचाई की गई । वर्ष 2007–08 में 6550.60 लाख का बजट अबंटन उपलब्ध है । माह जून 2007 तक 2417.19 लाख व्यय किया गया एवं 218000 हेक्टर खरीफ सिचांई का लक्ष्य है ।

वर्ष 2007–08 में द्वितीय चरण में बाई तट नहर क्षेत्र में फील्ड चैनल हेतु 1944.00 लाख का आबंटन प्राप्त है । इस हेतु 11794.52 हेक्टर क्षेत्र में 10.14 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है । मार्च 2009 तक नहर आदि में लाईनिंग का कार्य पूर्ण हो जाने से शत–प्रतिशत सिंचाई क्षमता प्राप्त हो सकेगी ।

अध्याय – 9
विद्युत (ऊर्जा)

विगत वित्त वर्ष 2007–2008 के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों, लक्ष्य के विरूद्व अर्जित उपलब्धियों, राज्य षासन एवं केन्द्र षासन की विभिन्न योजनाओं की प्रगति आदि के साथ आगामी वित्त वर्ष 2008–2009 हेतु निर्धारित विभिन्न लक्ष्यों, कार्यक्रमों की बिन्दु–वार जानकारी निम्नानुसार है –

(I) उत्पादन संकाय :–

(1) विद्युत उत्पादन की स्थापित क्षमता एवं विद्युत उत्पादन :–

मंडल गठन के समय विद्युत उत्पादन की कुल स्थापित क्षमता 1,360 मेगावाट थी, वह विगत वर्ष 2007–2008 के अंत में बढ़कर 1923.85 मेगावाट हो गई हैं। इसमें 1786 मेगावाट ताप विद्युत की तथा 137.85 मेगावाट जल विद्युत की स्थापित क्षमता है।

विगत वित्त वर्ष 2007–08 के दौरान मंडल द्वारा विद्युत उत्पादन में अनके कीर्तिमान स्थापित किए गए। वित्तीय वर्ष 2007–08 में छ.रा.वि.मं. के सभी ताप विद्युत संयंत्रों में मंडल गठन से अब तक का, सर्वकालिक अधिकतम मासिक विद्युत उत्पादन माह जनवरी 2008 में 98.88 प्रतिषत, संयंत्र उपयोगिता घटक (PUF) के साथ कुल 913.05 मिलियन यूनिट का रिकार्ड उत्पादन हुआ। इसी प्रकार कोरबा पष्चिम स्थित (4x210 मेगावाट) ताप विद्युत गृहों द्वारा सर्वकालिक अधिकतम मासिक विद्युत उत्पादन का कीर्तिमान रचा गय जो 97.51 प्रतिषत संयंत्र उपयोगिता घटक (PUF) के साथ 609.38 मिलियन यूनिट माह जनवरी 2008 में हुआ। वित्तीय वर्ष 2007–08 में छ.रा.वि.मं. के सभी ताप विद्युत संयंत्रों में अब तक का सर्वकालिक न्यूनतम वार्षिक सहायक संयंत्रों की ऊर्जा खपत (आक्जलरी कन्जम्पषन) 9.25 प्रतिषत रही। आलोच्य वित्त वर्ष में ही छ.रा.वि.मं. के सभी ताप विद्युत संयंत्रों में अब तक की सर्वकालिक न्यूनतम वार्षिक विषिष्ट तेल खपत 1.26 मिलि. लीटर प्रति यूनिट उत्पादन पर रही। मंडल द्वारा वित्त वर्ष 2007–08 में कुल विद्युत उत्पादन 10341.960 मिलियन यूनिट का रहा, जिसमें ताप विद्युत से 10810 मिलियन यूनिट उत्पादन लक्ष्य के विरूद्ध 10070.09 मिलियन यूनिट का वास्तविक ताप विद्युत उत्पादन किया गया, जो कि लक्ष्य का 93.19 प्रतिषत रहा। इसी प्रकार से जल विद्युत से कुल 271.070 मिलियन यूनिट का विद्युत उत्पादन रहा। विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा 20 मार्च 2008 को छ.रा.वि.मं. के (3x40 मेगावाट) हंसदेव बांगों जल विद्युत गृह को वर्ष 2006–07 के दौरान प्रषंसनीय जल विद्युत उत्पादन में

उत्कृष्ट कार्य निष्पादन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार ''स्वर्ण षील्ड'' प्रदान की गई है। इस प्रकार विद्युत मंडल ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी सर्वश्रेष्ठ कार्य निष्पादन को प्रदर्षित किया है।

2. ताप संयंत्र उपयोजन गुणांक (पी.यू.एफ.) :–

ताप विद्युत उत्पादन में संयंत्रों के कार्य निष्पादन की दक्षता को "संयंत्र उपयोजन गुणांक" (प्लान्ट यूटीलाईजेषन फेक्टर, (पी.यू.एफ.)) के प्रतिषत के रूप में आंका जाता हैं। मंडल की कुषल प्रबंधन एवं कार्य निष्पादन के परिणाम स्वरुप संयंत्रों के पी.यू.एफ. में लगातार वृद्धि दर्ज हो रही है। विचाराधीन वर्ष 2007–08 में मंडल का ताप विद्युत उत्पादन ''संयंत्र उपयोजन गुणांक'' (पी.यू.एफ) 82.63 प्रतिषत रहा, जो कि विगत वर्ष 2006–07 के 82.29 प्रतिषत से 0.34 प्रतिषत अधिक है, साथ ही यह राष्ट्रीय औसत पी.यू.एफ. से कहीं अधिक है । इस प्रकार मंडल द्वारा विद्युत उत्पादन में वर्ष 2007–08 में उत्कृष्ट कार्य निष्पादित कर नये कीर्तिमान रचा गया है।

3. ईधन खपत :–

ताप विद्युत गृहों द्वारा विद्युत के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले ईंधन यथा कोयला, तेल तथा डी.एम.वाटर की खपत में मंडल के गठन से उत्तरोत्तर कमी लाई जा रही है। वित्त वर्ष 2007–08 में प्रति यूनिट विद्युत उत्पादन में कोयले की 0.797 किलोग्राम विषिष्ट कोल खपत रही, जो कि वर्ष 2005–2006 के 0.802 किलोग्राम प्रति युनिट विद्युत उत्पादन से पर्याप्त कम है। वहीं प्रति यूनिट विद्युत उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले तेल की खपत वर्ष 2007–08 में मात्र 2.30 मिलि. लीटर विषिष्ट तेल खपत रही। इसी प्रकार से जल खपत (डी.एम. वाटर मेकअप) में भी पर्याप्त कमी परिलक्षित हुई है।

4. राज्य में विद्युत की स्थिति :– ''मांग एवं उपलब्धता'' –

राज्य गठन के बाद राज्य में विद्युत मांग में तीव्रता से लगातार वृद्धि हो रही है। वित्त वर्ष 2007–08 के दौरान राज्य में विद्युत की स्थिति का आकलन किया जावें, तो वर्षावधि में विद्युत की सभी स्त्रोंतों से औसत विद्युत आपूर्ति 1952 मेगावाट की गई, जबकि अबाधित विद्युत की औसत मांग 1681 मेगावाट रही। इस प्रकार वर्षावधि में राज्य की औसत मांग से औसत आपूर्ति अधिक रही तथा कोई लोड षोडिंग नही की गई, इस प्रकार छत्तीसगढ़ राज्य देष का पहला षून्य पावर कट राज्य बन गया। यह नवगठित छ.रा. विद्युत मंडल की गौरवपूर्ण उपलब्धि रही।

वर्षावधि 2007–08 के दौरान मंडल द्वारा सर्वाधिक विद्युत आपूर्ति 2335 मेगावाट की 15 मार्च 2008 को की गई, जबकि विद्युत की समकालिक उच्चतम मांग 2405 मेगावाट की 18 मार्च 2008 को रही।

5. जिर्णोद्धार के कार्य :–

विचाराधीन वित्त वर्ष 2007–08 के दौरान मंडल द्वारा विद्युत गृहों के आधुनिकीकरण एवं जिर्णोद्धार के अनेक कार्य किए गए। जिसमें हसदेव ताप विद्युत गृह कोरबा (पष्चिम) के संयंत्रों के लिए प्रेषर रिडयूसिंग डिस्ट्रीब्यूषन प्रणाली के आधुनिकीकरण के कार्य महत्वपूर्ण है।

6. अति आधुनिक स्काड़ा प्रणाली :–

देष के विद्युत के सम्पूर्ण पष्चिमी क्षेत्र में ''सिस्टम को आर्डिनेषन एण्ड कन्ट्रोल प्रोजेक्ट'' के तहत अति आधुनिक ''स्काडा प्रणाली'' की स्थापना भिलाई खेदामारा स्थित भार प्रेषण केन्द्र में किया गया। जिससे देष में विद्युत के पष्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी राज्यों के पावर ग्रिड संचालन एवं संचार प्रणाली से राज्य भार प्रेषण केन्द्र की कार्यक्षमता में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है।

7. निर्माणाधीन एवं प्रस्तावित नई विद्युत परियोजनाएं :–

मंडल में वित्त वर्ष 2007–08 के अंत की स्थिति में निर्माणाधीन एवं प्रस्तावित विद्युत परियोजनाओं की स्थिति निम्नानुसार रही :–

वर्ष 2007–08 में 2x250 मेगावाट कोरबा (पूर्व) ताप विद्युत परियोजना– चरण पांच की इकाई क्रमांक 1 के निर्माण कार्य पूर्ण कर 30 मार्च 2007 में इसे सिंक्रोनाईज किया गया। दिनाँक 17.8.2007 से इस इकाई से वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ किया गया। इस परियोजना की इकाई क्रमांक–2 के विभिन्न निर्माण कार्य वर्षावधि में पूर्ण कर लिया गया तथा दिनाँक 12.11.2007 को सिंक्रोनाईज किया गया एवं मार्च 2008 से इस इकाई से वाणिज्यिक उत्पादन षुरु किया गया।

मण्डल में वित्त वर्ष 2007–08 के वर्षांत की स्थिति में राज्य में प्रमुख ताप तथा जल विद्युत गृह निर्माण की प्रस्तावित परियोजनाएं निम्नानुसार है –

क्रं.	प्रस्तावित विद्युत परियोजना	प्रस्तावित स्थापित क्षमता (मेगावाट)	पूर्णता की संभावित वर्ष
I	**प्रस्तावित ताप विद्युत परियोजना –**		
1	कोरबा (पष्चिम) ताप विद्युत परि. चरण तीन	1 x 500	2010-2011
2	भैयाथान ताप विद्युत परियोजना	2 x 660	2012-2013
3	मड़वा ताप विद्युत परियोजना	2 x 500	2011-2012
4	कोरबा दक्षिण ताप विद्युत परियोजना	2 x 500	2012
5	इफको छत्तीसगढ़ संयुक्त उपक्रम	2 x 660	2011
II	**निर्माणाधीन निजी ताप विद्युत परियोजनाएं –**		
6	रायगढ़ ताप विद्युत परियोजना (मेसर्स जिंदल पावर लिमिटेड)	4 x 250	2008-09
7	पथाड़ी ताप विद्युत परियोजना (मेसर्स लैंको अमरकंटक पावर प्रा.लि.)	2 x 300 ± 20%	2009-2010
III	**प्रस्तावित जल विद्युत परियोजना –**		
8	बोधघाट जल विद्युत परियोजना	4 x 125	11वीं पंचवर्षीय योजना
9	मटनार जल विद्युत परियोजना	3 x 20	11वीं पंचवर्षीय योजना
IV	**प्रस्तावित अन्य निजी उपक्रम/एम.ओ.यू**		
10	कुल 50 निजी उपक्रमों से एम.ओ.यू.	40,400	

(II) पारेषण एवं वितरण की उपलब्धि :–

मंडल द्वारा वित्त वर्ष 2007–08 के दौरान पारेषण, उप–पारेषण तथा वितरण प्रणाली के उन्नयन के अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए गए, जिनका संक्षिप्त ब्यौरा निम्नानुसार है :–

(8) उपकेन्द्र निर्माण :–

मंडल के गठन वर्ष 2000 की स्थिति में अति उच्चदाब एवं उच्चदाब उपकेन्द्रों तथा वितरण ट्रांसफार्मरों की कुल संख्या मात्र 29,967 थी । इनकी संयुक्त क्षमता 6,779 एम.व्ही.ए. थी जो कि विगत आठ वर्षों में बढ़कर वर्ष 2007–08 के अंत की स्थिति में क्रमषः कुल 53,040 हो गई है तथा इनकी संयुक्त क्षमता 14,799.5 एम.व्ही.ए. हो गई है, जो कि आठ वर्षो के कार्यकाल में उपकेंद्र निर्माण में 77 प्रतिषत की तथा उनकी क्षमता में 118 प्रतिषत की वृद्धि दर्षाता है।

वित्त वर्ष 2007–08 के दौरान मण्डल द्वारा उपकेन्द्र स्थापना की वोल्टेज अनुपात अनुसार जानकारी निम्नानुसार है –

क्रमांक	वोल्टेज अनुपात	उपकेन्द्रों की संख्या	
		वर्ष 2006–07 की स्थिति	वर्ष 2007–08 के अंत की स्थिति में
1	400 के.व्ही. उपकेन्द्र (संख्या)	1	1
2	220 के.व्ही. उपकेन्द्र	11	12
3	132 के.व्ही. उपकेन्द्र	43	46
4	एच.व्ही.डी.सी. उपकेन्द्र	1	1
5	33/11 के.व्ही. उपकेन्द्र	510	596
6	11/0.4 के.व्ही. उपकेन्द्र (वितरण ट्रांसफार्मर)	48,110	52,384
योग		**48,676**	**53,040**

(9) विद्युत लाईनों का निर्माण :–

मण्डल गठन वर्ष 2000 की स्थिति में अति उच्चदाब, उच्चदाब तथा निम्नदाब की कुल विद्युत लाईनें 1,04,064 कि.मी. थी वह आठ वर्षों में बढ़कर वर्ष 2007–08 में 1,63,432 कि.मी. हो गई है।

मण्डल द्वारा विचाराधीन वर्ष 2007–08 के दौरान अति उच्चदाब, उच्चदाब तथा निम्नदाब की कुल 13,370 कि.मी. की नई विद्युत लाईनों के निर्माण से वर्षांत की स्थिति में कुल 163453.11 कि.मी. की विद्युत लाईनें विद्यमान थी। इस प्रकार वर्षावधि में 9.66 प्रतिषत की विद्युत लाईनों में वृद्धि हुई तथा मंडल गठन से आठ वर्षो की कार्यावधि में 57 प्रतिषत की वृद्धि हुई है।

राज्य में विद्युत प्रणाली की वोल्टेज अनुपात अनुसार वर्ष 2007–08 तक की स्थिति में विद्युत लाईनों का विवरण निम्नानुसार है –

क्रं.	वोल्टेज (के.व्ही.)	31 मार्च 2007 की स्थिति में	2007–08 में वृद्धि	31 मार्च 2008 की स्थिति में
I	अति उच्चदाब लाईनें			
1	400 के.व्ही. लाईनें	277	--	277
2	200 के.व्ही. लाईनें	2,153	223	2,376.00
3	132 के.व्ही. लाईनें	3,926	210	4,136.00
4	एच.व्ही.डी.सी. लाईनें	360	--	360
	कुल अति उच्चदाब लाईनें	6,716	433	7,149.00
II	उच्चदाब लाईनें			
5	33 के.व्ही. लाईनें	11,415	1,111	12526
6	11 के.व्ही. लाईनें	51,564	2,619	54183
	कुल उच्चदाब लाईनें	62,979	3,730	66,709
III	निम्नदाब लाईनें			
7	400–230 वोल्ट्स	80,367	9,207	89,577
महायोग –		1,50,062	13,370	1,63,432.00

(10) सामान्य विकास कार्य :–

मण्डल द्वारा उप–पारेषण तथा वितरण हेतु सामान्य विकास योजनाओं के अंतर्गत वर्ष 2007–08 में निम्नलिखित विकास कार्य किए गए –

सामान्य विकास योजनांतर्गत वर्ष 2007–2008 की उपलब्धि			
क्रं.	**विवरण**	**इकाई**	**उपलब्धि**
1	33 के.व्ही. लाईन निर्माण	कि.मी.	229
2	11 के.व्ही. लाईन निर्माण	कि.मी.	390
3	सेवाओं के लिये वितरण लाईन	कि.मी.	256 + 92.025 (कनवर्सन)
4	सड़क बत्ती हेतु विवरण लाईन	कि.मी.	117.27 + 15.04 (कनवर्सन)
5	सड़क बत्तियाँ (बिन्दु)	संख्या	3236
6	नये वितरण ट्रांसफार्मर	संख्या	1128
7	वितरण ट्रांसफार्मर क्षमता वृद्धि	संख्या	520
8	वर्षावधि में प्रदाय किये गये कनेक्षन (कुल)	संख्या	67,194
i)	सिंगल फेस	संख्या	59,463
ii)	थ्री फेस	संख्या	7,587
9	उच्चदाब कनेक्षन	संख्या	144

(11) आगामी वर्ष हेतु उप–पारेषण एवं वितरण प्रणाली कार्यों का लक्ष्य :–

मण्डल द्वारा उप–पारेषण एवं वितरण प्रणाली को और सुदृढ़ बनाने एवं पूरे सिस्टम में इनर्जी ऑडिट के लिये आवष्यक उपकरणों की स्थापना हेतु अगामी वर्ष 2008–09 में रुपये 425 करोड़ व्यय का प्रावधान किया गया है, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित कार्यों को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है –

क्रं.	**विवरण**	**इकाई**	**लक्ष्य**
1	33 के.व्ही. लाईन निर्माण	कि.मी.	1000
2	11 के.व्ही. लाईन निर्माण	कि.मी.	3700
3	33/11 के.व्ही. उपकेन्द्र	संख्या	100
4	33/11 के.व्ही. उपकेन्द्रों की क्षमता वृद्धि	संख्या	30
5	11/0.4 के.व्ही. उपकेन्द्र	संख्या	4000
6	11/0.4 के.व्ही. उपकेन्द्रों में क्षमता वृद्धि	संख्या	400

(12) ग्रामीण विद्युतीकरण

ग्राम विद्युतीकरण :–

जनगणना 2001 के अनुसार राज्य में कुल 19744 ग्रामों में से वित्त वर्ष 2007–08 के अंत की स्थिति में 18,993 ग्राम विद्युतीकृत है। वर्ष 2007–08 में कुल 20 ग्रामों का विद्युतीकरण परंपरागत तरीके से मंडल द्वारा एवं 195 ग्रामों का विद्युतीकरण गैर परंपरागत तरीके से क्रेडा द्वारा किया गया है। इस प्रकार वर्ष के दौरान राज्य में 215 गांवों में बिजली पहुंचाई गई। राज्य में 2001 की जनगणना के आधार पर विद्युतीकरण का स्तर 96.20 प्रतिषत रहा।

जनगणना 2001 के अनुसार वित्त वर्ष 2007–08 के अंत की स्थिति में राज्य में कुल 751 अविद्युतीकृत ग्राम हैं, जिन्हें केन्द्र सरकार की नीति के अनुरुप 11वीं पंचवर्षीय योजना अर्थात् मार्च 2012 तक विद्युतीकृत किया जाना है। 751 अविद्युतीकृत ग्रामों में से 687 ग्रामों जिनमें वनबाधा होने के कारण परंपरागत विधि से विद्युत लाईन खींचकर विद्युतीकरण किया जाना संभव नहीं है, का विद्युतीकरण का कार्य गैर पारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत से किया जाना प्रस्तावित है। वनबाधा रहित 64 ग्रामों में से 30 ग्रामों को, मण्डल के स्वयं के संसाधनों से विद्युतीकरण किये जाने हेतु वर्ष 2008–09 के लक्ष्य में षामिल किया गया है। षेष 41 ग्रामों का विद्युतीकरण **''राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण''** कार्यक्रम के अंतर्गत किया जाना है।

(13) मजरा–टोला विद्युतीकरण :–

जनगणना 1971 के पष्चात राज्य में मजरा–टोलों की संख्या संबंधी वास्तविक जानकारी किसी भी जनगणना विवरण में उपलब्ध नहीं है। अपितु जनगणना 2001 की विवरणी में राज्य में कुल रहवासी क्षेत्रों का उल्लेख जरुर किया गया है। उसी के आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य में कुल मजरा–टोलों की संख्या 35,096 अनुमानित है।

विचाराधीन वर्ष में 1,149 मजरा–टोलों को विद्युतीकृत किया गया है, जिससे वर्ष 2007–08 के अंत तक की स्थिति में कुल 19,443 मजरा–टोला अर्थात् राज्य में 55.40 प्रतिषत मजरा–टोलों के विद्युतीकरण हो गया है। केन्द्र षासन की नीति के अनुसार 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक राज्य के सभी घरों तक विद्युत व्यवस्था उपलब्ध करायी जानी है, जिसकी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना अंतर्गत तैयार कर केन्द्र षासन को स्वीकृति हेतु भेजा गया है। आगामी वर्ष 2008–09 में मण्डल के स्वयं के संसाधनों से कुल 1,500 मजरा–टोलों के विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा गया है। षेष मजरा–टोलों का विद्युतीकरण **''राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम''** के अंतर्गत परियोजनाओं की स्वीकृति तथा संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार किया जावेगा।

(14) पंपों का ऊर्जीकरण :–

राज्य के किसानों को अधिक से अधिक सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के उददे्ष्य से छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल एवं राज्य षासन द्वारा पंप/नलकूप विद्युतीकरण हेतु नई नीति तथा लक्ष्य निर्धारण कर विगत चार वर्षो में (2004-05, 2005-06, 2006-07 एवं 2007-08) लगभग 1,12,547 नये सिंचाई पंपों को विद्युतीकृत किया गया है। नई नीति के तहत प्रति पंप हेतु लाईन विस्तार बाबत् कुल खर्च रुपये 20,000/- से बढ़ाकर रुपयें 40,000/- किये गये है, ताकि अधिक से अधिक कृषक लभान्वित हो सके, और किसानों पर आर्थिक बोझ कम पड़े।

वित्त वर्ष 2007–08 के दौरान 32032 पंपों के लिए लाईन विस्तार के कार्य पूर्ण किए गये तथा 22773 पंपों को ऊर्जीकृत किया गया। इन्हें षामिल करते हुए वर्ष 2007–08 के अंत तक राज्य में कुल 2,09,543 पंपों के लाइन विस्तार के कार्य पूर्ण किए गये तथा 1,82,435 पंपों को ऊर्जीकृत किया गया। इसके अतिरिक्त वर्षांत में 7894 अर्द्धस्थायी पंप कनेक्षन विद्यमान थे।

(15) किसान समृद्धि योजना (इंदिरा खेत गंगा योजना) :–

राज्य षासन द्वारा वर्ष 2002 में इंदिरा खेत गंगा योजना के नाम से एक योजना चालू की गई है (वर्तमान में यह योजना किसान समृद्धि योजना के नाम से जानी जाती है), जिसके अंतर्गत अल्प वर्षा (वृष्टि छाया) वाले जिलों में नलकूप खनन एवं उनमें पंप ऊर्जीकरण के माध्यम से किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। यह योजना पांच जिलों में लागू है। इस योजना को वर्तमान में लघु एवं सीमांत कृषकों तक सीमित कर नलकूपों के विद्युतीकरण हेतु विद्युत लाईनों के विस्तार पर आने वाले व्यय की अधिकतम राषि रुपये 50,000/– प्रति पंप निर्धारित की गई है, जिसमें रुपये 40,000/– मंडल द्वारा वहन की जाती है तथा षेष रुपये 10,000/– की राषि राज्य षासन द्वारा उपलब्ध कराई जाती है।

विचाराधीन वर्ष 2007–08 में इस योजना के तहत कुल 2435 नलकूपों के विद्युतीकरण के कार्यों हेतु विद्युत लाईनों को विस्तारित किया गया। इस प्रकार वर्षांत तक कुल 9755 नलकूपों के लाईन विस्तार के कार्य पूर्ण किये गये।

(16) बी.पी.एल. कनेक्षन (एकल बत्ती) :–

राज्य षासन के निर्देषानुसार प्रदेष के हरिजन, आदिवासी एवं गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को बी.पी.एल.(एकल बत्ती) कनेक्षन की सुविधा प्रदान की गई है। उपरोक्त श्रेणी में आने वाले परिवारों को जिनके घर, मंडल की विद्यमान निम्नदाब

लाईन से अधिकतम 30 मीटर की दूरी के भीतर हैं, उनसे सर्विस कनेक्षन चार्ज तथा सुरक्षा निधि जमा कराये बगैर बी.पी.एल. (एकल बत्ती) कनेक्षन प्रदाय किये जाते हैं। विचाराधीन वर्ष 2007–08 के दौरान कुल 79917 बी.पी.एल. कनेक्षन उपरोक्त श्रेणी के परिवारों को प्रदाय किये गये। वर्ष 2007–08 के अंत तक राज्य में कुल 9,14,996 (एकल बत्ती) बी.पी.एल. कनेक्षन विद्यमान है, जिन्हें मंडल द्वारा रियायती दर पर विद्युत प्रदाय किया जाता है। इन कनेक्षनधारियों के प्रथम 30 यूनिट खपत के विद्युत देयक राषि का प्रतिपूर्ति राज्य षासन द्वारा किया जाता है।

(17) पारेषण एवं वितरण हानियाँ :–

(क) वर्ष 2007–08 में कुल पारेषण एवं वितरण हानि का प्रतिषत 28.06 रहा। वर्ष 2002–03, 2003–04, 2004–05, 2005–06 एवं 2006–07 में पारेषण एवं वितरण हानि का प्रतिषत क्रमषः 33.76, 30.50, 31.06, 29.16 एवं 29.02 प्रतिषत था। वर्ष 2008–09 में 5 प्रतिषत हानि कम करने का लक्ष्य है, जिसकी प्राप्ति के लिए विभिन्न योजनाओं पर कार्यवाही जारी है।

(18) विद्युत उपभोक्ता :–

वर्ष 2007–08 के अंत में निम्नदाब उपभोक्ताओं की संख्या 26 लाख 52 हजार है। जो कि वर्ष 2006–07 की तुलना में 4.55 प्रतिषत अधिक है। इनमें से 16 लाख 89 हजार उपभोक्ता अर्थात् 63.71 प्रतिषत ग्रामीण क्षेत्र के हैं जो कि विगत वर्ष के ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं की तुलना में 5.36 प्रतिषत अधिक है।

कुल उपभोक्ताओं की संख्या में से वर्ष 2007–08 के अंत में हितग्राही उपभोक्ताओं में एकलबत्ती के 34.51 प्रतिषत एवं कृषि हितग्राही उपभोक्ताओं का 1.23 प्रतिषत है जो कि वर्ष 2006–07 के अंत में क्रमषः 34.24 एवं 1.04 प्रतिषत था।

(19) विद्युत उपभोग का स्वरुप :–

वर्ष 2007–08 में राज्य की समस्त प्रकार के उपभोक्ताओं द्वारा कुल 10,613.21 मि.यू. विद्युत की खपत की गई, जो विगत वर्ष 2006–07 की 9,441.900 मि.यू. की तुलना से 1,171. 31 मि.यू. अधिक है जो कि उपभोक्ताओं की विद्युत उपभोग में 12.41 प्रतिषत की सालाना वृद्धि प्रदर्षित करता है। राज्य में कुल विद्युत खपत में 6,393.850 मि.यूनिट उच्चदाब उपभोक्ताओं द्वारा की गई तथा 4,219.36 मिलियन यूनिट की खपत निम्नदाब उपभोक्ताओं द्वारा की गई । इसी प्रकार राज्य की कुल विद्युत खपत में से 3,917.40 मि.यू. ग्रामीण क्षेत्रों के उपभोक्ता द्वारा की गई, जो कुल खपत की 36.91 प्रतिषत है। इसी प्रकार वर्ष 2007–08 में राज्य में निम्नदाब उपभोक्ताओं द्वारा 4,219.36 मि.यू. बिजली की खपत की गई, जो कि

विगत वर्ष 2006–07 की तुलना मे 10.59 प्रतिषत अधिक है। राज्य में विक्रय की गई बिजली का 13.65 प्रतिषत वृद्धि ग्रामीण क्षेत्र में, जबकि षहरी क्षेत्र में यह वृद्धि 11.69 प्रतिषत रही।

राज्य में विक्रय की गई बिजली मे से 17.82 प्रतिषत घरेलू, 3.40 प्रतिषत गैर घरेलू, 63.49 प्रतिषत औद्योगिक, 13.80 प्रतिषत कृषि एवं 1.49 प्रतिषत सार्वजनिक उपभोग (जलकल एवं सड़कबत्ती) के मद में रहा । ग्रामीण क्षेत्र में इन मदों का हिस्सा क्रमषः 22.99 प्रतिषत घरेलू, 1.54 प्रतिषत गैर–घरेलू, 30.29 प्रतिषत औद्योगिक, 44.38 प्रतिशत कृषि एवं 0.80 प्रतिषत सार्वजनिक उपयोग होना पाया गया।

कुल खपत में से वर्ष 2007–08 में हितग्राही बी.पी.एल. उपभोक्ताओं की खपत 9.77 प्रतिषत एवं हितग्राही कृषि पंप उपभोक्ताओं की खपत 5.56 प्रतिषत आंकी गई जो कि वर्ष 2006–07 में क्रमषः 9.98 एवं 6.08 प्रतिषत थी। इसी प्रकार वर्ष 2007–08 मे कुल खपत का ग्रामीण क्षेत्र के हितग्राही बी.पी.एल. एवं हितग्राही कृषि पंप उपभोक्ताओं की खपत 8.76 प्रतिषत एवं 5.80 प्रतिषत रही जो कि वर्ष 2006–07 में क्रमषः 8.75 प्रतिषत एवं 5.37 प्रतिषत थी।

(20) राजस्व संग्रहण :–

वर्ष 2007–08 में राज्य की उपभोक्ताओं से कुल रुपये 3,556.872 करोड़ का राजस्व संग्रहण किया गया, जिसमें रुपये 2,712.50 करोड़ उच्चदाब एवं रुपये 844.37 करोड़ निम्नदाब उपभोक्ता से संग्रहण हुआ। इस प्रकार विगत वर्ष के तुलना में राजस्व संग्रहण में वर्ष 2007–08 में 5.06 प्रतिषत वृद्धि हुई।

(21) बकाया राषि :–

वर्ष 2007–08 के अंत में विद्युत उपभोक्ताओं के विरुद्ध बकाया राषि कुल रुपये 1515.86 करोड़ है, जिसमें से रुपये 1259.92 करोड़ उच्चदाब उपभोक्ताओं के विरुद्ध है, इसी प्रकार निम्नदाब उपभोक्ताओं के विरुद्ध कुल बकाया राषि रु. 255.94 करोड़ रू. जिसमें से कुल राषि का 44.90 प्रतिषत ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं के विरुद्ध पाया गया। कुल राषि में से राज्य षासन के विभिन्न विभागों पर रु. 10.03 करोड़ एवं राज्य षासन के सार्वजनिक उपक्रमों पर रुपये 30.45 करोड़ राषि बकाया है।

अध्याय–10

उद्योग

भिलाई इस्पात संयत्र : छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग जिले में स्थापित भिलाई इस्पात संयत्र सार्वजनिक क्षेत्र का एक प्रमुख प्रतिष्ठान है । इस संयंत्र ने अपनी श्रम शक्ति का भरपूर एवं सफलतम उपयोग करते हुये बीते वर्षों की तरह वित्त वर्ष 2007–08 में भी इस्पात उत्पादन, विक्रय एवं लाभार्जन के क्षेत्र में अनेक नये कीर्तिमान स्थापित किये । इस संयंत्र को अब तक 7 बार उत्कृष्ठ एकीकृत इस्पात संयंत्र के लिये दी जाने वाली प्रधानमंत्री टाफी से पुरस्कृत किया गया है इसके अलावा समय समय पर उत्पादकता, गुणवत्ता, सुझाव, सुरक्षा, पर्यावरण, क्रिडा आदि क्षेत्रों में भी भिलाई का नाम देश में प्रसिद्व है ।

वर्ष 2007–08 की अवधि में संयत्र ने 5.26 मिलियन टन हाट मेटल, 5.05 मिलियन टन क्रूड स्टील व 4.42 मिलियन टन क्रय योग्य इस्पात उत्पादन किया जोकि इन उत्पादों की मापित छमता से क्रमशः 12.4 प्रतिशत 29.1 प्रतिशत 40.08 प्रतिशत अधिक है । यह एक मात्र संयत्र है जिसने देश में लगातार विगत 15 वर्षों सें विक्रय योग्य इस्पात का उत्पादन अपनी मापित क्षमता से अधिक किया है । इस वर्ष 2007–08 में 7.23 मिलियन टन सिनटन, 181.4 हजार टन इलेक्ट्रोड क्वालिटी वायर राडस, 5.05 मिलियन टन का एस. एम. एस. –2 से क्रूड स्टील 952.4 हजार टन रेल एवं स्ट्रक्चरल परिसज्जित 3600 हजार टन परिसज्जित इस्पात एवं 791 हजार टन परिसज्जित यू. टी. एस. –90 रेल पातों का उत्पादन आदि अनेक कीर्तिमान स्थापित किये गये ।

मुख्य परियोजना

भिलाई स्पात संयंत्र के स्पात गलनषाला क्रमांक 02 में आलोल्य वर्ष में तीन नये परियोजनाएँ संपूर्ण हुई, जो कि निम्नलिखित है :–

1. एक और आर.एच.डीगैसर (R H Degasser) की स्थापना ।
2. एक और लेडल फर्नेस (Ladle Furnace) स्थापित की गई ।
3. हॉट मेटल डीसलफयूराइजेषन (Hot Metal Desulphurisation Unit) इकाई की स्थापना ।

भिलाई स्पात संयंत्र की उत्पादन क्षमता 4.5 मिलियन टन से बढ़ाकर 7.5 मिलियन टन की आधारषिला रखी गई है, इसके अन्तर्गत दो नई कोकओवन बैटरी, आठवी धमन भट्ठी, स्पात गलनषाला क्रमांक 3 और एक बार एवं पाईपमील की योजना विभिन्न चरणों में प्रगति पर है ।

प्रतिस्पर्धात्मक आर्थिक परिवेष में संयंत्र तकनीकी/आर्थिक पैरामीटर में लगातार सुधार करता रहा है इसी कड़ी में अधिकतम प्रति व्यक्ति प्रति टन श्रम उत्पादकता 289.1 टन रही है एवं 1134.06 कि.ग्रा. मेटालिक निवेष प्रति टन क्रुड स्पात, अधिकतम कन्वर्टर लाइनिंग लाईफ 6068 एवं अधिकतम हीट्स एच. आर. डीगैसर के द्वारा 9451 विषेष रूप से उल्लेखनीय है विषम परिस्थितियों और लागत मूल्यों में वृद्धि के बावजूद संयंत्र ने वर्ष 2007–08 में 5425 करोड़ का शुद्ध लाभ अर्जित किया जो कि गतवर्ष की तुलना में 26 प्रतिषत अधिक है ।

वर्ष 2008–09 की योजना

वर्ष 2008–09 में अप्रैल से सितंबर, 2008 तक संयंत्र ने 2.66 मिलियन टन गलित धातु (हॉट मेटल), 2.55 मिलियन टन अपरिस्कृत स्पात (क्रुड स्टील) व 2.203 मिलियन टन विक्रय योग्य स्पात का उत्पादन किया है । इसी अवधि में भारतीय रेलवे के लिये 3.68 लाख से भी अधिक यूटीएस–90 रेलपातों का उत्पादन किया है । मर्चेंट, वायर राड्स, प्लेट एवं परिसज्जित (फिनिष्ड) स्पात का उत्पादन क्रमषः 3.907 लाख, 3.191 लाख, 6.504 लाख तथा 18.282 लाख टन किया गया जो पिछले वर्ष इसी अवधि की अपेक्षा क्रमषः 10.7, 3.7, 2.5 एवं 4.0 प्रतिषत अधिक है ।

भारत एल्यूमीनियम कंपनी, लिमिटेड, कोरबा : बालको संयंत्र की अधिष्ठापित वार्षिक उत्पादन क्षमता 1 लाख मेट्रिक टन (संयंत्र–1) एवं 2.5 लाख मेट्रिक टन (संयंत्र–2) अर्थात कुल 3. 45 लाख मेट्रिक टन एल्युमूनियम धातु की है ।

नये स्मेल्टर संयत्र में बिजली की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बालको ने 270 मेगावाट का निजी संयंत्र पहले से है । बालकों (संयंत्र–2) विद्युत आवश्यकताओं पूरा करने के लिये 540 मेगावाट का नया विद्युत संयंत्र बनाया गया । जो अब पूरी क्षमता पर प्रचालन में है ।

बालकों (संयंत्र–1) में बाजार के मांग के अनुरूप गुणवत्ता युक्त उत्पादन तैयार करने के लिये आधुनिकीकरण की अनेक योजनाओं पर कार्य पूरा होने से साकारात्मक परिणाम भी मिलने लगे है । एल्यूमिना संयंत्र की स्थापित उत्पादन क्षमता 2 लाख मेट्रिक टन है जिसमें वर्ष 2006–07 में 226765 मेट्रिक टन हाइड्रेट का उत्पादन हुआ जबकि वर्ष 2007–08 में बढ़कर यह 234496 मेंट्रिक टन एल्यूमिना हाइड्रेट का उत्पादन हुआ जो अभी तक सार्वाधिक उत्पादन का रिकार्ड है । इसीतरह केल्साईल्ड एल्यूमिना का उत्पादन वर्ष 2006–07 में 222395 मेट्रिक टन के मुकाबले वर्ष 2007–08 में 234496 मेट्रिक टन हुआ ।

वर्ष 2006–07 की अवधि में सर्वाधिक उत्पादन 315002 मे. टन विक्री योग्य एल्यूमीनियम धातु का उत्पादन के मुकाबले वर्ष 2007–08 में 358328 मेट्रिक टन एल्यूमीनियम धातु का उत्पादन हुआ है ।

भारत एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड, कोरबा का उत्पादन एवं मूल्य

(उत्पादन मेट्रिक टन में) (मूल्य लाख रूपयों में)

वर्ष	भारत एल्यूमीनियम कम्पनी, कोरबा का उत्पादन एवं मूल्य							
	इन्गाट्स		प्रापजी राडस		रोल्ड उत्पादन		योग	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
2002–03	20490	12922	47490	29947	27510	18272	**95490**	**61141**
2003–04	13149	11834	48243	44865	35696	35696	**97088**	**92395**
2004–05	6342	5707	34551	32132	31803	31803	**72696**	**69642**
2005–06	46462	47251	63302	645255	50391	58456	**160155**	**170232**
2006–07	184482	249832	72948	112263	57572	93366	**315002**	**455461**
2007–08	195785	234496	101316	135962	61227	92397	**358328**	**462855**

विक्रयः– वर्ष के दौरान विक्री योग्य एल्यूमीनियम का उत्पादन 200845 मे.टन वर्ष 2007–08 के दौरान किया गया जिसमें इन्गाट्स एल्यूमीनियम 53669 मी.टन प्रापजी राड्स 93356 मे.टन एवं रोल्ड उत्पादन 53790 मे.टन हुआ ।

वाणिज्य एवं उद्योग विभागः

छत्तीसगढ़ में औद्योगिक विकास की गति तीव्र करने के उद्देश्य से पूर्ववर्ती म.प्र. शासन द्वारा स्थापित म.प्र. औद्योगिक विकास निगम रायपुर को छत्तीसगढ़ स्टेट इन्ड्रस्टियल डेव्हलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड के रूप में गठित किया गया है । इस निगम के रायपुर, बिलासपुर तथा दुर्ग में औद्योगिक विकास केन्द्र स्थापित है ।

राज्य में औद्योगिक प्रगति की स्थिति निम्नानुसार है :–

1. औद्योगिक नीति :–

राज्य की नवीन औद्योगिक नीति (2004–09) का प्रमुख उद्देश्य राज्य के प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग राज्य में ही वैल्यू एडीशन के लिये करना और प्रदेश के सभी जिलों में तेजी से उद्योगों की स्थापना कर रोजगार के अधिकाधिक अवसरों का सृजन करना है ।

भारत एल्यूमीनियम कम्पनी लिमि. उत्पादन (मेट्रिक टन में)
(संदर्भ तालिका क्रमांक–5.1)

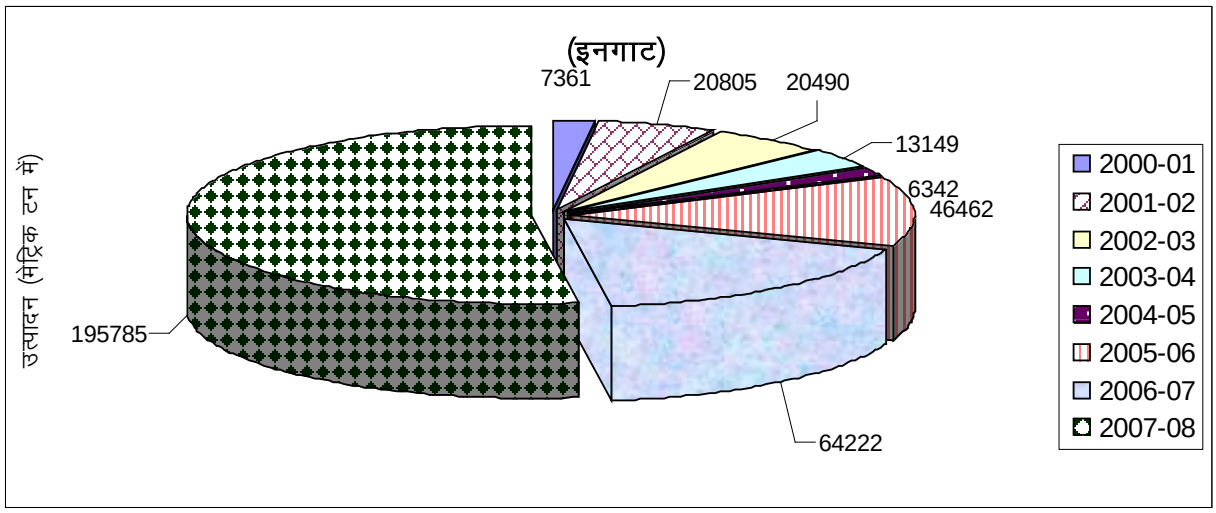

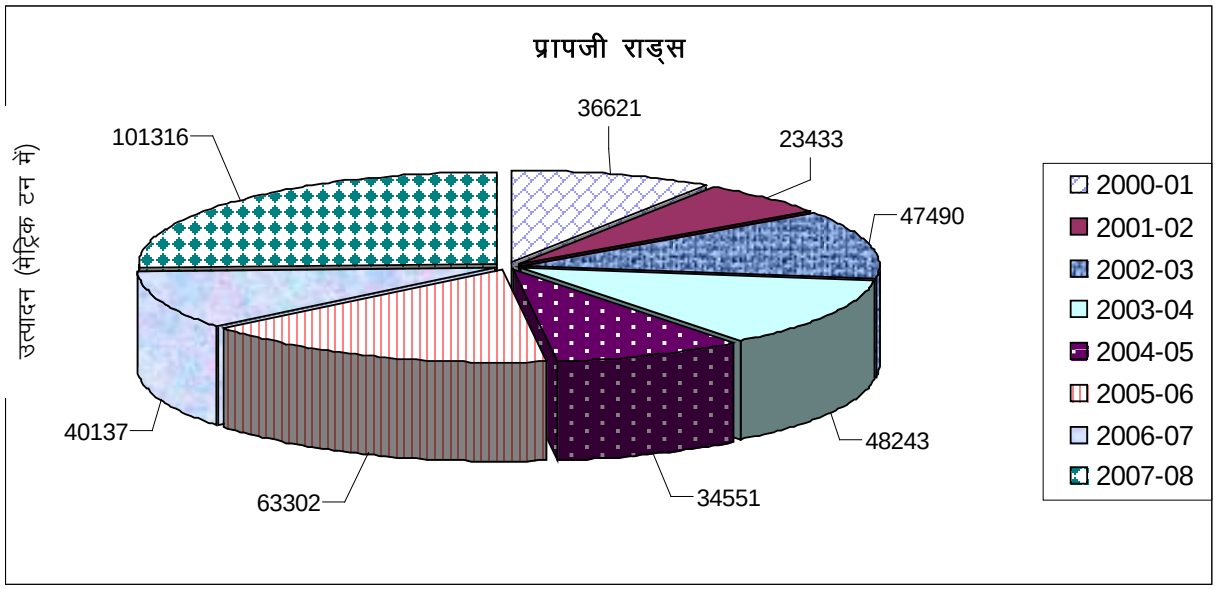

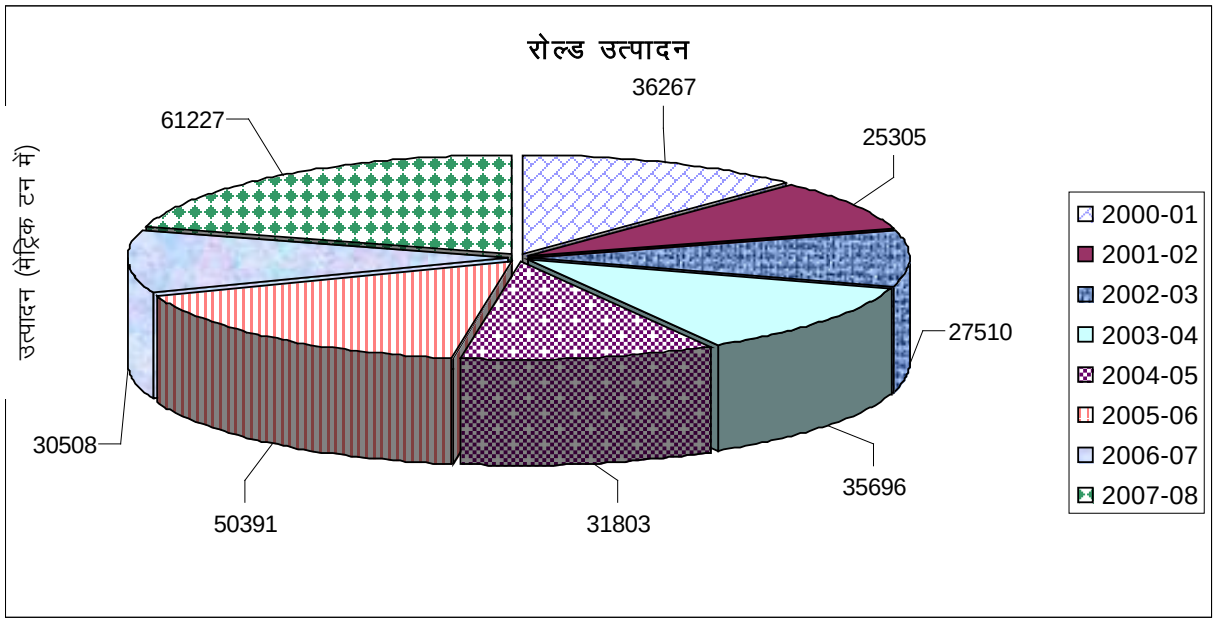

2. राज्य में औद्योगिक पूंजी निवेश :–

(अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों की स्थापना :–राज्य गठन के पश्चात् दिसंबर, 2007 तक 106 वृहद/मध्यम उद्योगों की स्थापना हुई है इसमें रू. 5193.31 करोड़ का स्थायी पूंजी निवेश एवं 18473 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त हुआ है ।

(ब) लघु उद्योगों की स्थापना :–

वर्ष 2007–2008 में माह अक्टूबर 07 तक 332 लघु एवं कुटीर उद्योग स्थापित किये गये जिनमें रू. 8813.11 लाख का पूंजी निवेश किया गया तथा 3956 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त हुआ । इनमें से 08 लघु एवं कुटीर उद्योग अनुसूचित जाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा रू. 43.61 लाख के पूंजी निवेश से स्थापित किये गये तथा इनमें 79व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त हुआ । इसी तरह से 07 लघु एवं कुटीर उद्योग अनुसूचित जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा रू. 20.20 लाख के पूंजी निवेश से स्थापित किये गये तथा इनमें 50 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त हुआ ।

(स) एम.ओ.यू. का निष्पादन :–

राज्य गठन के पश्चात शासन के साथ 67 एम.ओ.यू. का निष्पादन किया गया जिसमें 24 उत्पादनरत है तथा 30 ईकाइयाँ स्थापनाधीन है जिसमें 15000 करोड़ का वास्तविक निवेश हो चुका है ।

(द) सहायक उद्योगों की स्थापना : राज्य गठन तक भिलाई इस्पात संयत्र, साऊथ ईस्टन कोल्ड फील्ड, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल, भारत एल्यूमीनियम कम्पनी व राष्ट्रीय खनिज निगम के 272 सहायक उद्योग स्थापित थे । राज्य गठन के पश्चात भिलाई इस्पात संयत्र के 194 व साऊथ ईस्टर्न कोल्ड फील्ड के 59 तथा 03 एन. एम.डी. सी. उत्पादों के लिए सहायक उद्योगो की स्थापना है ।

(ई). प्रधानमंत्री रोजगार योजना :–

वित्तीय वर्ष 2007–2008 में इस योजना के तहत् 6300 प्रकरणों का लक्ष्य प्राप्त हुआ । माह नवंबर, 2007 तक 11870 प्रकरण प्रेषित किये गये बैंक शाखाओं द्वारा 3640 प्रकरणों में रू. 3093.38 लाख का ऋण स्वीकृत हुआ तथा 695 प्रकरणों में रू. 489.02 लाख का ऋण वितरण की कार्यवाही बैंको द्वारा की गई ।

5. औद्योगिक अधोसंरचना का विकास :–

बाक्स नं–10.1

नवीन औद्योगिक क्षेत्र

	भौतिक प्रगति	**वित्तीय स्थिति**
बिलासपुर (दगोरी)	चयनित भूमि–795.920 हेक्टेयर	पुनर्वास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा अनापत्ति हेतु भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में विचाराधीन है ।
रायगढ़ (लारा)	चयनित भूमि–1465.847 हेक्टेयर	पुनर्वास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा अनापत्ति हेतु भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में विचाराधीन है ।
रायपुर (तिल्दा)	चयनित भूमि–2502.561 हेक्टेयर	पुनर्वास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा अनापत्ति हेतु भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में विचाराधीन है ।
गंगापुर जि–सरगुजा	चयनित भूमि–30.27 हेक्टर	अधोसंरचना का कार्य प्रारंभ
		प्रस्तावित लघु औद्योगिक क्षेत्र
बिलासपुर (तिफरा)	प्रस्तावित भूमि 57.397 हे. 35.653 शासकीय भूमि एवं 21.744 निजी भूमि	अधोसंरचना निर्माण का कार्य प्रगति पर है भूमि आबंटन भी किया जा रहा है ।
धमतरी (श्यामतराई)	प्रस्तावित भूमि 34.820 हे. 8.830 शासकीय भूमि एवं 25.990 निजी भूमि	अधोसंरचना निर्माण का कार्य प्रगति पर है भूमि आबंटन भी किया जा रहा है ।
रायपुर (बेलटुकरी)	प्रस्तावित भूमि 79.736 हे. 79.736 शासकीय भूमि एवं 0.000 निजी भूमि	अधोसंरचना निर्माण का कार्य प्रगति पर है भूमि आबंटन भी किया जा रहा है ।

2. विशिष्ट औद्योगिक पार्कों की स्थापना :–

अ. एल्यूमीनियम/मेटल पार्कः–रावाभाठा रायपुर में एल्यूमीनियम/मेटल पार्क की स्थापना 191.355 हेक्टर भूमि पर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है जिसमें से निगम के अधिपत्य में प्राप्त 56.776 हेक्टर भूमि पर अधोसंरचना का कार्य किया जा रहा है ।

ब. अपरेल पार्क (इन्ट्रीग्रेडेट टैक्सटाईल्स पार्क):–इन्ट्रीग्रेडेट टैक्सटाईल्स पार्क की स्थापना हेतु औद्योगिक क्षेत्र भनपुरी में लगभग आठ एकड़ भूमि पर स्थापित करने की कार्यवाही की गई है । परियोजना की लागत प्रथम चरण में लगभग 23.00 करोड़ रू. होगी । उक्त पार्क में 100 रेडीमेंट गारमेंट इकाईयों की स्थापना की जायेगी ।

स. हर्बल/मेडिसिनल पार्कः–ग्राम बंजारी एवं बागौद तहसील कुरूद जिला धमतरी में लगभग 250 एकड़ भूमि पर हर्बल/मेडिसनल पार्क की स्थापना हेतु कार्यवाही की जा रही है । यह पार्क पब्लिक प्रायवेट पार्टनरशिप के तहत विकसित किया जायेगा। अधोसंरचना विकास हेतु परियोजना लागत लगभग 62.00 करोड़ होगी ।

द. फुड प्रोसेंसिंग पार्क :–ग्राम इन्दावनी जिला–राजनांदगांव में 300 एकड़ में पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप के तहत फुड प्रोसेंसिंग पार्क की स्थापना प्रस्तावित है । अधोसंरचना विकास हेतु परियोजना लागत लगभग 31.00 करोड़ होगी ।

इ. जेम्स एण्ड ज्वेलरी एस.ई.जेडः–नई राजधानी क्षेत्र रायपुर में लगभग 70 एकड़ में जेम्स एण्ड ज्वेलरी एस.ई.जेड पार्क की स्थापना पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप के अन्तर्गत किया जाना है । इसकी परियोजना लागत लगभग 170.00 करोड़ होगी ।

फ. इंजीनियरिंग पार्क :– भारी औद्योगिक क्षेत्र भिलाई में 300 एकड़ भूमि पर इंजीनियरिंग पार्क की स्थापना प्रस्तावित है जिसकी लागत 20.00 करोड़ रू होगी इस पार्क में मुख्यतः स्टील कास्टिंग एवं फोजिंग पाईप एवं ट्यूब नट बोल्ट इलेक्ट्रिकल एक्यूपमेंट बेल्डिंग इलेक्ट्राड एवं अन्य इंजीनियरिंग इकाईयां स्थापित की जायेंगी ।

औद्योगिक विकास केन्द्रों की प्रगति : राज्य के औद्यागिक विकास केन्द्रो में प्रगति का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र	विकास केन्द्र का नाम	विकास केन्द्र का क्षेत्रफल (हेक्टर में)	उपलब्ध भूमि (हेक्टर में)	स्थापित उद्योग		
				संख्या	अनुमानित पूंजी निवेश (करोड़ो में)	रोजगार संख्या
1	सिलतरा	1676.00	1260.00	53	717.89	2883
2	बोरई	800.00	436.84	47	172.00	1679
3	उरला	302.17	232.41	320	500.00	11808
4	सिरगिट्टी	449.39	371.56	190	100.00	5098

इसके अतिरिक्त निम्न लघु औद्योगिक क्षेत्र (आई.आई.डी.सी) प्रस्तावित है ।

क्र	स्थान	जिला	स्थापित भूमि		
			ष्षा.भूमि (हे.)	निजी भूमि (हे.)	कुल भूमि (हे.)
1	तिफरा	बिलासपुर	35.653	21.744	57.397
2	ष्यामतराई	धमतरी	8.830	25.990	34.820
3	टेकनार	दन्तेवाड़ा	19.27	–	19.27
4	कापन	जंजगीर–चांपा	79.736	–	79.736

ग्रामोद्योग (रेशम प्रभाग)

प्रदेश में टसर कृमि पालन का कार्य परंपरागत है । संचालित योजना के माध्यम से ग्रामीण अंचल में निवास कर रहे स्थानीय निर्धन, विशेष कर अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के गरीब परिवारों को स्वरोजगार उपलब्ध कराना है । छत्तीसगढ़ राज्य को तीन प्रकार की रेषम प्रजातियों टसर, मलबरी एवं इरी के उत्पादन का गौरव प्राप्त है ।

1. पालित डाबा टसर, ककून उत्पादन योजना :–

इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश में उपलब्ध साजा, अर्जुना के टसर खाद्य पौधों पर टसर कीट पाले जाते है । इस योजना को अपनाने के लिये हितग्राहियों को किसी प्रकार की पूंजी निवेश की आवश्यकता नही होती है । ऐसे कृषक जिनकी स्वयं की भूमि पर पर्याप्त मात्रा में टसर खाद्य पौधें उपलब्ध है वे भी इस योजना को अपना कर स्वरोजगार प्राप्त कर सकते है । विभाग द्वारा स्वस्थ्य डिंब समूह रियाती दर पर 1.00 रू. प्रति स्वस्थ्य समूह अंडे की दर से प्रति कृषक को 100 स्वस्थय डिंब समूह उपलब्ध कराया जाता है । जिससे वर्ष में तीन फसल कृषको द्वारा उत्पादित की जा सकती है । प्रत्येक फसल में 5000 से 7000 टसर कोसा का उत्पादन कर 505 रू. से 860 रू. प्रति हजार मूल्य कृषकों द्वारा प्राप्त किया जा रहा है । उक्त योजना प्रदेश के 17 जिलों में संचालित 117 टसर केन्द्रों एवं चिन्हांकित वन क्षेत्रों में क्रियान्वित की जा रही है । वर्ष 2007–08 में 450 लाख नग पालित टसर ककून उत्पादन लक्ष्य के विरूद्ध अब तक का सर्वाधिक उत्पादन 457.10 लाख नग का उत्पादन हुआ । योजनान्तर्गत 18912 हितग्राही लाभान्वित हुए हैं ।

विगत पॉच वर्षों में पालित टसर, ककून का उत्पादन

क्र.	विवरण	इकाई	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07	2007–08	2008–09(सितंबर)
1.	पालित टसर	लाख नग में	218.603	310.961	364.525	431.305	457.10	142.76
2.	लाभान्वित हितग्राही	संख्या	9414	11493	14865	17133	18991	15047

2. नैसर्गिक बीज प्रगुणन एवं कोसा संग्रहण योजना :–

वर्ष 2007–07 में रेशम प्रभाग के अधीनस्थ जिले दन्तेवाड़ा, जगदलपुर, कांकेर, जशपुर एवं कोरिया में 86 नैसर्गिक बीज प्रगुणन कैम्प तथा 586.74 लाख उत्पादन/संगहण किया गया योजनान्तर्गत 33716 हितग्राही लाभान्वित हुए । वर्ष 2008–09 में माह सिंतबर तक 40

नैसर्गिक बीज प्रगुणन लक्ष्य के विरूद्ध 38 कैंप लागाया गया एवं 325.25 लाख नग नैसर्गिक बीज उत्पादन कर 31750 हितग्राही लाभान्वित किये गये ।

विगत पॉच वर्षों में पालित टसर, ककून का उत्पादन

क्र.	विवरण	इकाई	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07	2007–08	2008–09(सितंबर)
1.	नैसर्गिक कोषा संग्रहण	लाख नग में	828.79	758.164	378.87	506.05	586.74	325.25
2.	लाभान्वित हितग्राही	संख्या	35752	57218	36759	37342	33716	31750

टसर धागा करण योजना :– प्रदेश के विभिन्न जिलों में 861 रीलिंग एवं 219 स्पीनिंग मशीन संचालित है । योजनान्तर्गत 52 महिला स्व–सहायता समूह के 1058 महिलाओं द्वारा धागाकरण का कार्य किया जा रहा है । उन्नत मोटराईज्ड मशीन जिसकी कीमत 14240 रूपये है का 45 प्रतिशत अनुदान रेशन बोर्ड द्वारा दिया जाता है, उत्पादन कर वर्ष 2007–08 में 126298 कि. ग्रा. टसर रा–सिल्क एवं स्पन धागा का उत्पादन किया गया है । वर्ष 2008–09 में माह सितंबर तक 61166 कि.ग्रा. धागा उत्पादित किया गया है ।

विगत पॉच वर्षों में पालित टसर, ककून का उत्पादन

क्र.	विवरण	इकाई	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07	2007–08	2008–09 (सितंबर)
1.	टसर रा–सिल्क एवंस्पन धागा	कि. ग्रा.	65650	127250	101299	104541	126298	61166

जापान बैंक फार इन्टरनेशनल को–आपरेशन (जे.बी.आई.सी.) जापान द्वारा वित्त पोषित छत्तीसगढ़ रेशम परियोजना :–

छत्तीसगढ़ राज्य में जापानीज बैंक फार इन्टरनेशनल को–ऑपरेशन द्वारा वित्त पोषित 07 वर्षीय छत्तीसगढ़ रेशम परियोजना बिलासपुर संभाग में संचालित की जा रही है । परियोजना की कुल लागत रू. 117.16 करोड़ है जिसमें ऋण राशि रू. 64.87 करोड़ (53. 37 प्रतिशत) एवं शेष राशि राज्यांश रू. 52.29 करोड़ (44.63 प्रतिशत) है । परियोजना अंतर्गत रू. 97.57 करोड़ रू. व्यय कर 4000 हेक्टर क्षेत्र में ट्रसर खाद्य पौध रोपण पूर्ण किया

जा चुका है । इस योजना से 155 स्व–सहायता समूह के 341 स्व सहायता समूहों 295 बचत साख समूह के 2051 हितग्राही 295 बचत साख समूह के 2051 हितग्राही लाभान्वित हुए है ।

विगत पॉच वर्षों में पालित टसर, ककून का उत्पादन

क्र.	विवरण	इकाई	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07	2007–08	2008–09(सितंबर)
1.	टसर ककून उत्पादन	लाख नग में	41.21	92.27	107.98	135.70	178.00	50.01

उत्प्रेरण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित योजनाएं : केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य सहित विभिन्न राज्यों के सहयोग से 10 वीं पंचवर्षीय योजना में उत्प्रेरण विकास कार्यक्रम की सफलता के मद्दे नजर राज्य सरकारों की मांग के अनुसार 10 वीं पंचवर्षीय योजना में भी इस कार्यक्रम को निरंतर रखा गया है । वर्ष 2007–08 में सीड सेक्टर के लिए 75.00 लाख, ककून सेक्टर हेतु 326.50 लाख एवं पोस्ट ककून सेक्टर हेतु 25.55 का वितरण किया गया है । छत्तीसगढ़ राज्य में बीज एवं कृमिपालन हेतु 2445 हितग्राहियों व्यवसायिक कृमिपालक में 5306 हितग्राही एवं मलबरी के 742 तथा 325 कृषकों को प्रषिक्षण एवं उपकरण सहायता दी गई ।

प्रदर्शन प्लाट योजना :–

प्रदर्शन प्लाट योजना के अन्तर्गत प्रदेश के चयनित निजी कृषकों के स्वयं की भूमि जिसमें फैन्सिंग एवं सिंचाई की सुबिधा उपलब्ध है यह योजना ली जा रही है । शहतूती पौधरोपण योजना के प्रसार/प्रदर्शन के तौर पर चयनित कृषक की भूमि पर विभाग द्वारा प्राधिकृत तकनीकी कर्मचारी के पर्यवेक्षण में हितग्राहियों को सामग्री एवं अन्य अनुदान के रूप में 15000 रू. प्रति एकड़ के मान से राशि व्यय की जावेगी । मलबरी कीट पालन के द्वारा प्रथम वर्ष 50 किलोग्राम द्वितीय वर्ष 125 किलोग्राम एवं तृतीय वर्ष से 250 किलोग्राम का उत्पादन होता है । कृषक वर्ष में 5 फसल का कृमि पालन कर सकता है एवं उससे 15000 से 20000 तक की आय प्राप्त कर सकते हैं ।

उत्प्रेरण विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन से रेशम प्रभाग में उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं में वृद्धि एवं हितग्राहियों को सहायता :–

क्र.	वर्ष	बीज कृमिपालक को सहायता	व्यावसायिक कृमिपालक को सहायता	निजी अण्डा उत्पादक	मलबरी कृषक को सहायता	ईरी एवं मलबरी कृषक को प्रशिक्षण एवं उपकरण सहायता	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	2003–04	340	866	42	225	125	1598
2.	2004–05	840	1400	82	155	100	2577
3.	2005–06	840	1350	50	142	50	2432
4.	2006–07	325	690	43	110	50	1228
4.	2007–08	100	1000	40	100	–	1240
	योग	**2445**	**5306**	**257**	**742**	**325**	**9075**

क्र.	वर्ष	टपक सिंचाई योजना हेक्टर में	ग्रेनेज भवन (टसर ग्रेन्यूअर)	रियेरिंग हाउस मलबरी	सी0आर0सी0	पी0पी0सी0 केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण
1	2	3	4	5	6	7
1.	2003.04	10	42	20	02	06
2.	2004–05	10	82	15	02	10
3.	2005–06	05	50	15	01	11
4.	2006–07	0	43	0	0	3
4.	2007–08	30	40	75	05	35
	योग	**55**	**257**	**125**	**50**	**65**

ईरी रेशम ककून उत्पादन एवं धागाकरण की आर्थिकी :–

राज्य गठन के पश्चात प्रथमबार प्रायोगिक रूप से जशपुर एवं सरगुजा जिले में अरंडी का पौधा रोपित किया जाकर ईरी रेशम का उत्पादन प्रारंभ किया गया । वर्ष 2007–08 में 4370 कि0ग्रा0 ईरी ककून का उत्पादन किया गया है । वर्ष 2008–09 में माह सितंबर तक 1498 कि0ग्रा0 ईरी ककून उत्पादन किया गया है । इस योजनान्तर्गत 578 हितग्राही लाभान्वित हुये है । इसका विस्तार बिलासपुर जिले के पेण्ड्रा क्षेत्र जगदलपुर, कांकेर जशपुर कोरिया एवं सरगुजा जिले में भी किया जा रहा है । इरी रेशम का प्यूपा खाने के उपयोग में लाया जा सकता है एवं मछली हेतु खाद्य आहार भी तैयार किया जा सकता है ।

विगत पॉच वर्षों में पालित टसर, ककून का उत्पादन

क्र.	विवरण	इकाई	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07	2007–08	2008–09(सितंबर)
1.	इरी ककून उत्पादन	कि.ग्रा.	1044	1177	2148	3810	4370	1489
2.	लाभान्वित हितग्राही	संख्या	104	155	479	607	578	206
3.	पौध रोपण क्षेत्र	एकड़ में	55	116.50	183.50	196	187	94

अरण्डी पौध रोपण हेतु प्रति एकड़ व्यय मानक रू.16285 केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा अनुमानित है तथा प्रति एकड़ पौधरोपण में उत्पादित पत्तियों से लगभग 200 कि.ग्रा. उत्पादन प्राप्त हो सकता है । ईरी रेशम की 5 फसल वर्ष में ली जा सकती है एवं प्रति हितग्राही को 120 कार्य दिवस में रू. 8000–9000 वार्षिक आय प्राप्त होगी एवं धागाकरण कार्य से हितग्राहियों को रू. 10000–13000 तक वार्षिक आय प्राप्त होगी ।

मलबरी रेशम विकास एवं विस्तार योजना : राज्य शासन द्वारा प्रदेश में गैर परम्परागत मलबरी योजना के विकास हेतु नवीन मलबरी विकास कार्यक्रम वर्ष 2003–04 से क्रियान्वित की जा रही है ।

प्रदेश में 106 रेशम केन्द्र/रेशम बीज केन्द्र, 03 शासकीय मलबरी ग्रेनेज, 05 धागाकरण यूनिट, 05 ट्विस्टिंग यूनिट, 06 ककून बैंक, 04 यार्न बैंक संचालित है । वर्ष 2007–08 में 41632 कि.ग्रा. मलबरी ककून का उत्पादन किया गया । वर्ष 2008–09 में सितंबर 2008 तक 5212 किलोग्राम मलबरी ककून का उत्पादन किया गया ।

विगत पॉच वर्षों में पालित टसर, ककून का उत्पादन

क्र.	विवरण	इकाई	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07	2007–08	2008–09(सितंबर)
1.	मलबरी ककून उत्पादन	कि.ग्रा.	14005	20387	27414	34339	41632	5212

ग्रामोद्योग (हाथकरघा)

प्रदेश में हाथकरघा उद्योग में लगभग 49509 बुनकरों को बुनाई रोजगार में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुडे. हुए है । हाथकरघा गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए दीनदयाल हाथकरघा प्रोत्साहन योजना, हैल्थ पैकेज, वेलफेयर योजना, बाजार अध्ययन, अनुसंधान एवं विकास योजनाएं तथा प्रोजेक्ट पैकेज योजनाएं संचालित है ।

(1) शासकीय वस्त्र प्रदाय योजना :– वर्ष 2002–03 में रू. 5.00 करोड़ का प्रदाय आदेश विभिन्न विभागों से प्राप्त हुआ था, एवं वर्ष 2007–08 में रू. 16.00 करोड़ का प्रदाय आदेश विभिन्न विभागों से प्राप्त हुआ है । जिसमें 11,000 बुनकर रोजगार में संलग्न है । वर्ष 2008–09 में 40.00 करोड़ रूपये के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है ।

(2) टाटपट्टी का उत्पादन एवं प्रदाय योजना :– वर्ष 2007–08 में लोक शिक्षण विभाग से 1.39 लाख नग टाट्पट्टी का उत्पादन प्रदाय हेतु आदेश प्राप्त हुआ है । उक्त प्रदाय आदेश का उत्पादन वर्ष 2007–08 में किया जाकर लगभग 1.39 लाख नग टाट् पट्टी प्रदाय किया जा चुका है । उक्त उत्पादन कार्यक्रम में लगभग 3000 लोगों को रोजगार दिया गया । वर्ष 2008–09 में राशि रू. 5.00 करोड़ का टाट पट्टी उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है ।

(3) गणवेश प्रदाय योजना :– वर्ष 2006–07 एवं 2007–08 में स्कूल शिक्षा एवं आदिम जाति विभाग को 16,63,909 नग गणवेश सिलाई कर प्रदाय किया गया है । जिसमें प्रतिवर्ष बुनाई कार्य में लगभग 10,000 बुनकरों को एवं सिलाई कार्य में 12,000 लोगों को रोजगार प्राप्त हो रहा है । वर्ष 2008–09 में लगभग 20 लाख नग गणवेश उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है ।

(4) बुनकरों के समग्र विकास के लिए एकीकृत हाथकरघा विकास योजना :– ग्यारहवी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया गया है । उक्त योजना में बुनकरों के क्लस्टर एप्रोच विकास एवं समूह विकास योजना सम्मिलित है । उक्त योजनान्तर्गत वर्ष 2007–08 में फेस–II में छुईखदान, जिला–राजनांदगांव के लिये 60.00 लाख मुगझर, जिला–रायपुर के लिए राषि रूपये 60.00 लाख, बजावण्ड, जिला–जगदलपुर 54.00 लाख एवं जिला रायगढ़ एवं कटगी को क्रमषः 58.73 लाख तथा चंद्रपुर जिला जांजगीर को 52.50 लाख की राषि स्वीकृत की गई है ।

(5) प्रदेश के 140 बुनकर सहकारी समितियों को बैंक कालातीत ऋण माफ करने हेतु वर्ष 2007–08 में 1.44 करोड़ का बजट आबंटन किया गया है । इससे प्रदेश के 10704 बुनकर लाभान्वित होंगे ।

(6) प्रदेश में पहली बार आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र राजनांदगांव जिले में ऊलन कंबल का उत्पादन वर्ष 2006–07 से प्रारंभ किया गया है, जिसमें 110 करघे कार्यरत है एवं 350 व्यक्तियों को इस उत्पादन से रोजगार प्राप्त हो रहा है ।

(7) वर्ष 2008–09 में बुनकर स्वास्थ्य बीमा योजना अन्तर्गत 1000 रूपये प्रिमियम पर अधिकतम 15000 रूपये वार्षिक चिकित्सा सहायकता दी जाती है । वर्ष 2008–09 में 3003 बुनकरों का स्वास्थ्य बीमा कराया गया है ।

छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड

छत्तीसगढ़ राज्य में खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण अंचलों में खादी तथा ग्रामोद्योगों का विकास कर उन्नत तकनीक की प्रशिक्षण कारीगरों एवं दस्तकारों तथा सूत कातने वाली महिलाओं को रोजगार के ब्यापक अवसर सृजित करना है । बोर्ड द्वारा प्रमुख रूप से क्रियान्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा निम्नानुसार है :–

मार्जिन मनी योजना –योजनान्तर्गत 20 हजार तक आबादी वाले ग्रामों में खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा प्रतिबंधित उद्योगों को छोड़कर अन्य उद्योगों की स्थापना के लिए बैंको से ऋण व बोर्ड द्वारा अनुदान दिया जाता है । परियोजना लागत के आधार पर व्यक्तिगत एवं संस्थागत प्रकरणों में 25.00 लाख रूपये तक का ऋण स्वीकृत किया जाता है । वर्ष 2007–08 में 1240 इकाईयों को 6169.76 लाख के लक्ष्य के विरूद्ध 5955.88 लाख रूपये के प्रकरण पर 1280.57 लाख रूपये मार्जिन मनी स्वीकृत की गई जिससे 1045 इकाईयों को ऋण वितरण किया गया एवं 18667 लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ ।

वित्तीय सहायता का स्वरूपः– योजनान्तर्गत परियोजना लागत की 5 प्रतिशत राशि स्वयं उद्यमी को अनुसूचित जाति/अनु.जन जाति/पिछड़ावर्ग/अल्प संख्यक एवं महिला शारीरिक रूप से विकलांग हितग्राही को वहन करना होता है एवं प्रोजेक्ट राशि के रू. 10.00 लाख तक 30 प्रतिशत मार्जिन मनी एवं शेष राशि पर 10 प्रतिशत पात्रता होती है । इसी प्रकार सामान्य वर्ग के पुरूष हितग्राही को प्रोजेक्ट लागत का 10 प्रतिशत स्वयं का अंशदान लगाना होता है एवं प्रोजेक्ट राशि के रू. 10.00 लाख तक 25 प्रतिशत मार्जिन मनी एवं शेष राशि पर 10 प्रतिशत मार्जिन मनी राशि की पात्रता होती है । आयोग द्वारा उपलब्ध कराई गई मार्जिन मनी राशि 2 वर्ष तक उद्योग चलते रहने तथा बैंकों की किस्तें समय पर चुकाने की स्थिति में अनुदान के रूप में परिवर्तित हो जायेगी । छत्तीसगढ़ राज्य के सभी जिलों में वर्ष 2007–2008 में 2809 इकाईयों की स्थापना पर रू. 628.76 करोड़ ऋण एवं रूपये 280.35 लाख मार्जिन मनी अनुदान आर्थिक सहायता के रूप में प्रदाय कर 8598 परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया । वर्ष 2008–09 में 1045 प्रकरणों में 5955.88 लाख रूपये की स्वीकृत बैंक से प्राप्त हुई है । जिसमें 1280.577 लाख रूपये मार्जिन मनी सहायता दी जायेगी । योजनान्तर्गत 18667 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त होगा ।

परिवार मूलक इकाइयों की स्थापना : इस कार्यक्रम के अन्तर्गत खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा प्रतिबंधित उद्योगो को छोड़कर आयोग मान्य स्थापना के लिए बैंको से ऋण एवं बोर्ड अनुदान दिया जाता है । योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र में कुटीर एवं छोटे–छोटे कम लागत के ग्रामोद्योगों

की स्थापना हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित परिवार मूलक योजना का क्रियान्वयन भी प्रदेश में किया जा रहा है । योजनान्तर्गत औजार उपकरण लागत पर 50 प्रतिशत या अधिकतम 13500 रूपये जो भी कम हो अनुदान उपलब्ध कराया जाता है । राज्य के सभी जिले में वर्ष 2007–08 में 2607 इकाईयों की स्थापना पर 572.00 लाख ऋण एवं 260.00 लाख अनुदान आर्थिक सहायता के रूप में प्रदाय करने का लक्ष्य रखा गया था । जिसमें 7821 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया । जबकि वर्ष 2006–07 में 1991 प्रकरणों में 636.06 लाख परियोजना लागत की राषि में से 257.73 लाख रूपये की अनुदान सहायता दी गई जिसमें 5373 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया ।

वर्ष 2007–08 में 2809 ग्रामीण इकाईयों हेतु 628.76 लाख परियोजना लागत पर 280. 35 लाख अनुदान का लक्ष्य रखा गया था जिसमें 8598 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया । वर्ष 2008–09 में 2157 प्रकरणों में 759.81 लाख परियोजना लागत में 279.81 लाख की अनुदान राषि दी गई है जिसमें 6471 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया ।

अध्याय–11

खनिज

राष्ट्र के औद्योगिक विकास में खनिजों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है । छत्तीसगढ राज्य खनिज उत्पादन की दृष्टि से समृद्ध राज्य है । वर्ष 2007–08 में लगभग 10102.28 करोड़ मूल्य के खनिजों का उत्पादन हुआ । राष्ट्र में उत्पादित खनिजों के सकल मूल्य का (पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस के मूल्य को छोड़कर) 13.00 प्रतिशत है तथा प्रदेष खनिज उत्पादक राज्यों में तृतीय स्थान पर रहा । वित्तीय वर्ष 2007–08 में खनिजों से राज्य शासन को 1028.38 करोड़ रूपये का राजस्व प्राप्त हुआ जो विगत वर्ष की तुलना में 196.03 करोड़ रूपये अधिक है । वर्ष 2008–09 में अक्टूबर, 2008 तक 688.19 करोड़ रूपये का खनिज राजस्व प्राप्त हुआ है ।

छत्तीसगढ़ को सामरिक महत्व के खनिज टिन अयस्क के उत्पादन में सम्पूर्ण राष्ट्र में एकाधिकार प्राप्त है । प्रदेश में कोयला, बाक्साईट, डोलोमाईट, चूना पत्थर एवं लौह अयस्क का उत्पादन बृहत् पैमाने पर हो रहा है । प्रदेश क्वार्टजाइट एंव डोलोमाइट के उत्पादन में द्वितीय तथा लौह अयस्क उत्पादन में तृतीय स्थान पर रहा ।

बॉक्स क्र 11.1

खनिज अन्वेषण

- वर्ष 2007–2008 में राज्य में खनिज अन्वेषण कार्य की गतिविधियों को प्राथमिकता के आधार पर क्रियान्वित किया गया । वित्तीय वर्ष 2007–2008 में 3421 वर्ग किलोमीटर, सर्वेक्षण/मानचित्रण, 102 घन मीटर पिटिंग, 4708 मीटर वेधन तथा 4272 (मूलको) नमूनों का विश्लेषण कार्य किया गया ।
- राजनांदगांव जिले में लौह अयस्क के 28.00 लाख टन नये भण्डार चिन्हित किए गए इसके अतिरिक्त कांकेर जिले में 150 लाख टन तथा दन्तेवाड़ा जिले में 50 लाख टन लौह अयस्क के अतिरिक्त भंडार भी चिन्हित किए गए ।
- कोरबा जिले में 500.00 लाख टन तथा रायगढ़ जिले में 400.00 लाख टन कोयले के अतिरिक्त भंडार चिन्हित किए गए । सरगुजा जिले में 5.00 लाख टन तथा कबीरधाम जिले में 29.80 लाख टन बाक्साईड के अतिरिक्त भंडार चिन्हित किए गए । साथ ही कबीरधाम जिले में ही 17.73 लाख टन डोलोमाईट तथा राजनांदगांव जिले में 550 लाख टन चूना पत्थर के भंडार चिन्हित किए गए हैं । राजनांदगांव जिले में 3500 टन क्वार्टज के भण्डार मिले ।
- वित्तीय वर्ष 2007–08 में अवैध उत्खनन के 250 प्रकरण पकड़े गए, उनसे रु. 33.89 लाख अर्थ दंड वसूल किया गया तथा अवैध परिवहन के 1920 प्रकरणों पर रु. 83.59 लाख की राशि वसूल की गई है । वर्ष 2008–09 में अक्टूबर 2008 तक अवैध परिवहन के 214 प्रकरणों पर 15.65 लाख रू. अर्थ दंड एवं अवैध परिवहन के 1015 प्रकरणों पर 50.83 लाख रू. वसूल किए गए ।

प्रमुख खनिजों का उत्पादन
(संदर्भ तालिका क्र 5.2)

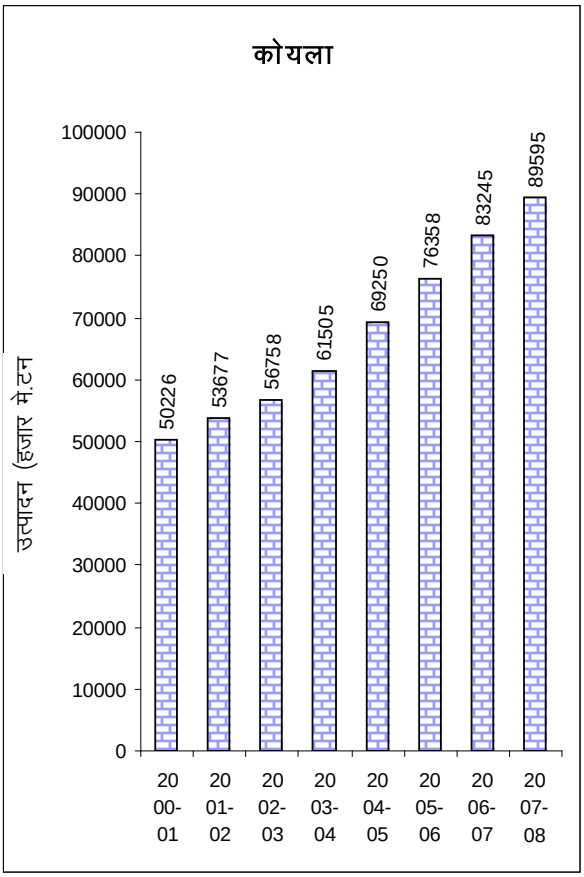
कोयला
उत्पादन (हजार मे.टन
100000
90000
80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
50226
53677
56758
61505
69250
76358
83245
89595
2000-01
2001-02
2002-03
2003-04
2004-05
2005-06
2006-07
2007-08

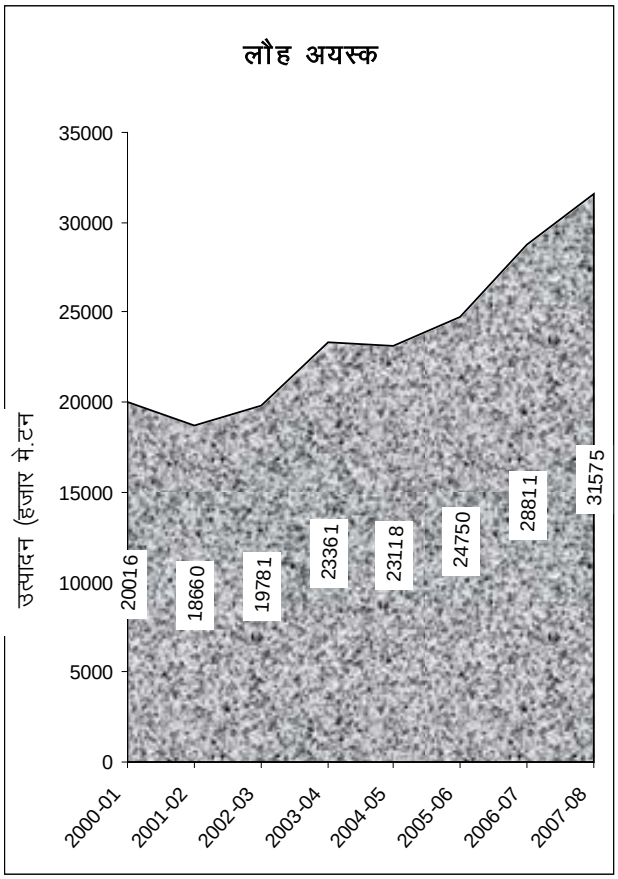
लौह अयस्क
उत्पादन (हजार मे.टन
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
20016
18660
19781
23361
23118
24750
28811
31575
2000-01
2001-02
2002-03
2003-04
2004-05
2005-06
2006-07
2007-08

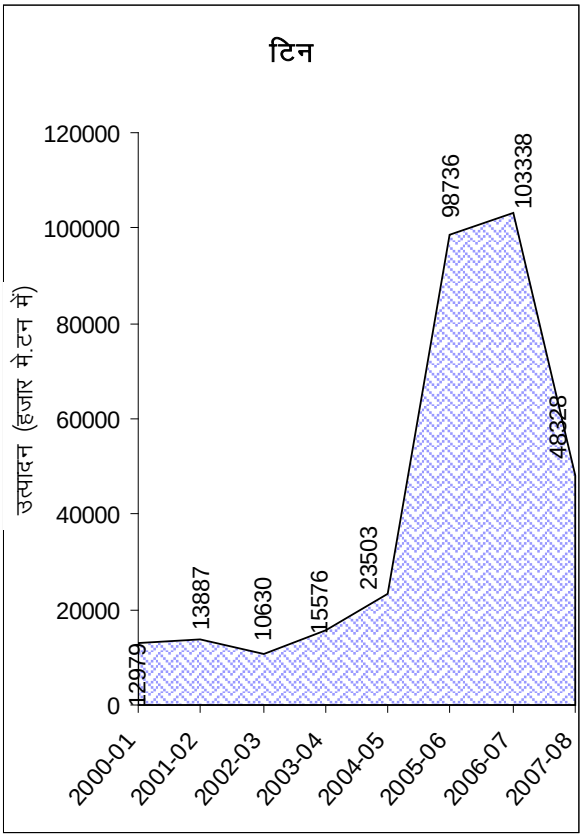
टिन
उत्पादन (हजार मे.टन में)
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0
12979
13887
10630
15576
23503
98736
103338
48328
2000-01
2001-02
2002-03
2003-04
2004-05
2005-06
2006-07
2007-08

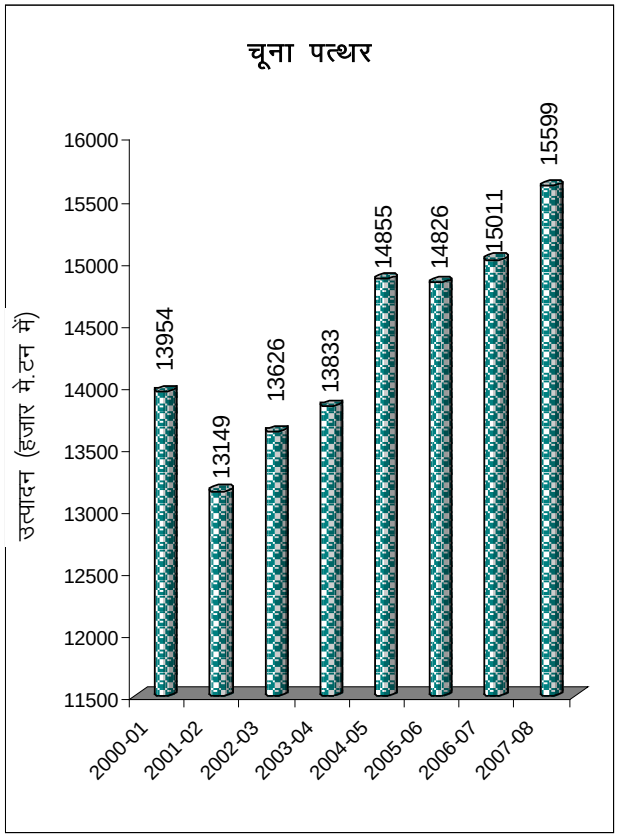
चूना पत्थर
उत्पादन (हजार मे.टन में)
16000
15500
15000
14500
14000
13500
13000
12500
12000
11500
13954
13149
13626
13833
14855
14826
15011
15599
2000-01
2001-02
2002-03
2003-04
2004-05
2005-06
2006-07
2007-08

खनिज आधारित उद्योग :–राज्य में प्रमुखतः खनिज आधारित उद्योग भिलाई में भिलाई इस्पात संयंत्र, कोरबा में भारत एल्यूमीनियम संयंत्र तथा बृहद ताप विद्युत संयत्र स्थापित है इसके अतिरिक्त 07 सीमेंट संयत्र 71 स्पंज आयरन संयंत्र तथा 01 रिफेक्ट्री संयंत्र भी कार्यरत है ।

गौण खनिजों का उत्पादन :–वर्ष 2007–08 में राज्य में 216.76 करोड़ रू. मूल्य के गौण खनिजों का उत्पादन हुआ जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

खनिज का प्रकार	उत्पादन मात्रा (हजार टनों में)	उत्पादन मूल्य (हजार रूपयों में)
पत्थर	4970	785122
मिट्टी	2043	232358
चूना–पत्थर	4479	698339
मुरूम	4078	436273
ग्रनाईट (घन मीटर में)	344	398
फर्शी पत्थर (घन मीटर में)	46150	15063

अध्याय–12

परिवहन सुविधाएँ

छत्तीसगढ़ राज्य में रेल परिवहन के कमी के परिणाम–स्वरूप सड़क परिवहन के प्रमुख संसाधन मालयानों तथा यात्रीयानों का आन्तरिक परिवहन संचालन व्यवस्था में अपना एक विशिष्ठ स्थान है ।

मार्च 2007 के अंत में छत्तीसगढ़ राज्य में कुल पंजीकृत वाहनों की संख्या 1728 हजार थी जो मार्च 2008 में बढ़कर 1928 हजार हो गई है । इस प्रकार कुल पंजीकृत वाहनों में 11. 57 प्रतिशत की वृद्धि हुई । यह वृद्धि कार एवं जीप में 14.70 प्रतिशत, मोटरसाईकिल, स्कूटर, मोपेड में 11.25 प्रतिशत, यात्री वाहन में 11.56 प्रतिशत तथा अन्य प्रकार के वाहनों में 12.62 प्रतिशत परिलक्षित हुई है । उल्लेखनीय है कि विगत वर्ष कुल पंजीकृत वाहनों में द्विपहिया वाहनों का प्रतिशत 24.19 रहा ।

वर्ष 2007–08 में शुल्क एवं मोटर यानों पर देयकर आदि से 269.96 करोड़ रू. राजस्व लक्ष्य के सापेक्ष्य में 276.99 करोड़ रू. का राजस्व संग्रहण किया गया । जो गत वर्ष की तुलना में 7.03 करोड़ रू. अधिक है । वर्ष 2008–09 में शुल्क एवं मोटर यानों देयकर आदि से 330.00 करोड़ राजस्व लक्ष्य के सापेक्ष्य में माह सितम्बर 2008 तक 140.37 करोड़ रू. का राजस्व संग्रहण किया गया, विगत वर्ष इसी अवधि में 123.94 करोड़ रू. का राजस्व प्राप्त हुआ था ।

परिवहन विभाग के अन्तर्गत अविभाजित मध्य प्रदेश में स्थापित (म.प्र.रा.स.प.नि) एक मात्र सार्वजनिक उपक्रम 31.12.2002 तक कार्यरत था । छत्तीसगढ़ राज्य गठन के पश्चात निगम को समाप्त कर परिवहन क्षेत्र में निजीकरण किया गया है । इसके कारण राज्यीय एवं अन्तर्राज्यीय परिवहन में वृद्धि हुई है । पड़ोसी राज्यों के साथ पारस्परिक नये समझौता सम्पन्न किए गए हैं । वाहन रजिस्ट्रीकरण एवं चालक लायसेंस हेतु स्मार्ट कार्ड योजना प्रस्तावित है । केन्द्र सरकार के योजनानुसार प्रत्येक वाहनो में हाई सिक्यूर्टी रजिस्ट्रेषन प्लेट लगाने की योजना है जिसे परिवहन कार्यालय में तैयार किया जावेगा। राज्य के सीमावर्ती चार स्थानों में पाटकोहेरा, भगतदेवरी, शंख एवं वाड्रफनगर में कम्प्यूटरीकृत तौल कांटोयुक्त चेकपोस्ट स्थापित किये जा रहे हैं, जहॉ वाणिज्य वन, खनिज, कृषि एवं परिवहन विभाग एक ही स्थान पर चेकिंग का कार्य सम्पादित करेंगे, इससे अंतराष्ट्रीय परिवहन में सुगमता आयेगी ।

परिवहन आयुक्त कार्यालय एवं 16 मैदानी परिवहन कार्यालयों को कम्प्यूटरीकरण योजनान्तर्गत प्रथम चरण में आयुक्त कार्यालय का कम्प्यूटरीकरण पूर्ण कर शेष कार्यालयों का कार्य प्रगति पर है । इसी तरह कम्प्यूटरीकृत एवं एकीकृत जॉच चौकी की भी स्थापना की जा रही है । वाहन चालक लायसेंस एवं वाहन के पंजीयन किताब स्मार्ट कार्ड के माध्यम से जारी किया जाना प्रस्तावित है । इस योजना से पंजीयन किताब के रूप में लायसेंस एक चिप्स युक्त कार्ड दिया जायेगा इससे वाहन स्वामी को डूप्लीकेशन एवं फर्जी प्रकरणों से मुक्ति मिलेगी ।

कुल पंजीकृत वाहन वर्ष 1997–1998 से 2007–2008

(हजार रू. में)

वर्ष अप्रैल से मार्च तक	कार एवं जीप	टेक्सीकेब / तिपहिया	यात्री वाहन बस	मालवाहन ट्रक	द्विपहिया वाहन	अन्य (ट्रेक्टर ट्राली सहित)	कुल पंजीकृत वाहन
1997–1998	28	06	09	31	526	44	644
1998–1999	29	07	10	32	585	50	713
1999–2000	31	07	12	35	643	53	781
2000–2001	34	08	14	36	707	58	857
2001–2002	38	10	15	39	793	65	960
2002–2003	42	11	17	52	881	75	1078
2003–2004	50	11	19	57	991	85	1215
2004–2005	59	13	23	66	1711	97	1375
2005–2006	68	14	24	73	1247	111	1540
2006–2007	78.4	15.9	26.6	84.6	1395.9	125.8	1728.0
2007–2008	90.0	18.0	30.8	97.4	1553.1	139.0	1928.0

सड़के एवं पुल

लोक निर्माण विभाग, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के पश्चात सड़को के उन्नतिकरण एवं पुलों के निर्माण में विशेष ध्यान दे रहा है । वर्ष 2007–2008 में 7111 कि.मी. सड़कों का निर्माण एवं उन्नयन कार्य किया गया जिसमें गिट्टीकरण, डामरीकरण, चौड़ीकरण, मजबूतीकरण एवं नवीनीकरण के कार्य किए गए एवं 128 पुलों का निर्माण किया गया और 227 कार्य प्रगति पर है । वर्ष 2008–09 में 2811.00 कि.मी. सड़कों का निर्माण एवं 68 पुलों का निर्माण पूरा किया गया तथा 315 पुल कार्य प्रगति पर है ।

वर्ष 2007–08 में कुल 1976.85 करोड़ रू. के विरूद्ध 1752.95 करोड़ रू. का व्यय किया गया वर्ष 2008–09 में माह सितंबर तक 2186.12 करोड़ रू. के प्रावधान के विरूद्ध 674. 06 करोड़ रूपये व्यय किये गये है । राज्य में सुगम एवं द्रुतगामी यातायात हेतु कुल 3106.75 कि.मी. लम्बे दो उत्तर दक्षिण तथा चार पूरब पश्चिम कॉरीडोर का निर्माण जारी है । अभी तक 1181 कि.मी. मार्ग पूर्ण किया जा चुका है एवं 32 नग पुल–पुलिया निर्माण पूर्ण तथा 14 नग पुल–पुलियों का कार्य प्रगति पर है । माह सितंबर, 2008 तक 352.48 करोड़ रूपये का व्यय किया गया है । रेल्वे ओव्हरब्रिज के अंतर्गत दो रेल्वे ओव्हरब्रिज (कोरबा, भाटापारा) में 28.97 करोड़ का कार्य पूरा किया गया है तथा 11 रेलवे ओव्हरब्रिज के कार्य लागत 218.42 करोड़ का कार्य प्रगति पर है । उसलापुर, अकलतरा, दाधापारा, दुर्ग–भिलाई, रायगढ़, डोंगरगढ़, आमानाका, टेकारी, तिफरा, चकरभाटा तथा गुढ़ियारी अंडरब्रिज का कार्य प्रगति पर है ।

बेरोजगार स्नातक इंजीनियरों को 10 लाख रू. तक के कार्य जिसके अन्तर्गत 737 इंजीनियरों का पंजीयन कर अब तक 942 कार्यो के लिए 52.28 करोड़ के कार्य आबंटित किए जा चुके हैं । इसी प्रकार 5 मई 2007 से बेरोजगार डिप्लोमा इंजीनियरों को 5.00 लाख तक के कार्य आपसी प्रतिस्पर्द्धा द्वारा उन्हे दिये जा रहे हैं । अभी तक 192 डिप्लोमा इंजीनियरों का पंजीयन कर 86 कार्य के लिए 2.20 करोड़ के कार्य आबंटित किए जा चुके हैं ।

निविदाओं में पारदर्षिता लाने के उद्ेष्य से सर्वप्रथम इंटरनेट आधारित टेण्डरिंग सिस्टम के माध्यम से निविदायें बुलाने का कार्य प्रारंभ किया गया है । जिसमें 20.00 लाख के ऊपर 444 टेंडर 737.99 करोड़ के नेक्सट टेंडर के माध्यम से आमंत्रित किये जा रहे हैं ।

बाक्स न–12.1

निर्माण कार्य व उनकी प्रगति

- केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत राज्य को 37 कार्यो हेतु कुल 178.34 करोड़ रू. की स्वीकृति प्राप्त हुई है । जिसमें से अभी तक कुल 29 कार्य पूर्ण हो चुके हैं तथा 8 कार्य प्रगति पर है । इन कार्यो पर सितंबर, 2008 तक 173.11 करोड़ रू. व्यय किया गया है । 12 अन्य नवीन सड़कों हेतु 112.9 करोड़ रू. की स्वीकृति प्राप्त हुई है ।
- एन्यूटी योजना के अंतर्गत राज्य की महत्वपूर्ण 1550 लेन कि.मी. को उन्नयन हेतु एक संयुक्त कंपनी का गठन कर उन्नयन किये जाने की नई योजना आरंभ की गई है ।
- संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अन्तर्गत राज्य निर्माण के पश्चात 48 कार्यो हेतु रू. 45.12 करोड़ की स्वीकृति केन्द्र से प्राप्त हुई थी । अभी तक इस योजना के अन्तर्गत 43 कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं तथा 5 कार्य प्रगति पर है । सितंबर, 2008 तकरू. 52.84 करोड़ का व्यय हुआ है ।
- मनीला स्थित एशियन डेब्लपमेंट बैंक जो कि एक अंर्तराष्ट्रीय संस्था है के प्रथम चरण में 9 मार्गो को चयनित किया गया है । जिसकी कुल लम्बई 811 कि.मी. एवं अनुमानित लागत लगभग 610.80 करोड़ रू. है । द्वितीय चरण में 13 मार्ग 512.18 कि.मी. लागत 394.00 करोड़ रूपये है की स्वीकृति निविदा अनुबंध की कार्यवाही प्रगति पर है ।
- भवन कार्यो के अन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय प्रशासन, पुलिस, राजस्व तथा अन्य विभागों के आवासीय तथा गैर आवासीय कुल 427 भवन का कार्य वर्ष 2007–08 में पूर्ण किए गए थे । 894 कार्य प्रगति पर है इन कार्यो हेतु रू. 352.95 करोड़ आवंटन के विरूद्ध रू. 254.85 करोड़ व्यय किये जा चुके हैं । इस वर्ष इन कार्यो पर सितंबर, 2008 तक रू. 398.19 करोड़ आबंटन के विरूद्ध 86.92 करोड़ रूपये व्यय कर 232 भवन पूर्ण एवं 924 भवन के कार्य प्रगति पर है ।
- महत्वपूर्ण भवनों में छत्तीसगढ़ सदन नई दिल्ली (16.00 करोड़ लागत) ट्रॉजिस्ट हॉस्टल (3.03 करोड़) नवीन विश्राम गृह (14.37 करोड़) का कार्य पूर्ण किया गया है । हाई कोर्ट भवन छत्तीसगढ़ नवीन, इन्जीनियरिंग कालेज, पुलिस अकादमी, जंगलवार फेयर कालेज, कांकेर का निर्माण मुख्य है प्रगति पर है इस हेतु 386.24 करोड़ रूपये का प्रावधान है ।

अध्याय–13

श्रम एवं रोजगार

1. शहरी रोजगार कार्यक्रम प्रशिक्षण : चयनित रोजगार में कुशलता बढ़ानें के लिए प्रशिक्षण व्यय रू. 2000.00 तक की प्रतिपूर्ति शासन द्वारा की जाती है जिसके लिए दो से छः माह अथवा 300 घंटों का प्रशिक्षण एक अनिवार्य शर्त है। वर्ष 2007–2008 में 3247 हितग्राहियों को रोजगार मूलक कार्यो का प्रशिक्षण दिया गया है । जिनमें से 2266 महिलाएं है ।

2.महिला व विकास कार्यक्रम अनुदान (DWCUA):–स्वरोजगार सृजन के लिए 10–10 महिलाओं के समूह का गठन किया जाता है । परियोजना की लागत 2.50 लाख रूपये है जिसमें से 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम 1.25 लाख तक अनुदान स्वीकृत किया जाता है जबकि शेष राशि में से 5 प्रतिशत मार्जिन मनी महिला सदस्यों को तथा 45 प्रतिशत बैंको से ऋण के रूप में उपलब्ध कराने का प्रावधान है । इस योजना में वर्ष 2007–08 में 1205 महिलाओं के समूहों का गठन किया गया है जिसके द्वारा 3247 महिलाओं को लाभान्वित किया गया है ।

3. आई.डी.एस.एम.टी योजना :–वर्ष 2004–05 से 9 निकायों को 73 कार्यो हेतु 2398.76 लाख रू. स्वीकृत हुए है । वर्ष 2005–06 से इस योजना को एक्सीलरेटेड अरबन वाटर सप्लाई प्रोग्राम **(AUWSP)** के साथ सम्मिलित कर अरबन डब्लमेंट स्कीम फार स्माल मीडियम टाऊन **(UIDSSMT)** योजना प्रवर्तित की जा रही है । वर्ष 2007–08 में कुल 73 स्वीकृत कार्य हेतु 75.73 करोड़ रू. की राषि प्रथम किष्त के रूप में प्राप्त हुई है, जिसमें तीन षहरों की जलप्रदाय योजना एवं एक षहर की सिवरेज सिस्टम योजना स्वीकृत है । उपरोक्त कार्य निर्माणाधीन है ।

4. बाल्मीकी अम्बेडकर आवास योजना (VAMVEY):–इस योजना के अन्तर्गत घोषित झुग्गी बस्ती के निवासियों के लिए आवास बनाने एवं उन्नयन करने हेतु 40 हजार रू. की सहायता प्रति आवास प्रदान की जाती है । वर्ष 2006–07 में 50 प्रतिशत ऋण एवं 50 प्रतिशत अनुदान के रूप में सम्मिलित है । अभी तक तीन हजार आवास प्रथम चरण में एवं 4880 आवास द्वितीय चरण में पूर्ण किए जा चुके हैं एवं 1120 आवास निर्माणाधीन है ।

5. स्वच्छ छत्तीसगढ़ योजना :–वर्ष 2005–06 में यह नई योजना शहरी क्षेत्रो में गरीबी के रेखा के नीचे एवं उसके आस–पास जीवन यापन करने वाले परिवारों के घरों में व्यक्तिगत सस्ता

शौचालय निर्माण किए जाने की योजना है ताकि खुले में शौच की प्रवृत्ति का त्याग किया जाकर स्वच्छ छत्तीसगढ़ का निर्माण किया जा सके । प्रथम चरण में 14728 यूनिट की स्वीकृति प्रदान की गई है । 7729 पूर्ण किए जा चुके हैं 2605 शौचालय निर्माणाधीन हैं ।

राज्य प्रवर्तित योजनाएँ :–

1.महिला समृद्धि योजना :– राज्य सरकार के द्वारा नगरीय क्षेत्र में स्थित तालाबों, सरोवर के लिये रख–रखाव तथा सौंदर्य वृद्धि के लिये यह योजना लागू की गई । प्रति हेक्टेयर तालाब क्षेत्र के लिये 9.10 लाख की अधिकतम स्वीकृती दी जाती है । वर्ष 2006–07 में शत्–प्रतिशत अनुदान दिया गया । योजनान्तर्गत वर्ष 2007–08 में 191 तालाबों का सौंदर्यीकरण एवं गहरीकरण का कार्य पूर्ण एवं 131 के कार्य प्रगति पर है । आबंटित 3827.00 लाख में से 3430.00 लाख रू. व्यय किए गए हैं ।

2.**महिला समृद्धि बाजार योजना** :– महिलाओं के सशक्तिकरण के उद्देश्य से महिलाओं के लिए यह योजना प्रारंभ की गई है । वर्ष 2007–08 के प्रथम चरण में 778 दुकान निर्माण हेतु स्वीकृति दी गई है । इनमें से 372 दुकानों का निर्माण पूर्ण हो चुका है एवं 158 दुकाने निर्माणाधीन है जिस पर 167.00 लाख रू. व्यय किए जा चुके हैं। पूर्ण दुकानों में से 248 दुकानों का आबंटन किया जा चुका है षेष प्रगति पर है ।

3.ट्रान्सपोर्ट नगर योजना :– शहरी आबादी से दूर शहर से लगा हुआ सर्वसुविधायुक्त ट्रान्सपोर्ट नगर बनाने की योजना है । अब तक 7 नगर पालिका निगम एवं एक नगरपालिका परिषद क्षेत्र में 1532.60 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है । योजना के अंतर्गत 40 प्रतिशत अनुदान तथा शेष 60 प्रतिशत ऋण का प्रावधान है । बिलासपुर, रायगढ़, अम्बिकापुर रायपुर एवं भिलाई चरौदा में कार्य प्रगति पर है । योजनान्तर्गत अब तक 898.08 लाख रू. व्यय किए गए हैं ।

4. कमजोर वर्ग के लिये सुरक्षा समूह बीमा योजना(मिनीमाता शहरी निर्धन बीमा योजना) :– ऐसे व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच हो तथा गरीबी रेखा के नीचे तथा उससे थोड़ा ऊपर जीवन–यापन करने वाले शहरी गरीबी को जीवन बीमा की सुरक्षा प्रदान करना इस योजना का उद्देश्य है । जो न्यूनतम 25 के समूह में प्रयोजित किये जायेंगे । बीमित व्यक्ति की किसी दुर्घटना में मृत्यु होने पर 50000.00 रूपये तथा सामान्य मृत्यु होने पर 20000 नामित व्यक्ति को देय है । 2007–08 में 66670 हितग्राहियों की बीमा कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया । जिसके विरूद्ध 28060 लोगों को बीमा कराया गया ।

4.बिल्ड फायनेंस–ट्रान्सफर योजना (BFT) : इस योजना के अंतर्गत सड़कों के एकीकृत विकास (सीमेंट/कांक्रीट, डामरीकृत सड़के, नाली निर्माण, पुलिया निर्माण, सर्विस डक्ट एवं क्रासडक्ट तथा स्ट्रीट लाईट) के लिए बिलासपुर नगर निगम में दो पैकेज क्रमशः रू. 7.39 करोड़ तथा रू. 20.69 करोड़ की प्रस्तावित है । योजना के अंतर्गत सम्पूर्ण राशि प्रथमतः निजी भागीदार द्वारा लगाई जाएगी । नगर निगम आगामी 10 वर्षो में निर्धारित किश्त अनुसार निजी भागीदारी को धनराशि बैंक के एक एकाउंट के माध्यम से वापस करेगा । 10 वर्षो तक मरम्मत का कार्य भी निजी भागीदार द्वारा किया जाएगा । वर्ष 2007–08 में शासन द्वारा बिलासपुर के अतिरिक्त सात अन्य नगर निगमों में उक्त योजना को समावेश किया गया है ।

बाक्स न–13.1

विकास कार्यक्रम व योजनाएं

- युवा जन विकास योजनान्तर्गत युवा षक्ति को उत्पादक बनाने हेतु 5000 हितग्राही हेतु 190.00 लाख रू. का प्रावधान है अब तक 114.58 लाख रू जारी कर 3858 हितग्राहियों को रोजगार प्रषिक्षण दिया गया है ।
- राष्ट्रीय गन्दी बस्ती विकास कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2005–06 मे 258.50 लाख रूपये 29 नगरीय निकायो को उपलब्ध कराया गया है । वर्ष 2007–08 में 3650 आवास कार्य पूर्ण किये गये है ।
- कमजोर वर्ग के लिये सुरक्षा समूह बीमा योजना के अंतर्गत वर्ष 2007–08 में 66670 हितग्रहियों को नामांकित किया गया है । जिसके विरूद्व 29628 लोगों का बीमा कराया गया है ।
- सरोवर धरोहर योजना के अंतर्गत वर्ष 2007–08 तक 322 तालाबों का सौन्दर्यीकरण एवं गहरीकरण का कार्य किया जा चुका है । प्रति हेक्टर तालाब के लिए 9.10 लाख की अधिकतम स्वीकृति निर्धारित है ।
- ज्ञानस्थली योजना के अंतर्गत नगरीय क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के भवन निर्माण एवं पुर्नरोद्धार के लिए शासन द्वारा वर्ष 2007–08 तक में 825 स्कूलों/कालेजों अतिरिक्त कक्षों/भवनों का निर्माण किया जा चुका है ।
- उन्मुक्त खेल मैदान योजना के अंतर्गत मैदानों के निर्माण एवं सुधार कार्य हेतु प्रति हेक्टर 750 लाख के दर से 1254.00 लाख रू. व्यय कर 89 मैदानों के कार्य पूर्ण एवं 49 प्रगति पर है ।
- स्वाबलंबन योजना के अंतर्गत 7926 दुकाने एवं 2795 चबूतरों का कार्य स्वीकृत किया गया जिसमें से 5128 दुकाने एवं 1468 चबूतरों का निर्माण पूर्ण हो गया है । 1526 दुकाने एवं 617 चबूतरों का निर्माण प्रगति पर है ।
- उद्यानों के सुधार निर्माण एवं रख–रखाव हेतु पुष्प वाटिका उद्यान योजना के अंतर्गत अब तक 182 उद्यानों के लिये 1387.00 लाख की स्वीकृति दी गई है । 120 उद्यानों का विकास/सुधार कार्य किया जा चुका है एवं 62 उद्यानों का निर्माण/सुधार कार्य प्रगति पर है ।
- सांस्कृतिक भवन निर्माण योजनान्तर्गत 55 भवनों के निर्माण हेतु 852.80 लाख रू. में से 63.56 लाख व्यय कर 10 सांस्कृतिक भवनों का निर्माण पूर्ण एवं 45 का कार्य निर्माणाधीन है ।

रोजगार एवं प्रशिक्षण

राज्य निर्माण के पश्चात 09 नवीन शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं एवं 42 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में अतिरिक्त व्यवसायों की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है । जिसमें विभिन्न हाईटेक व्यवसाय जैसे कम्प्यूटर हार्डवेयर, इन्फारमेंसन टेक्नालॉजी, कम्प्यूटर आपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिसटेंट में प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई गई है ।

बाक्स न–13.2

रोजगार एवं प्रशिक्षण

- राज्य के रोजगार कार्यालयों में चालू पंजी पर दर्ज कुल शिक्षित बेरोजगारों की संख्या सितम्बर 2008 तक 12.18 लाख है ।
- जनवरी 2008 से सितम्बर 2008 तक रोजगार कार्यालयों के माध्यम से 2.32 लाख बेरोजगारों का पंजीयन कराया गया है । जिमसें से 692 बेरोजगारो को रोजगार उपलब्ध कराया गया । जिसमें 18 महिलाऍ 16 अनुसूचित जाति, 152अनुसूचित जन जाति 122पिछड़ें वर्ग के उम्मीदवार थे ।
- वित्तीय वर्ष 2008–09 में शासन ने बेरोजगारी भत्ता प्राप्त युवक/युवतियों को रोजगार एवं स्वरोजगार मे स्थापित करने हेतु 38 व्यवसायों मे प्रशिक्षित करने की योजना शुरू की है । इस हेतु शासन से 87.70 लाख रू. शासन से प्राप्त हुए हैं एवं सितम्बर 2008 तक 4292 आवेदकों को विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण दिया गया है ।

सेंटर आफ एक्सीलेंस : केन्द्र शासन के सहयोग से राज्य में चार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थायें भिलाई, माना, कोरबा एवं रायगढ़ में सेन्टर आफ एक्सीलेंस की स्थापना की गई है । वित्तीय वर्ष 2007–08 में छः अन्य संस्थानों बलौदाबाजार, गौरेला, डौण्डी लोहारा, दुर्ग भिलाईनगर एवं राजनांदगांव का उन्नयन कर प्रशिक्षण प्रारम्भ किया गया है । साथ ही केन्द्र प्रवर्तित योजनान्तर्गत सेंटर आफ एक्सीलेंस के रूप में डौण्डी लोहारा एवं बलौदाबाजार में पृथक भवन निर्माण के लिए क्रमषः 123.66 लाख एवं 122.65 लाख की प्रषासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है एवं 13.70 लाख की लागत से बिलासपुर एवं बस्तर में प्लेसमेंट सेल की स्थापना की गई है यहॉ आई.टी.आई प्रषिक्षित युवाओं को उद्योगों में रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे ।

विष्वकर्मा योजना : अल्प षिक्षित युवाओं को प्रषिक्षित कर उनके निवास के आस–पास रोजगार नियोजन की दृष्टि से 20 संस्थाओं में 1.00 करोड़ की लागत से बहुकौषलीय तकनीकी प्रषिक्षण

में 800 युवा स्व–रोजगार हेतु प्रषिक्षण प्राप्त कर रहे हैं । वर्ष 2007–08 में 62.39 लाख रू. व्यय किया गया है ।

नवीन औद्योगिक प्रषिक्षण :–प्रावधानित पिछड़े एवं आदिवासी अंचल में 8 नवीन प्रषिक्षण संस्थाओं की स्थापना की गई है, जिसमे 484 सीटों में व्यवसाय विषयक प्रषिक्षण की व्यवस्था है ।

नवीन संस्थायें :–पब्लिक प्राईवेट पार्टनरषिप योजनान्तर्गत विभिन्न औद्योगिक समूहों के द्वारा राज्य की 12 संस्थाओं को उन्नयन हेतु सहमति दी गई है । षासन द्वारा प्रति संस्था 2.50 करोड़ ब्याज रहित दीर्घ कालिक ऋण प्रदान किया गया है । मषीनों के आधुनिकीकरण कर प्रषिक्षण संस्थाओं में संषोधित पाठ्यक्रम के अनुसार 304.00 लाख के आधुनिक मषीन/औजार उपकरण क्रय हेतु उपलब्ध कराया गया ।

वर्ष 2008–09 में दो नवीन औद्योगिक प्रषिक्षण संस्था विश्रामपुरी जिला बस्तर एवं भटगावं जिला सरगुजा में 160 नवीन पाट्यक्रम अनुसार व्यवसाय प्रषिक्षण हेतु स्वीकृति दी गई है ।

छात्रावासों में सुविधा :– आदिवासी अंचलों में छात्रावासों में मूलभूत सुविधा हेतु 20.00 लाख के फर्नीचर एवं 10.00 लाख की पुस्तकें क्रय करने हेतु उपलब्ध कराया गया है ।

शिक्षित बेराजगारों को बेरोजगारी भत्ता :–इस योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले प्रत्येक परिवार के सदस्य को जो 18 से 35 वर्ष के बीच है तथा 12 वीं परीक्षा उत्तीर्ण कर रोजगार कार्यालय में दो वर्ष पूर्व से पंजीकृत हैं । जिस परिवार की वार्षिक आय 11000 से कम हो ऐसे बेरोजगारों को आगामी दो वर्षो के लिए 500 रू. प्रतिमाह की दर से बेरोजगार भत्ता दिया जा रहा है । वर्ष 2008–09 में शासन द्वारा 787.70 हजार रू. का आबंटन किया गया है । प्राप्त आंबटन/व्यय/लाभान्वित शिक्षित बेरोजगारों की संख्या निम्नानुसारहै :–

(हजार रूपयों में)

मांग संख्या	आबंटन राशि (2008–09)	व्यय राशि (1.4.2008 से 30.09. 2008 तक)	लाभान्वित शिक्षित बेरोजगारों की संख्या
आदिवासी क्षेत्र आयोजना	125.00	15.74	722
अनुसूचित जातियों के विशेष घटक योजना	125.00	16.56	763
सामान्य	537.70	34.76	1946
योग	**787.70**	**67.06**	**3431**

पंचायत एवं ग्रामीण विकास

वित्तीय वर्ष 2007–08 में रोजगार गारण्टी योजना के अंतर्गत मार्च 2008 तक 1298.00 करोड़ रूपयें की राशि निर्गमित की गई है । अन्य प्राप्तियों एवं वर्ष 2007 की शेष राशियों को जोड़कर 1517.55 करोड़ रू. उपलब्ध थे । इसके विरूद्ध मार्च, 2008 तक 1401.83 करोड़ रूपये व्यय किये गये है । इस प्रकार कुल राशि के विरूद्ध 92.38 प्रतिशत व्यय कर 1316.10 लाख मानव दिवस रोजगार के अवसर सृजित हुए । मार्च, 2008 तक कुल स्वीकृत 84355 कार्यों में से 47562 कार्य पूर्ण तथा 36793 कार्य प्रगति पर थे । प्रावधान अनुसार कुल पंजीकृत 28.76 लाख परिवारों में से रोजगार की मांग करने वाले 22.94 लाख परिवारों को रोजगार प्रदाय किया गया ।

वित्तीय वर्ष 2008–09 माह सितंबर, 2008 पूर्व अवशेष एवं अन्य प्राप्तियों को जोड़कर 1105.45 करोड़ रू. उपलब्ध है, जिसके विरूद्ध 835.43 करोड़ रू. व्यय किए गए हैं । उपलब्ध राषि के विरूद्ध 75 प्रतिषत राषि व्यय की गई है एवं 763.317 लाख मानव दिवस रोजगार के अवसर सृजित किए गए है । माह सितम्बर 2008 तक कुल स्वीकृत 45427 कार्यो में से 27620 कार्य पूर्ण किए गए तथा 17807 कार्य प्रगति पर है । योजनान्तर्गत अब तक पंजीकृत 32.75 लाख परिवारों द्वारा रोजगार की मांग की गई । जिसके विरूद्ध 13.62 परिवारों को रोजगार प्रदाय किया गया ।

वर्ष 2007–08 में यह योजना केवल दुर्ग जिले में क्रियान्वित थी । योजनान्तर्गत अवषेष राषि एवं अन्य प्राप्तियों सहित 19.16 करोड़ रू. उपलब्ध थे । जिसके विरूद्ध ष्षत प्रतिषत राषि व्यय की गई तथा कुल उपलब्ध 3392 मे.टन खाद्यान में से 1898 मे.टन खाद्यान का वितरण मजदूरेां को दिया गया तथा 8.7 लाख मानव दिवस रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये गये ।

राज्य के लिए वित्तीय वर्ष 2007–08 में रू. 104.37 करोड़ का लक्ष्य था, जिसके विरूद्ध माह मार्च, 2008 तक रू. 100.28 करोड़ वित्तीय उपलब्धि अर्जित की गई तथा 55324 स्वसहायता समूहों का गठन कर 42393 परिवारों को लाभान्वित किया गया, जिसमें 6549 अनुसूचित जाति के 18340 अनुसूचित जनजाति के एवं 22368 महिला प्रमुख परिवार लाभान्वित किये गये । उपलब्ध राशि रू. 67.23 करोड में से मार्च, 08 तक रू. 65.29 करोड़ की राशि व्यय की गई । वर्ष 2008–09 में राज्य में रू. 108.90 करोड का लक्ष्य रखा गया है जिसके विरूद्ध सितंबर, 2008 तक 40.43 करोड़ व्यय कर 2879 स्वसहायता समूहों का गठन किया गया जिसमें 16737 लाभान्वित परिवारों में से 2526 अनुसूचित जाति 7421 अनुसूचित जनजाति एवं 9968 महिला प्रमुख परिवार थे ।

उपलब्ध राशि 38.58 करोड़ में से माह सितंबर, 2008 तक 22.81 करोड़ की राशि व्यय की गई है । योजनान्तर्गत 9 विषेष परियोजना लागत राषि 109.21 करोड़ की स्वीकृत की गई है । सात विशेष परियोजनाएँ लागत 76.61 करोड़ स्वीकृति हेतु भारत शासन को प्रेषित किये गये है ।

इन्दिरा आवास योजनाः– ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले आवासहीन परिवार को शत्प्रतिषत आर्थिक सहायता हेतु केन्द्र एवं राज्य सरकार का अंष 75 व 25 प्रतिषत का है । योजनान्तर्गत नये आवास निर्माण हेतु 25000 रूपये तथा आवास उन्नयन हेतु 12500 रूपये का अनुदान देय थे । वर्ष 2008–09 में यह राषि क्रमषः 35000 एवं 15000 रूपये किया गया है ।

वर्ष 2007–08 में 78.89 करोड़ उपलब्ध राषि में से 76.81 करोड़ के व्यय से 30263 परिवारों को लाभान्वित किया गया है एवं 28717 नये आवास का निर्माण व 1546 आवासों का उन्नयन कार्य किये गये है । वर्ष 2008–09 में माह सितंबर, 2008 तक 55.23 करोड़ उपलब्ध राशि में से 47.09 करोड़ के व्यय से 29363 नये आवास निर्माणाधीन है । ष

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (BRGF)- वर्ष 2007–08 में क्षमता विकास निधि अन्तर्गत 9.04 करोड़ की राषि के कार्य स्वीकृत किये गये है । जिसमें 4.00 करोड़ का एक सेटकाम स्टूडियो एवं 3.00 करोड़ के 30 विकासखण्ड मुख्यालय में पंचायत में संसाधन केन्द्रों का निर्माण प्रगति पर है । वर्ष 2008–09 में सितंबर, 2008 तक 1.52 करोड़ का आबंटन प्राप्त हुआ है । पूर्व अवषेष सहित उपलब्ध 107.69 करोड़ के विरूद्ध 36.34 करोड़ व्यय कर 22924 स्वीकृत कार्यों में से 6603 कार्य पूर्ण किये गये ।

जल ग्रहण क्षेत्र विकास कार्यक्रम (हरियाली)

1. सूखा उन्मूख क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.):– 1 अप्रैल, 1999 से केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा क्रमशः 75 एवं 25 प्रतिशत योगदान से संचालित है । नवगठित राज्य के 8 जिलों के 29 विकास खण्ड वर्ष अन्तर्गत सूखा ग्रस्त पाये गये है । इन विकास खण्डों में वर्ष 2006–07 तक स्वीकृत कुल 632 माइक्रो वाटरषेड परियोजनाऍ संचालित है, जिसकी सकल राषि 277.704 करोड़ है एवं उपचार योग्य क्षेत्र 461490.95 हेक्टर है । वर्ष 2007–08 तक इनमें 27.375 करोड़ राषि प्राप्त हुई, जिसमें से 11.70 (43 प्रतिषत) करोड़ का उपयोग कर 20748.79 हेक्टर क्षेत्र उपचारित किया गया, तथा 870 हेक्टर नया सिंचित क्षेत्र विकसित किया गया । वर्तमान वर्ष 2008–09 में माह सितंबर, 2008 तक प्राप्त 4.564 करोड़ सहित कुल उपलब्ध राषि 20.23 करोड़ में से 7.17 (35 प्रतिषत) करोड़ रूपये का उपयोग कर

15505 हेक्टर क्षेत्र उपचारित किया जा चुका है तथा 2341 हेक्टर नया सिंचित क्षेत्र विकसित किया गया है ।

एकीकृत पड़त भूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्लू.डी.पी.) :– 1 अप्रैल, 1999 से केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा क्रमषः 91.66 एवं 8.34 प्रतिषत अर्थात् 11:1 के अनुपात के योगदान से संचालित है । इन विकास खण्डों में वर्ष 2006–07 तक स्वीकृत कुल 14 जिलों में 63 विकासखण्डों में कुल 70 परियोजनाएँ संचालित है । जिनकी सकल लागत राषि 228.380 करोड़ है एवं उपचार योग्य क्षेत्र 384333 हेक्टर है । वर्ष 2007–08 तक इनमें रूपये 33.273 करोड़ राषि प्राप्त हुई है जिसमें 24.125 (65 प्रतिषत) करोड़ का उपयोग कर 41795 हेक्टर क्षेत्र उपचारित किया तथा 3225 हेक्टर नया सिंचित क्षेत्र विकसित किया गया । वर्ष 2008–09 में माह सितम्बर 2008 तक 24.464 करोड़ सहित कुल उपलब्ध राषि 25.430 करोड़ में से 6. 667 (26 प्रतिषत) का उपयोग कर 13838.83 हेक्टर क्षेत्र उपचारित किया गया, एवं 692.50 हेक्टर नया सिंचित क्षेत्र विकसित किया गया ।

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना

भारत सरकार द्वारा 25 दिसम्बर, 2000 से यह योजना पूरे देश में प्रारंभ की गई है । योजना का मूल उद्देश्य वर्ष 2009 के अंत तक 1000 या इससे अधिक आबादी (पहाड़ी/रेगीस्तानी/आदिवासी विकास खण्डों के मामले में 500 या इससे अधिक) की सभी बिना जुड़ी बसाहटों को बारहमासी पक्की सड़कों से जोड़े जाने का लक्ष्य रखा गया है ।

छत्तीसगढ़ राज्य में यह कार्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण को सौंपा गया है । प्रथम चरण के अंतर्गत वर्ष 2000–2001 में भारत सरकार द्वारा 956.83 किमी लंबाई की 112 सड़कें 812 पुल–पुलिया स्वीकृत की गई, तथा रू. 91.92 करोड़ राशि प्रदान की गई । अभी तक कुल स्वीकृत में से 112 सड़कें 919.25 किमी लंबाई तथा 829 पुल–पुलिया पूर्ण कर 115.54 करोड़ रूपये का व्यय किया गया है ।

वर्ष 2006–07 में सामान्य प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के छठवें चरण के अंतर्गत 503. 43 करोड़ रूपये लागत की 357 सड़कें लम्बाई 1730.09 कि.मी. तथा 2232 पुल–पुलियो, तथा एशियन विकास बैंक की सहायता में तृतीय चरण के तहत 595.41 करोड़ रूपये लागत की 567 सड़कें 2145.08 कि.मी. लम्बाई, तथा 4005 पुल–पुलियों की स्वीकृति प्राप्त हुई । उन पर क्रमशः 12.77 करोड़ तथा 59.53 करोड़ रूपये का कार्य करते हुए कुल 382 पुल–पुलियों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है ।

इसके अतिरिक्त वर्ष 2007–08 हेतु सामान्य प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत 1251 सड़कों, 6836.68 कि.मी. लंबाई, 8941 पुल–पुलियों, लागत 2037.30 करोड़ की राषि स्वीकृति हुई । जिसके अन्तर्गत 13 सड़कें लम्बाई 91.42 कि.मी. एवं 655 पुल–पुलिया पूर्ण कर 374.82 करोड़ रू. व्यय किए गए ।

वर्ष 2008–09 हेतु योजनान्तर्गत 1111.80 करोड़ की राषि से 1049 सड़कें 3819.82 कि. मी तथा 5777 पुल–पुलियों की स्वीकृति प्राप्त हुई है ।

छत्तीसगढ़ राज्य में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत अभी तक कुल रू. 6479.87 करोड़ की राशि से 5320 सड़कें लंबाई 25499.59 कि.मी. तथा 36626 पुल–पुलियों की स्वीकृति प्राप्त हुई है । जिसके अन्तर्गत माह सितम्बर 2008 अंत तक 2505 सड़कें, लम्बाई 11933.26 किमी तथा 14638 पुल–पुलियाँ पूर्ण होकर 3042.03 करोड़ रूपये व्यय किये जा चुके है ।

वर्षवार प्रधान मंत्री संड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियॉ

स्वीकृत एवं भौतिक लक्ष्य					भौतिक उपलब्धियॉ एवं व्यय			
वर्ष	राषि (करोड़ रू. में)	संख्या	लंबाई कि.मी	पुल पुलिया (संख्या)	राषि (करोड़ रू. में)	संख्या	लंबाई कि. मी	पुल पुलिया (संख्या)
2000–01	91.92	112	956.83	812	115.54	112	919.25	829
2001–02	220.00	176	1122.53	1635	319.69	272	1711.12	2176
2002–03 2003–04	158.02	117	790.55	1186				
2004–05	412.59 104.01	70	1872.72 504.61	3404 779	332.64 89.84	327 54	1603.88 357.03	1798 484
2005–06	448.72 3.19	429 2	1952.54 10.30	2709 33	389.09 –	410 –	1734.41 –	1571 –
2006–07	578.12	561	2561.13	3759	52.43	50	2176.10	2111
2007–08	2037.30	1251	6836.68	8941	374.83	13	91.42	655
2008–09	1111.80	1049	3819.82	5777	–	–	–	–
योग	6479.87	5320	25499.59	36626	3042.03	2505	11933.26	14638

अध्याय–14

सामाजिक सेवायें

राज्य के सर्वांगीण विकास हेतु मानव संसाधन अन्तर्गत मूलभूत सुविधाओं के विस्तार, सामाजिक स्तर को ऊंचा उठाने हेतु विकास कार्यक्रमों को महत्वपूर्ण भूमिका है । इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य पेयजल, पर्यावरण, अनुसूचित जाति जन जाति विकास तथा सामाजिक रूप से पिछड़े विकलांग, वृद्ध एवं बच्चों के स्तर में विकास कर समाज के मुख्य धारा में सम्मिलित किया जाना प्रमुख है ।

स्कूल शिक्षा विभाग

प्रदेश के 16 जिलों में स्थित 19 शिक्षा जिलों की भूमिका राष्ट्र के विकास की धारा में अशिक्षा एवं निरक्षरता के क्रम में शिक्षा की भूमिका अहम हो गई है । देश का प्रत्येक नागरिक पढ़ा लिखा एवं जागरूक हो इस हेतु यह आवश्यक है कि शैक्षणिक संस्थाओं को देश में सुदृढ़ तंत्र स्थापित कर शैक्षणिक पहचान स्थापित कर सके ।

प्रदेश की शैक्षणिक संस्थाओं का स्तरवार विवरण :

क्र.	स्तर	शिक्षा विभाग	आ.जा.क.वि		सर्व शिक्षा अभियान	स्थानीय निकाय शिक्षा	अनुदान प्राप्त		मदरसा बोर्ड	गैर अनुप्राप्त	जन भागीदारी	योग
			शाला	आश्रम			शिक्षा	आ. जा.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	10	11	12
1	प्राथमिक स्तर	14474	2409	0	9276	–	178	05	35	2406	–	28783
2	पूर्व मा. स्तर	3561	2381	0	7121	–	57	05	–	1501	–	14626
3	हाई स्कूल	608	419	0	0	–	–	–		554	366	1947
4	उ.मा.विद्यालय	658	519	0	0	20	78	02	–	586	175	2038
	योग	**19301**	**5728**	0	**16397**	**20**	**313**	**12**	**35**	**5047**	**541**	**47394**

1. दर्ज संख्या वृद्धि अभियान :

शिक्षा के अधोसंरचना के विकास के लिये षिक्षा को घर–घर तक पहुचाने के लिये छात्रों के पहुंच सीमा के भीतर शालाओं को उपलब्ध कराने की व्यवस्था स्कूल षिक्षा विभाग के द्वारा किया जा रहा है । राज्य में प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च एवं उच्चतर माध्यमिक संस्थाओं की संख्या क्रमषः 28783, 14626, 1947 एवं 2038 है एवं इन विद्यालयों में अध्ययनरत कुल विद्यार्थियों की संख्या 53,53,882 है, जिनमें 28,56,024 बालक एवं 24,97,858 बालिकाएं है ।

2. छत्तीसगढ़ सूचना शक्ति योजना :

ग्रामीण क्षेत्र की बालिकाओं एवं शहरी क्षेत्रों की समस्त बालिकाओं को निःषुल्क कम्प्यूटर षिक्षा प्रदान करने हेतु –

- एन.आई.आई.टी. द्वारा कम्प्यूटर प्रषिक्षण दिया जा रहा है ।
- प्रदेश के हाई स्कूल एवं उ.मा.वि. के समस्त बालिकाओं के लिये 54/– रूपये प्रति छात्रा की दर से शासन द्वारा भुगतान किया जावेगा । इसके अंतर्गत कम्प्यूटर एवं प्रषिक्षण सामग्री एन.आई.आई.टी. द्वारा उपलब्ध करायी जावेगी ।
- प्रदेष के 16 जिलों में जिला कम्प्यूटर प्रषिक्षण केन्द्र की स्थापना की गई है ।
- इस योजना के अन्तर्गत 1189 केन्द्र संचालित है । जिनमें कुल 186000 छात्राओं को योजना का लाभ मिल रहा है ।
- इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2008–09 हेतु रू. 1240.00 लाख का आबंटन प्राप्त हुआ है, जिसमें से अब तक रू. 204.47 लाख व्यय किये जा चुके है ।

3. सरस्वती सायकल प्रदाय योजना :–

राज्य के हाई स्कूलों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जातियों के बालिकाओं को निःषुल्क सायकल प्रदान कर बालिका षिक्षा को प्रोत्साहित किया जा रहा है । सत्र 2007–08 से 9 वीं कक्षा में अध्ययनरत पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य वर्ग की बी.पी.एल. परिवार की बालिकाओं को भी सायकल के प्रदाय से जहां शालाओं में आवागमन की सुविधा प्रदान है वहीं बालिकाएं षिक्षा के प्रति आकृष्ट हो रही है ।

इस योजना के अंतर्गत बालिकाओं को लेडीस ब्लैक सायकल के वितरण की कार्यवाही की गई है । 2007–08 में से योजना का लाभ पिछड़े वर्ग की बालिकाओं को भी प्रदान किया जा रहा है । वर्ष 2008–09 हेतु रू. 810.00 लाख का आबंटन प्राप्त हुआ है, वर्तमान में प्रक्रिया प्रचलन में है ।

4. निःषुल्क गणवेष योजना :–

प्राथमिक विद्यालय (1 से 5) की अजा, अजजा एवं बी.पी.एल. वर्ग के अध्ययनरत छात्रों को निःषुल्क गणवेष योजनान्तर्गत वर्ष 2008–09 रू. 8.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है । इससे लगभग 5.00 लाख छात्र/छात्राओं को निःषुल्क गणवेष प्राप्त होंगे ।

5. छात्र सुरक्षा बीमा :–

इस योजनान्तर्गत शासकीय एवं अनुदान प्राप्त, प्राथमिक विद्यालय से लेकर महाविद्यालयीन स्तर तक अध्ययनरत छात्र–छात्राओं को दुर्धटना बीमा का संरक्षण प्रदान किया गया है । जिसमें दुर्घटना–जनित मृत्यु, पूर्ण अपंगता अथवा स्थाई अपंगता होने पर 10,000 रूपये एवं एक अंग भंग होने पर अथवा आंषिक अपंगता पर 5,000 रूपये एवं उपचार हेतु 500 रूपये की सहायता प्रदान की जाती है ।

6 निःषुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण/पुस्तकालय योजना :–

इसके अंतर्गत कक्षा 1 से 8 तक के सभी छात्र/छात्राओं को निःषुल्क पाठ्यपुस्तक वितरित किया जा रहा है ।

वर्ष 2005–06 से कक्षा 9 से 10 तक शासकीय एवं अनुदान प्राप्त शालाओं में अध्ययनरत बालिकाओं को निःषुल्क पुस्तकें प्रदान की गई है ।

वर्ष 2008–09 में 11 से 12 तक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति एवं समस्त बालक–बालिकाओं को पुस्तक योजना के माध्यम से पाठ्यपुस्तक एवं अन्य पुस्तकें प्रदाय की जावेगी ।

वर्तमान में सर्व षिक्षा अभियान एवं स्कूल षिक्षा विभाग (पाठ्यपुस्तक निगम) के माध्यम से कक्षा 1 से 8 तक के सभी छात्र–छात्राओं को निःषुल्क पाठ्यपुस्तक प्रदान कर रही है । वर्ष 2008–09 हेतु रू. 32.040 करोड़ का आबंटन प्राप्त हुआ है, जिसमें से रू. 21.35 करोड़ व्यय की जा चुकी है । प्राथमिक स्तर (कक्षा 1 से 5 तक) 48.11 लाख छात्र–छात्राओं एवं माध्यमिक स्तर पर 2.21 लाख छात्राओं को इसका लाभ प्राप्त हुआ है ।

7 मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम :–

योजना में औसतन 206 कार्य दिवसों तक पका हुआ भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है । प्रदेष के 146 विकासखण्डों के 32901 शालाओं के करीब 2931838 विद्यार्थी दर्ज है जिनमें से 2280519 लाभान्वित हो रहे हैं ।

मध्यान्ह भोजन केन्द्रो के प्रबंधन, मॉनीटरिंग एवं मूल्यांकन हेतु 127.77 लाख का व्यय प्रस्तावित है । इसमें बाह्य एजेन्सी के द्वारा मूल्यांकन कराया जाएगा । इस हेतु जिला मुख्यालय में कम्प्यूटर आपरेटर रखा जावेगा ।

वर्ष 2008–09 में प्राथमिक स्तर पर 16047, माध्यमिक स्तर पर 12206 किचन शेडों का निर्माण किया गया ।

विगत चार वर्षों की विषेष पहल एवं उल्लेखनीय उपलब्धियां :–

1 स्कूल षिक्षा विभाग में 4206 प्राथमिक, 5622 मिडिल, 269 हाईस्कूल तथा 144 हायर सेकेण्डरी स्कूल प्रारंभ किए गए ।

2 विगत चार वर्षों में षिक्षाकर्मी–1 के 2769 पद, षिक्षाकर्मी–2 के 20948 एवं षिक्षाकर्मी वर्ग–3 के 27558 इस प्रकार कुल 51275 पदों की स्वीकृति प्रदान कर पद भरने की कार्यवाही की गई ।

3 विगत चार वर्षों में 7608 प्राथमिक शाला भवन, 6700 पूर्व माध्यमिक विद्यालय भवन, 6902 प्राथमिक शालाओं में अतिरिक्त कमरा निर्माण, 3253 पूर्व माध्यमिक शालाओं के लिए अतिरिक्त कमरे का निर्माण, 1976 प्राथमिक शालाओं के लिए शौचालय एवं 1550 पूर्व माध्यमिक शालाओं के लिए शौचालय तथा 2228 विद्यालयों के लिए पेयजल की व्यवस्था की गइ । 565 हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल के भवन निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है ।

4 छत्तीसगढ़ सूचना शक्ति योजनान्तर्गत शहरी क्षेत्र की छुटी हुई 40 हजार बालिकाओं को योजना का लाभ प्रदान किया गया । इस प्रकार वर्ष में योजनान्तर्गत कुल 1.86 लाख बाालिकाएं लाभान्वित हो रही है ।

राजीवगांधी शिक्षा मिशन

सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य से 6 वर्ष से 14 वर्ष के समस्त बच्चों को 5 वर्ष के प्राथमिक शिक्षा 2007 तक तथा 8 वर्ष की प्रारंभिक परीक्षा 2010 तक जनसहभागिता से उपलब्ध कराना है । वर्ष 2007–08 में 418 प्राथमिक शाला, 471 उच्च माध्यमिक शाला भवन खोले गये एवं 4652 शिक्षा गारण्टी शाला का प्राथमिक शाला का प्राथमिक शाला में उन्नयन किया गया । वर्ष 2008–09 में नामांकन दर्ज बालकों के कक्षा 1 से 8 तक 32.55 लाख बालिकाएं एवं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के बालकों को ष्षाला प्रारंभ होने के साथ निःषुल्क पाठ्यपुस्तकों का वितरण किया गया एवं अध्ययनरत बच्चों की गुणवत्ता पूर्ण षिक्षा सुनिष्चित करने हेतु प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए बाल मित्र संयुक्त अभ्यास पुस्तिका एवं ग्रेडिंग कार्ड उपलब्ध कराई गई है ।

1. शिक्षकों का प्रषिक्षण :– शिक्षक प्रषिक्षण ग्रीष्मावकाष में ही प्रारम्भ किया जाकर 115642 षिक्षकों को 20 दिवसीय एवं 13707 षिक्षको को 30 दिवसीय प्रषिक्षण दिया गया ।

2. निःषक्त बच्चों की षिक्षा :–समावेषी षिक्षा के अन्तर्गत 41672 निःषक्त बच्चे चिन्हाकित है । माह जुलाई अगस्त में ALIMCO कानपुर सहयोग से निःसक्त बच्चों की जांच एवं आवष्यकता निर्धारण हेतु जिला मुख्यालय एवं विकास खण्ड स्तर पर 54 स्थानों पर सर्जरी

योग्य निःषक्त बच्चों को चिन्हाकित कर प्रमाण पत्र दिया गया । 3452 विषेष आवष्यकता वाले बच्चों को सहायक उपकरण उपलब्ध कराया गया है ।

3. ज्ञान ज्योंति केन्द्र :– आदिवासी जिलों में ऐसे ग्राम/बसाहट जहॉ 6–14 वर्ष आयु के 10 बच्चे उपलब्ध होनें पर प्राथमिक शाला खोलने का निर्णय लिया गया है जिसे ''ज्ञान ज्योंति केन्द्र'' नाम दिया गया है । इसके अंतर्गत 8 आदिवासी जिलें में 1361 ज्ञान ज्योंति केन्द्र खोले गये है वर्ष 2007–08 इस हेतु 9 नये भवनों का कार्य प्रगति पर है । अभी तक कुल 6895 बालक/बालिकाएँ अध्ययनरत है ।

स्वास्थ्य सेवायें

राज्य में एलोपैथिक चिकित्सा प्रणाली के अंतर्गत चिकित्सा महाविद्यालय से संबंद्ध चिकित्सा संस्थाओं को छोड़कर मुख्य रूप से 15 जिला चिकित्सालय, 129 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 707 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 17 शहरी सिविल अस्पताल, 16 शहरी परिवार कल्याण केन्द्र, 4694 उप स्वास्थ्य केन्द्र तथा सभी जिला चिकित्सालय में स्थापित क्षय रोग केन्द्रों द्वारा स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध कराई जा रही हैं । इसके अतिरिक्त, सामानान्तर रूप से आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होम्योपैथिक के अन्तर्गत एक महाविद्यालय, 06 जिला आयुर्वेदिक हास्पिटल एक फार्मेसी, 691 आयुर्वेद यूनानी एवं होम्योपैथी औषधालयों द्वारा स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध कराई जा रही है । साथ ही साथ क्षेत्रीय स्वास्थ्य प्रषिक्षण केन्द्र (आर.एच.एफ डब्लू.टी.सी) अन्तर्गत जिला स्तरीय प्रषिक्षण केन्द्र 14 जनरल नर्सिंग ट्रेनिंग सेन्टर 04 महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता स्कूल 06 एवं पुरूष स्वास्थ्य कार्यकर्ता स्कूल 03 कार्यरत हैं ।

राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम :–

वर्ष 2002 से विजन 2020 कार्यक्रम भारत शासन द्वारा प्रारंभ किया गया है । छत्तीसगढ़ राज्य में वर्ष 2007–08 के लिए 1.00 लाख मोतियाबिंद नेत्र ऑपरेशन के लक्ष्य के विरूद्ध दिसम्बर 2008 तक प्रदेष में कुल 48609 मोतियाबिंद आपरेशन किए गए है जिसमें 46075 आपरेषन आई.ओ.एल. पद्धति से किए गए हैं । प्रदेष की उपलब्धि वार्षिक लक्ष्य के 48. 61 प्रतिषत एवं अनुपातिक लक्ष्य 75000 का 64.81 प्रतिशत रही है। गत वर्ष इसी अवधि की तुलना में 1024 आपरेषन अधिक हुए हैं ।

वर्ष 2008–09 में दिसम्बर 2008 तक प्रदेष के 5055 स्कूलों में 443205 छात्रों के नेत्र परीक्षण किए गए जिसमें 10465 छात्रों में दृष्टि दोष पाया गया है समीक्षा अवधि तक 4683 निःषुल्क चष्मों का वितरण किया गया है । वर्ष 2008–09 में नेत्र दान से 74 नेत्र प्राप्त हुए जिसमें से 70 नत्र प्रत्यारोपण किए जा चुके हैं ।

राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम : पुनरीक्षित राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित सभी जिलों की टी.यू. एवं एम.सी. की जानकारी निम्नानुसार है :–

क्र.	जिला	डीटीसी	टी.यू	एम.सी	प्रोज. जनसंख्या
1	रायपुर	1	6	34	3421424
2	दुर्ग	1	6	27	3185732
3	राजनांदगांव	1	3	14	1457481
4	बिलासपुर	1	5	23	2266184
5	धमतरी	1	2	9	799992
6	कांकेर	1	3	13	740597
7	रायगढ़	1	3	17	1438461
8	कबीरधाम	1	2	8	664794
9	जांजगीर–चांपा	1	3	12	1496514
10	महासमुन्द	1	2	9	978061
11	कोरबा	1	4	13	1150830
12	जशपुर	1	3	18	841165
13	जगदलपुर	1	5	24	1480724
14	कोरिया	1	3	11	665690
15	दन्तेवाड़ा	1	3	14	817611
16	सरगुजा	1	8	41	2240736
	योग	**16**	**61**	**287**	**23645997**

RNTCP संचालित सभी जिलों में 1 जनवरी सितम्बर 2008 में 26753 नये संदेहास्पद क्षय रोगियों की जांच की गई जिसमें 2952 धनात्मक क्षय रोगी पाये गये जिसमें से डाट्स के अन्तर्गत 2537 धनात्मक सहित 6721 क्षय रोगी निःषुल्क उपचाररत है । राज्य का धनात्मक क्षय रोगियों का उपचार दर 83 प्रतिषत, सफलता दर 88 प्रतिषत एवं नये खोजे गये वार्षिक रोगियों का दर 53 प्रतिषत तथा नये खखार धनात्मक रोगियों वार्षिक दर 52 प्रतिषत है ।

विवरण	1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2008 तक	1 अप्रैल 2008 से सितम्बर 2008 तक
खखार की जांच की संख्या	111083	55137
धनात्मक रोगियों की संख्या	11554	5721
स्पूटम निगेटिव की संख्या	10953	5504
एक्स्ट्रा पल्मोनरी की संख्या	3051	1667
माह के अन्त में उपचार रत कुल क्षय रोगी	9253	4428

राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम : इस कार्यक्रम का उद्देश्य है, कि समाज में छिपे सभी रोगियों को खोजकर उन्हे बहुऔषधि उपचार नियमित एवं पूर्ण दिलाकर रोग पर नियंत्रण कर लिया जाये ताकि रोग का प्रसार रूक जाये व रोग की प्रभावी दर एक व्यक्ति अथवा कम प्रति 10,000 जनसंख्या हो जाये ।

छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना के समय प्रदेश की कुष्ठ प्रभाव दर 8.2 प्रति 10,000 थी, जो कि माह मार्च 2008 में 2.83 प्रति दस हजार है । वर्तमान में दिसम्बर 2008 तक उपचाररत रोगी संख्या 5468 है जिन्हे नियमित बहुऔषधी उपचार निःशुल्क दिया जा रहा है । वे विकास खण्ड जिसका प्रभाव दर दो या दो से अधिक था वहॉ परामर्ष वं सघन प्रचार प्रसार द्वारा कुष्ठ संबंधी जानकारी देकर स्व–प्रेरणा जांचकेन्द्र में आने हेतु अभियान चलाया जा रहा है ।

विवरण	31 मार्च की स्थिति में						2008 दिसम्बर
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	
कुल मरीजों की संख्या	15482	12918	7994	4515	3322	7784	5731
नये सेदहात्मक मरीज	18468	15385	13110	9040	6052	5465	5468

परिवार कल्याण कार्यक्रम : परिवार कल्याण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जनसंख्या की वृद्धि दर पर नियंत्रण करना है । इस हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण नीति में मुख्य रूप से वर्ष 2010 तक प्रदेश में जन्म दर का स्तर 21 प्रति हजार जनंसख्या जो वर्तमान 26.5 प्रति हजार है तथा शिशु मृत्यु दर 30 प्रति हजार है । जीवित जन्म तक लाये जाने हेतु राष्ट्रीय जनसंख्या नीति एवं शिशु स्वास्थ्य संबर्धन कार्यक्रमों का पालन छत्तीसगढ़ राज्य में किया जा रहा है इसके अतिरिक्त सकल प्रजनन दर में अपेक्षाकृत कमी लाते हुए इसे 2.1 पर लाना है । गर्भ निरोघक साधनों के माध्यम से लक्ष्य दम्पति संरक्षण दर 65 प्रतिशत तक लाना है । वर्ष 2007–08 में यह दर राज्य स्तरीय माध्यमों से 63.89 प्रतिशत रही । जिसमें स्थायी गभनिरोधक साधनों से लक्ष्य दंपति संरक्षण दर 42.54 प्रतिशत रही है।

परिवार कल्याण कार्यक्रम का क्रियान्वयन स्वैच्छिक आधार पर तथा समुदाय की आवष्यकतानुसार स्थायी तरीके के रूप में नसबंदी तथा अस्थायी अन्तराल विधि के रूप में लूप निवेषन निरोध एवं ओरल पिल्स के उपयोग को बढ़ावा दिया गया है । परिवार कल्याण कार्यक्रम को जनोन्मुखी बनाने के लिए पुरूष तथा महिला नसबंदी आपरेषन स्वीकार कर्ता को प्रदाय की जाने वाली छतिपूर्ति राषि में वृद्धि की गई है ।

परिवार कल्याण कार्यक्रम अन्तर्गत वर्ष 2007–08 में नसबंदी 153836 व्यक्तियों द्वारा कराई गई जोकि लक्ष्य का 95.70 प्रतिशत है । इसी तरह लूप निवेशन 118616 द्वारा अपनाई गई जोकि लक्ष्य का 88.40 प्रतिशत है । निरोध उपयोगकर्ताओं की संख्या 335506 रही जोकि लक्ष्य का 91.38 प्रतिशत है । इसी तरह ओरल पिल्स उपयोगकर्ता 238376 रही जोकि लक्ष्य का 94.56 प्रतिशत है । वर्ष 2008–09 में माह दिसम्बर तक नसबंदी स्वीकारकर्ता की संख्या 73460 है (39.10 प्रतिषत), लूप निवेषन 80259 (66.88 प्रतिषत), निरोध उपयोगकर्ता 228704 (61.19 प्रतिषत) एवं ओरल पिल्स उपयोगकर्ता 171000 (66.64 प्रतिषत) है ।

मातृ एवं शिशु कल्याण कार्यक्रम :–

मातृ एवं शिशु कल्याण के अन्तर्गत वर्ष 2007–08 में गर्भवती महिलाओं को राष्ट्रीय टीकाकरण अन्तर्गत टी.टी.के 632910 टीके दिये गये जोकि लक्ष्य का 93.15 प्रतिशत है । इसी तरह डी.पी.टी. पोलियों एवं मीजल्स के ड्राप/इन्जेक्शन 5 साल तक के बच्चों को लगाये गये । जिसमें डी.पी.टी 587434 (95.83%) पेालियो 587165 (95.79%) बीसीजी 601299 (98.10%) एवं मीजल्स 588513 (96.01%) प्रतिशत टीके/ड्राप दिये गये ।

वर्ष 2008–09 में दिसम्बर 2008 तक टी.टी.के 499705 टीके दिये गये जोकि लक्ष्य का 63.07 प्रतिशत है । इसी तरह डी.पी.टी. पोलियों एवं मीजल्स के ड्राप/इन्जेक्शन 5 साल तक के बच्चों को लगाये गये । जिसमें डी.पी.टी 362836 (57.25%) पेालियो 379785 (59.52%) बीसीजी 431445 (68.07%) एवं मीजल्स 413326 (65.21%) प्रतिशत टीके/ड्राप दिये गये ।

षिषु स्वाास्थ्य एवं मातृ स्वास्थ्य :–

वर्ष 2007–08 में षिषु स्वास्थ्य रक्षा हेतु 610200 (98.50 प्रतिषत) षिषुओं को विटामिन ए के खुराक दिये गये एवं मातृ स्वास्थ्य के अन्तर्गत गर्भवती महिलाओं को 3 ए.एन.सी. चेकअप 542389 (83.29 प्रतिषत) आई.एफ.ए. टेबलेट का वितरण 557894(83.18 प्रतिषत) संस्थागत प्रसव 149025 (26.44 प्रतिषत) एवं निरीक्षित प्रसव 530947 (94.20 प्रतिषत) हुए । वर्ष 2008–09 में माह दिसम्बर तक षिषु स्वास्थ्य रक्षा हेतु 546775 (86.87 प्रतिषत) षिषुओं को विटामिन ए के खुराक दिये गये एवं मातृ स्वास्थ्य के अन्तर्गत गर्भवती महिलाओं को 3 ए. एन.सी. चेकअप 393941 (83.17 प्रतिषत) आई.एफ.ए. टेबलेट का वितरण 420092 (60.25 प्रतिषत) संस्थागत प्रसव 129922 (31.37 प्रतिषत) एवं निरीक्षित प्रसव 392630 (94.80 प्रतिषत) हुए ।

पल्स पोलियों अभियान : राष्ट्रव्यापी पल्स पोलियों अभियान की सफलता का अन्दाज इसी तथ्य से लगाया जा सकता है कि विगत 3 वर्षो में एक भी धनात्मक प्रकरण प्रदेश में दर्ज नहीं हुआ है । पल्स पोलियों अभियान अन्तर्गत वर्ष 2007–08 में प्रथम चरण 06 जनवरी 2008 में 3515702 (99.88%) बच्चों को दवा पिलाई गयी है । द्वितीय चरण 10 फरवरी 2008 को 3525020 (100.00%) बच्चों को दवा पिलाई गई ।

राष्ट्रीय मलेरिया रोधी कार्यक्रम, छत्तीसगढ़ : छत्तीसगढ़ राज्य मलेरिया की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील है । अतः विश्व बैंक की सहायता से वर्ष 1997 से आदिवासी प्राथमिक स्वा. केन्द्रों में ई.एम.सी.पी. एवं शेष प्राथ. स्वा. केन्द्रो में राष्ट्रीय मलेरिया रोधी कार्यक्रम के माध्यम से मलेरिया नियंत्रण किया जा रहा है ।

राज्य में मलेरिया रोधी कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2007 में 3447058 स्लाइड (रक्त पट्टी) का मलेरिया हेतु परीक्षण का लक्ष्य था जिसमें उपलब्धियॉ 3447058 स्लाइड की रही । इस परीक्षण में 145949 पॉजिटिव पाई गयी जिसमें से 107321 पैल्सीफैरम मलेरिया पाए गए जो पिछले वर्ष 2006 की तुलना में कम है । वर्ष 2007 में एक भी मौत मलेरिया से नही हुई है । सिलेक्टिव वेक्टर कन्ट्रोल के अन्तर्गत कीटनाशक दवा का छिड़काव जैविक नियंत्रण व्यक्तिगत सुरक्षा एवं स्वास्थ्य शिक्षा के कार्यक्रम संचालित किए जा रहे है । दवा छिड़काव के अन्तर्गत राज्य के 13 जिलों में डीडीटी एवं कांकेर, दन्तेवाड़ा एवं जगदलपुर में सिन्थेटिक पायरेथ्राइड का छिड़काव किया जा रहा है ।

जैविक नियंत्रण हेतु लार्वा भक्षी गम्बूजिया मछली का पालन एवं वितरण किया जाता है जिसके लिए 6327 हैचरी गावों में बनाई गई है ।

संजीवनी कोष : गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले रोगियों के गंभीर बिमारियों के इलाज हेतु संजीवनी कोष की स्थापना की गई है जिसमें गंभीर दुर्घटनाओं, बिमारियों एवं प्राकृतिक आपदा पीड़ित व्यक्तियों को ईलाज हेतु 25000 रूपये से 1.5 लाख की सहायता मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थानों में ईलाज कराने पर दी जाती है । वर्ष 2007–08 में ऐसे 544 व्यक्तियों को 5.53 करोड़ की राशि दी गई । वर्ष 2008–09 में अब तक 289 व्यक्तियों को 2. 65 करोड़ की राशि ईलाज हेतु दी गई ।

राज्य एड्स नियंत्रण कार्यक्रम : मेडिकल कालेज रायपुर एवं बिलासपुर में जोनल ब्लड टेस्टिंग सेन्टर मेजर ब्लड बैंक कार्यरत हैं, राज्य के सभी 16 जिलों एवं 32 सामुदायिक केन्द्रों में कुल 52 आई.सी.टी.सी (समेकित परामर्ष केन्द्र) स्थापित हैं एवं 48 नये केन्द्रो को अतिषीघ्र प्रारंभ किया जा रहा है । राज्य में 13 ब्लड बैंक हैं एवं राज्य के सभी जिले में एस.टी.डी. क्लीनिक कार्यरत है जहॉ यौन रोगों के जांच के लिए महिला एवं पुरूषों के लिए पृथक–पृथक सुविधा उपलब्ध है । वर्तमान में राज्य में 32 सेटीनल सर्वेलेंस साइटस कार्यरत हैं । वर्ष 2007–08 में 03 नये ब्लड बैंक प्रारंभ किए गए हैं । और नये स्वेच्छिक परामर्श जॉच केन्द्र स्थापित किये जाने हेतु एड्स नियंत्रण संगठन नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त हो गया है । अब तक 48 वी. सी.टी.सी. एवं 33 एस.टी.डी. क्लिनिक एवं 04 सी.टी. सेंटर कार्यरत है ।

ब्लड बैंक के द्वारा रिपोर्ट की गई एचआईबी पाजिटिव/एड्स मरीजों की संख्या की संख्या 700, वीसीटीसी/आईसीटीसी के द्वारा इन मरीजों की संख्या 3353 एवं पीपीटीसीटी के द्वारा 29 एचआईवी पाजिटिव पाये गये हैं । इस तरह पाजिटिव महिलाओं का 36 प्रतिषत एवं पुरूषों का 64 प्रतिषत है । सर्वाधिक 43 प्रतिषत 25 से 34 आयु वर्ग के महिला/पुरूषों में एचआईवी/एड्स पाजिटिव पाये गये हैं ।

एआरटी सेंटर में अब तक 2063 मरीजों का पंजीयन किया गया । जिसमें 706 महिलायें 1204 पुरूष एवं पंजीकृत बच्चों की संख्या 153 है जिसमें बालक 91 एवं बालिकाएं 62 पंजीकृत हैं । जानकारी ही बचाव है इस बावत रेल्वे रिजर्वेषन फार्म के पीछे, टोल प्लाजा बैंक, आकाषवाणी, दूरदर्षन प्रमुख ष्षहरों के सुरक्षा चौराहे पर एवं कालेज स्तर पर रेड रिबन क्लब के माध्यम से एचआईव्ही/एड्स नियंत्रण कार्यक्रम का प्रचार प्रसार किए जा रहे हैं । अब तक 29 ऐसे क्लब का गठन किया गया है जो कालेज स्तर पर युवाओं को नियंत्रण ही बचाव संबधी जानकारी जन सामान्य को मुख्यधारा में जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है ।

जिलेवार एचआईवी पाजिटिव :–

क्र.	जिला	एचआईवी पाजिटिव
1	रायपुर	1840
2	दुर्ग	559
3	राजनांदगांव	435
4	बिलासपुर	350
5	रायगढ़	125
6	सरगुजा	66
7	जगदपुर	182
8	कांकेर	48
9	कोरबा	120
10	महासमुन्द	138
11	धमतरी	54
12	कवर्धा	47
13	जांजगीर–चांपा	36
14	दन्तेवाड़ा	13
15	जषपुर	24
16	कोरिया	16
17	पीपीटीसीटी से प्राप्त	29
	ष्योग	4082

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

जल प्रदाय एवं स्वच्छता

ग्रामीण पेयजल आपूर्ति :–

भारत शासन के निर्देषानुसार पेयजल व्यवस्था सन् 2003 में पुनः सर्वेक्षण किया गया है। इसके अनुसार कुल 72775 बसाहटें षुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु चिन्हित की गई है। माह सितम्बर 2008 तक कुल 67340 बसाहटों में षुद्ध पेयजल उपलब्ध करा दिया गया है। भारत निर्माण कार्यक्रम के अंतर्गत दिनॉक 01.04.2008 की स्थिति में षेष 1061 (एन.सी. श्रेणी) स्त्रोत विहीन बसाहटो में षुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिसके विरूद्ध माह सितम्बर 2008 तक 582 (एन.सी. श्रेणी) स्त्रोत विहीन बसाहटों में षुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

पेयजल गुणवत्ता प्रभावित बसाहटों में षुद्ध **पेयजल प्रदाय :–**

पेयजल गुणवत्ता प्रभावित समस्त जल स्त्रोतों के उपचार अथवा वैकल्पिक पेयजल व्यवस्था हेतु विभाग कार्यवाही कर रहा है। भारत षासन के निर्देषानुसार वर्ष 2003 के सर्वेक्षण अनुसार चिन्हित 5021 पेयजल गुणवत्ता प्रभावित बसाहटें पाई गई है। जिनमें से 65 बसाहटों में कार्य पूर्ण कर लिया गया है। 548 पेयजल गुणवत्ता प्रभावित बसाहटों में कार्य प्रगति पर है। षेष 4408 पेयजल गुणवत्ता प्रभावित बसाहटों हेतु योजना बनाई जाकर भारत षासन को स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जा चुकी है।

ग्रामीण क्षेत्रों में हैण्डपंपों के माध्यम से पेयजल व्यवस्था :–

राज्य में कुल 192431 स्थापित हैण्डपंपों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराया गया है, जो राष्ट्रीय मापदण्ड प्रति 250 व्यक्तियों की तुलना में लगभग 92 व्यक्तियों में एक हैण्डपंप स्थापित कर पेयजल व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है, जो कि राज्य की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है।

ग्रामीण षालाओं में पेयजल व्यवस्था :–

भारत निर्माण योजना के अधीन चिन्हित समस्त 32796 षालाओं में पेयजल व्यवस्था का कार्य वर्ष 2007–08 तक पूर्ण किया जा चुका है। नई चिन्हित 2525 षालाओं में से माह सितम्बर 08 तक कुल 1224 षालाओं मे पेयजल व्यवस्था राज्य मद में उपलब्ध करा दी गई है। अब विभाग द्वारा आगामी वर्षो में षौचालयों एवं स्कूलों में टंकी तथा नल से पानी उपलब्ध कराने का कार्य प्रांरभ किया जा रहा है।

नलजल–योजना :–

नल–जल योजना का क्रियान्वयन केन्द्रीय गतिवर्धित कार्यक्रम तथा न्यूनतम आवष्यक कार्यक्रम के अन्तर्गत किया जाता है। पच्चीस लाख रूपये से अधिक लागत की योजनाएं बजट में स्कूटनाईज मद तथा 25 लाख रूपये से कम लागत की योजनाओं को विभागीय बजट के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। 1975 स्वीकृत नलजल प्रदाय योजनाओं में से 1136 योजनायें पूर्ण की जाकर संचालन–संधारण हेतु संबंधित ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित की जा चुकी है। 130 योजनायें आंषिक रूप से पूर्ण है, जिनसे ग्रामवासियों को पेयजल प्रदाय किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त 709 योजनाओं के कार्य प्रगति पर है।

स्पॉटसोर्स योजना :–

स्पॉटसोर्स योजना कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेष में 2198 स्पॉटसोर्स योजनाएं स्वीकृत है, जिनमें से 1330 योजनाओं को पूर्ण कर जल प्रदाय प्रारंभ है तथा संचालन–संधारण हेतु सम्बधित ग्राम पंचायतों को हस्तातरित की जा चुकी है तथा 868 स्पॉटसोर्स योजनाओं के कार्य प्रगति पर है।

सम्पूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम :–

राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिषन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के सम्पूर्ण जिलो के लिए जनभागीदारी से क्रियान्वित की जाने वाली सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान अंतर्गत व्यक्तिगत गृह षौचालय के निर्माण हेतु बी.पी.एल. परिवारों को 1500 रूपये प्रति हितग्राही सहयोग राषि दिया जाना प्रस्तावित है। गरीबी रेखा के नीचे परिवारों की कुल संख्या 1553540 एवं गरीबी रेखा से ऊपर परिवारों की कुल संख्या 1811886 है। सम्पूर्ण परियोजना की लागत 442.11 करोड़ रूपये है, जिसमें कुल निर्मित निजी षौचालयों की संख्या बी.पी.एल. 521039 एवं ए.पी.एल. 410321 है।

कुल निर्मित स्कूल सेनेटरी काम्पलेक्सों की संख्या 31925 एवं आंगनबाड़ी स्वच्छता परिसर में 5483 काम्पलेक्स का निर्माण पूर्ण किया गया है। सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान को बढ़ावा देने हेतु भारत षासन ने निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना षुरू की गई है, जिसकें अंतर्गत विगत वर्ष में राज्य की 116 ग्राम पंचायतों को यह पुरस्कार मिला।

शहरीय क्षेत्र :–

राज्य में कुल 110 षहर/नगर है। जिनका निकायों के गठन की दृष्टि से वर्गीकरण क्रमषः नगर पालिका निगम 10, नगर पालिका परिषद–28 एवं नगर पंचायत–72 है। नगरीय नलजल प्रदाय योजनाओं की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है :–

नगरों की श्रेणी	कुल	पूर्ण	प्रगतिरत योजनाएं
नगर निगम	10	3	7
नगर पालिका	28	7	21
नगर पंचायत	72	42	30
कुल योग	**110**	**52**	**58**

वर्तमान में केन्द्र सरकार द्वारा अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट स्कीम फार स्माल एण्ड मिडियम टाऊन (UIDSSMT) कार्यक्रम के अंतर्गत 3 नगरीय जल प्रदाय योजना क्रमषः बिलासपुर (4142.60 लाख) रायगढ़ (1524.50 लाख) तथा कोण्डागांव (451.00 लाख) एवं जवाहरलाल नेहरू नेषनल अर्बन रिन्यूवल मिषन (JU-NURM) कार्यक्रम के अंतर्गत रायपुर जलप्रदाय योजना लागत रू. 303.64 लाख की स्वीकृति हुई है। जिनके कार्य प्रगति पर है।

तकनीकी शिक्षा

छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में 39 इंजीनियरिंग महाविद्यालय तथा 15 पॉलिटेक्निक संस्थायें है । 39 इन्जीनियरिंग महाविद्यालय में 03 शासकीय 33 निजी एवं 03 स्वशासी स्ववित्तीय संस्थायें है । हाल में ही शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय रायपुर को नेशनल इन्स्टीट्यूट आफ टेक्नालॉजी का दर्जा प्राप्त हुआ है एवं वर्ष 2006–07 से एन.आई.टी.ने कार्य करना प्रारंभ कर दिया है । राज्य में बी. ईं पाढ्यक्रम की कुल प्रवेश क्षमता एन.आई.टी के अलावा 11880 एवं पॉलिटेक्निक में 2830 हैं 08 निजी संस्थायें फार्मेसी विषय में डप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित कर रही हैं । इन महाविद्यालायें में 810 विद्यार्थियों की प्रवेश क्षमता है । इन महाविद्यालयों में इन्फार्मेशन टेक्नालाजी, इलेक्ट्रानिक्स, टेली–कम्यूनिकेशन, बायोटेक, बायो मेडिकल, कम्प्यूटर साइंस, एवं परम्परागत पाठ्यक्रम– सिव्हिल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कैमिकल इंजीनियरिंग, माइनिंग तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम– इनर्जी, वाटर रिसोर्स एवं कम्प्यूटर टेक्नालाजी के कोर्स संचालित है ।

वर्ष 2006–07 में यू.टी.आई. पं. रविषंकर षुक्ल विष्व विद्यालय रायपुर का अधिग्रहण कर नवीन षासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय प्रारंभ किया गया है । 240 प्रवेष क्षमता वाले इस महाविद्यालय में इलेक्ट्रानिक्स एण्ड टेलीकम्यूनिकेषन, कम्प्यूटर साईंस, इलेक्ट्रिकल, मेकेनिकल एवं इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम संचालित है । वर्ष 2007–08 में सिविल इंजीनियरिंग का नया पाठ्यक्रम सम्मिलित किया गया है । साथ ही ष्षासकीय कन्या पालिटेक्निक राजनांदगांव में सी.डी.डी.एम एवं इलेक्ट्रानिक्स के नये पाठ्यक्रम सम्मिलित किए गए हैं ।

सत्र 2007–08 में राज्य शासन ने तीन नवीन पॉलिटेक्निक कबीरधाम, महासमुन्द एवं जॉजगीर–चॉपा में प्रारंभ किये गये है । राज्य शासन द्वारा पॉलिटेक्निक विहीन जिलों में पॉलिटेक्निक की स्थापना सतत जारी है । बी.ई. की कुल सीटों में सत्र 2006–07 की तुलना में 79 प्रतिशत एवं डिप्लोमा में 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । वर्ष 2007–08 में स्वषासी एवं स्व वित्तीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय कोरबा में प्रस्तावित है । जिसके लिए 50 एकड़ जमीन चिन्हित की जा चुकी है । षासकीय पालिटेक्निक खैरागढ़ में प्रिन्टिग टेक्नालाजी रायगढ़ मे मेटलर्जी एवं प्रोडक्सन इंजीनियरिंग तथा कोरबा में पॉवर प्लान्ट इंजीनियरिंग में पोस्ट डिप्लोमा पाठ्यक्रमों हेतु अखिल भारतीय तकनीकी षिक्षा परिषद से स्वीकृति प्राप्त की गई है ।

राज्य में 8 संस्थाओं में एम.सी.ए. पाठ्यक्रम संचालित है दो संस्थायें स्व–षासी एवं 6 निजी संस्थान है जिसकी प्रवेष क्षमता 525 है । राज्य में 8 संस्थाओं में एम.बी.ए. पाठ्यक्रम संचालित है दो संस्थायें स्व–षासी एवं 6 निजी संस्थान है जिसकी प्रवेष क्षमता 780 है ।

राज्य में रविषंकर विष्वविद्यालय में 12 तथा गुरू घासीदास विष्वविद्यालय बिलासपुर में प्रवेष क्षमता के साथ एम.फार्मा पाठ्यक्रम संचालित है ।

राज्य में बी. फार्मेसी के 7 षिक्षण संस्थान है जिसमें दो स्व–षासी पांच निजी षिक्षण संस्थायें है जिसमें कुल 540 सीटे है ।

वर्ष 2007–2008 की विभागीय योजना हेतु रू. 2644.17लाख बजट स्वीकृत किया गया है । इसमें स्वामी विवेकानन्द विश्वविद्यालय हेतु रू. 270.00 लाख का अनुदान, शासकीय इन्जीनियरिंग महाविद्यालयों में उपकरण हेतु 716.00 लाख एवं शासकीय पालीटेक्निक संस्थाओं में उपकरण खरीदी हेतु 470.00 लाख रू. स्वीकृत किया गया है ।

राज्य शासन ने सत्र 2007–08 में बी.पी.एल. छात्रों हेतु छात्रवृत्ति योजना लागू की है । प्रवेश की तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की फीस फ्री स्कीम के तहत मेरिट आधार पर महिला विकलॉग एवं आर्थिक दृष्टि से कमजोर छात्र–छात्राओं को ट्यूशन फीस मॉफ की जाती है । यह लाभ कुल क्षमता की 10 प्रतिशत सीटों पर उपलब्ध है ।

उच्च शिक्षा

1. छत्तीसगढ़ राज्य के 154 शासकीय 195 अषासकीय अनुदान रहित एवं 06 अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों में लगभग 86595 छात्र छात्रायें अध्ययनरत हैं जिसमें लगभग 12677 छात्र अनुसूचित जाति तथा 18818 छात्र अनुसूचित जनजाति के हैं एवं लगभग 26837 अन्य पिछड़ावर्ग के छात्र/छात्रायें अध्ययनरत हैं ।

2. 12 शासकीय महाविद्यालयों को उत्कृष्टता मूलक संस्थान घोषित किया गया है । इसी प्रकार 8 महाविद्यालयों को स्नातकोत्तर महाविद्यालय का दर्जा दिया जा रहा है । तथा दो महिला महाविद्यालयों की स्थापना की गयी है ।

3. शासकीय विज्ञान महाविद्यालय रायपुर को विज्ञान संस्थान के रूप में उन्नत किया जा रहा है एवं 17 शासकीय महाविद्यालयों में व्यवसायिक पाठ्यक्रम प्रारंभ किए जा रहे हैं ।

4. 21 महाविद्यालयों में अंग्रजी लेब की स्थापना की गई ।

5. पं. रविषकर षुक्ल विष्वविद्यालय में अकादमिक स्टाफ कालेज का भवन निर्माण अन्तर्गत 10.00 करोड़ रू. के विरूद्ध 8.37 करोड़ रू. व्यय किया गया है । इसी तरह बस्तर में विष्वविद्यालय कैम्पस का निर्माण एवं गुरूघासीदास कैम्पस भवन का निर्माण प्रस्तावित है ।

6. अनुसूचित जाति एवं जन जाति के 13990 छात्रों को निःषुल्क पुस्तकें एवं स्टेषनरी प्रदाय किया गया है जिस पर 46.72 लाख रू. व्यय किए गए ।

7. समस्त शासकीय महाविद्यालयों में अनुसूचित/अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं को पी.जी.डी.सी.ए., डी.सी.ए. का प्रशिक्षण निःशुल्क दिया जा रहा है ।

8. छत्तीसगढ़ साहित्य अकादमी की स्थापना की गई है ।

9. वर्ष 2007–08 में 15 शासकीय महाविद्यालय खोले गये है जिसमें 01 महिला महाविद्यालय भी शामिल है ।

10. राष्ट्रीय सेवा योजनान्तर्गत पल्स–पोलियो अभियान में 5120 छात्र/छात्राओं द्वारा 40803 घरों में जाकर अभियान को सफल बनाया । वृक्षारोपण कार्यक्रम के अन्तर्गत कालेज प्रांगण में 88495 पौधों का रोपण किया गया । इसी योजना के अन्तर्गत वर्ष 2007–08 में 416149 यूनिट रक्तदान महाविद्यालयीन छात्र/छात्राओं एवं स्टाफ द्वारा किया गया ।

11. बिलासपुर जिले के ग्राम कोटा एवं रायपुर जिले के ग्राम गुल्लु में 02 नवीन विष्व विद्यालय की स्थापना निजी क्षेत्र में की गई है ।

12. बी.पी.एल. छात्र योजनान्तर्गत 2624 विद्यार्थियों को 8.94 लाख रू. की छात्रवृत्ति दी गई है ।

समाज सेवा

समाज कल्याण द्वारा विभिन्न जनहितकारी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन, प्रभावशील अधिनियमों एवं कार्यक्रमों से संबधित दायित्वों को सम्पादन किया जा रहा है । निराश्रित वृद्ध विधवा, परित्यक्ता एवं निःशक्त व्यक्तियों के देख–रेख तथा किशोर न्याय अधिनियम अन्तर्गत बालकों की देख–रेख एवं बाल संप्रेक्षण गृह आदि कार्यक्रम प्रभावशील है ।

1. सामाजिक सहायता कार्यक्रम

1.1 सामाजिक सुरक्षा पेंशन :– इस योजनान्तर्गत 60 वर्ष या अधिक आयु के वृद्ध एवं 50 वर्ष या अधिक आयु का निराश्रित विधवा या परित्यक्ता महिलाएं एवं 6 वर्ष से अधिक आयु के निराश्रित विकलांग बच्चों को 200 रू. मासिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जा रही है । गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों के 6 से 14 वर्ष तक आयु वर्ग के स्कूल जाने वाले विकलांग बच्चे ही वह निराश्रित न हो, को पेंशन की पात्रता है । पेंशन की पात्रता केवल राज्य के निवासियों के लिये ही है । इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2007–2008 में 9596.23 लाख रूपये व्यय किए गए जिससे 710013 हितग्राही लाभान्वित हुए । वर्ष 2008–09 में 6006.46 रूपये व्यय कर 742814 हितग्राहियों को आर्थिक सुरक्षा पेंषन दी गई ।

1.2 राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना : राज्य शासन द्वारा जुलाई, 1996 से संचालित भारत सरकार की राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना तथा राज्य द्वारा क्रियान्वित सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का एकीकरण किया जाकर युक्तियुक्तकरण किया गया है । फलस्वरूप, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना तथा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के हितग्राहियों को 300 रूपये प्रति माह एकमुश्त पेंशन दी जा रही है । राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत वर्ष 2007–2008 में 8987.70 लाख रूपये व्यय कर 437218 हितग्राहियों को भुगतान किया गया । वर्ष 2008–2009 में माह सितंबर तक 5098.88 लाख रूपये व्यय कर 446309 हितग्राहियों को जीवन यापन हेतु वृद्धावस्था पेंषन दी गई ।

1.3 राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना :–योजनान्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे के परिवार के 18 वर्ष से अधिक एवं 65 वर्ष से कम आयु के मुख्य कमाऊ सदस्य की मृत्यु होने पर 10,000 रू. दिये जाते हैं । भारत सरकार द्वारा शत–प्रतिशत राशि उपलब्ध कराई जाती है । इस योजनान्र्तगत वर्ष 2007–2008 में 9645 हितग्राहियों को 964.50 लाख की सहायता प्रदान की गई है । वर्ष 2008–2009 में 4742 हितग्राहियों को 474.23 लाख रूपये की सहायता दी गई ।

1.4 सुखद सहारा योजना :– इसके अन्तर्गत 18–50 वर्ष तक की विधवा/परित्यक्ता व निराश्रित महिलाओं को 200 रूपये प्रतिमाह–पेंशन राशि स्वीकृत की जाती है । वर्ष 2007–2008 में 170522 हितग्राहियों को राशि रू. 3851.19 लाख रूपये का भुगतान किया गया है । वर्ष 2008–2009 में 185232 हितग्राहियों को 2160.07 लाख रूपये की सहायता दी गई ।

1.5 स्वैच्छिक संस्थाओं को राज्य अनुदान :–

निःशक्त (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्णभागीदारी) अधिनियम 1995 के प्रावधान अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा निम्न योजनायें संचालित की जा रही हैं । शैक्षणिक कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा अस्थि वाधितों हेतु रायपुर एवं राजनांदगांव में विद्यालय संचालित हैं । मंद बुद्धि बच्चों के लिए रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, जगदलपुर, व बिलासपुर में विद्यालय संचालित हैं । इन स्वैच्छिक संस्थाओं को विभाग द्वारा वर्ष 2007–08 में राशि रू. 103.02 लाख रूपये अनुदान स्वीकृत किया गया है जिसमें 1727 मंद वुद्धि बच्चे लाभान्वित हुए । वर्ष 2008–2009 में 1365 मंदबुद्धि विकलांग बच्चों के लिए 46.47 लाख रूपये व्यय किये गये ।

2. निःशक्त जनों के लिए छात्रवृत्ति योजनाः– वित्तीय वर्ष 2007–2008 में इस मद में राशि रू. 86.66 लाख रूपये की छात्रवृत्ति 1327 निःशक्त हितग्राहियों को वितरित की गई । छात्रवृत्ति हेतु अभिभावकों की आय सीमा 8000 प्रतिमाह एवं 40 प्रतिशत से अधिक हितग्राहियों की निःशक्तता आवश्यक है । वर्ष 2008–2009 में 5758 बच्चों को 29.00 लाख रूपये की छात्रवृत्ति दी गई है ।

3. कृत्रिम अंग उपकरण प्रदाय योजनाः– इस योजना के अन्तर्गत निःशक्त जनों को ट्रायसिकल, बैसाखी, कृत्रिम अंग, श्रवण यंत्र, बेंत की छड़ी आदि उपलब्ध कराये जाते हैं । इस योजना अन्तर्गत निःशक्तों को संसाधन सेवायें उनकी आय सीमा रू. 5000 मासिक साथ ही रू. 5000 से अधिक एवं रू. 8000 तक आय सीमा होने पर संबधित हितग्राही को भारत सरकार की सहायक यंत्र उपकरणो की खरीद/फिटिंग के लिए विकलांग की सहायता योजना के अन्तर्गत 50 प्रतिशत राशि की पूर्ति की जाती है । वर्ष 2007–08 में रू. 163.48 लाख रूपये की राशि राज्य मद से व्यय कर 6361 व्यक्तियों को यंत्र उपकरण प्रदाय किए गए । वर्ष 2008–2009 में माह सितंबर तक 1392 व्यक्तियों को यंत्र उपकरण खरीदी हेतु 36.45 लाख रूपये व्यय किये गये ।

4. निःषक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना : निःषक्तजनों को सामाजिक पुनर्वसन एवं स्वालंबी बनाने के उद्देष्य से 21000 रूपये प्रति विवाहित जोड़े को प्रदाय किया जाता है । विवाह योग्य 18 से 45 आयु की महिलाओं एवं 21 से 45 आयु के पुरूष जिसमें से एक अथवा दोनों व्यक्तियों को निःषक्त हो योजनान्तर्गत लाभान्वित करने का प्रावधान है । वर्ष 2007–08 में 454 जोड़े को 95.34 लाख रूपये एवं वर्ष 2008–09 में 290 विवाहित दंपत्ति को 60.90 लाख रूपये की सहायता की गई ।

5. समाज रक्षा कार्यक्रम : किशोर न्याय अधिनियम 2000 के तहत विधि अवरूद्ध बच्चों हेतु राज्य के 16 जिलों में किषोरों के संरक्षण, भरण–पोषण, चिकित्सीय देख–रेख एवं पुनर्वास की व्यवस्था हेतु संस्थाएं संचालित की गई है । जिसमें अवरूद्ध बच्चों को व्यवसायिक प्रषिक्षण एवं आर्थिक सहायता दी गई है । वित्तीय वर्ष 2007–08 में इस योजना पर रू.122.77 लाख रूपये व्यय किये गये एवं 309 हितग्राहियों को पुनर्वास सेवाएँ उपलब्ध करायी गई । वर्ष 2008–09 में सितंबर, 2008 तक 91. 79 लाख रूपये व्यय किए गए जिससे 320 किशोरों को लाभान्वित किया गया है ।

6. **वरिष्ठ नागरिकों के लिए कार्यक्रम :–** प्रदेष के निराश्रित एवं निर्धन व्यक्तियों को सहायता अधिनियम 1970 अन्तर्गत अषासकीय संस्थाओं एवं स्थानीय निकायों को वृद्धा आश्रम संचालन करने हेतु जिले में संग्रहित निराश्रित निधि की व्याज राषि से पात्रतानुसार 90 प्रतिषत राषि प्रदाय की जाती है । वृद्ध जनों के लिए देखभाल केन्द्र सचल चिकित्सा यूनिट विभागीय मान्यता प्राप्त प्रदेष में 12 वृद्धाश्रम संचालित है । जहॉ 300 वृद्धजन लाभान्वित हो रहे है । वर्ष 2007–08 में केन्द्रीय अनुदान 2.11 लाख रूपये वृद्धाश्रम को दिये गये है ।

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास

(1) शालेय शिक्षा :– राज्य में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास विभाग द्वारा प्राथमिक स्तर से उच्चतर माध्यमिक स्तर की शालायें संचालित की जा रही है । विभाग द्वारा 13442 प्राथमिक शालाएँ 2590 माध्यमिक शालाएँ 419 हाई स्कूल 519 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय 5 आदर्श उच्च्तर माध्यमिक विद्यालय 5 कन्या शिक्षा परिसर 8 एकलव्य आवासीय विद्यालय एवं 12 खेल परिसर संचालित है ।

(2) राज्य छात्रवृत्तियाँ :– अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों वर्ग के विद्यार्थियों को कक्षा 3 से 10 तक निरंतर विद्या अध्ययन के लिए प्रोत्साहित करने हेतु शासन द्वारा 10 माह हेतु छात्रवृत्ति दी जाती है । वर्ष 2007–08 में 369085 अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को 837.43 लाख रूपये की छात्रवृत्तियाँ दी गई एवं अनुसूचित जनजाति

773925 विद्यार्थियों को 585.40 लाख की छात्रवृत्तियाँ दी गई । अन्य पिछड़ा वर्ग के 780500 विद्यार्थियों को 848.02 लाख रूपये की छात्रवृत्तियॉ दी गई है ।

वर्ष 2008–09 में 153284 अनुसूचित जाति, 125864 जनजाति एवं 823349 अन्य पिछा वर्ग के विद्यार्थियों को सितंबर, 2008 तक क्रमषः 461.82, 372.00 एवं 562.52 लाख रूपये की छात्रवृत्ति दी गई ।

(3) पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियाँ :– कक्षा 11 वी एवं इससे उपर में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को वर्ष 2007–08 में क्रमशः 23.78, 03.25 एवं 1162.00 लाख राशि की छात्रवृत्ति दी गई जिसमें अनुसूचित जाति के 55681, अनुसूचित जनजाति 63956 एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के 94814 छात्र/छात्राएँ लाभान्वित हुए ।

वर्ष 2008–09 में अनुसूचित जाति के 23884 एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के 84641 विद्यार्थियों को क्रमषः 10.46 एवं 743.70 लाख राशि की छात्रवृत्ति दी गई ।

(4) अस्वच्छ धंधों में लगे लोगों के बच्चों के लिए छात्रवृत्तियाँ :– अस्वच्छ धंधों में कार्यरत बच्चों को शिक्षा के प्रति आकर्षित करने हेतु कक्षा पहली से दसवी तक के छात्र–छात्राओं को यह विशेष छात्रवृत्ति दी जाती है । इसके अलावा सहाता अनुदान भी दिया जाता है । वर्ष 2007–08 में 17374 छात्र–छात्राओं को 192.72 लाख की राशि छात्रवृत्ति के रूप में दी गई । वर्ष 2008–09 में 2755 छात्र–छात्राओं को माह सितंबर तक 25.48 लाख की राशि छात्रवृत्ति के रूप में दी गई ।

(5) छात्रावास :– प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विद्यार्थियों के लिए 1554 छात्रावास संचालित है । प्रवेशित छात्र को 10 माह के लिये शिष्यवृत्ति प्राप्त करने के लिए पात्रता है । वर्ष 2007–08 में इन वर्गों के क्रमशः 12284, 45063 विद्यार्थियों को 821.03, 1847.98 लाख की राशि छात्रवृत्ति के रूप में दी गई । वर्ष 2008–09 में माह सितंबर, 2008 तक 12284 अनुसूचित जाति एवं 45063 जनजाति के विद्यार्थियों को क्रमषः 385.25 एवं 717.13 लाख रूपये सितंबर तक की छात्रवृत्ति दी गई है ।

(6) आश्रम शाला योजना :– प्रदेश के वनाँचल एवं दूरस्थ क्षेत्रों में जहॉ शैक्षणिक सुविधा नही है आश्रम शाला योजना की व्यवस्था है जिसमें प्राथमिक स्तर के 823 एव माध्यमिक स्तर के 201 आश्रम शालाएँ संचालित है । इन आश्रमों में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्र–छात्राओं को वर्ष 2007–08 में क्रमशः 158.12, 3006.21 लाख रूपये छात्रवृत्तियाँ दी गई जिसमें 1651 एवं 58362 छात्र–छात्राएँ लाभान्वित हुई है । वर्ष 2008–09 में उपरोक्त छात्र/छात्राओं को माह सितंबर, 2008 तक 87.90 एवं 2024.62 लाख रूपये की छात्रवृत्तियॉ दी गई है ।

(7) निःशुल्क गणवेश प्रदाय :– अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग के कक्षा पहली से आठवी तक के बालक–बालिकाओं को निःशुल्क गणवेश प्रदाय किया जा रहा है । वर्ष 2007–08 में 388899 छात्र–छात्राओं को 812.00 लाख रूपये के गणवेश वितरण किये गये । वर्ष 2008–09 में 248196 विद्यार्थियों को 815.00 लाख रूपये की राशि गणवेश हेतु जारी की गई है ।

(8) निःशुल्क सायकल प्रदाय :– नवमी एवं दसवी में अध्ययनरत छात्राओं विद्यालय आने जाने की सुविधा हेतु निःशुल्क सायकल दिये गये है । वर्ष 2007–08 में 2645 अनुसूचित जाति एवं 15674 अनुसूचित जनजाति को निःशुल्क सायकल प्रदाय किये गये है जिस पर क्रमशः 47.50, 330.99 लाख रूपये व्यय किये गये है । वर्ष 2008–09 में कुल 29450 सायकल प्रदाय करने हेतु 464.50 लाख रूपये की राशि आवंटित की गई है ।

(9) कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना :– योजनान्तर्गत ऐसी कन्याएँ जो पॉचवी कक्षा उत्तीर्ण कर आगे पढ़ाई जारी हेतु प्रवेश लेती है उन्हें 500 रू. प्रतिवर्ष की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाती है । वर्ष 2007–08 में 24386 अनुसूचित जाति की कन्याओं को 149.54 लाख एवं अनुसूचित जनजाति की 54571 कन्याओं को 269.19 लाख रूपये की राशि प्रोत्साहन के रूप में दी गई । वर्ष 2008–09 में 32130 कन्याओं हेतु 106.65 की राशि का वितरण करने का प्रावधान है ।

(10) अत्याचार निवारण अधिनियम :– सवर्ण जाति के द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के प्रति किये गये अत्याचारों के फलस्वरूप हुई हानि की पूर्ति अंतर्गत जरूरतमन्द परिवारों को तुरंत राहत योजना लागू की गई वर्ष 2007–08 में ऐसे 18 परिवारों को 75. 09 लाख की वित्तीय सहायता दी गई है ।

(11) प्रशिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति :– माध्यमिक शिक्षा मण्डल की परीक्षा में बैठने वाले छात्र–छात्राओं की परीक्षा प्रतिपूर्ति शासन द्वारा की जा रही है वर्ष 2007–08 में 7204 अनुसूचित जाति एवं 6576 अनुसूचित जनजाति के छात्र–छात्राओं को क्रमशः 58.60 एवं 80.51 लाख रूपये की राशि परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ति के रूप में दी गई है ।

(12) मध्यान्ह भोजन योजना :– प्राथमिक शालाओं में छात्र–छात्राओं की दर्ज संख्या में वृद्धि एवं नियमित उपस्थिति में प्रोत्साहन के लिये यह योजना वर्ष 1995 से लागू की गई है जिसके अंतर्गत छः वर्ष से बारह वर्ष आयु समूह के बच्चों को गर्म भोजन दिया जाता है वर्ष 2007–08 में 13.10 लाख रूपये बच्चों को गर्म भोजन प्रदाय किया गया वर्ष 2008–09 में 16.86 लाख रूपये बच्चों को दोपहर गर्म भोजन दिया जा रहा है । वर्ष 2007–08 में

2799.96 लाख रूपये एवं वर्ष 2008–09 में माह सितंबर 2008 तक 983.52 लाख रूपये व्यय किये गये ।

(13) अशासकीय संस्थाओं को अनुदान :– अनुसूचित जाति/जनजाति के शैक्षणिक उन्नयन के लिये कार्य करने वाली शाला, छात्रावास, बालवाड़ी, महिलाओं हेतु सिलाई केंद्र आदि के लिये अनुदान देने का प्रावधान है । योजनान्तर्गत वर्ष 2007–08 में 33 संस्थाओं को 738.79 लाख रूपये एवं वर्ष 2008–09 में सितंबर 2008 तक इन्हीं संस्थाओं को 171.26 लाख का अनुदान दिया गया था ।

(14) विशेष पिछड़ी जनजाति अभिकरण :– राज्य में विशेष 5 पिछड़ी जनजातियाँ अबूझ माड़िया, कमार, पहाड़ी कोरवा, बिरहोर एवं बैगा के विकास हेतु विशेष अभिकरण का गठन किया गया है । जिनके द्वारा 202 अधोसंरचना के कार्य, समुदायिक कार्य तथा परिवार मूलक कार्य संपादित किये जाते है । वर्ष 2007–08 में 431.42 लाख रूपये की लागत से अधोसंरचना के कार्य एवं वर्ष 2008–09 में 168.19 लाख रूपये व्यय कर 18 सामुदायिक एवं पारिवारिक मूलक कार्य संपन्न किये गये ।

(15) अनुसूचित जाति विकास :– राज्य के सघन अनुसूचित जाति क्षेत्रों में निवासरत लोगों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के उद्देश्य से इस प्राधिकरण का गठन किया गया है । वर्ष 2007–08 में 986 कार्य हेतु 2816.73 लाख रूपये का व्यय बस्तर एवं दक्षिण आदिवासी विकास विकास हेतु एवं 861 कार्य हेतु 3187.97 लाख रूपये व्यय किये गये । वर्ष 2008–09 में क्रमषः 861, 830 नये कार्य हेतु 3187.97 एवं 3500.11 लाख रूपये माह सितंबर, 2008 तक व्यय किये गये है ।

16) एकीकृत आदिवासी परियोजनाएँ :– आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में एकीकृत विकास योजना, माडा पॉकेट एवं लघु अंचलों का गठन किया गया है । राज्य में 19 परियोजनाए एवं 9 माडा पॉकेट एवं 2 लघु अंचल संचालित है । परियोजनान्तर्गत निर्धारित भौतिक लक्ष्य एवं उपलब्धियॉ निम्नानुसार है :–

विवरण	वर्ष/वर्ग	उपलब्धि	व्यय
परियोजना	2007–08	19	3964.65
	2008–09(सितंबर, 08)	19	777.27
माडापॉकेट	2007–08	09	388.92
	2008–09(सितंबर, 08)	09	8.58
लघु अंचल	2007–08	02	53.84
	2008–09(सितंबर, 08)	02	0.78

(17) आदिवासी विकास अभिकरण :– बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र तथा सरगुजा एवं उत्तर क्षेत्र के अंचलों में त्वरित तथा सर्वांगिण विकास हेतु आदिवासी विकास प्राधिकरणों का गठन किया गया है जिसमें समस्त सांसद, विधायक, अध्यक्ष जिला पंचायत, समाज सेवी, मुख्य सचिव, सचिव एवं आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग को शामिल किया गया है । वर्ष 2007–08 में 1218 नवीन कार्य हेतु 2702.20 लाख रूपये एवं बस्तर हेतु एवं 1023 नये कार्य हेतु सरगुजा विकास प्राधिकरण द्वारा 3507.82 लाख रूपये व्यय किये गये है ।

(18) ज्ञान प्रोत्साहन योजना :– इस योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति के मेघावी छात्र/छात्राओं को जो दसवी एवं बारहवी बोर्ड परीक्षाओं में अधिकतम अंकों से उत्तीर्ण हुए हों, को 10 हजार प्रोत्साहन राशि दी जाती है । प्रत्येक वर्ष 541 आदिवासी एवं 249 अनुसूचित जाति के वर्ग को प्रोत्साहन करने हेतु क्रमषः 53.00 एवं 31.27 लाख रूपये की राषि प्रोत्साहन के रूप में दी गई है । यह योजना वर्ष 2008–09 से लागू की गई है ।

(19) स्वस्थ्य तन स्वस्थ्य मन योजना :– विभागीय छात्रावास/आश्रमों में निवासरत छात्र/छात्राओं का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण हेतु छात्र/छात्राओं के लिये 23.49 लाख रूपये की राषि छात्रावास में निवासरत 543 छात्रों/छात्राओं के स्वास्थ्य परीक्षण/उपचार हेतु व्यय किये गये है ।

(20) वाहन चालक प्रोत्साहन योजना :– अनुसूचित जाति एवं जनजाति युवकों को वाहन चालक का प्रषिक्षण उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 2008–09 से योजना लागू की गई है जिसमें इन वर्गों के 265 युवाओं को 30.00 लाख रूपये तक व्यय करने हेतु जिला स्तर पर आबंटित की गई है ।

(21) एअर हॉस्टेस प्रषिक्षण योजना :– वर्ष 2007–08 में 36 अनुसूचित जाति/जनजाति के युवतियों को एअर हॉस्टेस प्रषिक्षण दिया जा रहा है । इसी तरह वायुयान पायलेट प्रषिक्षण योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग में प्रत्येक वर्ग से तीन–तीन व्यक्तियों का चयन कर निःषुल्क प्रषिक्षण दिया जा रहा है । वर्ष 2007–08 में इस योजना पर 135.00 लाख रूपये व्यय किये गये है ।

महिला एवं बाल विकास

बच्चों का समुचित शारीरिक, मानसिक एवं बौद्विक विकास, स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति में सुधार के साथ–साथ महिलाओं का सामाजिक, आर्थिक, स्वास्थ्य, पोषण की स्थिति में सुधार लाने तथा इन्हें अपने हित के प्रति जागरूक करने के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु राज्य सरकार द्वारा निम्नांकित मुख्य राज्य एवं केन्द्र प्रवर्तित योजनाऐं क्रियान्वित की जा रही हैं ।

एस.आर.एस. बुलेटिन के अनुसार वर्ष 2004 में शिशु मृत्यु दर की संख्या में निम्नानुसार परिवर्तन दर्ज किया गया है :–

देश/प्रदेश	वर्ष 2002 कुल	वर्ष 2005 कुल	वर्ष 2005 ग्रामीण	वर्ष 2005 शहरी
भारत	63	58	64	40
छत्तीसगढ़	73	63	63	62
मध्यप्रदेश	82	79	84	56

पोषण आहार कार्यक्रम :

छत्तीसगढ़ राज्य में महिला एवं बाल विकास के अन्तर्गत कुल 152 बाल विकास परियोजनाएं हैं । इनमें से 50 (ग्रामीण) परियोजनाओं में स्थानीय व्यवस्था, 06 (शहरी) परियोजनाओं में स्थानीय व्यवस्था पोषण आहार कार्यक्रम संचालित है, शेष 96 (ग्रामीण) परियेाजनाएं केयर पोषित है । इनमें भारत शासन स्तर पर गठित जी.ई.ए.सी. कमेटी का क्लियरेंस प्राप्त न होने से केयर खाद्यान्न प्रदाय में उत्पन्न व्यवधान के कारण वैकल्पिक व्यवस्था के तहत भारत शासन के निर्देशों के आधार पर राज्य शासन द्वारा तत्काल निर्णय लिया जाकर खाद्यान की स्थानीय व्यवस्था सुनिश्चित की गई है ताकि हितग्राही बच्चे एवं महिलाएं पोषण आहार कार्यक्रम से वंचित न रहने पायें । वर्तमान में 146 (ग्रामीण) बालविकास परियोजनाओं में स्थानीय व्यवस्था के अन्तर्गत दलिया तथा 6 शहरी परियोजनाओं एवं 2 विशेष पोषण आहार कार्यक्रम के अन्तर्गत रेडी टू ईट पोषण आहार उपलब्ध कराया जा रहा है । योजनान्तर्गत 163 बालविकास परियोजनाये है जिसमें 34935 आंगनवाड़ी केन्द्र हैं । इसके अतिरिक्त भारत शासन द्वारा 2319 अतिरिक्त बालवाड़ी केन्द्र तथा 05 शहरी बाल विकास परियोजनाएॅ स्वीकृत की गई है । वर्तमान में लगभग 6 माह से 6 वर्ष के आयु तक के 18.50 लाख 0–6 आयु वर्ग के बच्चों तथा 5.05 लाख गर्भवती–शिशुवती माताओं तथा 8.61 किशोरी बालिकाओं को प्रतिदिन लाभान्वित किया जा रहा है । वित्तीय वर्ष 2007–08 में पोषण आहार कार्यक्रम पर कुल 150.47 करोड़ रू. तथा वित्तीय वर्ष 2008–09 में माह सितम्बर 2008 तक 68.08 करोड़ रू. व्यय किया गया है ।

किषोरी बालिकाओं से संबधित नेशनल न्यूट्रीशन मिशन योजना :– इस योजना अन्तर्गत भारत षासन द्वारा सरगुजा जिले का चयन किया गया है । योजनान्तर्गत 11 से 15 वर्ष की 30 किलोग्राम से कम किषोरी बालिका तथा 15 से 19 वर्ष की 35 किलोग्राम से कम बजन की किषोरी बालिका को 6 किलोग्राम बी.पी.एल. दर का चावल दिये जाने का प्रावधान है । वित्तीय वर्ष 2008–09 में इस योजना हेतु 376.36 लाख रू. की केन्द्रीय सहायता प्राप्त हुई है योजनान्तर्गत हितग्राहियों की संख्या लगभग 94000 है ।

आई.सी.डी.एस सेवा योजना :– 0 से 6 वर्ष तक के आयु के बच्चों में कुपोषण अत्यधिक शिशु एव मातृ मृत्यु दर जैसी गम्भीर समस्या रही है । भारत सरकार ने प्रत्येक 1000 की आबादी पर एक आंगनवाड़ी केन्द्र आरंभ किया गया जिसका उद्देश्य बच्चों को सम्पूर्ण विकास कुपोषण शिशु मृत्यु मातृ मृत्यु एवं शाला त्यागने की प्रवृत्ति का कम करना । स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा के माध्यम से बच्चों की उचित देख भाल हेतु माताओं की क्षमता का विकास करना तथा अन्य विभागों से समन्वय स्थापित करना है । वर्ष 2006–07 में 05 नवीन परियोजनाओं सहित कुल 5500 आंगनवाड़ी एवं 1483 मिनी ऑगनबाड़ी केन्द्र के माध्यम से जहॉ 0 से 03 आयु वर्ग के 12.28 लाख, 3–6 आयु वर्ग के 9.38 लाख बच्चे तथा 5.22 लाख गर्भवती व धातृ महिलाओं दर्ज कर लाभान्वित किया जा रहा है ।

स्वयं सिद्धा (एकीकृत महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम) : राज्य स्थापना के पश्चात प्रदेश के 17 विकास खण्डों में स्वयंसिद्धा परियोजना प्रारंभ की गई है । स्वंयसिद्धा योजना के अन्तर्गत राज्य संचालित 17 विकास खण्डों में कुल 1620 स्व–सहायता समूह गठित है जिसकी सदस्य संख्या 20806 है । माह जून 2007 की स्थिति में सभी 1620 समूहों के पास कुल रू. 2.41 करोड़ की राशि जमा है । 1403 समूह इन्टरलोनिंग कर रहे हैं । 1263 समूह बैंक लिंकेजेस से एवं छत्तीसगढ़ महिला कोष से रू. 1375 समूहों द्वारा जिसमें 16375 महिलाओं के विभिन्न आय उपार्जक गतिविधियां प्रारंभ कर दी गई है ।

छत्तीसगढ़ महिला कोष :–

महिलाओं को ऋण/आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराने की योजनाओं का संवर्धन, पोषण और उनमें सहायता देना सम्मिलित है । वर्तमान में महिला कोष द्वारा 10636 महिला एवं स्व–सहायता समूहों को रू. 892.85 लाख रूपये की राशि ऋण के रूप में उपलब्ध कराये गये । कोष द्वारा जारी ऋण वितरण नीति के अनुसार प्रत्येक समूह को प्रथम क्रम 10000/– रू. तक का ऋण तथा सफलता पूर्वक भुगतान पश्चात 20000 रू. तक एक मुश्त ऋण प्रदान करने का प्रावधान है । जोकि शहरी एवं ग्रामीण दोनो क्षेत्र में प्रभावशील है । प्रदत्त ऋण पर स्व–सहायता समूह से 5.5 प्रतिशत एवं अशासकीय समिति से 6.50 प्रतिशत ब्याज गणना का प्रावधान है । प्रदायित ऋण के विरूद्ध वसूली लगभग 78.22 प्रतिशत है । वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु भौतिक लक्ष्य 4000 स्व–सहायता समूह एवं 4.00 करोड़उ रू. का ऋण वितरण किया जावेगा ।

कौषल उन्नयन योजना का संचालन वर्ष 2007–08 से प्रारंभ किया गया है । जिसमें आय उपार्जन से जुड़े महिला स्व सहायता समूहों को 03 दिवसीय प्रषिक्षण प्रदान कर कौषल वृद्धि की गई है । वर्ष 2008–09 में 2500 महिलाओं एवं वित्तीय लक्ष्य 6.25 लाख रू. रखा गया है जिसमें सितम्बर 2008 तक 480 महिलाओं को प्रषिक्षण हेतु 1.68 लाख रू. जारी की गई है उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम अन्तर्गत 800 महिलाओं को प्रषिक्षण हेतु 2.56 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है ।

किशोरी शक्ति योजनाः–

इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2007–08 में समस्त 158 बाल विकास परियोजनाओं में इस योजना को लागू किया गया इससे 47400 किशोरी बालिकाओं को को योजनान्तर्गत लाभान्वित किया गया । सामाजिक गतिविधियों से जोड़े जाने हेतु बालिकाओं के स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम के साथ–साथ स्व–सहायता समूह के तर्ज पर किशोरी बालिका समूह का गठन, गांवो में बाल विकास के नारे लेखन, कुपोषित बच्चों की देखभाल इत्यादि कार्य भी योजनान्तर्गत किए गये । वर्ष 2008–09 में एकीकृत बाल विकास परियोजना में षाला त्यागी 11 से 18 वर्ष आयु की 300 बालिकाओं का चयन कर स्वास्थ्य एवं पोषण से संबधित व्यवसायिक प्रषिक्षण दिया जायेगा । जिन्हे स्वास्थ्य परीक्षण हेतु आई.एफ.ए. टेबलेट सिकलसेल एनीमिया परीक्षण एवं कृमीनाषक टेबलेट दी जायेगी । साथ ही इन्हे आंगनवाड़ी केन्द्र की सेवाओं से संबंद्ध किया जायेगा ।

आयुष्मति योजना : (राजीव जीवन रेखा योजना में समाहित)

ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन एवं गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की महिलाओं को इलाज सुविधा उपलब्ध कराई जाती है । जिसके अन्तर्गत जिला/मेडिकल कालेज अस्पताल/खण्ड चिकित्सालयों में रोगी महिलाओं को एक सप्ताह तक उपचार हेतु भरती रहने पर 400 रू. तक तथा एक सप्ताह से अधिक भरती रहने पर 1000 रू. तक की चिकित्सा सुविधा के तहत इलाज दवायें टानिक एवं पोषण आहार आदि उपलब्ध कराया जाता है । यह अस्पताल में मिलने वाली निःशुल्क दवाओं के अतिरिक्त है । रोगी महिला के साथ आए परिचारक को भी सुविधाजनक विश्राम तथा दो समय के भोजन की सुविधा दी जाती है ।

वर्ष 2007–2008 में 22747 महिलाएं लाभान्वित की गई हैं जिन पर 80.84 लाख रू. व्यय हुए हैं । वित्तीय वर्ष 2008–09 में सितम्बर 2008 तक 5008 महिलाएं लाभान्वित हुई हैं तथा 21.61 लाख रू. व्यय हुए हैं ।

बालिका समृद्धि योजना :

योजना के अन्तर्गत 15 अगस्त 1997 के बाद गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार में जन्मी दो बालिकाओं के जन्म पर उनके नाम से 500 रूपये की सहायता राशि को फिक्सड् डिपाजिट किया जाता है । यह राशि बालिका एवं विभागीय अधिकारी के संयुक्त खाते में जमा की जाती है । बालिका के 18 वर्ष की होने पर ब्याज सहित यह राशि उसे प्रदान की जाती है । इस योजना के अन्तर्गत बालिका छात्रवृत्ति का भी प्रावधान है ।

वर्ष 2004–2005 में 18259 बालिकाएं लाभान्वित की गई हैं जिन पर 89.95 लाख रू. व्यय हुए हैं । वित्तीय वर्ष 2005–06 में जुलाई 2005 तक 115 बालिकाओं को लाभान्वित किया गया है ।

बाल संरक्षण गृह : संस्था में 18 वर्ष तक के कुष्ठ रोगियों के स्वस्थ्य बच्चों को आवास शिक्षण, भोजन, वस्त्र तथा प्रशिक्षण प्रदेश में स्थित पांच बाल संरक्षण गृह क्रमशः बालको हेतु जांजगीर, जगदलपुर तथा दुर्ग एवं बालिकाओं के लिए बिलासपुर तथा रायपुर में संचालित है ।

वर्ष 2007–08 में 187 बच्चे लाभान्वित किए गए हैं । वित्तीय वर्ष 2008–09 में सितम्बर 2008 तक 180 बच्चे लाभान्वित हुए है तथा 17.93 लाख रू. व्यय हुए हैं ।

बालवाड़ी सह संस्कार केन्द्र : 0–6 आयु वर्ष के बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए रायपुर तथा बिलासपुर में शासकीय बालवाड़ी सह–संस्कार केन्द्र संचालित है जहॉ सिलाई कढ़ाई बुनाई आदि का प्रशिक्षण भी दिया जाता है ।

वर्ष 2007–08 में 65 बच्चे एवं 30 महिलाएं लाभान्वित की गई है, जिन पर 4.30 लाख रू. व्यय हुए हैं । वित्तीय वर्ष 2008–09 में सितम्बर 2007 तक 65 बच्चे एवं 37 महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं तथा 1.77 लाख रू. व्यय हुए हैं ।

अध्याय–15

सहकारिता

राज्य में जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकः– वर्ष, 2007–08 में बैंकों की संख्या छः एवं इनकी कार्यरत शाखाओं की संख्या 198 है ।

वर्ष 2007–08 में बैंकों की अँशपूंजी घटकर 8290.37 लाख रू. हो गई इसमें राज्य शासन का अंशदान 799.14 लाख रूपये रहा । वर्ष 2006–2007 में बैंकों की अमानतें एवं कार्यशील पूँजी क्रमशः 159766.10 लाख रूपये एवं 209180.69 लाख रूपये थी । जो वर्ष 2007–2008 में क्रमशः 1.55, एवं 17.20 प्रतिषत बढ़कर 186593.36 एवं 252957.21 लाख रूपये हो गई । जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों द्वारा वर्ष 2007–2008 में 79891.90 लाख रूपये के ऋण वितरित किये गये जिसमें 71394.13 लाख़ रूपये अल्पकालीन एवं 8497.77 लाख रू. मध्यकालीन ऋण के रूप में हैं । इसी अवधि में बैंक का कुल बकाया ऋण 87938.90 लाख रूपयों का रहा । वर्ष 2007–2008 में पांच जिला सहकारी बैंकों को 3376.83 लाख़ रूपये का लाभ हुआ है, एवं एक बैंक का 156.38 लाख रू. की हानि हुई है ।

प्राथमिक सहकारी कृषि समितियॉ : राज्य में वर्ष 2006–2007 में प्राथमिक सहकारी कृषि साख समितियों की संख्या 1333 है, जो 2007–2008 के समान ही है । इन समितियों के सदस्यों की संख्या 2007–2008 में 21.28 लाख हो गई है ।

कुल सदस्यों में से 3 लाख 29 हजार अनुसूचित जाति, तथा 6 लाख 43 हजार अनुसूचित जन जाति के सदस्य हैं । प्राथमिक कृषि साख समितियों की अंशपूंजी वर्ष 2006–2007 में 26224.85 लाख रूपये थी । यह वर्ष 2007–2008 में कम होकर 24492.11 लाख रूपये हो गई है । कृषि साख समितियों द्वारा वर्ष 2007–2008 में 463.34 करोड़ रूपये का ऋण वितरित किया गया, जिसमें 320.85 करोड़ रूपये अल्पकालिन ऋण एवं 145.28 करोड़ रूपये मध्य कालिन ऋण के रूप में है । इसी अवधि में कुल ऋणी सदस्यों की संख्या 12 लाख 49 हजार रही जिसमें 1 लाख 90 हजार अनुसूचित जाति तथा 2 लाख 38 हजार सदस्य अनुसूचित जनजाति के रहे । वर्षान्त पर सोसायटियों की बैंकों की कुल बकाया ऋण राशि 550.58 करोड़ रूपये रही है ।

अध्याय–16

बचत एवं विनियोजन

अल्प बचत के अन्तर्गत संग्रहण : वर्ष 2008–2009 में 400.00 करोड़ रूपये लक्ष्य के विरूद्ध माह अगस्त 2008 तक (–2.83) ऋणात्मक संग्रहण किया गया । जिसका कारण अन्य वित्तीय संस्थाओं की अपेक्षा व्याज की राशि कम होने के कारण निवेषक अन्य वित्तीय संस्थाओं की ओर आकर्षित हो रहे हैं । अतः बचत योजनाओं में निवेषकों की रूचि कम हुई है ।

अधिसूचित वाणिज्यिक अधिकोष

राज्य में बैंकों की कुल संख्या 45 व शाखाओं की कुल संख्या 1416 हुई है । इनमें वाणिज्यिक बैंकों की संख्या 35 है जिसमें निजी क्षेत्र में 11, सार्वजनिक क्षेत्र में 22 व अन्य सार्वजनिक क्षेत्र में एक बैंक है । क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या तीन व सहकारी बैंकों की संख्या छः है । राज्य में बैकों की विभिन्न मदों के अंतर्गत प्रगति का विवरण इस प्रकार हैः–

राज्य में बैकिंग कार्यों की प्रगति

(राशि करोड़ रू. में)

क्र.	विवरण	मार्च 06	मार्च 07	वर्ष में वृद्धि	
				राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
1	शाखाओं की संख्या	1357	1416	59	4.35
2	कुल जमा	26014.97	31591.00	5576.03	21.43
3	कुल अग्रिम	15435.16	19085.30	3650.14	23.65
4	साख–जमा अनुपात	59.33	60.41	1.08	1.82
5	प्राथमिक क्षेत्र में अग्रिम	7400.73	8916.93	1516.20	20.49
6	कुल साख में से प्राथमिक क्षेत्र में अग्रिम प्रतिशत	47.95	46.72	-1.23	-2.56
7	कृषि में अग्रिम	3196.99	3861.00	664.01	20.77
8	कुल साख में से कृषि क्षेत्र में अग्रिम प्रतिशत	20.71	20.23	-0.48	-2.33
9	लघु उद्योगों में अग्रिम	1519.43	1858.74	339.31	22.33
10	अन्य प्राथमिक क्षेत्रों में अग्रिम	2684.31	3197.20	512.88	19.11
11	अन्य कमजोर वर्गो के लिए अग्रिम	1777.52	1999.10	221.58	12.47
12	कुल साख में से अन्य कमजोर वर्ग का प्रतिषत	11.52	10.47	-1.04	-9.04

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंको में जमा–ऋण राशि
मार्च के अन्तिम शुक्रवार की स्थिति (संदर्भ 9.1)

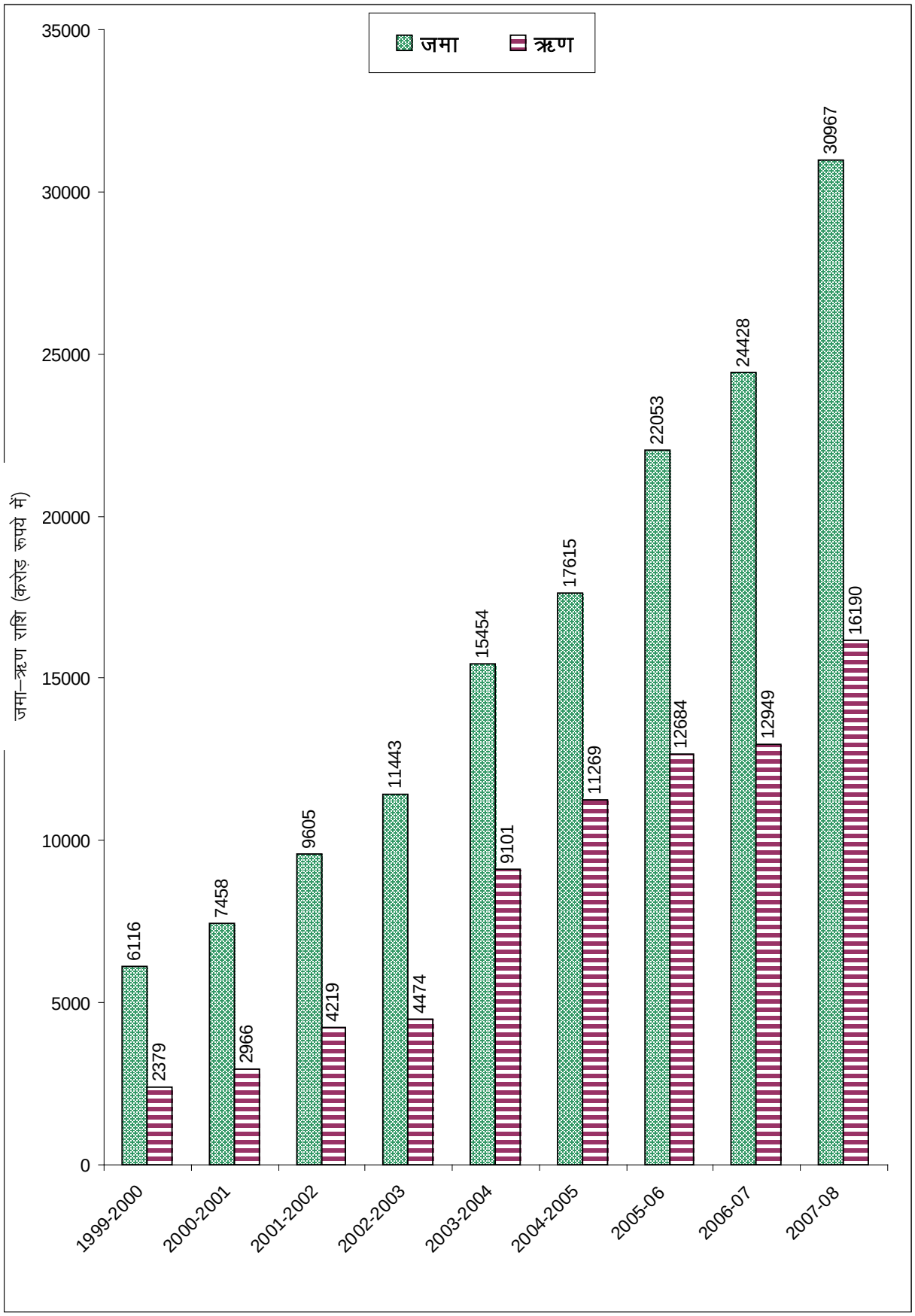

जमाः–राज्य में वित्तीय वर्ष 2007–08 में बैंकों द्वारा जमा की गई कुल राशि 31571.00 करोड़ रू. है जो गत वित्तीय वर्ष 2006–07 की तुलना में 21.43 प्रतिषत अधिक है । विगत वर्ष की तुलना में इस राशि में 5576.03 करोड़ रू. की वृद्धि दर्ज की गई है ।

अग्रिमः– वित्तीय वर्ष 2006–07 में बैंकों के ऋण की कुल राशि 15435.16 करोड़ रू. थी जो वित्तीय वर्ष 2007–08 में 23.65% बढ़ कर 19085.30 करोड़ रू. हो गई । इस प्रकार इसमें 3650.14 करोड़ रू. की वृद्धि दर्ज की गई ।

साख–जमा अनुपातः– यह किसी भी बैंक की कार्यक्षमता को मापने का एक महत्वपूर्ण मापदंड होता है । वित्तीय वर्ष 2007–08 में राज्य में बैकों का साख–जमा अनुपात 60.41% रहा । राज्य पुर्नगठन के पश्चात् से यह अनुपात सर्वाधिक है । विगत वर्ष इसी अवधि में यह अनुपात 59.33% था ।

प्राथमिक क्षेत्र में अग्रिमः– वित्तीय वर्ष 2006–07 में प्राथमिक क्षेत्र में अग्रिम की कुल राशि 7400.73 करोड़ रू. थी जो वित्तीय वर्ष 2007–08 में 20.49% बढ़ कर 8916.93 करोड़ रू. हो गई । प्राथमिक क्षेत्र में अग्रिम की सर्वाधिक वृद्धि कृषि क्षेत्र में 1516.20 करोड़ रू. दर्ज की गई है ।

कृषि अग्रिमः– वित्तीय वर्ष 2006–07 में कृषि अग्रिम की कुल राशि 3196.99 करोड़ रू. थी जो वित्तीय वर्ष 2007–08 में 20.77% बढ़ कर 3861.00 करोड़ रू. हो गई । इस प्रकार यह वृद्धि 664.01 करोड़ रू. रही । कुल साख की राशि में कृषि अग्रिम का प्रतिशत –2.33% रहा है ।

लद्यु उद्योगों में अग्रिमः– वित्तीय वर्ष 2006–07 में लद्यु उद्योगों में अग्रिम की कुल राशि 1519.43 करोड़ रू. थी जो वित्तीय वर्ष 2007–08 में 22.33% बढ़ कर 1858.74 करोड़ रू. हो गई । यह वृद्धि 339.31 करोड़ रू. है ।

अन्य प्राथमिक क्षेत्र में अग्रिमः– वित्तीय वर्ष 2006–07 में अन्य प्राथमिक क्षेत्र में अग्रिम की कुल राशि 2684.31 करोड़ रू. थी जो वित्तीय वर्ष 2007–08 में 19.11 प्रतिषत बढ़ कर 3197. 20 करोड़ रू. हो गई । यह वृद्धि 512.88 करोड़ रू. है ।

अन्य कमजोर वर्ग हेतु अग्रिमः– वित्तीय वर्ष 2006–07 में अन्य कमजोर वर्गो के लिए अग्रिम की कुल राशि 1777.52 करोड़ रू. थी जो 12.47% बढ़कर 1999.10 करोड़ रू. हो गई, यह वृद्धि 221.58 करोड़ रू. है ।

राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक

1. **उत्पादन ऋण :–** राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) देष का षिखर बैंक है, जो कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के लिए अन्य बैंको के माध्यम से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है, इस दिषा में कृषि क्षेत्र में उत्पादन वृद्धि हेतु केन्द्रीय सहकारी बैंक और ग्रामीण बैंक के माध्यम से वर्ष 2008–09 हेतु रूपये 334.50 करोड़ रूपये का बजट आबंटित किया गया है ।

2. **किसान क्रेडिट कार्ड** :– कृषकों की वित्तीय आवष्यकता को दृष्टि में रखते हुए, केन्द्रीय सहकारी बैंक एवं ग्रामीण बैंको और वाणिज्यिक बैंको को किसान क्रेडिट कार्ड निर्गमन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है । वर्ष 2007–08 में 313300 किसान क्रेडिट कार्ड वितरण के लक्ष्य के विरूद्ध 189714 किसान क्रेडिट कार्ड जारी किये गये और 987.13 करोड़ रू. का ऋण लिमिट स्वीकृत किया गया जबकि योजना प्रारंभ से अब तक 1310352 किसान क्रेडिट कार्ड हेतु रूपये 2719.16 करोड़ रूपये का अल्पावधि ऋण लिमिट स्वीकृत किया गया है ।

3. **सूक्ष्म ऋण साख योजना अन्तर्गत स्व–सहायता समूहों को बैंको के साथ जोड़ने का कार्यक्रम** :– स्व–सहायता समूह ग्रामीण निर्धन परिवारों की महिलाओं को सामूहिक रूप से सामाजिक और आर्थिक स्तर पर अपनी समस्याओं को पहचानने, अग्राधिकार देने और समस्याओं का समाधान करने में सहायता कर रहा है । उक्त योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य में 31 मार्च 2008 तक 98618 स्वसहायता समूह बैंक में बचत खाते खुले हैं, और 518217 स्व–सहायता समूह ने बैंक से रू. 80.31 करोड़ के ऋण प्राप्त किए हैं । स्व–सहायता समूहों के बैंको बढ़ावा देने हेतु जागरूकता कार्यक्रम क्षमता निर्माण कार्यक्रम सुदृढ़ीकरण विकास कार्यक्रम आदि हेतु 562 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है ।

4 **भारत सरकार की पूंजीगत विनियोजन संस्थायें :–**

(क) 31 मार्च 2008 तक ग्रामीण भंडारण योजना के अन्तर्गत 9048.12 लागत वाली 222 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है । और 1844.86 करोड़ की अनुदान सहायता जारी की गई है । इससे कुल 630045 मेट्रिक टन की अतिरिक्त भंडारन क्षमता निर्मित हुई है ।

(ख) 30 मार्च 2008 तक ष्षीतगृह येाजनान्तर्गत 4111.88 लाख की लागत वाले कुल 27 षीतगृहों को स्वीकृत दी गई है एवं 816.89 लाख की अनुदान सहायता दी गई है । इससे कुल 149382 मेट्रिक टन अतिरिक्त क्षमता का निर्माण हुआ है ।

(ग) 30 मार्च 2008 तक कृषि विपणन आधारित संरचना, श्रेणीकरण एवं मानकीकरण की कुल 3217.73 लाख रू. लागत वाली कुल 63 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है एवं 486.43 लाख की अनुदान सहायता जारी की गई है ।

(घ) 30 मार्च 2008 तक राष्ट्रीय जैविक खेती योजना के अन्तर्गत कुल 31.81 लाख लागत वाली कुल 60 परियोजनाओं की स्वीकृत दी गई एवं कुल 3.95 लाख की अनुदान सहायता जारी की गई है ।

अध्याय–17

संस्कृति, पुरातत्व एवं पर्यटन

(वर्ष 2007–08से 2008–09 तथा प्रस्तावित वर्ष 2009–2010)

1. **शोध संगोष्ठी :–** इस मद के अंतर्गत साहित्यिक, सांस्कृतिक एवं पुरातत्वीय गतिविधियों पर आधारित विषय पर राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय संगोष्ठी/कार्यशाला का आयोजन किया जाता है। विभाग द्वारा इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़ तथा कलेक्टर सरगुजा द्वारा पुरातत्वीय गतिविधियों पर आधारित संगोष्ठी के आयोजन हेतु उत्प्रेरक की भूमिका निभायी गई। वर्ष 2007–08 में बौद्ध धर्म और कला विषय पर संगोष्ठी, गांधी जयंती के अवसर पर संगोष्ठी, गुरू घासीदास जी के व्यक्तित्व व कृतित्व पर आधारित संगोष्ठी, हिन्दी दिवस के अवसर पर संगोष्ठी, विश्व धरोहर दिवस पर संगोष्ठी, संग्रहालय दिवस पर संगोष्ठी तथा पुरातत्वीय धरोहर विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसके लिए बजट में राशि रू. 15.00 लाख का प्रावधान था, जिसमें से उक्तानुसार आयोजनों में राशि रू. 14.80 लाख व्यय किया गया।

चालू वित्तीय वर्ष 2008–09 में रू. 18.00 लाख का बजट प्रावधान में राष्ट्रीय स्तर की 4 एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की 1 संगोष्ठी की जावेगी। माह सितम्बर 2008 तक राशि रू. 12.97 लाख व्यय किया गया।

वित्तीय वर्ष 2009–10 के लिए बजट में राशि रू. 20.00 लाख मांग प्रस्तावित है। जिसमें राष्ट्रीय स्तर की 4 पुरातत्व एवं संस्कृति विषय पर संगोष्ठियां तथा 2 अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियां सिरपुर उत्खनन तथा छत्तीसगढ़ में प्राचीन धरोहरों की सुरक्षा विषय पर की जावेगी।

2. **उत्खनन तथा सर्वेक्षण :–**

इस मद के अंतर्गत तहसीलवार एवं ग्रामवार सर्वेक्षण कर पुरातत्वीय धरोहर/ स्मारक संरचना, पुरावशेष की जानकारी एकत्रित करने हेतु जिला कलेक्टर के माध्यम से कार्य किए जाते हैं । पुरातत्वीय विरासत एवं धरोहर का संरक्षण कार्य किया जाता है। वर्ष 2005–06 में पुरातत्वीय नगरी ''सिरपुर'' का उत्खनन कार्य प्रारंभ किया गया। वर्ष 2007–08 में इस योजना के लिए राशि रू. 50.00 लाख का बजट प्रावधान था, जिसमें राशि रू. 46.43 लाख का व्यय किया गया। इस व्यय में सिरपुर में 16 टीलों का उत्खनन कार्य उसमें मरम्मत, सुधार, पाथवे का निर्माण कार्य किया गया, जिसमें 01 महल, 07 शिवालय, 07 रिहायशी स्थल

एवं 04 बौद्ध विहार प्रकाश में आये है। इसके साथ ही पेन्ड्रा रोड, जिला बिलासपुर कोटा, तखतपुर, मुंगेली एवं मस्तुरी तहसीलों का पुरातत्वीय सर्वेक्षण कार्य तथा जिला कबीरधाम (कवर्धा) की तहसील सहसपुर लोहारा का ग्रामवार पुरातत्वीय सर्वेक्षण किया गया।

वित्तीय वर्ष 2009–10के लिए शहीद स्मारक भवन में स्थानांतरित ग्रंथालय को विकसित करने हेतु राशि रू. 100.00 लाख प्रस्तावित किए गए है। इसमें भवन का सौंदर्यीकरण, ग्रंथालय की अंदरूनी सजावट, कम्प्यूटराईज ई–लाईब्रेरी कक्ष का निर्माण, म्यूजिक लाईब्रेरी का निर्माण, फर्नीचर, आलमारियों का क्रय, ग्रंथालय में इतिहास, साहित्य, पत्रकारिता, पर्यटन, पुरातत्व, कला, नृत्य शास्त्र, लोक प्रकाशन, संस्कृत साहित्य का क्रय आदि कार्यो के लिए प्रस्तावित किया गया है।

3. समारोह हेतु अनुदान :–विभाग के अन्तर्गत पारम्परिक समारोह प्रति वर्ष राज्योत्सव समारोह, षास्त्रीय संगीत नृत्य महोत्सव भोरमदेव, रामगढ़, ताला, मल्हार, महोत्सव में प्रदेष के कलाकारों को प्रोत्साहित कर षासकीय मंच प्रदान करना है । वित्तीय वर्ष 2007–08 में 227.00 लाख का प्रावधान था इसमें 10 समारोह/महोत्सवों का आयोजन किया गया । वर्ष 2008–09 में रू. 230.00 लाख बजट में से वार्षिक समारोह हेतु माह सितम्बर 2008 तक 196.30 रू. व्यय किए गए ।

4 मुक्तांगन संग्रहालय :–राजधानी से 18 किलोमीटर दूर 200 एकड़ की विषाल भूमि पर सांस्कृतिक, पुरातात्विक, वनोषधी, मूर्तिषिल्प, लौह षिल्प, का संग्रहालय विकसित किया जा रहा है । वर्ष 2008–09 में 250.00 लाख रू. बजट में से माह सितम्बर 2008 तक 220.73 लाख रू. व्यय किए गए ।

छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल

छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक एवं पर्यटन स्थलों में पर्यटकों की सुविधा हेतु हॉस्टल एवं आवागमन सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है । जिसमें महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल के विकास हेतु वर्ष 2004–05 में 17.37 करोड़, वर्ष 2005–06 में 18.47 करोड़, वर्ष 2006–07 में 29.30 करोड़ एवं वर्ष 2007–08 में 42.15 करोड़ प्राप्त हुए है ।

1. अधोसंरचना विकास कार्य :– राज्य के सभी जिलों के ऐतिहासिक एवं पर्यटन स्थलों का चिन्हांकित कर 22 हाईवे मोटल का निर्माण किया जा रहा है, साथ ही 1.36 करोड़ की लागत से 11 स्थानों पर अन्तराष्ट्रीय स्तर के शुलभ शौचालयों का निर्माण कार्य पूरा किया गया है ।

अध्याय–18

पंचवर्षीय योजना

1. ग्यारहवी पंचवर्षीय योजना (2007–08 से 2011–12) :–राज्य योजना मण्डल द्वारा राज्य की पंचवर्षीय योजना (2007–08 से 2011–12) के लिए भारत सरकार द्वारा 53730 करोड़ रू. की योजना का अनुमोदन किया गया है ।

योजना आयोग के द्वारा राज्य की ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना एवं वार्षिक योजना निम्नानुसार अनुमोदित की गई है ।

ग्यारवी पंचवर्षीय योजना (2007–08 से 2011–12)

क्र.	प्रमुख क्षेत्रक	कुल परिव्यय (करोड़ रूपये में)	कुल का प्रतिशत
1	2	3	4
1	कृषि एवं संबद्ध सेवायें	1955.46	3.64
2	ग्रामीण विकास	4260.06	7.93
3	विषेष क्षेत्र कार्यक्रम	284.30	0.53
4	सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	7227.73	13.45
5	उर्जा	1805.37	3.36
6	उद्योग तथा खनिकर्म	815.06	1.52
7	यातायात	7272.48	13.54
8	विज्ञान प्रौद्योगिक एवं पर्यावरण	3369.53	6.27
9	सामान्य आर्थिक सेवायें	834.68	1.55
10	सामाजिक सेवायें	25568.96	47.59
11	सामान्य सेवायें	336.36	0.63
योग		53730.00	100.00

ग्यारहवी पंचवर्षीय योजना में योजना की 47.59 प्रतिषत राषि सामाजिक सेवा पर व्यय किए जाने के प्रावधान का प्रस्ताव है । सामाजिक सेवाओं में कार्यरत 10.63 प्रतिषत राषि षिक्षा पर तथा 14.85 प्रतिषत राषि जल आपूर्ति एवं स्वच्छता पर व्यय किए जाने का प्रस्ताव है । 13.45 प्रतिषत राषि सिंचाई सुविधाओं के विस्तार पर तथा 13.54 प्रतिषत राषि सड़क सुविधाओं (परिवहन) के विस्तार पर व्यय किए जाने का प्रस्ताव है ।

2. छत्तीसगढ़ राज्य की वार्षिक योजना के वित्तीय लक्ष्य एवं उपलब्धियॉ

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजन के अन्तर्गत प्रथम वर्ष 2007–08 में योजना आयोग भारत सरकार द्वारा 7413.72 करोड़ के परिव्यय को अनुमोदित किया था । जिसके विरूद्ध 6196.11 करोड़ का व्यय किया गया । कृषि एवं सम्बद्ध सेवाओं पर 240.31 करोड़ के अनुमोदित परिव्यय के विरूद्ध 162.98 करोड़ का व्यय किया गया । ग्रामीण विकास पर 453.14 करोड़ के विरूद्ध 356.30 करोड़ का व्यय किया गया एवं सामाजिक सेवाओं पर अनुमोदित परिव्यय 3261. 32 करोड़ के विरूद्ध 2391.10 करोड़ का व्यय किया गया ।

वार्षिक योजना 2008–09 के लिए योजना आयोग भारत सरकार द्वारा 9599 करोड़ के परिव्यय का अनुमोदन किया गया है । कृषि एवं सम्बद्ध सेवाओं को 623.03 करोड़ ग्रामीण विकास हेतु 605.14 करोड़, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण हेतु 937.47 करोड़ का प्रावधान किया गया है । अनुमोदित परिव्यय में सर्वाधिक 48.78 प्रतिषत राषि रू. 4682.10 करोड़ का प्रावधान सामाजिक सेवाओं हेतु किया गया है ।

वार्षिक योजनाओं का अनुमोदित परिव्यय तथा व्यय

(लाख रूपये में)

क्र	प्रमुख क्षेत्रक	वर्षिक योजना 2007–08		वर्षिक योजना 2008–09
		अनुमोदित परिव्यय	व्यय	अनुमोदित परिव्यय
1	कृषि एवं संबद्ध सेवायें	24030.60	16297.76	62302.83
2	ग्रामीण विकास	45313.72	35630.39	60514.00
3	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	29155.51	32072.92	36495.35
4	सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	97813.67	8486824	93746.80
5	उर्जा	11132.83	17987.61	7064.15
6	उद्योग तथा खनिकर्म	18318.34	18495.2	20464.20
7	यातायात	134366.96	102995.4	144243.88
8	विज्ञान प्रौद्योगिक एवं पर्यावरण	188153.83	19419.06	34864.75
9	सामान्य आर्थिक सेवायें	25263.22	48497.20	24061.71
10	सामाजिक सेवायें	326132.23	239109.69	468209.93
11	सामान्य सेवायें	11029.03	4238.00	7932.40
कुल योग		**741371.94**	**619611.03**	**959900.00**

भाग—दो

सांख्यिकी तालिकाएँ

:: विषय सूची ::

भाग–दो (सांख्यिकी तालिकाएँ)

1.	छत्तीसगढ़ एक दृष्टि में	1–3
2.	छत्तीसगढ़ का शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित भावों के आधार पर	4
3.	छत्तीसगढ़ का शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद (स्थिर 1993–94) भावों के आधार पर	5
4.	छत्तीसगढ़ का शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित भावों के आधार पर–प्रतिशत वितरण	6
5.	छत्तीसगढ़ का शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर (1993–94) भावों के आधार पर–प्रतिशत वितरण	7
6.	छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित भावों पर	8
7.	छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर भावों पर	9
8.	प्रमुख फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल	10
9.	प्रमुख फसलों का उत्पादन	11
10.	प्रमुख फसलों का औसत उत्पादन	12
11.	सिंचाई स्त्रोत अनुसार शुद्ध सिंचित क्षेत्र	13
12.	प्रमुख फसलों के घोषित समर्थन मूल्य	14
13.	भारत में थोक भाव के सूचकांक	15
14.	औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक –भिलाई केन्द्र	16
15.	भारत एल्यूमीनियम कम्पनी, कोरबा का उत्पादन एवं मूल्य	17
16.	महत्वपूर्ण खनिजों का उत्पादन एवं मूल्य	18
17.	महत्वपूर्ण खनिजों का औसत मूल्य	19
18.	सड़को की लम्बाई	20
19.	कुल पंजीकृत वाहन	21
20.	छत्तीसगढ़ प्रशासनिक क्षेत्र में नियोजन	22
21.	जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक	23
22.	प्राथमिक सहकारी कृषि साख समितियॉ	24
23.	प्रतिवेदक अनुसूचित वाणिज्यिक बैकों की स्थिति	25
24.	छत्तीसगढ़ के समाजार्थिक संकेतांक	26–28

तालिका–1.1

छत्तीसगढ़ एक दृष्टि में

मद	इकाई	वर्ष	छत्तीसगढ़
1	2	3	4
भौगोलिक क्षेत्रफल (ग्रामीण पत्रक अनुसार)	**वर्ग कि. मी.**		**137898**
प्रशासनिक संरचना			
जिला	संख्या	जून, 2008	18
तहसीलें	–,,–	–,,–	146
विकास खण्ड	–,,–	–,,–	146
आदिवासी विकास खण्ड	–,,–	–,,–	85
कुल ग्राम	–,,–	जनगणना 2001	20308
कुल जनसंख्या	हजार	–,,–	20834
पुरूष	–,,–	–,,–	10474
स्त्री	–,,–	–,,–	10360
ग्रामीण	–,,–	–,,–	16648
नगरीय	–,,–	–,,–	4186
अनुसूचित जाति	–,,–	–,,–	2419
अनुसूचित जनजाति	–,,–	–,,–	6617
जनसंख्या वृद्धि दर (1991–2001)	प्रतिशत	–,,–	18.06
जनसंख्या का घनत्व	प्रति वर्ग कि. मी.	–,,–	154
स्त्री–पुरूष अनुपात	प्रति हजार पुरूषों पर स्त्रियां	–,,–	989
प्रति व्यक्ति आय (शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद–त्वरित अनुमान)			
प्रचलित भावों पर	रूपये	2007–2008	28951
स्थिर (1999–2000) भावों पर	–,,–	–,,–	19185
कृषि वर्ष 2007–2008			
शुद्ध बोया गया क्षेत्र	हजार हेक्टर	–,,–	4727
कुल बोया गया क्षेत्र	–,,–	–,,–	5747
शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल	–,,–	–,,–	1333
कुल सिंचित क्षेत्रफल	–,,–	–,,–	5221
कृषि जोत (कृषि संगणना)			
कृषि जोतों की संख्या	लाख	2000–2001	32.55
कृषि जोतों का क्षेत्र	लाख हेक्टर	–,,–	5223
कृषि जोतों का औसत आकार	हेक्टर	–,,–	1.60

मद	इकाई	वर्ष	छत्तीसगढ़
1	2	3	4
कृषि उत्पादन (वास्तविक)			
अनाज	हजार मेट्रिक टन	2007–2008	5897
खाद्यान्न	–,,–	–,,–	6800
तिलहन	–,,–	–,,–	310
धान	–,,–	–,,–	5635
गेंहूं	–,,–	–,,–	105
मक्का	–,,–	–,,–	157
चना	–,,–	–,,–	212
तुअर	–,,–	–,,–	26
पशु संगणना 2007			
गौवंश पशु	हजार में	2007	9232
भैंस वंशीय पशु	–,,–	–,,–	1876
भेंड़/भेंड़ी	–,,–	–,,–	121
बकरा/बकरी	–,,–	–,,–	2335
सूवर	–,,–	–,,–	4150
अन्य पशु	–,,–	–,,–	07
कुक्कूट	–,,–	–,,–	8898
विद्युत			
अधिष्ठापित उत्पाद क्षमता	मेगावाट	2007–2008	1923.85
उत्पादन	लाख किलो वाट घंटे	–,,–	10341.960
उपभोक्ताओं की संख्या	हजार	–,,–	2651
घरेलू विद्युत उपभोक्ता	–,,–	–,,–	2256
विद्युतीकृत ग्राम	संख्या	–,,–	18993
विद्युतीकृत पंपसेट/नलकूपों की संख्या	हजार	–,,–	182.4
एक बत्ती कनेक्शन	–,,–	–,,–	914
मत्स्योत्पादन			
मछली उत्पादन	हजार मीटरिक टन	2007–2008	139.37
वन			
वनों का कुल क्षेत्रफल	वर्ग कि.मी. में	2007–2008	77986
आरक्षित वन	–,,–	–,,–	25782
संरक्षित वन	–,,–	–,,–	24036
अवर्गीकृत	–,,–	–,,–	9954
राजस्व वन	–,,–	–,,–	18214

परिवहन			
कुल सड़कों की लंबाई	हजार कि. मी.	मार्च, 2008	60.62
पंजीकृत वाहन	हजार	—,,—	1928.7
साक्षरता			
कुल	प्रतिशत	जनगणना, 2001	64.66
पुरूष	—,,—	—,,—	77.38
स्त्री	—,,—	—,,—	51.85
शैक्षणिक संस्थायें			
पूर्व प्राथमिक/प्राथमिक विद्यालय	संख्या	सितम्वर, 2008	43409
माध्यमिक विद्यालय	—,,—	—,,—	12243
हाई स्कूल उ. मा. विद्यालय	—,,—	—,,—	2038
माध्यमिक (10+2) विद्यालय	—,,—	—,,—	1947
सामान्य शैक्षणिक महाविद्यालय	—,,—	—,,—	154
तकनीकी एवं व्यवसायिक शिक्षण संस्थाएं	—,,—	—,,—	129
विश्व विद्यालय	—,,—	—,,—	08
स्वास्थ्य सेवाएं			
जिला अस्पताल	—,,—	2007—2008	15
शहरी सिविल डिस्पेंसरी	—,,—	—,,—	17
सामुदायिक स्वास्थ्य केंन्द्र	—,,—	—,,—	129
प्राथमिक स्वास्थ्य केंन्द्र	—,,—	—,,—	707
उप स्वास्थ्य केंन्द्र	—,,—	—,,—	4694
जिला आयुर्वेदिक चिकित्सालय/ फर्मेसी	—,,—	—,,—	07
आयुर्वेद यूनानी होम्योपैथिक ओषधानय	—,,—	—,,—	691
नियोजन			
पंजीकृत बेरोजगार	हजार	2007—2008	232
जीवित पंजी पर दर्ज व्यक्ति	—,,—	—,,—	1218
नौकरी दिलाये गये व्यक्ति	संख्या	—,,—	692
प्रतिवेदक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक			
कार्यालय/शाखाऐं	संख्या	मार्च, 2008	1171
जमा राशि	करोड़	—,,—	30967
ऋण राशि	—,,—	—,,—	16190

तालिका क्रमांक 2.1

छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित भावों के आधार पर

क्र.	क्षेत्र	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07 (p)	2007-08(Q)
1	कृषि (पशु पालन सहित)	585180	418064	648262	537820	800917	654959	934578	1020149	1201977
2	वन उद्योग	56463	60360	74677	71649	80356	81833	75774	82752	105462
3	मत्स्य उद्योग	28912	35555	38894	41958	47808	52465	59822	72536	75227
4	खनन तथा उत्खनन	341330	335444	338445	409135	408029	466021	706976	704992	775742
अ	**उप–योग (प्राथमिक क्षेत्र)**	**1011885**	**849423**	**1100277**	**1060561**	**1337111**	**1255278**	**1777150**	**1880429**	**2158409**
5	**विनिर्माण**	**381556**	**380553**	**373497**	**494842**	**697515**	**1049822**	**919352**	**1186932**	**1410682**
5.1	विनिर्माण पंजीकृत	302620	296168	291026	405305	594546	935958	789439	1027968	1226431
5.2	विनिर्माण गैर पंजीकृत	78936	84385	82471	89537	102969	113864	129913	158964	184251
6	निर्माण कार्य	103118	107271	123104	157552	184444	225919	381040	488121	699979
7	विद्युत, गैस एवं जलापूर्ति	149493	139222	117518	228826	208678	206974	203868	209744	224807
ब	**उप–योग (द्वितीयक क्षेत्र)**	**634167**	**627046**	**614119**	**881220**	**1090636**	**1482715**	**1504261**	**1884796**	**2335468**
8	**परिवहन संचार एवं स्टोरेज**	**157234**	**167144**	**174293**	**195637**	**198369**	**236103**	**269231**	**310089**	**357167**
8.1	रेलवे	59444	58472	63419	67531	45232	55878	63122	73797	78144
8.2	परिवहन	65902	75180	72146	89100	107543	129599	151107	177290	209392
8.3	स्टोरेज	2303	3209	2878	2908	3257	2904	2862	3187	3451
8.4	संचार	29584	30283	35851	36098	42336	47722	52140	55815	66180
9	व्यापार, होटल एवं रेस्टोरेंट	307610	280515	318111	340559	414942	474702	572334	627187	710897
10	**बैंकिंग, बीमा एवं स्थावर संपदा**	**233301**	**253026**	**279683**	**310207**	**331786**	**342049**	**369995**	**416499**	**453207**
10.1	बैंकिंग एवं बीमा	67633	74169	83318	100202	109377	106382	109404	131807	140849
10.2	स्थावर संपदा, रियल स्टेट	165668	178857	196365	210005	222409	235667	260591	284692	312358
11	**सामुदायिक एवं निजी सेवाएँ**	**380675**	**407462**	**467451**	**461080**	**507365**	**568056**	**606914**	**661640**	**788447**
11.1	लोक प्रशासन	101621	104666	189881	176037	148226	164235	190445	190771	240467
11.2	अन्य सेवाएँ	279054	302796	277570	285043	359139	403821	416469	470869	547979
स	**उप–योग**	**1078820**	**1108147**	**1239539**	**1307484**	**1452462**	**1620911**	**1818474**	**2015415**	**2309718**
	कुल योग (अ+ब+स) (सकल राज्य घरेलू उत्पाद)	**2724873**	**2584616**	**2953935**	**3249265**	**3880209**	**4358904**	**5099884**	**5780640**	**6803595**
	जनसंख्या (लाख में)	205	207	209	214	218	223	227	231	235
	प्रति व्यक्ति आय (रूपयों में)	13292	12486	14134	15183	17799	19547	22466	25024	28951

(P)= प्रावधिक अनुमान (Q)= त्वरित अनुमान

श्रोत– आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, छत्तीसगढ़

तालिका क्रमांक 2.2

छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर भावों के आधार पर

क्र.	क्षेत्र	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07(p)	2007-08(Q)
1	कृषि (पशु पालन सहित)	585180	422080	634862	471441	706048	566370	768120	811660	836184
2	वन उद्योग	56463	56908	64996	58886	64814	60940	53854	54416	56131
3	मत्स्य उद्योग	28912	34736	35491	36945	41110	44449	48773	50995	51594
4	खनन तथा उत्खनन	341330	363859	381858	412695	452018	512365	565737	592327	634428
अ	**उप–योग (प्राथमिक क्षेत्र)**	**1011885**	**877582**	**1117207**	**979967**	**1263990**	**1184124**	**1436483**	**1509398**	**1578337**
5	**विनिर्माण**	**381556**	**367791**	**358150**	**457174**	**565416**	**715377**	**591247**	**709926**	**790690**
5.1	विनिर्माण पंजीकृत	302620	284495	277789	372865	474367	621352	489575	593894	661783
5.2	विनिर्माण गैर पंजीकृत	78936	83296	80361	84309	91049	94025	101672	116032	128906
6	निर्माण कार्य	103118	96547	138235	140833	153950	155089	194746	197460	253514
7	विद्युत, गैस एवं जलापूर्ति	149493	147708	120781	130434	116770	132868	136055	135270	139391
ब	**उप–योग (द्वितीयक क्षेत्र)**	**634167**	**612046**	**617165**	**728441**	**836136**	**1003334**	**922047**	**1042656**	**1183594**
8	**परिवहन संचार एवं स्टोरेज**	**157234**	**169048**	**176915**	**197794**	**197322**	**228148**	**254892**	**287972**	**315471**
8.1	रेलवे	59444	59980	66609	68040	44252	53262	57984	63208	64946
8.2	परिवहन	65902	73035	69035	82253	95423	109048	120009	134798	152100
8.3	स्टोरेज	2303	3069	2639	2626	2769	2359	2219	2348	2425
8.4	संचार	29584	32965	38633	44874	54879	63479	74681	87618	96000
9	व्यापार, होटल एवं रेस्टोरेंट	307610	285843	320857	317619	381315	405345	430061	458501	488186
10	**बैंकिंग, बीमा एवं स्थावर संपदा**	**233300**	**245926**	**255307**	**274226**	**281764**	**293298**	**311261**	**342682**	**364540**
10.1	बैंकिंग एवं बीमा	67632	72665	75336	87084	86873	88703	96896	118221	128542
10.2	स्थावर संपदा, रियल स्टेट	165668	173261	179971	187142	194891	204595	214365	224461	235998
11	**सामुदायिक एवं निजी सेवाएँ**	**380674**	**393591**	**437595**	**425296**	**446431**	**479732**	**488633**	**509374**	**578465**
11.1	लोक प्रशासन	101621	100408	174322	158872	126492	133330	147608	140993	169648
11.2	अन्य सेवाएँ	279053	293183	263273	266424	319939	346401	341025	368381	408817
स	**उप–योग**	**1078818**	**1094408**	**1190674**	**1214935**	**1306832**	**1406523**	**1484847**	**1598530**	**1746661**
	कुल योग (अ+ब+स) (सकल राज्य घरेलू उत्पाद)	**2724871**	**2584036**	**2925046**	**2923342**	**3406958**	**3593982**	**3843378**	**4150584**	**4508592**
	जनसंख्या (लाख में)	205	207	209	214	218	223	227	231	235
	प्रति व्यक्ति आय (रूपयों में)	13292	12483	13995	13660	15628	16117	16931	17968	19185

(P)= प्रावधिक अनुमान (Q)= त्वरित अनुमान

श्रोत– आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, छत्तीसगढ़

तालिका क्रमांक 2.3

छत्तीसगढ़ का शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित भावों के आधार पर

क्र.	क्षेत्र	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07(p)	2007-08(Q)
1	कृषि (पशु पालन सहित)	558545	388970	615079	499984	758306	603534	876511	959163	1130158
2	वन उद्योग	54538	58394	70990	69160	77527	78879	73046	78412	100991
3	मत्स्य उद्योग	26061	31761	34001	36291	40763	43320	49898	66460	68926
4	खनन तथा उत्खनन	270205	268419	264680	341749	339858	387337	599914	616558	687308
अ	**उप–योग (प्राथमिक क्षेत्र)**	**909349**	**747544**	**984749**	**947183**	**1216455**	**1113070**	**1599369**	**1720593**	**1987383**
5	**विनिर्माण**	**272664**	**256808**	**235120**	**345316**	**531582**	**854916**	**688901**	**888924**	**1056238**
5.1	विनिर्माण पंजीकृत	204684	184856	166389	270936	446313	763089	585399	762277	909445
5.2	विनिर्माण गैर पंजीकृत	67980	71952	68731	74380	85269	91827	103502	126647	146793
6	निर्माण कार्य	100183	103566	118813	151950	178172	218721	370491	474607	680600
7	विद्युत, गैस एवं जलापूर्ति	87751	77410	59344	123992	110900	102788	91631	94272	101042
ब	**उप–योग (द्वितीयक क्षेत्र)**	**460598**	**437784**	**413277**	**621258**	**820653**	**1176425**	**1151024**	**1457804**	**1837881**
8	**परिवहन संचार एवं स्टोरेज**	**135964**	**145930**	**149601**	**168687**	**166860**	**199499**	**229806**	**266755**	**308175**
8.1	रेलवे	49403	48449	52668	56698	31532	39048	46021	55493	58762
8.2	परिवहन	61482	70256	65512	81200	98586	119948	140119	164398	194166
8.3	स्टोरेज	2243	3145	2821	2857	3197	2842	2791	3108	3365
8.4	संचार	22835	24080	28601	27932	33544	37661	40875	43756	51882
9	व्यापार, होटल एवं रेस्टोरेंट	304845	277468	314875	337478	411288	470264	567099	621450	704394
10	**बैंकिंग, बीमा एवं स्थावर संपदा**	**213018**	**229117**	**250089**	**275892**	**291931**	**293803**	**314193**	**355497**	**386409**
10.1	बैंकिंग एवं बीमा	65690	71737	80708	97341	106282	103193	106033	128085	136897
10.2	स्थावर संपदा, रियल स्टेट	147328	157380	169381	178551	185649	190610	208160	227412	249511
11	**सामुदायिक एवं निजी सेवाएँ**	**360191**	**386214**	**430877**	**432013**	**475087**	**532629**	**565289**	**618875**	**735448**
11.1	लोक प्रशासन	84580	87715	157843	152476	122107	136244	157109	157378	198375
11.2	अन्य सेवाएँ	275611	298499	273034	279537	352980	396385	408180	461497	537073
स	**उप–योग**	**1014018**	**1038729**	**1145443**	**1214071**	**1345166**	**1496196**	**1676387**	**1862577**	**2134426**
	कुल योग (अ+ब+स) (सकल राज्य घरेलू उत्पाद)	**2383966**	**2224057**	**2543469**	**2782512**	**3382274**	**3785691**	**4426779**	**5040973**	**5959690**
	जनसंख्या (लाख में)	205	207	209	214	218	223	227	231	235
	प्रति व्यक्ति आय (रूपयों में)	11629	10744	12170	13002	15515	16976	19501	21822	25360

(P)= प्रावधिक अनुमान (Q)= त्वरित अनुमान

श्रोत– आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, छत्तीसगढ़

तालिका क्रमांक 2.4

छत्तीसगढ़ का शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर भावों के आधार पर

क्र.	क्षेत्र	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07 (P)	2007-08(Q)
1	कृषि (पशु पालन सहित)	558545	393524	604012	437328	668821	524990	723921	766764	789354
2	वन उद्योग	54538	54942	61521	56609	62301	58519	51725	51640	53582
3	मत्स्य उद्योग	26061	31091	31063	31818	34913	36916	40751	46321	46865
4	खनन तथा उत्खनन	270205	298872	314323	352782	393325	449809	485331	525460	567561
अ	**उप–योग (प्राथमिक क्षेत्र)**	**909349**	**778428**	**1010919**	**878537**	**1159360**	**1070234**	**1301727**	**1390185**	**1457363**
5	**विनिर्माण**	**272664**	**250290**	**232880**	**323838**	**421952**	**557978**	**414669**	**497074**	**553577**
5.1	विनिर्माण पंजीकृत	204684	178890	164936	252896	345669	480729	331801	402501	448512
5.2	विनिर्माण गैर पंजीकृत	67980	71400	67944	70942	76283	77249	82868	94572	105066
6	निर्माण कार्य	100183	93036	134338	135799	148429	149136	186428	189026	242686
7	विद्युत, गैस एवं जलापूर्ति	87751	87917	67618	37135	32573	49827	51638	51340	52904
ब	**उप–योग (द्वितीयक क्षेत्र)**	**460598**	**431243**	**434835**	**496772**	**602954**	**756941**	**652734**	**737440**	**849167**
8	**परिवहन संचार एवं स्टोरेज**	**135964**	**148652**	**153958**	**173434**	**170782**	**200523**	**226616**	**256593**	**281537**
8.1	रेलवे	49403	50275	56398	58097	33270	41910	47131	51811	53236
8.2	परिवहन	61482	68370	62931	75048	87322	100767	110955	124628	140625
8.3	स्टोरेज	2243	3008	2588	2582	2718	2311	2167	2293	2368
8.4	संचार	22835	27000	32042	37706	47473	55535	66364	77860	85309
9	व्यापार, होटल एवं रेस्टोरेंट	304845	282956	317918	314852	378158	401781	426064	454240	483649
10	**बैंकिंग, बीमा एवं स्थावर संपदा**	**213018**	**222958**	**228847**	**244418**	**248510**	**256949**	**271544**	**301076**	**320894**
10.1	बैंकिंग एवं बीमा	65690	70356	72970	84533	84199	86131	94321	115506	125786
10.2	स्थावर संपदा, रियल स्टेट	147328	152602	155877	159885	164311	170818	177223	185570	195108
11	**सामुदायिक एवं निजी सेवाएँ**	**360190**	**372960**	**403788**	**399215**	**418433**	**451265**	**456941**	**478033**	**541376**
11.1	लोक प्रशासन	84580	83890	144651	137713	103753	110713	122083	116313	139952
11.2	अन्य सेवाएँ	275610	289070	259137	261502	314680	340551	334858	361719	401424
स	**उप–योग**	**1014017**	**1027526**	**1104511**	**1131919**	**1215883**	**1310518**	**1381165**	**1489941**	**1627456**
	कुल योग (अ+ब+स) (सकल राज्य घरेलू उत्पाद)	**2383965**	**2237197**	**2550265**	**2507227**	**2978197**	**3137694**	**3335627**	**3617566**	**3933986**
	जनसंख्या (लाख में)	205	207	209	214	218	223	227	231	235
	प्रति व्यक्ति आय (रूपयों में)	11629	10808	12202	11716	13661	14070	14694	15660	16740

(P)= प्रावधिक अनुमान (Q)= त्वरित अनुमान

श्रोत– आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, छत्तीसगढ़

तालिका –2.5

छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (गत वर्ष से)
प्रतिशत वृद्धि प्रचलित भावों के आधार पर

(प्रतिशत में)

क्र.	वर्ष	प्राथमिक क्षेत्र (X)	द्वितीयक क्षेत्र (#)	तृतीयक क्षेत्र $	कुल योग
1	2	3	4	5	6
1	2000-01	-16.06	-1.12	2.73	-5.15
2	2001-02	29.53	-2.06	11.6	14.29
3	2002-03	-3.61	43.49	5.48	10.00
4	2003-04	26.08	23.76	11.09	19.42
5	2004-05	-6.12	35.95	11.60	12.34
6	2005-06	41.57	1.45	12.19	17.00
7	2006-07(p)	5.81	25.30	10.83	13.35
8	2007-08(Q)	14.78	23.91	14.60	17.70

(X) = कृषि (पशुपालन सहित) वन उद्योग, मछली उद्योग एवं खनन तथा उत्खनन

(#) = विनिर्माण (पंजीकृत तथा गैर पंजीकृत), विद्युत, गैस तथा जलापूर्ति एवं निर्माण कार्य

$ = परिवहन संचार व्यापार वित्त स्थावर संपदा सामुदायिक एवं निजी सेवायें

(P) = प्रावधिक अनुमान (Q) = त्वरित अनुमान

स्त्रोत –आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, छत्तीसगढ़

तालिका –2.6

छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (गत वर्ष से) प्रतिशत वृद्धि स्थिर भावों(1999–2000) के आधार पर

(प्रतिशत में)

क्र.	वर्ष	प्राथमिक क्षेत्र (X)	द्वितीयक क्षेत्र (#)	तृतीयक क्षेत्र $	कुल योग
1	2	3	4	5	6
1	2000-01	-13.27	-3.59	1.45	-5.17
2	2001-02	27.31	0.84	8.80	13.20
3	2002-03	-12.28	18.03	2.04	-0.06
4	2003-04	28.98	14.78	7.56	16.54
5	2004-05	-6.32	20.00	7.63	5.49
6	2005-06	21.31	-8.10	5.57	6.94
7	2006-07(p)	5.08	13.08	7.66	7.99
8	2007-08(Q)	4.57	13.52	9.27	8.63

(X) = कृषि (पशुपालन सहित) वन उद्योग, मछली उद्योग एवं खनन तथा उत्खनन

(#) = विनिर्माण (पंजीकृत तथा गैर पंजीकृत), विद्युत, गैस तथा जलापूर्ति एवं निर्माण कार्य

$ = परिवहन संचार व्यापार वित्त स्थावर संपदा सामुदायिक एवं निजी सेवायें

(P) = प्रावधिक अनुमान (Q) = त्वरित अनुमान

स्त्रोत –आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, छत्तीसगढ़

तालिका –3.1

प्रमुख फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र

(हजार हेक्टर में)

क्र.	फसल	प्रमुख फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र						
		2001–02	2002–03	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07	2007–08
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.0	**अनाज**							
1.1	धान	3810.1	3777.7	3829.0	3843.8	3854.3	3905.3	3902.9
1.2	गेहूँ	97.9	93.8	106.1	99.2	97.1	93.2	95.0
1.3	ज्वार	9.4	9.3	9.1	8.4	8.5	6.0	7.7
1.4	मक्का	93.8	94.0	98.6	97.9	101.6	100.1	100.1
1.5	कोदो–कुटकी	229.3	212.9	205.4	194.2	177.7	161.1	151.9
1.6	जौ	4.2	4.0	4.4	4.0	3.6	3.5	3.4
1.7	छोटे अनाज	60.7	57.7	56.4	56.8	50.4	49.1	64.6
2.0	**दालें**							
2.1	चना	169.5	175.6	204.7	233.3	242.7	231.4	243.5
2.2	तुअर	50.3	55.7	52.3	52.5	50.7	53.8	50.4
2.3	उड़द	119.0	122.5	121.3	119.5	117.5	114.5	114.9
2.4	मूग–मोठ	15.3	16.5	18.1	16.4	17.1	16.6	16.2
2.5	कुल्थी	61.2	57.5	56.7	55.4	53.9	52.8	53.0
2.6	लाख (तिवड़ा)	416.8	330.1	460.9	449.4	458.0	425.4	428.6
3.0	**गन्ना**	7.1	9.1	11.2	12.3	14.5	19.2	19.3
4.0	**तिलहन**							
4.1	मूँगफली	33.8	34.3	36.3	34.1	32.8	33.1	31.7
4.2	रामतिल	74.6	72.0	74.4	73.1	72.8	72.8	71.9
4.3	तिल	23.6	24.8	25.1	24.3	24.6	21.3	21.2
4.4	सोयाबीन	14.6	15.2	20.8	32.3	46.8	64.5	72.9
4.5	अलसी	82.3	67.6	75.0	71.1	70.8	64.6	55.9
4.6	राई सरसों	50.3	47.5	55.3	54.5	57.2	54.5	51.4

स्त्रोत–आयुक्त भू–अभिलेख, छत्तीसगढ़

तालिका –3.2
प्रमुख फसलों का उत्पादन

(हजार मे.टन में)

क्र.	फसल	प्रमुख फसलों का उत्पादन						
		2001–2002	2002–2003	2003–2004	2004–2005	2005–2006	2006–2007	2007–2008
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.0	**अनाज**							
1.1	धान (चावल)	5073.7	2634.9	5567.6	4586.8	5267.5	5441.5	5635.0
1.2	गेहूँ	103.5	98.6	108.6	85.2	85.2	94.0	104.6
1.3	ज्वार	9.2	5.8	7.6	4.9	5.8	5.2	7.2
1.4	मक्का	69.7	122.6	135.0	140.0	109.5	123.5	157.1
1.5	कोदो–कुटकी	53.9	29.4	50.9	38.6	29.3	30.0	39.2
1.6	जौ	3.5	3.1	4.3	3.5	3.0	2.8	4.0
1.7	छोटे अनाज	18.5	13.5	16.8	12.5	13.1	6.9	16.8
2.0	**दालें**							
2.1	चना	124.6	113.1	197.3	119.7	172.2	193.5	212.4
2.2	तुअर	20.2	24.1	31.5	26.9	22.5	22.9	26.3
2.3	उड़द	36.3	29.4	35.1	32.6	33.9	34.5	35.1
2.4	मूँगमोठ	4.4	4.0	4.8	3.9	4.3	4.3	4.2
2.5	कुल्थी	20.7	13.9	18.4	16.4	17.6	16.6	16.9
2.6	लाख (तिवड़ा)	230.5	170.3	278.8	175.3	208.2	225.2	553.0
3.0	**गन्ना**	9.0	10.0	13.3	16.5	19.0	20.3	27.3
4.0	**तिलहन**							
4.1	मूँगफली	41.7	38.1	40.2	38.1	35.5	37.7	40.0
4.2	रामतिल	14.6	11.5	13.1	12.0	12.3	12.8	12.8
4.3	तिल	5.7	6.4	7.1	7.3	7.3	6.4	6.7
4.4	सोयाबीन	12.0	8.3	18.4	31.0	41.9	64.2	83.6
4.5	अलसी	22.2	19.7	23.1	16.3	17.5	16.2	17.1
4.6	राई सरसों	18.7	15.6	22.8	21.4	18.2	21.8	20.6

स्त्रोत–आयुक्त भू–अभिलेख, छत्तीसगढ़

तालिका –3.3

प्रमुख फसलों का औसत उत्पादन

(किलो ग्राम प्रति हेक्टर)

वर्ष	चावल	गेहूँ	ज्वार	मक्का	चना	तुअर	सोयावीन	कपास	गन्ना
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1998-1999	1006	1174	1072	1270	625	1037	603	275	2668
1999-2000	1337	1205	844	1548	642	1086	832	249	3000
2000-2001	988	1022	665	1346	515	429	547	106	2601
2001-2002	2160	1024	965	745	714	374	810	121	2514
2002-2003	683	1106	740	1305	644	433	550	142	2484
2003-2004	1531	1066	1001	1370	964	603	882	336	2582
2004-2005	1232	889	667	1430	542	510	1017	284	2472
2005-2006	1367	876	682	1078	710	441	895	158	2310
2006-2007	1425	1044	873	1225	843	426	998	287	2546
2007-2008	1451	1098	1019	1562	872	522	1155	232	2485

स्त्रोत : आयुक्त, भू–अभिलेख एवं बंदोबस्त, छत्तीसगढ़

तालिका –3.4

सिंचाई स्त्रोत अनुसार शुद्ध सिंचित क्षेत्र

(हेक्टर में)

क्र	वर्ष	नहरे	तालाब	कुऍ	नलकूप सहित अन्य साधन	योग
1	2	3	4	5	6	7
1	1998–1999	752933	62787	44175	185575	1045470
2	1999–2000	802137	60085	40236	175981	1078439
3	2000–2001	677930	54663	39308	212261	984162
4	2001–2002	834737	54944	38955	222645	1151281
5	2002–2003	743395	56708	47045	287429	1134577
6	2003–2004	768757	49707	35611	236410	1090487
7	2004–2005	859987	58032	38952	281099	1208070
8	2005–2006	876039	52611	113516	206124	1248290
9	2006–2007	887577	52089	34853	307766	1282285
10	2007–2008	913825	55770	30666	333704	1333965

स्त्रोतः– आयुक्त भू–अभिलेख एवं बन्दोबस्त, छत्तीसगढ़

तालिका –4.1

प्रमुख फसलों के घोषित समर्थन मूल्य

(रूपये प्रति क्विंटल)

फसल/किस्म		विपणन वर्ष		
	2002–03	2006–07	2007–08	2008–09
1	2	4	5	5
धान–सामान्य	530	580+40	645+100	850+50
धान– ग्रेड–ए	560	610+40	675+100	880+50
ज्वार, बाजरा आदि	485	540	600	860
मक्का	485	540	620	840
गेंहूँ	620	650	1000	1000
चना	1220	1435	1600	-
मूंगफली	1355	1520	1550	-
तुअर	1320	1410	1550+40	-
उड़द	1330	1520	1700+40	-
मूंग	1330	1520	1700+40	-
सूर्यमुखी	1195	1500	1510	-
राई एवं सरसों	1330	1715	1800	-
सोयाबीन काली/पीली	795	900	910	-
	885	1020	1050	-

* –अनिर्धारित

रबी फसलें – गेहूँ, चना एवं राई व सरसों ।

खरीफ फसलें– धान, ज्वार, बाजरा व मक्का, तुअर, उड़द, मूँगफली, सोयाबीन, सूर्यमुखी ।

विपणन वर्ष– गेंहूँ, चना, राई व सरसों (अप्रैल–मार्च), अन्य फसलें (अक्टूबर से सितंबर) ।

स्त्रोत – संचालक खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, छत्तीसगढ़

तालिका –4.2

भारत में थोक भाव के सूचकांक

(1993-94=100)

वर्ष / माह	खाद्य पदार्थ	विनिर्मित उत्पाद	समस्त वस्तुयें
1	2	3	4
1998-1999	159.4	133.6	140.7
1999-2000	165.5	137.2	145.3
2000-2001	167.9	144.2	159.2
2001-2002	176.6	144.2	161.8
2002-2003	178.1	151.5	172.3
2003-2004	181.4	156.7	175.9
2004-2005	186.3	166.3	187.3
2005-2006	195.3	171.5	195.6
2006-2007	210.6	179.0	206.2
2007-2008	210.3	188.2	206.1
मई, 2008	214.0	188.4	209.1
जून, 2008	219.4	200.6	213.3
जुलाई, 2008	223.2	210.9	213.6
अगस्त, 2008	222.6	210.5	213.8
सितम्बर 2008	225.5	211.5	215.1
अक्टूब 2008	223.3	209.5	215.2
नवम्बर 2008	223.0	210.3	215.9

स्त्रोत –भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई,

तालिका–4.3

औद्योगिक कामगारों के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक– भिलाई केन्द्र

(1982=100)

वर्ष	भिलाई		अखिल भारत	
	खाद्य	सामान्य	खाद्य	सामान्य
1	2	3	4	5
1999	390	373	444	424
2000	390	390	452	441
2001	409	407	462	458
2002	403	413	474	477
2003	417	439	490	496
2004	438	459	504	514
2005	440	480	520	536
				(2001=100)
2006	135	121	122	123
2007	135	132	134	131
2008	137	136	138	135
अप्रेल. 2008	144	138	144	138
मई, 2008	143	138	145	139
जून, 2008	143	139	147	140
जुलाई 2008	149	142	150	143
अगस्त, 2008	151	143	153	145

आधार वर्ष मार्च 2007 से (2001=100)

स्त्रोत : लेबर ब्यूरो, श्रम मंत्रालय भारत सरकार, शिमला ।

तालिका –5.1

भारत एल्यूमीनियम कम्पनी लिमिटेड, कोरबा

का उत्पादन एवं मूल्य

(उत्पादन मेट्रिक टन में) (मूल्य लाख रूपयों में)

वर्ष	भारत एल्यूमीनियम कम्पनी, कोरबा, का उत्पादन एवं मूल्य								
	इनगोटस्		प्रापजी रॉडस्		एक्सटूजन		रोल्ड उत्पाद		योग
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मूल्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000-2001	7361	5806	36621	30337	6283	6276	36267	34398	76817
2001-2002	20805	17382	23433	21443	567	702	25305	28843	68372
2002-2003	20490	12922	47490	29947	-	-	27510	18272	61141
2003-2004	13149	11834	48243	44865	-	-	35696	35696	92395
2004-2005	6342	5707	34551	32132	-	-	31803	31803	69642
2005-2006	46462	47251	63302	64525	-	-	50391	58456	170232
2006-2007	64222	111072	40137	51062	-	-	30508	41607	203741
2007-2008	195785	234496	101316	135962	-	-	61227	92397	462855

स्त्रोत –भारत एल्युमीनियम कम्पनी लिमिटेड, कोरबा छत्तीसगढ़ ।

तालिका –5.2

महत्वपूर्ण खनिजों का उत्पादन

(हजार मेट्रिक टन में)

खनिज	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
1	2	3	4	5	6	7	8	9
कोयला	50,226	53,677	56758	61505	69250	76358	83245	89595
बाक्साइट	557	556	611	888	1111	1332	1593	1789
लौह अयस्क	20,016	18,660	19781	23361	23118	26084	27348	31575
डोलोमाइट	695	855	918	1005	1043	1109	1051	1049
चूना पत्थर	13,954	13,149	13626	13833	14855	15088	14800	15599
टिनसान्द्र(कि.ग्रा)	12,979	13,887	10630	13342	23503	98734	102320	48328

तालिका –5.3

महत्वपूर्ण खनिजों का मूल्य

(लाख रू. में)

खनिज	**2000-01**	**2001-02**	**2002-03**	**2003-04**	**2004-05**	**2005-06**	**2006-07**	**2007-08**
कोयला	3,00,026	286880	355239	334587	417436	489378	531902	574466
बाक्साइट	2,529	1445	2188	2774	2900	3861	4397	5102
लौह अयस्क	49,042	63231	69834	84162	131138	237338	249453	382617
डोलोमाइट	1,816	2320	2351	2430	2329	2524	2428	2519
चूना पत्थर	18,495	17022	15145	15492	17090	19316	23094	23710
टिनसान्द्र (कि. ग्रा)	10	11	09	13	35	148	186	99

स्त्रोत – भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर

तालिका–5.4

महत्वपूर्ण खनिजों का प्रति टन औसत मूल्य

(रूपयों में)

वर्ष	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
1	2	3	4	5	6	7	8	9
कोयला	597	534	525	544	603	641	639	641
बाक्साइट	454	260	358	312	261	290	276	285
लौह अयस्क	245	339	353	360	567	910	912	1212
डोलोमाइट	261	271	256	242	223	228	231	240
चूना पत्थर	133	129	111	112	115	128	156	152
टिनसान्द्र (कि. ग्राम)	77	79	85	97	149	150	182	205

स्त्रोत – भौमिकी एवं खनिकर्म संचालनालय, छत्तीसगढ़

तालिका –6.1

सड़कों की लम्बाई

(किलोमीटर में)

वर्ष	राष्ट्रीय राजमार्ग	राज्यीय राजमार्ग	प्रमुख जिला मार्ग	अन्य जिला ग्रामीण मार्ग	कुल सड़कों की लम्बाई
1	2	3	4	5	6
2000-2001	1,827	2,197	3,532	27,526	35,082
2001-2002	1,827	3,611	2,118	27,526	35,082
2002-2003	1,827	3,611	2,118	28,768	36,324
2003-2004	2225	3213	2118	28768	36324
2004-2005	2225	3213	4814	24678	34930
2005-2006	2225	3213	4817	24756	35728
2006-2007	2228	3213	4818	25811	36066
2007-2008	2228	3213	4818	32922	43177
2008-2009 (प्रा.)	2228	3213	4818	35733	45988

(प्रा.) – प्रावधिक

स्त्रोत – मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, छत्तीसगढ़

तालिका –6.2

कुल पंजीकृत वाहन

(हजार में)

वर्ष (31 मार्च,)	कार एवं जीप	टेक्सीकेब / थ्री–व्हीलर	यात्री वाहन (बस)	माल वाहन (ट्रक)	द्विपहिया वाहन	अन्य (टेक्टर ट्रोली सहित)	कुल पंजीकृत वाहन
1	2	3	4	5	6	7	8
1998	28	6	9	31	526	44	644
1999	29	7	10	32	585	50	713
2000	31	7	12	35	643	53	781
2001	34	8	14	36	707	58	857
2002	38	10	15	39	793	65	960
2003	42	11	17	52	881	75	1078
2004	50	11	19	57	991	85	1215
2005	59	13	23	66	1117	97	1375
2006	68	14	24	73	1247	111	1540
2007	78	16	27	85	1395	126	1728
2008	90	18	31	97	1553	139	1928

स्त्रोत : परिवहन आयुक्त, छत्तीसगढ़

तालिका 7.1

छत्तीसगढ़ प्रशासनिक क्षेत्र में नियोजन

नियोजन क्षेत्र (31 मार्च की स्थिति)

गणना वर्ष	शासकीय विभाग (नियमित)	नगरीय स्थानीय निकाय	ग्रामीण स्थानीय निकाय	विकास प्राधिकरण, नगर सुधार न्यास एवं विशेष क्षेत्र	विश्व विद्यालय	**योग**
1	2	3	4	5	6	7
1999	177988	14102	23535	468	1300	217393
2000	177890	13107	23864	396	1288	216545
2001	182352	12913	24181	399	2092	221937
2002	174273	12871	25795	395	2323	215657
2003	174423	14514	31083	184	2228	222432
2004	175124	15472	35122	14	2536	228268
2005	174453	12552	38500	426	2296	228227
2006	175347	13358	47380	557	2439	239080
2007	178165	13779	59400	363 रु	2940	254647

- वर्ष 2004 में रायपुर विकास प्राधिकरण का विलय नगर निगम रायपुर में हो गया था । पुनः 2005 में रायपुर पुनः विकास प्राधिकरण अलग हो गया है ।

#- बिलासपुर विकास प्राधिकरण का विलय नगर निगम बिलासपुर में हो गया है ।

स्त्रोत – आर्थिक एवं सांख्यिकी, संचालनालय छत्तीसगढ़

तालिका–8.1

जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक

(राशि लाख रू.)

विवरण	2002–03	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07	2007–08
1	3	4	5	6	7	8
बैक संख्या	07	06	06	06	06	06
शाखाएँ	211	198	198	198	198	198
सदस्य (हजार)	23	21	52	55.5	18440	20083
अंश पूँजी(1) कुल	3691.26	4783.28	5201.10	5993.42	9968.17	8290.37
(2) शासकीय	639.51	508.16	505.24	467.29	3333.13	799.14
अमानतें	120615.65	129337.53	141025.46	149694.46	159766.10	186593.36
कार्यशील पूँजी	159497.56	150966.90	172365.20	184035.17	209180.69	252957.21
ऋण वितरण (अ) कुल	40140.30	43925.34	55018.24	57854.84	83330.61	79891.90
(ब) अल्पकालीन	30805.85	40577.96	49549.52	52186.33	62249.42	71394.13
(स) मध्यकालीन	2896.33	2086.58	4742.61	5185.69	2743.62	8497.77
ऋण बकाया						
(अ) कुल	76134.43	58089.43	66972.52	17608.13	81189.96	87938.90
(ब) अल्पकालीन	21085.65	30906.86	39570.63	44941.20	62325.84	64279.32
(स) मध्यकालीन	35205.13	24515.18	24903.04	24387.52	17958.62	23964.54
कालातीत ऋण	13849.29	29290.31	29050.22	31605.24	41939.18	53937.66
लाभ(अ) बैंक संख्या	01	01	06	06	05	05
(ब) राशि	655.17	9.17	775.58	1711.34	2827.01	3376.83
हानि (अ) बैंक संख्या	06	05	–	–	01	01
(ब) राशि	2007.30	1948.92	–	–	707.35	156.38

स्त्रोत–आयुक्त एवं पंजीयक, सहकारी संस्थायें, छत्तीसगढ़

टीप: जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक मर्यादित रायगढ़ बन्द होने के कारण बैंक की संख्या आलोच्य वर्ष में 06 हेा गई है ।

तालिका–8.2

प्राथमिक सहकारी कृषि साख समितियॉ

विवरण	इकाई	2002–03	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07	2007–08
1	2	3	4	5	6	7	8
समितियाँ	संख्या	1333	1333	1333	1333	1333	1333
सदस्य संख्या	हजार	1903	19.18	19.32	19.64	2099	2128
अनुसूचित जाति	–,,–	327	302	296	303	301	329
अनुसूचित जन जाति	–,,–	620	592	549	613	638	643
कुल ऋणी सदस्य	–,,–	1011	1021	1081	1126	1240	1249
अनुसूचित जाति	–,,–	178	167	116	164	173	190
अनुसूचित जन जाति	–,,–	328	277	365	327	320	238
कुल अंशपूंजी	लाख रू.	7790.00	8205.66	8313.42	8671.06	26224.85	24492.11
कुल ऋण वितरण	–,,–	34484	27381	49941	87082	50397.13	46334.79
(अ) अल्पकालीन	–,,–	26498	25403	42037	33899	45114.91	32085.10
(ब) मध्यमकालीन	–,,–	7985	1978	3904	1615	5282.22	14528.72
कुल ऋण बकाया	–,,–	38366	43250	6770	52745	53968.97	55058.34
(अ) अल्पकालीन	–,,–	20335	24434	42915	29027	31237.37	30785.54
(ब) मध्यमकालीन	–,,–	16179	18816	23614	18431	22631.60	23999.35
कालातीत ऋण	–,,–	17188	25122	25113	26883	24813.94	284206.05

तालिका–9.1
प्रतिवेदक अनुसूचित वाणिज्यिक बैकों की स्थिति

(राशि करोड़ रूपयों में)

वर्षान्त (अंतिम शुक्रवार की स्थिति)	प्रतिवेदक बैंक शाखायें	जमाराशि	ऋण राशि	ऋण राशि अनुपात (प्रतिशत में)
1	2	3	4	5
1998–1999	1046	5602	2070	36.95
1999–2000	1045	6116	2379	38.91
2000–2001	1042	7458	2966	39.77
2001–2002	1036	9605	4219	43.93
2002–2003	1039	11443	4474	39.10
2003–2004	1319	15454	9101	58.89
2004–2005	1331	15454	9101	58.89
2005–2006	1334	22053	12684	57.52
2006–2007	1067	24428	12949	53.00
2007–2008	1117	30967	16190	52.28
2008–2009 (सि.)	1171	33446	15941	47.66

स्त्रोत –भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई,

तालिका –10.1
छत्तीसगढ़ के समाजार्थिक विकास संकेतक

मद	इकाई	छत्तीसगढ़
1	2	3
जनगणना, 2001		
जनसंख्या का घनत्व	प्रतिवर्ग कि. मी.	154
स्त्री–पुरूष अनुपात	प्रति हजार पुरूषों पर स्त्रियां	989
जनसंख्या वृद्धि दर (1991–2001)	प्रतिशत	18.06
कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या	–,,–	79.90
कुल जनसंख्या में मुख्य कार्यशील जनसंख्या	–,,–	46.46
कुल मुख्य कार्यशील जनसंख्या में महिला कार्यशील जनसंख्या	–,,–	40.04
जनगणना, 2001		
कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या	–,,–	11.61
कुल जनसंख्या में अनुसूचित जन जाति की जनसंख्या	–,,–	31.76
प्रति व्यक्ति आय (शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद–त्वरित अनुमान) वर्ष 2007–2008		
प्रचलित भावों पर	रूपये	
स्थिर (1999–2000) भावों पर	–,,–	
कृषि एवं सिंचाई 2007–2008		
खाद्यान्न फसलों की प्रति हेक्टर औसत पैदावार	किलोग्राम	168.30
कृषि गहनता	प्रतिशत	122
कुल बोये गये क्षेत्र में शुद्ध बोया गया क्षेत्र	प्रतिशत	82.24
शुद्ध बोये गये क्षेत्र में शुद्ध सिंचित क्षेत्र	–,,–	35.45
प्रति हेक्टेयर फसली क्षेत्रफल पर उर्वरक का उपयोग	किलोग्राम	73

मद	इकाई	छत्तीसगढ़
1	2	3
वन		
भौगोलिक क्षेत्र से वनों का प्रतिशत	प्रतिशत	43.85
विद्युत 2006–2007		
प्रति उपभोक्ता विद्युत उपभोग	कि. वा. घंटे	1183
कुल ग्रामों में विद्युतीकृत ग्राम (2001 जनगणना के अनुसार)	प्रतिशत	96.20
परिवहन एवं संचार वर्ष 2006.2007		
प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर कुल सड़कों की लम्बाई	किलोमीटर	45.98
प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर पक्की सड़कों की लम्बाई	–,,–	24.64
प्रति लाख जनसंख्या पर पंजीकृत वाहन	संख्या	96.46
प्रति डाकघर द्वारा सेवित जनसंख्या	–,,–	62.48
प्रति हजार जनसंख्या पर दूरभाष	–,,–	40
साक्षरता जनगणना, 2001		
व्यक्ति	प्रतिशत	64.66
पुरूष	–,,–	77.38
स्त्री	–,,–	51.85
ग्रामीण साक्षरता जनगणना, 2001		
पुरूष	–,,–	74.09

मद	इकाई	छत्तीसगढ़
1	2	3
स्त्री	—,,—	46.99
शैक्षणिक संस्थाओं में कुल विद्यार्थियों पर छात्राएं, सितम्बर, 2008		
पूर्व प्राथमिक/प्राथमिक	प्रतिशत	40.21
माध्यमिक	—,,—	45.45
उच्च एवं उच्चतर माध्यमिक स्तर	प्रतिशत	39.61
प्रति लाख जनसंख्या पर शासकीय एलोपैथिक औषधालयों एवं चिकित्सालयों की संख्या	संख्या	27
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, मार्च, 2008		
प्रति बैंक/शाखा सेवित क्षेत्रफल	वर्ग कि. मी.	75
प्रति व्यक्ति जमा राशि	रूपये	30967
प्रति व्यक्ति ऋण राशि	रूपये	16190
ऋण/जमा अनुपात	प्रतिशत	47.66